दश माला, खंड 3, अंक 9

सोमवार, 22 जुलाई, 1996
31 आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(ग्यारहवीं लोक सभा)

No. 2.. 55
16.1.97

सत्यमेव जयते

(खण्ड 3 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

दिनांक 22 जुलाई, 1996 के लोक सभा
वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची (ii)	8	कर्मकार के पश्चात कल्याण उपकर पढ़िए ।	
6	8	श्री रमेश चेन्नीतला	श्री रमेश चेन्नित्तला
43	13	1239	1236
59	नीचे से 10	डा० रामकृष्ण कुसुमरिया	डा० रामकृष्ण कुसमरिया
61	17	श्री जी.एम.कद्रूरकर	श्री जी.एम.कुट्रूरकर
71	25	समील......	सलीम......
104	प्रश्न सं. 1301	श्री मुरलीधरन जेना	श्री मुरलीधर जेना
178	प्रश्न सं. 1354	" "	" "
184	4	(घ) और (ग)	(घ) और (ङ.)
191	प्रश्न सं. 1369	श्री महेश कनोडिया	श्री महेश कुमार एम. कनोडिया
202	नीचे से 14	श्री टी.जी.वैंटकरामन	श्री टी.जी.वेंकटरामन
220	नीचे से 17	श्री रमेश चेन्नीत्तला	श्री रमेश चेन्नित्तला
273	नीचे से 16	श्री ए.सी.जोस	श्री ए.सी.जोस
274	5	डा.के.पी.रामालिंगय	डा० के.पी.रामालिंगम
284	नीचे से 9	प्राक्कलन समिति से पहले (पांच) पढ़िए ।	
288	2	स्नातकोत्तर" से पहले (पांच) पढ़िए ।	
	नीचे से 15	अखिल से पहले (छः) पढ़िए ।	
291	नीचे से 4	अन्तः द्वीप	अन्तर्द्वीप
302	16	श्री निर्मल कान्ति चटजी	श्री निर्मल कान्ति चटर्जी
308	14	'कर्मकार' के पश्चात 'कल्याण उपकर' पढ़ें ।	
	नीचे से 18	उपकरण	उपकर

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

श्रीमती रेवा नैयर
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीमती वन्दना त्रिवेदी
सम्पादक

श्री देवेन्द्र कुमार
सम्पादक

श्री बलराम सूरी
सहायक सम्पादक

श्रीमती सरिता नागपाल
सहायक सम्पादक

श्री मुन्नी लाल
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)
अंक 9, सोमवार, 22 जुलाई, 1996/31 आषाढ़, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	161 और 163 से 165	1—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	162 और 166 से 180	24—41
अतारांकित प्रश्न संख्या	1234 से 1436	41—267
सामान्य बजट प्रस्तुत करने के संबंध में घोषणा		267
सभा पटल पर रखे गए पत्र		268—271
समितियों के लिए निर्वाचन		284—289
(1) प्राक्कलन समिति		284—285
(2) लोक लेखा समिति		285—286
(3) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		286
(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		287
(5) स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसन्धान संस्थान, चंडीगढ़		288
(6) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली		288—289
विधेयक—पुर:स्थापित		
(एक) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक		289
(दो) स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक		289
नियम 377 के अधीन मामले		290—292
(एक) राजस्थान के बूंदी शहर को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता श्री दाऊ दयाल जोशी		290
(दो) भावनगर-सुरेन्द्रनगर बड़ी रेल लाइन के सर्वेक्षण कार्य को पूरा किए जाने की आवश्यकता श्री राजू राणा		290
(तीन) डिंडीगुल जिले में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु तमिलनाडु को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता श्री एन.एस.वी. चित्यन		290—291
(चार) राष्ट्रीय बचत योजना के कार्यकरण में सुधार किए जाने की आवश्यकता श्री रमेश चेन्नित्तला		291
(पांच) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर में एक इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज की आवश्यकता श्री विद्यासागर सोनकर		291
(छ:) मुख्य भूमि और अंडमान तथा निकोबार द्वीप के द्वीपसमूह तथा अन्तर्द्वीप समूहों के बीच नौवहन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता श्री मनोरंजन भक्त		291—292

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परंतुक का निलम्बन करने के बारे में नियम 388 के अधीन प्रस्ताव—स्वीकृत	292—307
श्री एम. अरुणाचलम	292, 301—302
श्री जार्ज फर्नान्डीज	292—298
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	298—299
श्री गुमान मल लोढा	299—301
भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार तीसरा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प; भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार विधेयक; भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे में सांविधिक संकल्प; और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक	308—327
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	308—309, 310—314
श्री एम. अरुणाचलम	309—310, 314—316
श्री हन्नान मोल्लाह	316—317
श्री बनवारी लाल पुरोहित	317—321
श्री जी. वेंकट स्वामी	321—327
बजट (सामान्य), 1996-97	327—360
वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1996—पुरःस्थापित	360—362

लोक सभा

सोमवार, 22 जुलाई, 1996/31, आषाढ़, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : खोया हुआ व्यक्ति वापस आ गया है।

(व्यवधान)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पत्तनों का निजीकरण

*161. **श्री राजेन्द्र सिंह राणा :**
डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पत्तनों में निजी क्षेत्र के निवेश के संबंध में मार्गनिर्देश तैयार किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तैयार किये गये मार्गनिर्देशों की मुख्य बातें क्या-क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन करने का है ताकि इन परिवर्तनों को इसमें सम्मिलित किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो उक्त संशोधन कब तक किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या पत्तन के कार्य-संचालन में निजीकरण लाने के लिये देश में किन्हीं पत्तनों का चयन किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस कार्य को करने के लिये निजी क्षेत्र की कौन-कौन सी फर्में इच्छुक हैं; और

(छ) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (छ). एक विवरण लोक सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां।

(ख) मार्गनिर्देशों में मुख्य रूप निजी क्षेत्र की भागीदारी के उद्देश्यों निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु पता लगाए गए क्षेत्रों, कानूनी प्रक्रिया, निजी क्षेत्र की भागीदारी प्राप्त करने के लिए विकल्पों और निजीकरण प्रस्तावों पर कार्रवाई करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को शामिल किया गया है।

(ग) जी नहीं, क्योंकि महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). देश के सभी महापत्तनों को सलाह दी गई है कि वे पता लगाए गए क्षेत्रों के लिए निजी क्षेत्र से भागीदारी प्राप्त करें। जब भी पत्तन निविदाएं आमंत्रित करते हैं निजी उद्यमी इनमें भाग ले सकते हैं।

(छ) राज्य सरकारें महापत्तनों के विकास के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।

श्री राजू राणा : अध्यक्ष महोदय, मुझे लिखित उत्तर नहीं मिला है। कृपया अन्य सदस्यों को आज्ञा दें।

डा. कृपासिंधु भोई : श्रीमान, मंत्री जी ने कहा है कि मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के उद्देश्य सम्मिलित हैं। पिछले सत्र में मंत्री जी से पूर्व मंत्री ने समाचार पत्रों को बताया था कि उदारीकरण की नीति अपनाये जाने के बाद निजीकरण उचित प्रकार से नहीं हुआ है और समाचार पत्र कह रहे हैं कि निजीकरण में प्रगति नहीं हो रही है।

स्थायी समिति ने भी व्यापक विधान बनाने के लिये सिफारिश की है। निजी क्षेत्र की भागीदारी से संबंधित 21,000 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इसकी स्वीकृति देने जा रहे हैं और यदि नहीं तो इसमें क्या कठिनाई है।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पारादीप पत्तन न्यास के लिये पहले ही 10 मिलियन टन कोयले की लदाई और उतराई के लिये ए.डी.बी. से 7500 करोड़ रुपये का कर्ज स्वीकार हो चुका है तो पत्तन के हैंडलिंग कार्य को दक्षिण तट पर बदलने का क्या कारण है। यदि ऐसा है तो सरकार के लिये क्या कठिनाई है? क्या इस में अधिकारियों का कोई झगड़ा है?

तीसरे, विभाग की स्थायी समिति ने अनेक बार कहा है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिये व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता है। परन्तु पूर्व मंत्री ने अपने पत्रकार सम्मेलन में इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में अधिकारियों में मतभेद के बिना स्वीकृति दे जायेगी?

श्री टी.जी. वेंकटरामन : श्रीमान, हमने पहले ही गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी के लिये निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किए हैं:-

1. निजी क्षेत्र आवश्यक संसाधन जुटायेगा।
2. निजी प्रबन्धात्मक विशेषज्ञता, उत्पादकता के साथ सेवा की गुणवत्ता में सुधार की आशा की जा सकती है।

3. पत्तनों की सेवाओं में परस्पर प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होगी।

4. नई सुविधाओं को आरंभ करने वाले समय के कम होने की संभावना है।

5. विश्वभर से नई प्रौद्योगिकी प्राप्त की जायेगी।

हमने इन चीजों को आरंभ किया है।

डा. कृपासिंधु भोई : भारत सरकार के पास लम्बित पड़े प्रस्ताव कौन-कौन से हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंम्बित है?

डा. कृपासिन्धु भोई : पारादीप के कोल हैंडलिंग ब्रान्च के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या विभाग के पास एक व्यापक परियोजना है ताकि डा. डी.बी. द्वारा गत तीन वर्षों के लिये मंजूर किये गये 7500 करोड़ रुपये ऋण को स्वीकृति मिल सके।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, यदि आपके पास जानकारी है तो दीजिये अन्यथा इसे बाद में लिखित रूप में दे दीजिये।

श्री टी.जी. वेंकटरामन : इस पतन के बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री जार्ज फर्नांडीज : पत्तन के लोगों को अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता था कि पत्तन आपका कार्यक्षेत्र रहा है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय यह कहते हैं कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 निजी भागीदारी की अनुमति देता है, यहां मेरे पास उस कानून की कॉपी है। हम जानना चाहते हैं कि किस धारा के अन्तर्गत प्राइवेट सैक्टर पार्टिसिपेशन के बाद आपने लिखा है, वह कौन सी धारा है? एक तो यह बात आप सदन को बताएं और दूसरी बात यह है कि ये बंदरगाहों और हवाईअड्डों का जो मामला है, मैं अभी हवाईअड्डे के बारे में नहीं कह रहा हूं लेकिन बंदरगाह और हवाईअड्डे हमेशा मैक्सिमम सिक्योरिटी जोन करके माने जाते हैं। बंदरगाह में जाना है तो पास लेकर जाना होता है, वहां की तस्वीर खींचना मना है, जैसे हवाइअड्डों की तस्वीर खींचना मना है, हिन्दुस्तानियों को भी मना है, विदेशियों की बात छोड़िए। वहां पर हम लोग इतनी ज्यादा सख्ती रखते हैं क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि बदंरगाह और हवाईअड्डे देश की सुरक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हैं, अंग हैं। ऐसी हालत में यह जो छिपे ढंग से प्राइवेटाइजेशन का प्रयास चल रहा है, हम यह भूले नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिये।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं कि कारगिल को जमीन क्यों दी गई थी? किस कानून के आधार पर दी गई थी? आज यह सारा काम करने जा रहे हैं और वह भी छिपाकर करने जा रहे हैं, मेरा सीधा प्रश्न है कि कौन से क्षेत्र में प्राइवेटाईजेशन कर रहे हैं और जवाब कुछ उल्टा ही दिया है। इसलिए ईमानदारी से इस सदन को बताएं कि प्राइवेटाईजेशन की क्या-क्या योजनाएं हैं और किस कानून के अन्तर्गत कौन सी धारा है जिससे आप इसको कर सकते हैं?

[अनुवाद]

श्री टी.जी. वेंकटरामन : श्रीमन, महापत्तन न्यास अधिनियम के धारा 42 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति है। निजीकरण के लिये कन्टेनर टर्मिनल, माल के हैंडलिंग के टर्मिनल, बर्थ, भाण्डागार और गोदाम, केन सेवा की सुविधा के क्षेत्र हैं। इसके अलावा ड्राइ डाकिंग और जहाज मरम्मत भी हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अधिनियम की किस धारा में यह है।

श्री टी.जी. वेंकटरामन : श्रीमन, अधिनियम की धारा 42 में यह है।

श्री शरद पवार : श्रीमन प्रश्न के भाग (ङ) और (च) के बारे में ठीक उत्तर नहीं मिला है। प्रश्न स्पष्ट है। भाग (ङ) में पूछा गया है कि क्या देश के किसी पत्तन को निजीकरण के चुना गया है और (च) में पूछा गया है कि यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है। उत्तर है कि

> "देश में सभी महापतनों को सलाह दी गई है कि वे पता लगाये गये क्षेत्रों के लिये निजीकरण में भागीदारी प्राप्त करें।"

यह उत्तर ठीक नहीं है। एक विशिष्ट प्रश्न उठाया गया है और हमें वैसा ही उत्तर चाहिये कि क्या भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

श्री टी.जी. वेंकटरामन : श्रीमान् उत्तर बहुत स्पष्ट है। शायद यह मेरे मित्र को स्पष्ट नहीं हुआ है। इसमें कहा गया है कि देश के सभी महापत्तनों को निजी भागीदारी प्राप्त करने के लिये सलाह दी गई है। इसमें किसी विशेष पत्तन का उल्लेख नहीं है। सभी ग्यारह पतनों को सलाह दी गई है।

श्री शरद पवार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी पत्तन को चुना गया है।

श्री टी.जी. वेंकटरामन : इसमें चयन का प्रश्न नहीं है।

प्रो. पी. जे. कुरियन : विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या किसी पत्तन का चयन किसा गया है या नहीं? आप इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते?

श्री टी.जी. वेंकटरामन : चयन का प्रश्न नहीं है। यह सभी ग्यारह पत्तनों के लिये है। आपको प्रस्ताव देना है और हम स्वीकृति देंगे।

श्री राजू राणा : इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मध्यम और छोटे पत्तनों के निजीकरण पर भी विचार कर रही है, यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों के साथ भी कोई मन्त्रणा हो रही है।

श्री टी.जी. वेंकटरामन : छोटे पत्तन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। उन्हें स्वयं निजीकरण का फैसला करना होगा।

श्री पी. चणमुगम : अध्यक्ष महोदय, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे राज्य तमिलनाडु में सरकारी परिवहन व्यवस्था समूचे देश में सबसे अच्छी है। परन्तु मुझे खेद है कि देश की राजधानी, नई दिल्ली में यह बहुत खराब हो गई है, नई दिल्ली की आम जनता के उचित परिवहन व्यवस्था ठीक नहीं है। दिल्ली परिवहन निगम ने अनेक सेवाएं बन्द कर दी हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आयें।

श्री पी. चणमुगम : मैं आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये। आगे की बात मत करें।

श्री पी. चणमुगम : राजधानी नई दिल्ली में परिवहन व्यवस्था के सुधार के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

श्री टी.जी. वेंकटरामन : प्रश्न पत्तनों के बारे में है। मेरे मित्र परिवहन के बारे में बात कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा वरिष्ठ सदस्यों से अनुरोध है कि वे नये सदस्यों को भी अवसर दें।

श्री पी.एस. गढवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने भाग (ख) के उत्तर में कहा है कि मार्गदर्शी सिद्धान्त में मुख्यतः निजी क्षेत्र में निजीकरण उद्देश्य निम्नलिखित हैं—इसमें निजीकरण के क्षेत्रों की पहचान, कानूनी व्यवस्था, निजी भागीदारी के लिये अवसर, और निजीकरण के प्रस्तावों पर अमल करने की प्रक्रिया के बारे में है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इन प्रस्तावों पर विचार करने आदि के लिये कोई समय-सीमा है?

काण्डला पत्तन के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि आई.ओ.सी. और इफ्को द्वारा 100 आवेदन देने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इस बारे में प्रस्तावों पर क्या निर्णय करने के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम है?

श्री टी.जी. वेंकटरामन : अब चूंकि मेरे मित्र ने सुझाव दिया है तो विचार करूंगा।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं जो उनके द्वारा निजीकरण के लिए पता लगाए गए क्षेत्रों के बारे में है। उन क्षेत्रों के निजीकरण के लिए आरक्षण से क्या सरकार द्वारा उन क्षेत्रों का विकास बन्द कर दिया जायेगा। यह एक प्रश्न है।

दूसरे, मंत्री जी ने कहा है कि राज्य सरकारें महापत्तनों के विकास से सम्बद्ध नहीं है। चूंकि संघ राज्य क्षेत्र, जैसे अण्डमान तथा निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप जैसे संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के अधीन हैं, मैं चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार संघ राज्य क्षेत्रों का ध्यान रखेगी और बजट में इनके पत्तनों का ध्यान रखा जायेगा।

श्री टी.जी. वेंकटरामन : श्रीमन, मैं इसके लिये अलग नोटिस मिलने पर उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 1621, श्री पिनाकी मिश्र, वह अनुपस्थित हैं।

श्री रमेश चेन्नीत्तला : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृपया इसकी अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। सदस्य यहां नहीं हैं। मैं क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं। यह महत्वपूर्ण है। सदस्य यहां मौजूद नहीं हैं और न ही उन्होंने किसी को अधिकृत किया है कि उनकी जगह प्रश्न पूछें। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना

163. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :**
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है;

(ख) क्या चुरू, गंगा नगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले सिंचाई हेतु पूर्णतया इसी परियोजना पर निर्भर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राजस्थान के इन जिलों की सिंचाई समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या राजस्थान सरकार ने इस परियोजना के अंतर्गत अपने हिस्से का 0.6 एम ए एफ पानी पंजाब दो अस्थाई रूप से दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राजस्थान के वर्तमान गंभीर जल संकट को देखते हुए पंजाब को दिया गया उसका हिस्सा उसे कब तक वापस दिए जाने की संभावना है ?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (च). एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

[हिन्दी]

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) सिंचाई और पेयजल के लिए इन जिलों का काफी क्षेत्र इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा कवर किया जाता है।

(ग) इन जिलों के अन्तर्गत आने वाले सिंचाई क्षेत्रों का ब्यौरा इस प्रकार है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	शामिल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
1.	श्रीगंगानगर	1.76
2.	हनुमान गढ़	2.65
3.	चुरू	0.67
4.	बीकानेर	5.84
5.	जोधपुर	0.67
6.	जैसलमेर	6.48
7.	बारमेर	0.62
	कुल	18.69

इसके अलावा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से इन जिलों के लिए पीने का पानी भी 0.87 मिलियन एकड़ फुट निर्धारित किया गया है।

649 किमी. लंबाई की मुख्य नहर पूरी हो चुकी है। मार्च, 1996 के अन्त तक 5635 किमी. तक वितरण प्रणाली भी पूरी हो गई है। परियोजना पूरी होने पर 18.69 लाख हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र को कवर करेगी और 15.17 लाख हेक्टैयर क्षेत्र की सिंचाई करेगी। मार्च, 1996 तक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण-I और II में सृजित सिंचाई क्षमता 9.28 लाख हेक्टैयर थी जबकि वर्ष 1995-96 के दौरान वास्तविक सिंचाई 7.90 लाख हेक्टेयर रही।

(घ) से (च). वर्ष 1981 के समझौते में अधिशेष रावी-व्यास जल में राजस्थान का हिस्सा 10.62 बिलियन क्यूबिक मीटर (8.6 मिलियन एकड़ फुट) निर्धारित किया गया है। समझौते के अनुसार जब तक राजस्थान अपने पूरे हिस्से के जल का उपयोग करने की स्थिति में नहीं होता है तब तक पंजाब राजस्थान की आवश्यकता से अधिशेष जल का उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र होगा। यह अधिशेष जल 0.74 बिलियन क्यूबिक मीटर (0.6 मिलियन एकड़ फुट) आंका गया है। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण II में पूर्ण सिंचाई क्षमता विकसित होते ही राजस्थान को उसका पूरा हिस्सा 10.62 बिलियन क्यूबिक मीटर (8.6 मिलियन एकड़ फुट) वापिस दे दिया जायेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी आप पहले भी मंत्री रह चुके हैं। इंदिरा गांधी नहर हिन्दुस्तान की सबसे पुरानी नहर है। यह उस वक्त की नहर है, जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री हुआ करती थीं और वे निर्णय लेने में बहुत तत्पर थी। यह नहर भी उनके ही नाम पर है। इस नहर से गंगा नगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों की सिंचाई, यानि सारे का सारा पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र राजस्थान का निर्भर है। इस नहर से इन क्षेत्रों की सिंचाई हो सकेगी और पीने का पानी मिल सकेगा। राजस्थान सरकार पैसा न होते हुए भी अपना काम कर रही है। 1993-94 में राज्य सरकार ने 80 करोड़ रुपए दिए और केन्द्र ने 52 करोड़ रुपए दिए, 1994-95 में 93 करोड़ रुपए दिए और आपने 60 करोड़ रुपए दिए और इसी प्रकार 1995-96 में हमने 93 करोड़ रुपए दिए तथा आपने 60 करोड़ रुपए दिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आठवीं योजना में कुल मिलाकर राजस्थान सरकार द्वारा 331 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, जबकि राजस्थान रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र है तथा उसके पास पैसा भी नहीं है।

मान्यवर, आपके जो पूर्वज सरकार में थे उन्होंने 224 करोड़ रुपए केवल इसके अगेंस्ट दिये थे, इस साल 1996-97 में 86 करोड़ रुपए दिए हैं और कुल 60 करोड़ रुपए दिए हैं। मेरा यह कहना है कि यह संयुक्त मोर्चे की सरकार है, इस समय आप वहां बैठे हैं हो सकता है कि कल आप इधर बैठ जाएं, यह तो वक्त की बात है इसलिए आप हम पर दया कर दीजिए। मेरा पहला कहना यह है कि आप इस साल राजस्थान सरकार को इंदिरा गांधी नहर को पूरा करने के लिए अधिक पैसा दें। मेरा दूसरा प्रश्न यह है, ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरा प्रश्न बाद में पूछिए, पहले आप इसका जवाब देने दीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदय, यह मेरे पहले प्रश्न का ही ख भाग है। ...**(व्यवधान)** मेरा दूसरा निवेदन यह है क्या इराडी कमीशन ने यह कहा था कि हम राजस्थान को 52.7 परसैंट पानी देंगे। इराडी कमीशन ने अपना फैसला दे दिया, उसका फैसला भी हो गया लेकिन ट्रिब्यूनल की मीटिंग पिछले तीन वर्ष से नहीं हो रही है तो क्या राजस्थान का जो पानी हमको मिलना चाहिए वह हमको नहीं मिलेगा। इन दो बातों का आप उत्तर दें, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। आप बहुत पुराने मंत्री हैं इसलिए आप पार्टी से ऊपर उठ कर राजस्थान के हित की बात करेंगे, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, तारीफ करके और फुसला करके किसी से गलत, सही जवाब नहीं लेना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से यह निवेदन करूंगा कि यह जो केन्द्रीय मदद होती है वह जल संसाधन मंत्रालय से नहीं बल्कि योजना आयोग से होती है। इस वर्ष जो रकम योजना आयोग ने दी है उसी की मंजूरी होती है। जल संसाधन मंत्रालय चाहेगा तो उसको अपनी तरफ से बढ़ाने का वायदा नहीं कर सकता। दूसरी बात इराडी कमीशन के बारे में है इंदिरा गांधी नहर अभी अपनी पूरी क्षमता के पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। द्वितीय चरण बिलकुल काम नहीं करता, प्रथम चरण तो कर गया और यह तय है कि जो पानी बचा रहेगा उसका कुछ हिस्सा पंजाब तब तक इस्तमाल करेगा जब तक राजस्थान पूरी क्षमता का पानी इस्तेमाल करने लायक न हो जाए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मान्यवर, इसका मतलब यह है कि आप हमको पानी नहीं देंगे और भारतवर्ष की जो प्रमुख नहर है उसको हम पूरा नहीं कर सकेंगे। पंजाब पानी का उपयोग करता रहेगा, फिर न बांस होगा, न बांसुरी बजेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप राजस्थान को फिर से इस वर्ष का आज जब बजट पेश होगा तो उसमें आप राजस्थार सरकार को पैसा बढ़ा कर दें और जो इराडी कमीशन की मीटिंग नहीं हुई है वह जल्दी करें। मान्यवर, मेरा आपसे विशेषकर यह निवेदन है कि यहां हमको अपना कोई संरक्षण नजर नहीं आता है केवल आप नजर आते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि जब तक आप स्पीकर हैं तब तक आप यदि राजस्थान के कोटे में भी एम.पी. बन जाएं तो मैं समझता हूं कि हमारा भला हो सकता है वरना नहीं हो सकता। आप मेरी बात को स्वीकार कर लें वरना कोई हमारी बात को सुनता नहीं है। इंदिरा गांधी नहर देश के प्रधानमंत्री के नाम पर है, आज वहां बाढ़ आ रही है और उससे काफी नुकसान हो रहा है। पिछली बार हनुमानगढ़ के लिए हमने 326 करोड़ रुपए मांगे थे लेकिन जो 21 करोड़ रुपए हमको मिलने थे वह भी नहीं मिले और अब की राजस्थान ने 300 करोड़ रुपए मांगे तो वह पैसा भी हमको नहीं मिला। महोदय, हमारे ऊपर अकाल अलग से पड़ता है और अब तो साम्बर लेक में भी पानी भर गया है। वहां 15 हजार मजदूर बेकार हो गए हैं। हमारा कहना यह है कि अब लोगों को नमक खाने के लिए नहीं मिलेगा और सब टी.बी. एवं ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाएंगे। ... **(व्यवधान)** इसलिए वे हर प्रकार से दुखी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी मदद करें। आप इस चेयर पर विद्यमान हैं, मैं तो आपको अपने कोटे में राजस्थान से एम.पी. मान लेता हूं और जनेश्वर मित्र जो भी पुराने मंत्री हैं इसलिए मेरा कहना यह है कि आप उनसे हमको अधिक से अधिक पैसा दिलाएं। हमारे राजस्थान को पूरा पानी मिले, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। हो सकता है माननीय मंत्री जो को कुछ दया आ गई हो लेकिन मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं। अब अगर कोई झगडा करना हो, राजस्थान के हित में कोई धरना देना हो, पार्टी के आदेश से राजस्थान के विधायकों को धरना भी देना पड़ेगा तो हम देंगे। मैं राजस्थान के विधायकों और राजस्थान के सांसदों से भी अपील करूंगा कि वे मेरे इस प्रश्न पर मेरा साथ दें।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो निवेदन ही किया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : धरना या प्रदर्शन करने के अलावा ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण परियोजना है।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सदस्य ने केवल सलाह दी है। उनकी सलाह कार्रवाई में दर्ज हो गयी है। उनकी सलाह को मंत्रालय योजना आयोग को भेज देगा। इराडी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर ली है और हमारे मंत्रालय को उसकी प्रतीक्षा है।

श्री मेजर सिंह उबोक : इराडी कमीशन को रिपोर्ट का जो जिक्र हुआ है उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इराडी कमीशन की रिपोर्ट को पंजाब सरकार ने कभी भी नहीं माना है। उसमें पानी का भी जिक्र है और सीमावर्ती जो इलाके हैं उनका भी जिक्र है। अबोहर-फाजिल्का का भी उसमें जिक्र है। उनके लेन-देन का भी जिक्र है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब सरकार ने कभी भी इराडी कमीशन की रिपोर्ट को नहीं माना है। पंजाब में आज पानी नहीं है। हमें आज कोयला और रेल वैगन्स चाहिए ताकि हमारे जो थर्मल प्लांट हैं उन्हें चलाएं। रोपड़ का थर्मल प्लांट कोयले की कमी के कारण नहीं चल रहा है। भटिंडा में भी कोयला नहीं है। इराडी कमीशन को पंजाब वाले कभी नहीं मानेंगे। पंजाब में दरिया बहुत हैं और हमें इन्हें पानी देना चाहिए, लेकिन पानी जब हमारे पास ही फालतू नहीं है तो हम इनको पानी कैसे देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये, यह इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट के बारे में है।

श्री मेजर सिंह उबोक : पंजाब के पास पहले ही पानी नहीं है। पंजाब की दरियाओं से पानी जाएगा तो तरीके से जाएगा, भाखड़ा से जाएगा। लेकिन पंजाब में पानी की कमी है, फसलें सूख रही हैं, ट्यूबवैल भी नहीं चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये।

श्री मेजर सिंह उबोक : (तरनतारन) : इस स्थिति में हम पानी इन्हें कैसे दे सकते हैं। पंजाब की कोई भी सरकार इराडी कमीशन की रिपोर्ट को मान नहीं सकती।

श्री जनेश्वर मिश्र : इंदिरा गांधी नहर के सिलसिले में पहले ही समझौता हो चुका है और उसकी तरह उनको पानी मिल रहा है। पंजाब भी इसके लिए तैयार है। इसलिए हम समझते हैं कि यहां इस विवाद को छेड़ना उचित नहीं है।

[अनुवाद]

कर्नल सोनाराम चौधरी : मैं जैसलमेर और बाड़मेर का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करूंगा। इस नहर का काम लगभग 40 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था और यह कार्य बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में हो रहा है। मेरे मित्र श्री भार्गव ने कहा है पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। ऐसी बात नहीं है। इस वर्ष केवल पूर्वी राजस्थान और नागौर में बाढ़ आयी है। यह बाड़मेर और जैसलमेर में नहीं है। वहां वर्षा नहीं हुई बल्कि अकाल पड़ा है। इसी स्थान पर नहर पर कार्य हो रहा है। लोगों के लिये पेय जल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिये। भाषण नहीं कीजिये।

कर्नल सोनाराम चौधरी : महोदय, मेरा मंत्री जी से अनुरोध है वहां योजना आयोग से अधिक धनराशि देने के लिए कहें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।

हालांकि, उनके पास पर्याप्त धन है, परन्तु वहां कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। इसमें बहुत विलम्ब हो रहा है। **...(व्यवधान)** जो भी धन दिया जाता उसका उपयोग उचित प्रकार से होना चाहिये। वह नहीं हो रहा है। ठेकों के बारे में बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी हो रही है। इसके कारण काम की प्रगति रुकी हुई है। दोषी ठेकेदारों के कारण बड़े पैमाने पर हानि हो रही है और धनराशि की भी हानि हो रही है। आप अधिक धन मुहैया करायें और मंत्रालय को बतायें कि दिये गये धन का ठीक प्रयोग हो और संसद सदस्यों और योजना आयोग के जल संसाधन से संबंधित प्रतिनिधियों की एक उच्चस्तरीय समिति कार्य की प्रगति पर निगरानी रखे। यह लिखित रूप से सुनिश्चित किया जाये कि धन का सही ढंग से उपयोग हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल सुझाव दे रहे हैं। कृपया प्रश्न पूछिये।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिला इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के सैकिंड फेज में आता है। सैकिंड फेज में पानी का इस्तेमाल करने के लिये लोगों की आबादी ही नहीं है। यह नियति का खेल कहा जाएगा। जहां पर लोग पानी के लिए लड़ते हैं, वहां कोई बसावट नहीं है और वहां रेगिस्तान है। राज्य सरकार ने कई बार केन्द्र सरकार से निवेदन किया। इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए कि वहां शीघ्रातिशीघ्र बसावट का इंतजाम किया जाए। ये दोनों साथ-साथ होने चाहिए थे। अगर पानी न चले और बसावट हो जाए तो नतीजा यह होगा कि जो लोग बसे होंगे, वे भाग जाएंगे। अगर आबादी हो जाए और पानी न चले तो उनके खेतों को सिंचाई नहीं हो सकती है। दोनों चीजें साथ-साथ चलनी चाहिए। वहां नहर की खुदाई हो गई लेकिन बसावट का इंतजाम नहीं हो रहा है, इसलिए बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : वहां आवंटन हो चुका है **...(व्यवधान)**

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, वहां आवंटन हो चुका है लेकिन लोग बसने के लिए तैयार नहीं हैं। राजस्थान सरकार ने कई तरह की टैक्निकल दिक्कतें रास्ते में रखी हैं जिन की वजह से जो लोग आते हैं, वे चले भी जाते हैं। इस बात को आप खुद भी जानते हैं।

श्री लाल मुनि चौबे : अध्यक्ष महोदय, हरित क्रांति का नारा बच्चे-बच्चे के कान में गूंजता है। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी ने सोचा कि पहले राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में हरित क्रांति लायी जाए। इसमें कोई फुसलाने वाली बात नहीं है। आप केवल भार्गव जी का नोट योजना आयोग में भेज दें। आप योजना आयोग से बात करके यह बतायंगे कि इतना रुपया दे रहे हैं। आपकी इन्दिरा जी की मंशा को पूरा करने की वचनबद्धता है क्योंकि उनकी पार्टी आपको समर्थन दे रही है। इसलिए मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह योजना आयोग से मिल करके हमें कोई ऐसा जवाब दें जिससे मरू भूमि के इलाके के लोगों को आशा हो जाए कि वह जल्दी नहर बन रही है।

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, नहर तो लगभग पूरी बन चुकी है। जहां तक हरित क्रांति का सवाल है, परियोजना के प्रथम चरण में जितने इलाके आ रहे हैं, वहां हरित क्रांति भी हो गई है। दूसरे चरण में जिस तरह की बालू वाली जमीन निकली है **...(व्यवधान)**

श्री लाल मुनि चौबे : आप योजना आयोग से बात करेंगे या केवल नोट भेज देंगे।

श्री जनेश्वर मिश्र : बसावट से लेकर और कई दूसरी तरह की दिक्कतें आ रही हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि मैं खुद योजना आयोग से बात करूं। मैं इसके लिये उन्हें कहना चाहता हूं कि कुल मिलाकर सिंचाई का काम राज्य सरकारों का होता है। अगर वे प्रगति के रास्ते पर न चलें तो वहां के इलाकों का विकास नहीं हो पाएगा। बसावट केन्द्र सरकार करने नहीं जाएगी। अगर राज्य सरकार शिथिल रहेगी तो दिक्कतें बढ़ेंगी और इसका बार-बार जवाब देना पड़ेगा। **...(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का समय नहीं दिया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह योजना कब तक पूरी होगी?

अध्यक्ष महोदय : आपने पहले ही सवाल पूछ लिया और उसका जवाब भी दे दिया। अभी क्वश्चन 164 भी है।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण

***164. श्री राजीव प्रताप रूडी :**
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय से निकलने वाली और देश के विभिन्न भागों विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और असम से होकर बहने वाली विभिन्न नदियों के कारण विनाशकारी बाढ़ आती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इस प्रकार की बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रस्ताव/योजनाएं हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में उत्तर प्रदेश से भी कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो प्राप्त प्रस्ताव और केन्द्र सरकार द्वारा तैयार कार्यक्रम और इस संबंध में दी गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक अथवा अन्य एजेंसियों को सहायता से तैयार की गई योजना का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) हिमालय से निकलने वाली और असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में से होकर बहने वाली नदियों की वजह से भीषण बाढ़ आ रही है।

(ख) इन नदियों में बाढ़ों के मुख्य कारण इस प्रकार हैं : भारी वर्षापात, भूमि का समतल स्वरूप, खुले मुहानों की कमी, अपर्याप्त जल निवास और कुछ मामलों में मुख्य नदी के मुहाने से जल का सहायक नदियों में उलट प्रवाह होना।

(ग) भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने अपनी रिपोर्ट (1980) में राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वयन के लिए 207 सिफारिशें दी हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के अत्यन्त बाढ़ प्रवण बेसिनों के लिए, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के केन्द्रीय संगठनों और ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने विस्तृत स्कीमें तैयार करने और राज्य सरकारों तथा इन्हें क्रियान्वित करने के लिए बाढ़ प्रबन्ध की विस्तृत मास्टर योजनाएं तैयार की हैं।

(घ) और (ङ). जी हां। समय-समय पर उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त एक करोड़ रुपये से अधिक लागत की बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोधी स्कीमों की गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में जांच की गई है और तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अध्ययन के बाद उनका अनुमोदन किया गया है। इन स्कीमों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(च) कोई बाढ़ प्रबन्ध स्कीम विश्व बैंक सहायता के लिए विचाराधीन नहीं है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के जवाब को ध्यान से पढ़ा है और समझने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे प्रश्न ने इस बात का जिक्र है कि हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदियां हैं। माननीय मंत्री जी ने जवाब तैयार करवाया है। इसमें एक बात समझ में नहीं आती कि अधिकांश नदियां हिमालय से निकल रही हैं, लेकिन वे किस भाग से निकल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिनों में बिहार के मुख्य समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ का नक्शा दिखाना चाहता हूं कि पूरा बिहार और विशेषकर उत्तर बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। यह प्रश्न वहां पर बार-बार उठता रहा है और इस पर इस सदन में बहस होती रही है।

मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बिहार की जो नदियां हिमाचल में हैं और नेपाल से निकल रही हैं, जैसे- गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा, कमला और उत्तर प्रदेश की सरयू एवं गोमती नदियां नेपाल के क्षेत्र से निकलती हैं और इस विषय की तरफ को मुख्य बिन्दु हैं। नेपाल के भाग में पिछले 40-50 वर्षों से जिस प्रकार से वृक्षों का कटान हो रहा है, जिस प्रकार से नदियों का जो नेचुरल कैचमेंट एरिया था, जिस प्रकार से ऊपर से आने वाली बरसात जो पहाड़ों पर होती है, जो पानी कैचमेंट एरिया में रुकता था वृक्ष कटान के कारण जो उनको सोखने की क्षमता थी अब सीधे नेपाल आकर पानी की धार बिहार में प्रवेश करती है। उससे सारी रेत बहकर बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उसका मुख्य कारण नेपाल में है। उदाहरणस्वरूप नेपाल की सीमा पर कोसी का बैराज बनाया गया। इस बैराज की आयु 30 वर्ष थी।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय हित का प्रश्न है, मैं उस बिन्दु पर आ रहा हूं और यह सवाल समझना बहुत जरूरी है लेकिन जो बैराज एरिया है,

अध्यक्ष महोदय : आप यहां भूगोल पढ़ा रहे हैं।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, वहां रेत आ रही है, उसकी रोकथाम के लिये क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि भारत-नेपाल के बीच में भारत नेपाल जल और पर्यावरण नियंत्रण आयोग का गठन कर इस समस्या के निदान करने का विचार रखती है?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, भारत और नेपाल के बीच में जल एवं पर्यावरण नियंत्रण आयोग का गठन किया जाये, इसके लिये पर्यावरण मंत्रालय से सलाह की जायेगी और उसके बाद ही इसका जवाब दिया जायेगा। नेपाल से इस बारे में बातचीत चल रही है और प्रयास किया जा रहा है कि बिहार की कोसी इलाके में जो समस्या आ रही है, उसका समाधान किया जाये। कई बार बातचीत में गतिरोध आता है लेकिन इस बीच में बात ठीक रास्ते पर आ रही है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक विशेष प्रश्न माननीय मंत्री जी से यह है कि बाल्मीकि नगर बैराज जो गंडक नदी का बैराज है नेपाल की तराई में है तथा नेपाल से सटा हुआ है।

उससे मुख्य गंडक सिंचाई योजना जो लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना थी, जो आजादी के पश्चात नेहरू जी की देन थी, राज्य सरकार को उस समय दी गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह गंडक परियोजना जो पूरे बिहार के उत्तरी भाग को, तिर्हुत कमिश्नरी, सारण कमिश्नरी, छपरा, सीवान, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिले की सिंचाई का साधन उपलब्ध कराती है, यह वाल्मीकि नगर बैराज में सिल्टेशन के कारण आधे से अधिक भर चुका है और उसका प्रवाह जो इस गंडक भाग के क्षेत्र में हुआ है जिससे नहर की तमाम वितरणियां, उप-वितरणियां, जो मेन कैनाल्स हैं, वह सिल्टेशन के कारण भर गई हैं और जो हजारों करोड़ रुपए की योजना थी जिससे सिंचाई का प्रावधान पूरे उत्तर बिहार में किया जाना था, आज वह पूरी व्यवस्था समाप्त हो गई है। क्या माननीय मंत्री महोदय गंडक परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए, उसका जीर्णोद्धार के लिए कोई योजना बनाकर केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को इस संदर्भ में योजनाबद्ध तरीके से योजना आयोग के माध्यम से पैसा देने का विचार रखती है?

श्री जनेश्वर मिश्र : गंडक नदी में जो बालू आ गया है और उसकी वजह से जो नहरों में भी आया है, उसके बारे में राज्य सरकार

अगर कोई योजना बनाकर केन्द्र को भेजेगी तो सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री राजीव प्रताप रूडी : मैं गंडक की नहरों के बारे में कह रहा हूं।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैंने कह दिया है नहरों के बारे में। नदी के जरिये ही नहर आती है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पूछने की अनुमति नहीं दी है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अगर राज्य सरकारें प्रस्ताव भेजेंगी तो आप मानेंगे ?

श्री जनेश्वर मिश्र : राज्य सरकार अगर प्रस्ताव भेजेगी तो उसको योजना आयोग की सहमति से क्रियान्वयन के लिये प्रयास किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही।

एक माननीय सदस्य : नेपाल के बारे में प्रश्न है। उड़ीसा बीच में कहां से आ गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सूची में उनका नाम भी है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : उड़ीसा के लोगों के नेपाल के लोगों से बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं।

यह एक राष्ट्रीय समस्या है और राष्ट्रीय संकट है। एकदम आने वाली बाढ़ें प्रतिवर्ष बहुत हानि पहुंचाती हैं और देश के विभिन्न भागों में विशेषतः गंगा के मैदान में गम्भीर बाढ़ आती हैं। इस समय भी जब हम संसद में उत्तर दे रहे हैं बिहार और असम के भागों में बाढ़ का प्रकोप फैला हुआ है। भारत सरकार ने विभिन्न संगठनों जैसे राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, गंगा बाढ़ नियन्त्रण कमीशन और ब्रह्मपुत्र बोर्ड आदि के माध्यम से व्यापक अध्ययन कराये हैं। यह संगठन ब्यौरेवार अध्ययन करके समाधान ढूंढने में लगे हैं। उन्होंने व्यापक प्रतिवेदन दिए हैं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 207 सिफारिशें की हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं इस पर आ रहा हूं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 207 सिफारिशें की हैं। इसके अलावा गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने भी व्यापक राष्ट्रीय योजनाएं बनायी हैं। इन रिपोर्टों और योजनाओं में मिली जुली बातें क्या हैं और इनमें से कितनी लागू की जा चुकी हैं और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं?

शायद धन की कमी मुख्य कारण है। यदि हमारे पास धन की कमी है तो सरकार इन सब बातों को विश्व बैंक के ध्यान में क्यों नहीं लाती। हमें इस में कोई शक नहीं कि हमें बाढ़ नियन्त्रण उपाय करने हैं। ये सिफारिशें की गई हैं किन्तु इन आयोगों द्वारा की गई इन व्यापक सिफारिशों को लागू न करने के क्या कारण हैं? आप कहां से धन की व्यवस्था करने जा रहे हैं? इस मामले को विश्व बैंक के समक्ष न रखने के क्या कारण हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप इसे दोहरा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में यह कमीशन बैठा था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 207 सिफारिशें की थीं। उन सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश दिया गया। यह सही है कि इस बारे में बाढ़ नियंत्रण के लिए विदेशी सहायता नहीं ली गई। लेकिन कोष के अभाव को देखते हुए राज्य सरकारों को लिखा गया है कि विदेशी सहायता के बारे में उनकी क्या राय है और जैसे ही उनकी राय आएगी, जो योजनाएं अपनी शर्तों को पूरा करती होंगी, उनके मुताबिक काम किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : श्रीमान, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने केवल एक भाग का उत्तर दिया है।

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आपके जरिये सवाल का जो उत्तर प्राप्त हुआ है तथा श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने बिहार का जो सवाल छेड़ा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी पूरा वर्षा का सीजन बाकी है दोबारा उत्तर बिहार में बाढ़ आ चुकी है। अभी भी हमारा सीतामढ़ी क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि नेपाल से वार्ता जारी है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि बागमती से नुंथर डैम में, कमलाबलान के शीशापानी और अधवारा समूह में रामनगर रमैया में और कोसी डैम के कोसी में नेपाल के अंदर जगह निश्चित करके राज्य सरकार का जो सुझाव आया कि वहां पर भारत और नेपाल के सहयोग से एक बड़े डैम का निर्माण कराकर, पानी को स्टार करके बाढ़ नियंत्रण का काम करके उत्तर बिहार की उन समस्याओं का निदान किया जाएगा, तथा उस पर अभी वार्ता चल रही है यह माननीय मंत्री जी ने कहा है तो मैं खंड 'क' में यह पूछना चाहता हूं कि भारत और नेपाल में कब तक यह समझौता वार्ता जारी रहेगी। क्या मंत्री जी कोई समय-सीमा बतायेंगे और कितने दिनों के अंदर हिमालय वाली नदियों को नियंत्रण करने का काम होगा तथा उसकी भी कोई समय-सीमा होगी? यह खंड "क" है और खंड "ख" में मैं यह पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने अधवारा समूह की नदियों को नियंत्रित करने के लिए तीन फेस की जो योजना भेजी है उसको मुझे दसवीं लोक सभा में भारत सरकार ने प्रश्न के जवाब में बताया था कि वह योजना आयोग के पास लम्बित है और एक भाग को स्वीकृति दी जा चुकी है लेकिन कार्य आरंभ नहीं हुआ है। खंड "ख" में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बिहार से अधवारा समूह की नदियों की तीन फेज की जो योजना आई है, उसकी स्वीकृति कब तक होगी और कब तक धन आवंटित किया जाएगा?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जहां तक भारत और नेपाल की वार्ता का सवाल है यह दो देशों की बीच की वार्ता है एकपक्षीय वार्ता नहीं है। इसलिए अपनी तरफ से कोई समय-सीमा नहीं बांधी जा सकती है दूसरा प्रश्न जो है वह अभी योजना आयोग के पास है। जैसे ही वहां से आएगा उसके बाद जल संसाधन मंत्रालय उस पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सूचित करेगा।

श्री नवल किशोर राय : उसको करने के लिए भारत सरकार अपनी इच्छाशक्ति बना सकती है।

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में ब्रह्मपुत्र बोर्ड का जिक्र किया है। मैं जानना चाहता हूं कि बोर्ड ने असम में बाढ़ नियन्त्रण के लिये कितनी योजनाएं दी हैं। असम में हर साल भीषण बाढ़ आती है। इस वर्ष भी अरूणाचल प्रदेश में भी गम्भीर बाढ़ आयी है। मैं जानना चाहता हूं कि अब इन योजनाओं की क्या स्थिति है क्या यह सही है कि कुछ राज्यों जैसे असम और मणिपुर तथा अरूणाचल प्रदेश और असम के बीच कुछ विवाद हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इनके समाधान के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं और लगातार आने वाली बाढ़ों को नियन्त्रित करने के लिये धन उपलब्ध कराया जा रहा है? ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक बड़ा व्यापक प्रश्न पूछा है।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आसाम में ब्रह्मपुत्र बोर्ड और दूसरी एजेन्सीज ने कुछ बांध बनाने के लिए परियोजना भेजी है लेकिन अरूणाचल प्रदेश उस पर एतराज करता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा हिस्सा डूब क्षेत्र में चला जाएगा और वहां की असेम्बली ने भी इस पर प्रस्ताव किया है कि इस पर कोई बात नहीं हो सकती, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बातचीत के लिए कभी नहीं आते इसलिए इसमें दिक्कत आ रही है।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश में जो विनाशलीला हो रही है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास कोई योजना भेजी है? यदि भेजी है तो उत्तर प्रदेश व केन्द्र सरकार दोनों मिलकर इस बाढ़ नियंत्रण के लिए कोई ठोस और समयबद्ध कार्यक्रम बना रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, दोहरीघाट क्षेत्र में, घाघरा नदी की भयंकर बाढ़ के कारण भारी कटाव हो रहा है जिससे पूरे कस्बे के नदी में मिल जाने की संभावना बढ़ गई है। सरोज गांव में भी भारी कटाव हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार दोनों की बैठक बुलाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा क्या मंत्री जी खुद उस एरिया का दौरा करके कोई ठोस कार्यक्रम बनाने का विचार रखते हैं ताकि उस क्षेत्र की जनता को राहत मिल सके?

श्री जनेश्वर मिश्र : उत्तर प्रदेश सरकार से कोई ऐसी स्कीम बाढ को कंट्रोल करने के लिए नहीं भेजी गई है, जिस पर केन्द्र सरकार विचार करे। कुछ स्कीमें जो कटाव को रोकने के लिए भेजी गई थीं, उन पर विचार हो रहा है और कुछ स्कीमों को स्वीकृति दे दी गई है लेकिन कुछ सरकार के विचाराधीन हैं। कुछ स्कीमों को, चूंकि राज्य सरकार ने एक साल से हमारी टिप्पणियों का कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उन्हें वापस कर दिया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं कल ही गौहाटी में था। असम में बाढ़ के कारण भयंकर परिस्थिति पैदा हो गई है जिससे जन-धन का भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ के कारण गौहाटी-सिल्चर राजमार्ग कट गया है, यातायात बंद है तथा आवश्यक वस्तुएं सिल्चर तक नहीं पहुंच रही हैं। प्रदेश की सरकार ने मुझे बताया कि उन्होंने केन्द्र से 300 करोड़ रुपए की सहायता की मांग की है लेकिन अभी तक केन्द्र ने असम की मदद के लिए कोई धनराशि नहीं दी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या असम की स्थिति के बारे में केन्द्र सरकार के पास सही रिपोर्ट नहीं है या सही रिपोर्ट होने के बाद भी सरकार जितनी जागरूक होनी चाहिए उतनी जागरूक नहीं है?

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ से प्रभावित लोगों की सहायता के लिये और उस राज्य के लिये कृषि मंत्रालय की मारफत सहायता कार्य और सहायता राशि दी जाती है। मेरा ख्याल है कि पिछले दिनों इस सदन में इस विषय पर लम्बी बहस हो चुकी है और कृषि मंत्री जी ने उसका जवाब दे दिया है। फिर भी अगर माननीय वाजपेयी जी का कोई प्रश्न अनुत्तरित रह गया हो तो उसके लिये हम कृषि मंत्रालय से सम्पर्क करेंगे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सन्तोष मोहन देव : जैसा कि श्री वाजपेयी ने कहा है कि यह डी.जी., बी.आर.टी.पी. के अधीन है। मैंने श्री मुलायम सिंह को भी पत्र लिखा है। वहां की स्थिति बहुत गम्भीर है। आप कृपया डी. जी., बी.आर.टी.पी. इस पर विचार करने के लिये भेजें। यह हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। मैं आभारी हूं कि श्री वाजपेयी ने यह प्रश्न उठाया है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमने इस विषय पर पिछले सप्ताह चर्चा की है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : कृपया मुझे एक मिनट का समय दें। यह बहुउद्देशीय परियोजनाएं बाढ़ नियंत्रण तथा विद्युत उत्पादन के लिये हैं। हम सब सरकार का ध्यान इस समस्या की ओर दिला रहे हैं। वहां पर पन-बिजली उत्पादन की इतनी सम्भावनाएं हैं कि समूचे देश को बिजली उपलब्ध कराई जा सकती है। एक समस्या राज्यों के बीच विचारों की भिन्नता की है। लेकिन एक दूसरी समस्या भी है। मैं इस तरह के वक्तव्य पर बहुत आश्चर्यचकित हूं। मैं इन क्षेत्रों में अनेक बार गया हूं। उन परियोजनाओं की लागत 25000 से 40,000

करोड़ रुपये तक की है। इनको राज्य सरकार पर छोड़ा नहीं जा सकता। अतः क्या मंत्री महोदय विद्युत मंत्री के सहयोग से इस बारे में कुछ करेंगे। मैं केवल इसके दूसरे पहलू अर्थात विद्युत उत्पादन के प्रश्न पर बल दे रहा हूं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या कोई उत्तर दिया जाना है? मेरे विचार में यह केवल सुझाव है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम सभा का पूरा समय इस प्रश्न पर नहीं गंवा सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिहार के बारे बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न बहुत महत्व का है। मुझे स्वयं को इसमें रुचि है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर और प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे स्वयं को उस प्रश्न में रुचि है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों की कमी

***165. श्री राधा मोहन सिंह :**
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार में केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का इन रिक्त पदों को भरने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, शिक्षकों के संस्वीकृत पदों के लगभग 9 प्रतिशत पद 31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार रिक्त हैं। बिहार में रिक्ति स्थिति अखिल भारतीय प्रतिशत्ता से तुलनीय है। रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए कार्रवाई पहले ही आरम्भ कर दी गई है; रिक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हेतु विज्ञापन जून, 1996 में जारी किया गया था।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष जी, जो जवाब आया है वह दिग्भ्रमित करने वाला जवाब है। आज देश में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थिति अत्यंत विरोधाभासी है। एक ओर तो अधिकांश विद्यालयों, विशेषकर उत्तर-पूर्व के सात राज्यों एवं बिहार और उत्तर प्रदेश मुख्य हैं, उनमें शिक्षकों की लगातार शॉर्टेज रहती है वहीं दूसरी ओर दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के केन्द्रीय विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं। इन क्षेत्रों में आज भी 1500 सरप्लस शिक्षक हैं जिन पर 10 करोड़ रुपया व्यय हो रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इन सरप्लस शिक्षकों को उत्तर-पूर्व के राज्यों और बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थानान्तरित करके रिक्त स्थानों को भरने की योजना सरकार बना रही है?

[अनुवाद]

श्री मुही राम सैकिया : श्रीमन् स्वीकृत पदों के मुकाबले वर्तमान रिक्त स्थानों की स्थिति इस प्रकार है। प्रधानाचार्यों के मामलों में कुल स्वीकृत पद 769 हैं, वर्तमान स्थिति 706 है। कुल रिक्त स्थान 63 हैं। अकेले बिहार में कुल स्वीकृत पद 51 है जबकि वर्तमान स्थिति 48 है। कुल रिक्त स्थान 3 हैं।

उप प्रधानाचार्य के संबंध में आंकडे क्रमशः 378, 235 और 143 हैं। अकेले बिहार में ये क्रमशः 28, 15 और 5 हैं। ...**(व्यवधान)** पी. जी.टी. के मामले में क्रमशः आंकड़े 5892, 5631 और 261 हैं। .. .**(व्यवधान)** पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में पदों की संख्या ...**(व्यवधान)** मैं इसे स्पष्ट कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : सवाल कुछ और है और माननीय मंत्री जो जवाब कुछ और दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मुहीराम सैकिया : मैं स्पष्ट कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल है कि इन क्षेत्रों में 1500 शिक्षक सरप्लस हैं। मेरे पास समाचार पत्र हैं, पिछले दिनों 800 शिक्षकों का स्थानान्तरण ऐसे स्कूलों में किया गया है जहां उनके लिए कोई रिक्ति नहीं थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : यदि अन्य राज्यों में अध्यापकों की संख्या अधिक है तो क्या आप उन्हें उन राज्यों में नियुक्त करेंगे जहां स्थान रिक्त हैं? अथवा कमी है?

श्री मुहीराम सैकिया : पूर्वोत्तर क्षेत्र में समस्या है। कुछ मामलों में वे दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में समस्या यह है कि सीधी भर्ती के माध्यम से योग्यता प्राप्त अध्यापक पर्याप्त संख्या में नहीं मिलते हैं। अतः उन्हें भारत के अन्य भागों से भर्ती किया जाता है अथवा नियुक्त किया जाता है। ये लोग वहां जाते हैं और ड्यूटी पर लगने के बाद वापिस अपने राज्य में जाने का प्रयास करने लगते हैं। यह पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति है।

दूसरा प्रश्न अध्यापकों की अतिरिक्त संख्या के बारे में था। **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह उनका प्रथम उत्तर है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

श्री पी.आर. दासमुंशी : श्रीमन् वह मान रहे हैं कि अध्यापक आते-जाते रहते हैं। यह क्या है **...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री कड़िया मुन्डा : शिक्षक जाते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं **...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : केन्द्रीय विद्यालयों के अन्दर सिफारिशी लोग आते हैं **...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। वरिष्ठ मंत्री उत्तर दे रहे हैं। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : माननीय मंत्री ने रिक्त स्थानों की स्थिति बतायी है। बिहार में कुल रिक्त स्थान 203 हैं। माननीय सदस्य ने कहा है कि दिल्ली जैसे कुछ स्थानों पर फालतू अध्यापक हैं। यदि देश के किसी भी भाग में फालतू अध्यापक हैं तो हम तुरन्त कार्यवाही करेंगे। हम उन्हें उन स्थानों पर स्थान्तरित करेंगे जहां पर रिक्त स्थान हैं।...**(व्यवधान)**

श्री सन्तोष मोहन देव : वे जाते हैं और वापस आ जाते हैं। **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री देव, आप अपना अनुपूरक प्रश्न बाद में पूछिये। अभी उन्हें दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछना है।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि उत्तर पूर्व के सात राज्यों में स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में सबसे ज्यादा पद रिक्त हैं और उसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि उन राज्यों में कार्यरत केन्द्रीय कर्मचारियों को वहां जाने के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं उनका भली प्रकार से पालन नहीं होता है जिसके कारण वहां टीचर नहीं जाते। उनके साथ भेदभाव का बर्ताव किया जाता है। और स्पेशल ड्यूटी अलाउंस जो वेतन का 20 प्रतिशत है, वह भी केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों को उपलब्ध नहीं होता है। इन राज्यों के जो लोग हैं, उनकी वहां बदली भी नहीं करते हैं और उधर के शिक्षकों को लाकर जो इधर के तीन-चार राज्य हैं वहां स्थानांतरित करते हैं। पिछले साल 700-800 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया। पद रिक्त नहीं हैं फिर भी 700-800 टीचरों को यहां लाया गया। फिर इधर के जो टीचर वहां जाना चाहते हैं उन्हें वहां नहीं भेजा जाता। जो सुविधाएं विभाग ने वहां जाने पर देना माना है, वे सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाती हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं उनको दूर कर के वहां पर रिक्त पदों पर शिक्षकों को क्या वे स्थानांतरित करने पर विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : समूचे देश में रिक्त स्थानों की स्थिति नौ प्रतिशत है। बिहार में यह 8.9 प्रतिशत है। यह पूरे देश में लगभग समान है। **...(व्यवधान)** आपने कहा है कि बिहार में रिक्तियां अधिक हैं। किन्तु ऐसा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष जी, पूर्व में भी मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में टीचर जाना नहीं चाहते हैं। मेरा पूछना यह है कि जो विसंगतियां हैं, जिनके कारण वे जाना नहीं चाहते हैं, उधर के टीचरों की वहां पोस्टिंग नहीं करते हैं और इस प्राकर की जो विसंगतियां हैं क्या उनको दूर कर के, उन राज्यों के टीचरों को वहां पदस्थापित करने का सरकार का विचार है और यदि हां, तो कब तक ऐसा किया जायेगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में काफी हो चुका।

श्री एस.आर. बोम्मई : प्रश्न शिक्षकों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान्तरित करने का नहीं है। प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैं यह देखूंगा कि जो शिक्षक बिहार के लिये चुने गये हैं उन्हें बिहार में नियुक्त किया जाये।

श्री राधा मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें उन राज्यों का सवाल है। **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब मंत्री उत्तर दे रहे हों, उस समय उन्हें बीच में मत टोकिये।

श्री एस.आर. बोम्मई : यह अनिवार्य नहीं हो सकता। कभी बिहार के शिक्षकों को असम भी जाना पड़ेगा। कभी उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को अन्य देशों में भी जाना पड़ेगा। जहां तक संभव होगा हम एक क्षेत्र में वहीं के शिक्षकों को तैनात करेंगे और रिक्त स्थान भरेंगे। **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पहले एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि इस पर ध्यान देंगे।

श्री एस.आर. बोम्मई : जहां तक मेरी जानकारी है किसी विद्यालय में फालतू शिक्षक नहीं हैं **...(व्यवधान)** यदि आप ऐसा पायें तो मैं उनको स्थानान्तरित कर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है - पिछले सत्र के अन्दर केन्द्रीय विद्यालयों में तदर्थ आधार पर नियुक्तियों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और अब पार्ट टाइम नियुक्तियां की जा रही हैं और शिक्षकों को दैनिक मजदूरों जैसा दर्जा दिया जा रहा है, यदि यह सही है, तो क्या सरकार शिक्षकों की तदर्थ नियुक्तियां करने का विचार कर रही है जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके?

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : महोदय, हमने तदर्थ नियुक्तियां बन्द कर दी हैं क्योंकि यह न तो विद्यार्थियों और न ही शिक्षकों के हित में है। हमने पहले विज्ञापन दे दिया है और भर्ती एक महीने में हो जायेगी। हमने विशेष भर्ती के लिये भी विज्ञापन दिया है। साक्षात्कार चल रहे हैं। हम यथाशीघ्र सभी खाली स्थान भर लेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी बताया कि हिन्दुस्तान भर में केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्त स्थान हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि मार्च महीने में एस.सी., एस.टी. का जो बैकलाग था, जिसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने आदेश दिए, उसका पालन नहीं हुआ।

अपराह्न 12.00 बजे

उसे पूरा करने के लिए वहां के असिस्टैंट कमिश्नर ने पूरी लिस्ट बना दी और उसे एप्रूवल के लिए दिल्ली भेज दिया गया। चार व्यक्तियों को नौकरी पर नियुक्त किया गया **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछें नहीं तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : बिहार का एक व्यक्ति जब **...(व्यवधान)** आता है तो उसे हाजिर नहीं किया जाता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एस.सी.और एस.टी. के बैकलॉग को पूरा करने के लिए जो लिस्ट बनायी गयी है, क्या आप उसे तुरंत पूरा करायेंगे? **...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री एस.आर. बोम्मई : जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का सम्बन्ध है एक विशेष भर्ती की गई है। वर्ष 1993 में **...(व्यवधान)**

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पाकिस्तान की हिरासत में भारतीय बच्चे

***162. श्री पिनाकी मिश्र :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान की 'एधी' नामक सामाजिक संस्था ने सरकार का ध्यान उन 38 भारतीय बच्चों की दयनीय स्थिति की ओर दिलाया है जो पाकिस्तानी जल-सीमा में अवैध मत्स्ययन के आरोप में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा पकड़ लिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या 'एधी' ने सरकार से उन बच्चों को पाकिस्तान की हिरासत से मुक्त करवा कर स्वदेश वापसी का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). 18 मई, 1996 को पाकिस्तानी समाचार पत्र 'डान' में एक खबर छपी थी जिसमें यह बताया गया था कि 34 भारतीय बच्चों को इसी कल्याण केन्द्र कराची में रखा गया है। इस खबर में यह भी बताया गया था कि इन बच्चों को सितम्बर, 1994 में पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। इस मामले को तुरन्त ही पाकिस्तान की सरकार के साथ उठाकर अनुरोध किया गया था कि वह इन बच्चों का व्यक्तिगत विवरण/दस्तावेज उपलब्ध कराये। इस्लामाबाद स्थित भारत के हाई कमीशन के अधिकारियों के लिए कराची जाने की अनुमति भी मांगी गई थी ताकि वे बच्चों से मिलकर उनके पूर्ववृत का पता लगाकर उन्हें भारत भिजवाने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

बच्चों के पूर्ववृत्त का पता लगाने तथा उनके हित-कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए इस कल्याण केन्द्र के मौलाना इधी से भी सम्पर्क किया गया था। मौलाना इधी ने हमारे हाई कमीशन को लिखित में यह सूचित किया कि उनका संगठन हमारे मिशन के साथ इन बच्चों के बारे में तभी बात कर सकता है जब उसे पाकिस्तान की सरकार की औपचारिक अनुमति मिल जाए।

पाकिस्तान की सरकार ने अभी तक न तो कोई ब्यौरा दिया है और न ही हमारे मिशन के अधिकारियों को इन बच्चों से मिलने की अनुमति दी है। वर्तमान परिस्थितियों में हम इन बच्चों क सम्बन्ध में कोई प्राधिकृत ब्यौरा देने में असमर्थ हैं। तथापित ऐसे संकेत हैं कि ये बच्चे गुजरात और दमन एवं दीव के रहने वाले हैं और सम्भवतया वे मछली पकड़ने वाली उन नौकाओं में थे जिन्हें पाकिस्तानी एजेंसियों ने पाकिस्तानी समुद्री सीमा में मछली पकड़ने के आरोप में पकड़ लिया था।

हम पाकिस्तान के साथ इस मामले को सक्रियता से उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

हथियारों और गोला बारूद की बिक्री

***166. श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय आयुध कारखानों में निर्मित हथियारों और गोलाबारूद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी क्या स्थिति है?

रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) : (क) आयुध निर्माणियां और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अपने उत्पादों का निर्यात पहले से ही करते आ रहे हैं।

(ख) निर्यात बढ़ाने के लिए की गई कार्रवाई में नीति एवं प्रक्रिया संबंधी उदारीकरण हमारे विदेश स्थित मिशनों का उपयोग, विदेशी शिष्टमंडलों के साथ पारस्परिक संपर्क, विदेशों में चुनिंदा रक्षा प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रचारात्मक उपाय करना तथा सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-रक्षा उपक्रमों और व्यापारिक घरानों के विपणन कौशल एवं उनकी आधारभूत सुविधाओं का लाभ उठाना शामिल है।

इस क्षेत्र में एक शुरुआत की गई है। भारत में उपलब्ध उत्पादन क्षमता (अनुसंधान और विकास तथा गुणता आश्वासन संबंधी सहायता सहित) और हमारे तुलनात्मक लाभों) जैसे श्रम घंटे की लागत) को देखते हुए परंपरागत शस्त्रों एवं गोलाबारूद का निर्यात करने तथा मरम्मत और ओवरहॉल संबंधी कार्य लेने की पर्याप्त संभावना है परंतु इसके लिए सिमटते हुए विश्व बाजार में प्रवेश करने और वहां से आर्डर लेने की समस्याओं से जुड़ना पड़ेगा।

भूटान में सीमेंट और विद्युत संयंत्र

***167. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान सरकार ने भारत के सहयोग से भूटान में सीमेंट और विद्युत संयंत्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संयंत्रों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। 4 से 7 मार्च, 1996 तक भूटान नरेश की भारत यात्रा के दौरान, भूटान में तालपन-बिजली परियोजना तथा दुंगसुम सीमेन्ट संयंत्र की स्थापना से सम्बद्ध करार 5 मार्च, 1996 को सम्पन्न किए गए थे।

(ख) ताल पन-बिजलो परियोजना भूटान में वांगचू नदी पर नदी प्रवाह परियोजना है। उम्मीद है कि इस परियोजना पर लगभग 1891.18 करोड़ रुपए की लागत आएगी (दिसम्बर, 95 के अनुमान के अनुसार) और इससे 1020 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। सरकार इस परियोजना के लिए आवश्यक वित्त व्यवस्था करेगी अर्थात् परियोजनागत लागत 60 प्रतिशत तुरंत अनुदान के रूप में तथा शेष 40 प्रतिशत आसान ऋण के रूप में देगी। इस परियोजना से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली भारत द्वारा खरीदी जाएगी। क्रय दरें परियोजना द्वारा कार्यारम्भ कर देने पर परस्पर सहमति से तय की जाएगी।

दुंगसुम सीमेन्ट संयंत्र 0.5 मिलियन टन वार्षिक की क्षमता वाला शुष्क प्रसंस्करण सीमेन्ट संयंत्र है। इसके बारे में यह तय किया गया है कि यह भूटान की शाही सरकार और एक भारतीय कम्पनी जिसका अभी चयन होना है, के बीच एक संयुक्त उद्यम होगा। सरकार इस परियोजना के लिए आवश्यक धन देगी अर्थात अनुदान के रूप में अनुमानतः 300 करोड़ रुपये और भारतीय पक्ष में आधारभूत सुविधाओं के लिए 100 करोड़ रुपये।

(ग) इस समय लगाये गये अनुमान के अनुसार ताल पन-बिजली परियोजना का कार्य 8 वर्ष में और दुंगसुम सीमेन्ट संयंत्र का कार्य 5 वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है।

अल्पसंख्यक संस्थाओं को वित्तीय सहायता

168. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत अल्पसंख्यक संस्थाओं (तकनीकी और गैर-तकनीकी) की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा अल्पसंख्यक संस्थाओं को वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (ग). राज्य सरकारें ही किसी शैक्षिक संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को मान्यता प्रदान करती हैं। ऐसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं का ब्यौरा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। तथापि, उन मदरसों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है जिन्हें आधुनिकीकरण हेतु सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	मदरसों की संख्या	1993-94		मदरसों की संख्या	1994-95		मदरसों की संख्या	1995-96	
1.	उत्तर प्रदेश	10	रु.	3,04,000/-	40	रु.	11,69,600/-	120	रु.	34,88,000/-
2.	मध्य प्रदेश				19	रु.	5,77,600/-	39	रु.	11,09,600/-
3.	हरियाणा				5	रु.	1,52,000/-	5	रु.	1,32,000/-
4.	कर्नाटक							9	रु.	2,73,600/-
5.	केरल							42	रु.	12,76,800/-
6.	त्रिपुरा							24	रु.	7,29,600/-
7.	पश्चिम बंगाल							80	रु.	24,32,000/-
8.	असम							64	रु.	19,45,600/-
9.	तमिलनाडु							1	रु.	30,400/-
10.	सिक्किम							1	रु.	30,400/-
11.	दिल्ली							5	रु.	1,52,000/-
	जोड़		रु.	3,04,000/-		रु.	18,99,200/-		रु.	1,16,00,000/-

जाली महाविद्यालयों को अनुदान

***169. डा. साहेबराव सुकराम बागूल :**
श्री सोहन बीर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालयों को अनुदान के रूप में करोड़ों रुपए दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदानप्राप्त केवल कागजों में ही मौजूद महाविद्यालयों का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय को कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई; और

(ग) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, मान्यताप्राप्त कॉलेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत निर्मित नियमों/विनियमों के अनुरूप निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विकास अनुदान प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यानय अनुदान आयोग, अनुदान प्राप्त करने के पात्र कॉलेजों की सूची रखता है। उसने सरकार को यह सूचित किया है कि अक्तूबर, 1988 में मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार ने वित्तीय सहायता के लिए अब्दुल कयूम अन्सारी कॉलेज, जहानाबाद, बिहार का एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जांच करने के पश्चात सातवीं योजनावधि के लिए जुलाई 1994 में 6.95 लाख रु. अनुमोदित किए। तत्पश्चात् उप-महानिरीक्षक (सी.आई.डी), बिहार ने आयोग को यह सूचित किया कि मान्ता प्राप्त करने के लिए कॉलेज द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजात वास्तव में फर्जी थे। इस कॉलेज का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा काली सूची में लिख दिया गया है। बिहार पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 467/468/471/420 के अंतर्गत एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया है।

इस प्रकार का कोई अन्य मामला अभी तक आयोग की जानकारी में नहीं आया है।

नई शिक्षा नीति

***170. प्रो. रासा सिंह रावत :**
कुमारी ममता बनर्जी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार 1986 में घोषित नई शिक्षा नीति में संशोधन करने और उसमें एकरूपता लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कार्ययोजना क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा को और अधिक व्यावहारिक, रोजगारोन्मुख और मानव मूल्यों पर आधारित बनाने का है;

(घ) पूर्ण साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा आदि के लक्ष्यों को प्राप्त करने जैसे विभिन्न अभियानों के अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार शिक्षा बजट बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (च). राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.पी.ई.), 1986 तथा उसकी कार्य योनजा (पी.ओ.ए.) को अद्यतन बनाया गया और उन्हें वर्ष 1992 में संसद के समक्ष रखा गया। इसमें शिक्षा की एकरूपता, रोजगारोन्मुख शिक्षा और मूल्यपरक शिक्षा के पहलुओं को शामिल किया गया है। अब कार्यान्वयन में तेजी लाने तथा शिक्षा के लिए संसाधनों में वृद्धि करने पर बल दिया जाएगा ताकि शिक्षा और कार्य जगत के बीच बेहतर संबंध बनाया जा सके तथा शिक्षा के सभी स्तरों पर विशेष रूप से, प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा की सुलभता, शिक्षा जारी रखने और उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।

सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों (टी.एल.सी.) और अन्य प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों के अन्तर्गत 31.3.1996 तक लगभग 53.19 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया है। ऐसे 70 लाख बच्चे जो स्कूलों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, इन 2.79 लाख गैर औपचारिक शिक्षा केन्द्रों से शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं।

सरकार शिक्षा और विशेषतः प्राथमिक शिक्षा हेतु आवंटन में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों पर माल की लदाई-उतराई

***171. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी** : **क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक प्रमुख पत्तन की क्षमता क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और 1995-96 के प्रथम दस महीनों में इनमें से प्रत्येक पर कितनी मात्रा में माल की लदाई-उतराई की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रमुख पत्तनों की क्षमता और बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक प्रमुख पत्तन के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए क्या उपाए किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में वर्ष 1996-97 के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) दिनांक 31.3.92 की स्थिति के अनुसार सभी महापत्तनों की कुल क्षमता 169.23 मिलियन टन थी जो दिनांक 31.3.1996 तक बढ़कर 177.21 मिलियन टन हो गई। इसकी तुलना में महापत्तनों ने कुल ट्रैफिक निम्न प्रकार हैंडल किया :-

वर्ष	हैंडल किया गया ट्रैफिक (मिलियन टन)
1992-93	166.58
1993-94	179.26
1994-95	197.26
1995-96 (अप्रैल-जनवरी)	175.39
1995-96 (पूरा वर्ष)	215.26 (अनन्तिम)

क्षमता और ट्रैफिक के पत्तन-वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग). जी हां। 8वीं योजना में अब तक 30 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनसे 11 महापत्तनों की कुल पत्तन क्षमता बढ़कर 216 मिलियन टन हो जाएगी। इस कुल क्षमता में से 190 मिलियन टन क्षमता 8वीं योजना की समाप्ति तक उपब्ध हो जाने की संभावना है और शेष क्षमता 9वीं योजना में उपलब्ध हो जाएगी। महापत्तनों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों में अतिरिक्त क्षमता के सृजन पुराने और अप्रचलित उपस्थक और फ्लोटिंग क्राफ्टों को बदला और आधुनिकीकरण करने के अतिरिक्त यातायात की वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पत्तन सुविधाओं का सृजन करना शामिल है।

(घ) वार्षिक योजना 1996-97 में महापत्तनों के विकास के लिए 576.60 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1996-97 के दौरान शुरू की जाने वाली संभावित मुख्य परियोजनाएं मुम्बई में पीर पाऊ आयल पियर को बदलना कांडला में तीसरी तेल जेटी, नव मंगलूर में कूड तथा पी ओ एल उत्पाद हैंडलिंग सुविधाएं और जवाहर लाल नेहरू पत्तन में सर्विस बर्थ तक पहुंच मार्ग पुल हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान महापत्तनों द्वारा हैंडल किए गए ट्रैफिक और क्षमता के ब्यौरे

	पत्तन का नाम	31.3.92 की स्थिति के अनुसार क्षमता	31.3.96 की स्थिति के अनुसार क्षमता	हैंडल किया गया ट्रैफिक 1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (अप्रैल-जून)	1995-96 (पूरा वर्ष)
1		2	3	4	5	6	7	8
1.	(क) कलकत्ता	5.95	6.75	5.16	5.17	5.80	5.03	6.12
	(ख) हल्दिया	16.78	17.03	13.18	13.35	14.73	12.88	15.31

1	2	3	4	5	6	7	8
2. पारादीप	7.65	8.55	7.61	8.33	10.12	9.46	11.26
3. विजाग	22.45	23.65	22.77	25.60	30.03	27.09	32.82
4. मद्रास	22.07	22.07	25.33	26.54	29.46	24.71	30.72
5. टूटीकोरिन	5.10	6.10	6.22	6.70	8.04	7.54	9.29
6. कोचीन	10.66	13.26	7.98	7.62	8.63	9.43	11.48
7. नव मंगलौर	9.55	10.00	7.09	8.60	8.01	7.09	8.88
8. मुरगांव	15.92	16.30	16.31	18.72	18.88	13.93	18.11
9. ज.ला. नेहरू	5.90	5.90	3.01	3.39	5.01	5.67	6.87
10. मुम्बई	26.80	26.80	29.02	30.75	32.05	27.56	34.05
11. कांडला	20.40	20.80	22.91	24.50	26.50	25.00	30.34
जोड़ :	169.23	177.21	166.58	179.26	197.26	175.39	215.26

[हिन्दी]

कुष्ठ रोग

***172. कुमारी उमा भारती :**

श्री पंकज चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुष्ठ रोगियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध मे कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या कुष्ठ रोग के उन्मूलन के लिए सरकार ने कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). किए गए सर्वेक्षण से पता चला है कि मार्च 1996 को देश में 0.54 मिलियन पंजीकृत रोगी थे।

(घ) और (ङ). भारत सरकार ने 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ अन्मूलन कार्यक्रम चलाया। इस कार्यक्रम की कार्य नीति प्रभावकारी बहु औषध उपचार चिकित्सा (एम डी टी) पर आधारित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों की उनकी पूरी जरूरतें पूरा करने के लिए औषधों की निःशुल्क आपूर्ति की जाती है। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजिक योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रति दस हजार जनसंख्या पर एक रोगी तक रोगीभार कम करके 2000 ईसवी तक कुष्ठ उन्मूलन करना है।

[अनुवाद]

अन्तर्राज्यीय जल विवाद

***173. श्री सौम्य रंजन :**

श्री दत्ता मेघे :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल संसाधनों का पूरा उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं और अन्य अंतर्राज्यीय विवादों से जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग में बाधा आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ख). वाष्पीकरण और निष्क्रय (उत्सर्जन) जैसे नुकसानों और नदी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नदी में कुछ जल बहने देने के कारण वर्षा जल का पूर्ण उपयोग संभव नहीं है। देश में उपलब्ध उपयोज्य जल कुल 1.142 बिलियन घन मीटर है जिसमें से इस समय (1994 में) लगभग 606 बिलियन घन मीटर (सतही और भूजल) का उपयोग

किया जा रहा है जो 53 प्रतिशत है। इसमें 536 बिलियन घन मीटर उपयोज्य जल किंतु अप्रयक्त जल को शामिल नहीं किया गया है।

(ग) जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, उपलब्ध उपयोज्य जल संसाधनों की उपयोगिता 2005 ई. तक प्राप्त कर लेने की योजना बनाई गई है और राज्य की कोई भी सिंचाई परियोजना अंतर्राज्यीय जल विवादों के कारण स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है। सामान्यतः अंतर्राज्यीय पहलुओं वाले जल संसाधनों की उपयोगिता के लिए बनाई गई परियोजनाओं का कार्यान्वयन अंतर्राज्यीय जल विवादों के कारण देर से हो पाता है।

(घ) मौजूदा परिणति के अनुसार, जल विवाद वासिन राज्यों से बातचीत के जरिये सुलझाने की कोशिशें की जाती हैं। यदि ये कोशिशें कामयाब नहीं होती और कोई बेसिन राज्य अधिकरण की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के पास पहुंच जाता है तो अंतर्राज्योय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निपटारे के लिए ऐसे अधिकरण की स्थापना की जाती है। ऐसे विवाद सुलझाने के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में जल संसाधनों में अंतर्राज्यीय मामलों पर स्थाई समिति का गठन अप्रैल, 1990 में किया गया। जल के बंटवारे के लिए राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देशों को तैयार करने के भी प्रस्ताव हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग

***174. डा. अरूण कुमार शर्मा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31, 37 और 52 को सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कार्रवाई की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). वर्ष 1996-97 में रा.रा. 31 और 37 के सुदृढ़ीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, असम में रा.रा. 52 के 68, 69, 71 और 76 कि.मी. पर सुदृढ़ीकरण हेतु 4.97 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

जन्म पूर्व स्तर पर नेत्रहीनता का निवारण

***175. श्री एन. डेनिस :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जन्मांध शिशुओं की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जन्म पूर्व जन्म पर शिशुओं में नेत्रहीनता उत्पन्न करने वाली बीमारी के निवारण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). बहुत कम व्यक्ति जन्म से दृष्टिहीन होते हैं। जन्मजात दृष्टिहीनता के लिए जिम्मेदार कुछ पहलू रूबेला, टाक्सो प्लोमोसिस, गर्भावस्था के दौरान सिफिलस जैसे मातृ संक्रमण, मातृ कुपोषण और गर्भवती माताओं की स्वास्थ्य शिक्षा का अभाव है।

(ग) प्रसवपूर्व अवस्था में दृष्टिहीनता का पता लगाना संभव नहीं है। तथापि, नव जन्मे बच्चों में विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाली दृष्टिहीनता को रोकने के लिए सभी गर्भवती महिलाओं को शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अधीन उपयुक्त प्रसवपूर्व परिचर्या प्रदान की जाती है।

विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण

***176. श्री मोहन रावले :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्यालयों में विज्ञान शिक्षण में सुधार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के मुख्य उद्देश्य क्या-क्या हैं;

(ख) इस योजना के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य-वार जारी और उपयोग की गई धनराशि कितनी-कितनी है;

(ग) इस योजना के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने ऐसी मदों पर धनराशि को खर्च किया है, जिन्हें योजना में शामिल नहीं किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) इस योजना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान शिक्षा की कोटि में सुधार करना है।

(ख) से (ङ). पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1993-94 से 1995-96 के दौरान इस योजना के अंतर्गत निधियों के राज्य-वार आवंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यह योजना 1987-88 से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सभी राज्यों को सहायता दी गई है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा 1995 में इस योजना का मूल्यांकन कराया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट यह दर्शाती है कि छात्रों में वैज्ञानिक योग्यताओं तथा मूल्यों की भावना पैदा करने और विज्ञान तथा गणित के शिक्षण में सुधार करने में पर्याप्त सुधार हुआ है। जिन स्कूलों में यह योजना कार्यान्वित की गई थी, उन्होंने भी बेहतर उत्तीर्ण प्रतिशतता दर्शायी है। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि यह योजना अत्यधिक उपयोगी है और

उसमें स्कूलों में वैज्ञानिक वातावरण तैयार करने की काफी संभावना है। शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ध्यान में निधियों के विचलन/दुरूपयोग का उदाहरण नहीं आया है।

विवरण

1993-94 से 1995-96 वर्षों के दौरान विज्ञान शिक्षा के सुधार की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा निधियां जारी करने की राज्य-वार स्थिति और तत्संबंधी उपयोगिता-स्थिति

क्र. सं.	राज्यों का नाम	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)		
		1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	536.40	-	56.72
2.	असम	-	904.30	-
3.	गोवा	-	6.69	-
4.	हरियाणा	473.29	-	-
5.	हिमाचल प्रदेश	42.14	56.95	-
6.	केरल	-	-	426.17
7.	कर्नाटक	-	-	662.62
8.	मध्य प्रदेश	17.56	-	560.00
9.	मिजोरम	28.29	-	27.72
10.	मेघालय	-	170.40	-
11.	महाराष्ट्र	-	707.68	-
12.	नागालैंड	-	156.81	83.86
13.	उड़ीसा	198.99	-	-
14.	पंजाब	165.99	137.02	92.44
15.	राजस्थान	412.17	-	-
16.	सिक्किम	0.53	-	-
17.	तमिलनाडु	0.71	-	-
18.	त्रिपुरा	-	-	407.10
19.	उत्तर प्रदेश	188.48	-	-
	कुल	2064.55	2139.85	2316.63

[हिन्दी]

मालवाहक और यात्री जहाज

***177. श्री कचरू भाऊ राउत :**
श्री शरत पटनायक :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मालवाहक और यात्री जहाजों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या ये जहाज देश से बाहर जाने वाले और देश में आने वाले यात्रियों तथा जहाजी माल सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) क्या सरकार और अधिक जहाजों का निर्माण अथवा उनकी खरीद कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) 31.3.1996 की स्थिति के अनुसार वाणिज्यक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत पंजीकृत 333 मालवाहक पोत, 3 यात्री पोत और 13 यात्री सह मालवाहक पोत हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). सरकार, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए पोत खरीद रही है :-

क्र.सं.	जलयान की किस्म	जलयानों की सं.	शिपयार्ड का नाम
1.	1200 यात्री सह 1500 टन कार्गो जलयान	1	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि. विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश।
2.	वाहन फेरियां	4	दामोदर इंजीनियर्स, पोर्ट ब्लेअर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
3.	400 यात्री सह 100 टन कार्गो जलयान	1	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि., कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
4.	50-60 यात्री जलयाल	2	अलकॉक एशडाउन (गुजरात) लि. गुजरात।
5.	35-45 यात्री जलयान	1	अलकॉक एशडाउन (गुजरात) गुजरात।
6.	पर्यटन जलयान	1	ब्रिस्टल बोट बिल्डर्स, कोचीन, केरल।
7.	100 यात्री सह वाहन फेरी	2	शालीमार वर्क्स लि., कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
	जोड़	12	

[अनुवाद]

दावकी अमाबिल सीमापार (ट्रांस बार्डर) व्यापार मार्ग

***178. श्री अमर पाल सिंह :**
श्री अनन्त कुमार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश और भारत के बीच दावकी अमाबिल ट्रांसबार्डर व्यापार मार्ग जनवरी, 1996 से बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को व्यापारियों से इस मार्ग को पुनः खोलने के लिए निवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस व्यापार मार्ग को पुनः खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). 16.1.1996 को भारतीय सीमाशुल्क के नए भवन के निर्माण स्थल पर बंगलादेश राइफल द्वारा गोली बारी किए जाने के कारण जनवरी, 1996 में डॉकी तामबिल मार्ग से बंगलादेश के साथ व्यापार रुक गया था। बंगलादेश के प्राधिकारियों ने इससे पूर्व इस निर्माण कार्य का विरोध इस आधार पर किया था कि यह सीमा रेखा के 150 मीटर के अन्दर रक्षात्मक निर्माण है।

(ग) जी हां।

(घ) इस मसले को हल करने के लिए 24.6.96 को डॉकी तामबिल सीमा पर दोनों पक्षों के सरकारी अधिकारियों द्वारा बैठक/संयुक्त निरीक्षण किया गया था। बंगलादेश की सरकार से औपचारिक प्रतिक्रिया मिलते ही डॉकी स्टेशन पर कार्य को पुनः आरंभ करने का प्रस्ताव है।

रतिज रोग

***179. श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जून, 1996 के "स्टेट्समेन" में "अलार्मिंग राइज इन बेनेरियल डिजीजिज" शीर्षक से छपे समाचार को ओर दिलया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रतिज रोगों के मामले में हुई वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारकों का पता लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का रतिज रोगों के बारे में लोगों को और अधिक जानकारी देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). रतिज रोगों, जिन्हें अब आमतौर पर यौन संचारित रोगों के रूप में जाना जाता है, की घटनाओं में वृद्धि के लिए जिम्मेदार पाए गए विभिन्न पहलू इस प्रकार हैं:-

(I) शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण हो रहा सामाजिक विघटन।

(II) प्रव्रजन।

(II) कार्य से संबद्ध यात्रा और पर्यटन।

(IV) सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन।

(V) एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सूचना, शिक्षा और संचार अभियान के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य संबंधी आचरण में परिवर्तन जिसके कारण और अधिक मामले सूचित किए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ). अन्तर-वैयक्तिक संचार सहित संचार के सभी माध्यमों का लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेष रूप से यौन संचारित रोग क्लीनिकों में आने वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक प्रदर्शन और संवितरण हेतु 4 पोस्टरों, एक फोल्डर और एक फ्लिप पुस्तिका का एक सूचना, शिक्षा एवं संचार पैकेज तैयार किया गया है।

समेकित बाल विकास सेवा परियोजनायें

***180. श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और अन्य राज्यों के लिए अब तक समेकित बाल विकास सेवाओं की कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है;

(ग) क्या समेकित बाल विकास सेवाओं की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा भी वित्त पोषण किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो समेकित बाल विकास सेवाओं को क्रियान्वित करने के लिये इन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को विश्व बैंक की सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) देश में अब तक कुल 5614 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं। इनमें से 270 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं राजस्थान में स्वीकृत की गई हैं। अब तक स्वीकृत की गई आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) स्वीकृत आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के लिए वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के लिए क्रमशः 410.62 करोड़ 434.99 करोड़ तथा 568.38 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

(ग) जी, हां।

(घ) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चार राज्यों को विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई सी डी एस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अब तक कुल 338.73 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई। वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

समेकित बाल विकास सेवाएं-31 मार्च, 1996 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत राज्य-वार, प्रकृतिवार परियोजनाएं (इनमें विदेशी सहायता प्राप्त/तमिलनाडु समेकित पोषाहार परियोजनाएं भी शामिल हैं

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ग्रामीण	शहरी	जनजातीय	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	301	33	29	363
2.	अरुणाचल प्रदेश	12	0	39	51
3.	असम	198	3	23	224
4.	बिहार	494	11	93	598
5.	गोवा	11	0	0	11
6.	गुजरात	181	12	34	227
7.	हरियाणा	109	5	0	114
8.	हिमाचल प्रदेश	67	0	8	75
9.	जम्मू और कश्मीर	123	2	3	128
10.	कर्नाटक	166	12	7	185
11.	केरल	153	10	1	164
12.	मध्य प्रदेश	329	27	130	486
13.	महाराष्ट्र	249	27	50	326
14.	मणिपुर	13	1	18	32
15.	मेघालय	1	0	29	30
16.	मिजोरम	1	1	19	21
17.	नागालैंड	25	2	26	53
18.	उड़ीसा	186	12	126	324
19.	पंजाब	118	5	0	123
20.	राजस्थान	220	20	30	270
21.	सिक्किम	4	1	0	5
22.	तमिलनाडु	384	48	2	434
23.	त्रिपुरा	13	5	5	23
24.	उत्तर प्रदेश	905	19	11	935
25.	पश्चिम बंगाल	298	22	46	366
26.	दिल्ली	3	26	0	29

1	2	3	4	5	6
27.	पांडिचेरी	3	2	0	5
28.	अण्डमान और निकोबार	2	1	2	5
29.	चंडीगढ़	0	3	0	3
30.	दादर और नगर हवेली	0	0	1	1
31.	दमन व दीव	2	0	0	2
32.	लक्षद्वीप	0	0	1	1
	जोड़	4571	310	733	5614

विवरण-II

विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 से 1996-97 तक राज्यों को निर्मुक्त की गई राशि

(रु. करोड़ों में)

वर्ष	निर्मुक्त की गई राशि				
	आन्ध्र प्रदेश	उड़ीसा	मध्य प्रदेश	बिहार	योग
1990-91	5.00	4.50	-	-	9.50
1991-92	28.00	35.96	-	-	63.96
1992-93	14.00	13.00	3.16	2.85	33.01
1993-94	15.00	15.00	8.75	14.29	53.04
1994-95	16.14	25.57	33.00	15.00	89.71
1995-96	23.00	26.00	28.51	12.00	89.51
योग	101.14	120.03	73.42	44.14	338.73

[हिन्दी]

स्वास्थ्य परियोजनाएं

1234. श्री जी.एल. कनौजिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी स्वास्थ्य परियोजनाएं शुरू की गई और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाएं पृथक-पृथक रूप में किस हद तक सफल हुई; और

(ग) उन योजनाओं के तेजी से कार्यान्वयन हेतु क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). विश्व बैंक की सहायता से एड्स, कुष्ठ, दृष्टिहीनता और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चलाये जा रहे हैं।

इन परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए मन्त्रालय में एक बाह्य वित्त पोषित परियोजना कक्ष स्थापित किया गया है।

[अनुवाद]

कावेरी जल का बंटवारा

1235. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक और तमिलनाडु द्वारा कावेरी जल बंटवारे के संबंध में हाल ही में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया। अधिकरण ने

25.6.91 को अंतरिम पंचाट दिया जिसमें कर्नाटक सरकार की मासिक व साप्ताहिक निर्धारण सहित प्रत्येक जल वर्ष (जून से मई) के लिए तमिलनाडु के मैत्तूर जलाशय में 205 हजार मिलियन घन फुट (टी एम सी फुट) जल का अंतर्वाह सुनिश्चित करने का निदेश किया गया। पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र के कराईकल प्रदेश के लिए तमिलनाडु राज्य विनियमित ढंग से 6 टी एम सी जल छोड़ेगा। इसके साथ ही, कर्नाटक राज्य कावेरी के जल से सिंचित किए जा रहे वर्तमान 11.2 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र को सिंचाई नहीं करेगा।

अभी तक अधिकरण 90 सुनवाईयां कर चुका है और अधिकरण की कार्यवाहियों में बेसिन राज्य भाग ले रहे हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य देखभाल

1239. श्री हरिवंश सहाय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयों पर प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि व्यय की जाती है;

(ख) क्या इस सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कुल कितना खर्च वहन करना पड़ा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण दवाइयों की खरीद एवं सप्लाई राज्य सरकारें अपने संसाधनों द्वारा करती हैं। तथापित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में उपलब्ध सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 1992-93 के लिए स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 42 रुपये है। इसके अतिरिक्त मुख्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक दवाइयां केन्द्रीय सरकार अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार सप्लाई की जाती हैं।

(ख) और (ग). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

समान रैंक के लिए समान पेंशन

1237. श्री राम नाईक : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान रैंक के लिए समान पेंशन के संबंध में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). भूतपूर्व सैनिकों की एक रैंक एक पेंशन की मांग की जांच एक उच्चस्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई थी। एक रैंक एक पेंशन के सिद्धान्त को स्वीकार करना कई कारणों से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। तथापि उच्चस्तरीय अधिकारप्राप्त समिति की सर्वसम्मत सिफारिशों के अनुसरण में 1.1.1986 से पहले सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र सेनाओं के पेंशनरों की पेंशन में एक बार की वृद्धि की योजना को 1.1.92 से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उद्योग के रूप में सड़क क्षेत्र

1238. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क क्षेत्र को एक "उद्योग" घोषित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 के पैरा 2(ग) (XVII) और औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 के पैरा 2(ग) (XVI) के अनुसार सड़कों के निर्माण, अनुरक्षण और विकास से जुड़े कार्य कलापों को "औद्योगिक प्रतिष्ठान" के रूप में माना जाएगा ताकि चुंगी पर आधारित राजमार्ग परियोजनाएं शुरू करने के लिए निजी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऋणदाता संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जा सके।

संक्रामक रोग

1239. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई रोगों के लिए उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक और अन्य जीवनरक्षक दवाइयां तेजी से अपना असर खो रही हैं क्योंकि बैक्टिरिया और अन्य माइक्रोब उनके प्रतिरोधी होते जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश में सबसे बड़े दस घातक संक्रामक रोगों के निवारण के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश का सामाजिक-आर्थिक विकास इन रोगों के भार से अवरोधित न हो?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) संक्रामक रोगों के इलाज में प्रयुक्त अधिकतर औषधों में औषध प्रतिरोधक शक्ति एंटिबायोटिक्स के अन्धाधुन्ध इस्तेमाल के कारण हुई है।

(ख) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में प्रमुख संचारी रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए औषधों का उपयुक्त सम्मिश्रण, खुराक/उपचार की अवधि निर्धारित की जाती है।

जच्चा-बच्चा देख-रेख सुविधाएं

1240. श्री कृष्णलाल शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनसांख्यिकीय लक्ष्यों से हटकर जच्चा-बच्चा सुविधाओं की ओर ध्यान देना आरम्भ कर दिया है;

(ख) क्या इस तब्दीली से उन लोगों के दृष्टिकोण में, जो रूढ़िवादिता और विचारों की कट्टरता के आधार पर परिवार नियोजन का विरोध करते हैं, कोई परिवर्तन आया है; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). उच्च स्तर के गर्भ निरोधक लक्ष्य तय करने की पद्धति के स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर विकेंद्रित योजना पद्धति शुरू की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तरीय योजना समुदाय की जरूरतों पर विचार करेगी और इससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होने तथा इसे लोगों द्वारा अधिक स्वीकार करने की आशा है।

कोचीन पत्तन पर कन्टेनर वालों की हड़ताल

1241. श्री सुरेश कोडीकुनील : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोचीन पत्तन पर कन्टेनरों वालों की हड़ताल की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिहवन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) कोचीन पत्तन श्रमिक यूनियन द्वारा 25 जून, 1996 से कोचीन पत्तन में आने-जाने वाले कंटेनरों को एक निजी कंटेनर फ्रेट स्टेशन अर्थात् एशियन टर्मिनल्स द्वारा निजी श्रमिक समूहों का उपयोग न करने के विरोध में अवरुद्ध किया गया था। अन्य श्रमिक यूनियनों ने भी कंटेनर फ्रेट स्टेशन में कार्य करने के लिए बाहर के श्रमिकों को नियुक्ति करने वाले निजी कंटेनर फ्रेट स्टेशन के संबंध में आपत्ति की थी।

(ग) दिनांक 26.3.96 को पत्तन न्यास द्वारा सभी संबंधित यूनियनों, स्टीमर एजेंटों के प्रतिनिधियों के साथ की गई बैठक के परिणामस्वरूप इस अवरोध को समाप्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

सड़कों को जोड़ना

1242. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सघन जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कब तक कार्यान्वयन आरम्भ किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). भारत सरकार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और विकास के लिए संवैधानिक रूप से उत्तरदायी है। राष्ट्रीय राजमार्गों के अतिरिक्त अन्य सभी सड़कों के लिए मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। प्रस्तावित सड़कें राज्यीय सड़कें हैं और इनके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है।

[अनुवाद]

जेटियों का आधुनिकीकरण

1243. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेटियों का आधुनिकीकरण किए जाने संबंधी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कोई याजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने 1991 से इस योजना का कार्यान्वयन किया था;

(घ) क्या खर्च की गई कुल धनराशि का 50 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार ने प्रदान किया था; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण थे?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). जी हां। इस स्कीम के तहत, भारत सरकार विभिन्न आई डब्ल्यू टी स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु, जिसमें जैट्टियों का आधुनिकीकरण भी शामिल है, राज्य सरकारों को ऋण सहायता उपलबध करवातो है।

(ग) केरल सरकार की 55 यात्री जैट्टियों के आधुनिकीकरण से संबंधित स्कीम को भारत सरकार ने जनवरी, 1993 में संस्वीकृति प्रदान कर दी थी। केरल राज्य सरकार द्वारा भेजी गई नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आधुनिकीकरण हेतु स्वीकृत 55 जैट्टियों में से अभी तक 37 "सी" टाइप तथा 3 "बी" टाइप जैट्टियों का आधुनिकीकरण पूरा कर लिया गया है।

(घ) और (ङ). इस बारे में केन्द्र सरकार संस्वीकृत राशियों के आधार पर निधियां जारी करती है।

राष्ट्रीय बैराज परियोजना

1244. श्री अमर राय प्रधान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी बैराज परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कौन-कौन सी परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है;

(ग) किन-किन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने हेतु मांग लंबित है; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). निम्नलिखित मानदण्डों के अंतर्गत आ रही बैराज परियोजनाओं सहित नदी घाटी परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव था :-

(1) वे परियोजनाऐं जो या तो अंतर्राष्ट्रीय हैं या जिनमें अंतर्राष्ट्रीय पक्ष हैं;

(2) 1 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता वाले अंतर्राज्यीय पक्षों वाली कोई भी राज्य परियोजना या परियोजनाएं।

(3) अन्य दृष्टिकोणों से राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं तथापि, सिंचाई के क्षेत्र में किसी भी परियोजना को "राष्ट्रीय परियोजना" घोषित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

रोजगारोन्मुखी शिक्षा

1245. श्रीमती वसुंधरा राजे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर अधिक बल देने के लिए राज्य सरकारों को क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लोकप्रिय बनाने और उनका विस्तार करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं। तथापि, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण को केन्द्रीय प्रायोजित योजना फरवरी, 1988 में व्यक्तिगत नियोज्यता में वृद्धि करने के मुख्य लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी।

(ख) व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्न लिखित कदम उठाए गए हैं:-

- खासकर पाठ्यचर्या विकास, शैक्षिक सामग्री, स्कूल उद्योग सहलग्नता शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक सर्वेक्षण आदि के लिए अनेक दस्तावेज तैयार और निर्गमित किए गए हैं।
- फोल्डरों, पोस्टरों, व्यावसायिक फिल्मों का विकास किया गया है।
- व्यावसायिक शिक्षा बुलेटिन का प्रकाशन।
- छात्रों द्वारा तैयार सामग्री की प्रदर्शनी का आयोजन।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में विस्तार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- कार्यक्रम के मार्गदर्शन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद गठित की गई है।
- तकनीकी और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान गठित किया गया है।
- 60 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को शिक्षुता अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से स्कूल उद्योग सहलग्नता विकसित करने के लिए कहा गया है।

बाढ़ द्वारा फसल और सम्पत्ति को क्षति

1246. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनाशकारी बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष फसलों और सम्पत्ति को कितनी क्षति होती है;

(ख) विनाशकारी बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) सिंचाई हेतु वर्षा के जल का सदुपयोग करके जल को संरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या बेहतर जल प्रबन्धन हेतु नदियों को जोड़ने की परियोजना की समीक्षा की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1953 से 1994 के आंकड़ों के आधार पर बाढ़ के कारण फसलों और संपत्ति की वार्षिक औसतन हानि का 982 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है।

(ख) विभिन्न बाढ़ प्रबंधन उपायों जैसे तटबंध, जल निकास चैनलों, नगर सुरक्षा कार्यों गांवों को ऊंचा करना और कटावरोधी योजनाएं, अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए शुरू की गई, जिसमें 14.4 मिलियन हेक्टेयर (आर बी ए द्वारा लगाए गए 40 मिलियन हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र के मुकाबले) क्षेत्र युक्तियुक्त सुरक्षा क्षेत्र है।

मार्च, 1995 तक बाढ़ प्रबंधन कार्यों के लिए लगभग 4159 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। केन्द्र सरकार 157 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों का प्रचालन कर रहा है जिसमें 62 नदी बेसिन है जो चेतावनियां देने और बचाव कार्यों एवं सहायता प्रचालन के लिए राज्य सरकार को समय से बाढ़ पूर्वानुमान सेवाएं मुहैया करा रही हैं।

(ग) पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई और अन्य प्रयोजनों के लिए वर्षा जल का उपयोग करने में नदियों पर भंडारणों के सृजन पर जोर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप इस समय कुल भंडारण क्षमता लगभग 193.2 बिलियन घन मीटर है। बिलियन घन मीटर के अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता के सृजन हेतु निर्माण कार्य विभिन्न अवस्थाओं में है। इसके अतिरिक्त, लगभग 130 बिलियन घन मीटर के भंडारण को बड़ी और मध्यम योजनाओं के जरिए जोड़े जाने की संभावना है जिस पर विचार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना संबंधी अध्ययन कर रहा है जिसमें, अन्य के साथ नदियों के अंतर्संपर्कों द्वारा अधिशेष जल को जल की कमी वाले बेसिनों में स्थानान्तरण करने तथा क्षमता स्थलों पर जलाशयों का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि अंतर बेसिन स्थानान्तरण के जरिए उपयोग हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत उपयोग के लिए अन्य 220 बिलियन घन मीटर जल उपलब्ध होगा।

सिंचाई जल दरें

1247. श्री संदीपान थोरात : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में इस समय सिंचाई जल की राज्य-वार दर क्या है और पिछली बार कब इनका संशोधन किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि वर्तमान जल दरें अत्यंत ही अलाभकर हैं और उनसे रख-रखाव पर आने वाला खर्च भी पूरा नहीं होता है;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने अलाभकर जल दर संरचना की समस्या की जांच की है और कुछ सिफारिशें दी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कर जल-दरों को तर्कसंगत बनाने हेतु की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) विभिन्न राज्यों में चल रही सिंचाई जल की दरों तथा पिछली बार इनमें कब संशोधन हुआ था, इसको दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (ङ). सिंचाई से प्राप्त राजस्व, तथा संबंधित प्रभारों तथा प्रचालन लागत एवं सिंचाई परियोजनाओं के रख-रखाव के बीच में अंतर है। सितम्बर, 1992 में योजना आयोग को प्रस्तुत की गई सिंचाई जल के मूल्य निर्धारण संबंधी समित (जो वैद्यनाथ समिति के नाम से जानी जाती है) के अनुसार वर्ष 1989-90 में निकाले गए वास्तविक सिंचाई राजस्व प्रचालन तथा रख-रखाव लागत के 270 रुपए प्रति हेक्टेयर (109 रुपए प्रति एकड़) के मुकाबले 50 रुपए प्रति हेक्टेयर (20 रुपए प्रति एकड़) था। समिति की सुझावों में शामिल यह था: जल दरों को प्रयोक्ता प्रभार के रूप में व्यवहृत करना, जल प्रभारों का मुख्य उद्देश्य अंतिम रूप से लागत को वसूल करना हो, जल दरों में ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि इसकी सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो, चरणों में जल दरों का संशोधन तथा क्रियान्वयन, कृषि दल प्रबंधन प्रणाली का समेकन जल उपयोग तथा उत्पादकता में उच्च स्तरीय दक्षता की प्रणाली को अपग्रेड करना, प्रचालन के नार्म को तय करने के लिए तथा रखरखाव और आवधिक पुनरीक्षा की प्रक्रिया के लिए राज्य स्तर पर विशेषज्ञ दल की स्थापना, जल की लागत के संबंध में नीति की पुनरीक्षा के लिए राज्य स्तर पर स्वायत्तशासी बोर्ड की स्थापना, जल दरों का संशोधन तथा न्यूनतम वित्तीय लाभ मापदण्ड प्रारंभ करना। दिसम्बर, 1992 में योजना आयोग द्वारा गठित अधिकारियों के दल द्वारा वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों का अध्ययन किया गया। अधिकारियों के दल ने दिसम्बर, 1994 के अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ सिफारिश की कि सिंचाई जल दरों को समग्र रूप से वार्षिक प्रचालन तथा रखरखाव की लागत को चरणों में अर्थात् आगामी 5 वर्षों की अवधि के लिए होनी चाहिए। चूंकि सिंचाई का मामला राज्य से संबंध रखता है इसलिए वैद्यनाथन समिति की सिफारिशों समेत अधिकारियों के दल की सिफारिशों को योजना आयोग द्वारा सभी राज्यों को विचार के लिए तथा आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

विवरण

भारत में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जल दरें और अन्तिम संशोधन की तारीख

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जल दरें* (रुपए/हैक्टेयर)	अंतिम संशोधन की तारीख
1	2	3	4
1.	आंध प्रदेश	49.42 से 370.67	01.07.1986
2.	अरूणाचल प्रदश	-कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं-	
3.	असम	75.00 से 375.50	अस्थाई

1	2	3	4
4.	बिहार	74.13 से 296.53	14.11.1995
5.	गोवा	60.00 से 300.00	11.02.1988
6.	गुजरात	25.00 से 830.00	10.04.1981
7.	हरियाणा	21.75 से 108.73	27.07.1994
8.	हिमाचल प्रदेश	9.34 से 41.09	03.11.1977
9.	जम्मू व कश्मीर	7.71 से 20.07	01.04.1976
10.	कर्नाटक	19.77 से 556.00	01.07.1985
11.	केरल	37.00 से 99.00	01.07.1974
12.	मध्य प्रदेश	14.83 से 296.53	अक्तूबर, 1992
13.	महाराष्ट्र	50.00 से 800.00	01.07.1994
14.	मणिपुर	22.50 से 75.00	दिसम्बर, 1981
15.	मेघालय	---कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं---	
16.	मिजोरम	----कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं---	
17.	नागालैंड	---कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं----	
18.	उड़ीसा	5.56 से 206.95 63.36 से 1425.58	24.09.1981 फ्लो सिंचाई 01.10.1992 लिफ्ट सिंचाई
19.	पंजाब	14.83 से 98.84	रावी, 1993-94
20.	राजस्थान	19.77 से 143.32	मार्च, 1982
21.	सिक्किम	---कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं----	
22.	तमिलनाडु	18.53 से 61.73	1.7.1962 के बाद कोई परिवर्तन नहीं। जल दरों के मानक मान में 6.11.1987 को संशोधन किया गया।
23.	त्रिपुरा	20.00 से 120.30	प्रस्तावित
24.	उत्तर प्रदेश	14.83 से 237.23	01.07.1983
25.	पश्चिम बंगाल	49.42 से 123.56 74.13 से 469.61	01.07.1977 फ्लो सिंचाई 19.11.1984 लिफ्ट सिंचाई
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप	---कोई सिंचाई दरें लागू नहीं हैं----	
27.	चंडीगढ़	---सूचना उपलब्ध नहीं है----	
28.	दादर व नगर हवेली	74.13 से 270.82	विशेष लिफ्ट स्कीमों पर निर्भर करते हुए प्रवर्तन की तारीख 1.12.1970 से 23.11.1973 के बीच भिन्न-भिन्न है
29.	दमन व दीव	200.00	1980
30.	दिल्ली	4.22 से 237.00	उपलब्ध नहीं
31.	लक्षद्वीप	----कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं----	
32.	पांडिचेरी	-----कोई सिंचाई जल दरें लागू नहीं हैं---	

अभ्युक्ति* : जल दरें सामान्यतः फसलों, मौसम सिंचाई का स्रोत और परियोजनाओं के प्रकार के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं।

होस्टलों का निर्माण

1248. श्री अमर राय प्रधान : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कामकाजी महिलाओं के लिए उपलब्ध होस्टलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के जिला-वार किन-किन स्थानों से इस प्रकार के और अधिक होस्टलों का निर्माण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

(ग) 31 मार्च, 1996 तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई तथा प्रत्येक होस्टल के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) सरकार द्वारा बाकी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) पश्चिम बंगाल में अब तक 35 होस्टल स्वीकृत किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है।

(घ) बकाया प्रस्ताव कब तक अनुमोदित हो जाएंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्कीम के अंतर्गत सारी अपेक्षाएं कब पूरी होती हैं।

विवरण

क्र. स.	जहां से प्रस्ताव प्राप्त हुए		क्या प्रस्ताव 31-3-1996 तक स्वीकृत हो गया	आवंटित राशि (रु. लाखों में)
	जिला	स्थान		
1.	कलकत्ता	कलकत्ता	हां	13.70
2.	हावड़ा	बगनन	नहीं	-
3.	मिदनापुर	हल्दिया (दो प्रस्ताव)	एक प्रस्ताव स्वीकृत	91.03
4.	उत्तरी 24 परगना	चुक गेरिया	हां	30.44
		कृष्णापुर	हां	29.63
5.	दक्षिणी 24 परगना	बसन्ती	नहीं	-
6.	उत्तर दीनाजपुर	रायगंज	हां	7.43

नर्मदा नदी में पानी

1249. श्री सुशील चन्द्र : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा नदी में उपयोग के लिए कितना पानी उपलब्ध है;

(ख) क्या इस संबंध में समय-समय पर अलग-अलग राय प्रकट की गई है;

(ग) पानी की उपलब्धता के बारे में सही आंकड़ों का पता लगाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां पानी की उपलब्धता को मापने के लिए जलमापक स्टेशन स्थापित किए गए हैं और इन स्टेशनों की स्थापना किस प्राधिकरण द्वारा की गई है तथा इनका नियंत्रक प्राधिकरण कौन है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के अनुसार, सरदार सरोवर बांध स्थल पर नर्मदा नदी में उपलब्ध प्रवाह की मात्रा 75 प्रतिशत विश्वसनीयता पर 28 मिलियन एकड़ फुट है।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1990 तक प्रेक्षित आंकड़ों के आधार पर विस्तृत अन्वेषण के बाद वर्ष 1993 में नर्मदा जल विवाद अधिकरण द्वारा किए गए मूल्यांकल की पुष्टि की।

(घ) उन स्थानों के नाम जहां केंद्रीय जल आयोग, मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने नदी में प्रवाह का मूल्यांकन करने के लिए नर्मदा और इसकी सहायक नदियों के साथ जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केंद्र स्थापित किए हैं, वे इस प्रकार हैं:-

केंद्रीय जल आयोग

1. दिनदोरी
2. मनोत
3. मोहगांव
4. हृदयनगर
5. जमतारा
6. पाटन
7. बेलखेरी
8. गदारवारा
9. बरमानघाट
10. सांदिया
11. हौसंगाबाद
12. च्छिंदगांव
13. हंदिया
14. गिन्नौर
15. कोगांव
16. मंडलेश्वर
17. राजघाट

18. चंदवा
19. गुरूडेश्वर

मध्य प्रदेश

1. मोरताक्का
2. संकालघाट
3. झांसीघाट
4. बारगी
5. मांदला
6. हथनी
7. लिंग्वा
8. भाटली
9. लोअर वेदा
10. अपर वेदा
11. च्छिंदगांव
12. सतराना
13. मेनीगांव (बागरा तवा)
14. महेश्वर
15. तिखरिया
16. बामनी बंजार
17. परासतोला
18. साक्केर

महाराष्ट्र

1. धाटगांव

केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत असम में परियोजनाएं

1250. डा. प्रवीन चंद्र शर्मा क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तपोषित असम में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) परियोजना-वार अनुमानित लागत, जारी की गई राशि तथा तब तक खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने समूची आवंटित राशि जारी कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). चल रही परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान असम राज्य को निम्नलिखित राशि आवंटित की गई और जारी की गई :

	(लाख रु.)
1993-94	40.00
1994-95	42.00
1995-96	21.00

विवरण

कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
- राज्य का नाम : असम	
- अनुसंधान परियोजना आर-5 विभिन्न स्थितियों में पेवमेंट की उप-ग्रेड मजबूती के मापन में सीमान्तरिक नमी के अंश का अध्ययन	2.84
- नार्थ गुवाहाटी अमीन गांव हाई नलबारी सड़क को 15 से 34 कि.मी. तक चौड़ा करना	70.00
- तेजपुर सड़क प्रभाग के अंतर्गत रांगापाड़ा से बोरजूली	5.50
- तेजपुर सड़क प्रभाग के अंतर्गत खामामुख से कचूबील	5.50
- लोलापाड़ी सांजूली सड़क	6.00
- अनीपुर ओलिवियेरा सड़क	8.00
- पालडी डबी बोर जालेंगा सड़क	25.00
- सिल्चर जयंतीपुर सड़क	40.00
- सोनई-मोतीनगर डीडर कोश सड़क	40.50

बिहार में सिंचाई परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता

1251. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही हैं;

(ख) क्या बिहार की कुछ सिंचाई परियोजनाएं अभी भी विश्व बैंक द्वारा सहायता उपलब्ध कराने के लिए विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्व बैंक की सहायता से बिहार में चल रही इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस समय बिहार में विश्व बैंक की सहायता से कोई सिंचाई परियोजना प्रचालन में नहीं है।

(ख) और (ग). बिहार घटके की 1695.47 करोड़ रुपए वाली बहुराज्य सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना के दूसरे फेज के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं तथा प्रारम्भिक विचार-विमर्श के चरण में हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 पर पुल

1252. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के सोनितपुर जिले में चौकीघाट के निकट जिया-भारती नदी पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-52 पर एक पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि मंजूर की जायेगी; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). परियोजना तैयार करने के लिए 51 लाख रु. के प्राक्कलन को मंजूरी दे दी गई है और कार्य चल रहा है। इस पूरी परियोजना पर 70 करोड़ रु. की लागत आने की संभावना है और अभी इसके पूरा होने की संभावित तारीख बता पाना संभव नहीं है।

गुजरात में केन्द्रीय विद्यालय

1253. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक गुजरात में अनेक केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनके नाम क्या हैं तथा ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) इन्हें खोलने के लिए नियम, कार्यप्रणाली तथा दिशा-निर्देश क्या-क्या हैं;

(घ) और अधिक संख्या में ऐसे स्कूल खोलने की क्या योजना तथा अनुमान है;

(ङ) क्या गुजरात सरकार तथा अन्य क्षेत्रों से राज्य में ऐसे और नए स्कूल खोलने के संबंध में मांग की गई है तथा अभ्यावेदन भेजे गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्या कार्यवाही की गई है तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में तीन केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं और आज की तारीख तक निम्नलिखित स्थानों पर हैं:-

(1) ओ.एन.जी.सी	-	हजारिया, सूरत
(2) ओ.एन.जी.सो.	-	बड़ौदा
(3) एन.टी.पी.सी.	-	गंधार गल पावर प्रोजेक्ट, झानौर

(ग) केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए मानदंड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) पूरे देश के लिए सरकार ने 1993-94 से 1997-98 तक की अवधि के लिए सिविल तथा रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 20 केन्द्रीय विद्यालय तथा परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त पाए गए अधिक से अधिक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दे दी है।

(ङ) जी, हां।

(च) संगठन को निम्नलिखित स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

(1) वालसाड

(2) फ्री-लैण्डगंज, दाहोद

(3) गोधरा, जिला - पंचमहल

प्रायोजित प्राधिकरण से विद्यालय खोलने के लिए मानदंडों के अनुसार शर्तों को पूरा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने इन मामलों में कोई उत्तर नहीं दिया है।

विवरण

नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए मानदंड

1. नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रस्तावों पर केवल तभी विचार किया जा सकता है, यदि यह निम्नलिखित में से किसी एक द्वारा प्रायोजित हो :

(i) क) भारत सरकार के मंत्रालय अथवा विभाग

(ख) राज्य सरकार

(ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

(घ) पात्र श्रेणियों (III में उल्लिखित) के कर्मचारियों के संगठन

(ii) जब लगभग 15 एकड़ का भूखण्ड प्रायोजित प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाये।

(iii) (क) जब प्रतिरक्षा सेवा अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों अथवा भारत सरकार के उपक्रम के अलग-अलग अथवा संयुक्त रूप से कम से कम 1000 कर्मचारियों की

बहुलता हो, और कम से कम 200 बच्चे (बड़े शहरों के मामले में 500 बच्चे) आरंभ में प्रस्तावित केन्द्रीय विद्यालयों का विभिन्न कक्षाओं में दाखिले के इच्छुक हों।

(ख) नई छावनियों और प्रतिष्ठानों में स्कूलों में दाखिले के लिए न्यूनतम 200 बच्चे उपलब्ध हों।

(iv) जब तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन दी गई भूमि पर अपना विद्यालय भवन निर्मित नहीं कर लेता तब तक प्रायोजक प्राधिकरण इसे अपने विद्यालयों के विस्तार हेतु बिना किराए अथवा न्यूनतम किराए पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराता है; और

(v) प्रायोजित प्राधिकारी द्वारा स्टाफ के कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को आवासीय आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए जहां स्कूल से उपयुक्त दूरी के भीतर वैकल्पिक आवास उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। स्कूल खुलने से पूर्व इस प्रकार की आवासीय इकाइयों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए।

2. भारत सरकार के उपक्रम के परिसर में एक नया केन्द्रीय विद्यालय (सेन्ट्रल स्कूल) खोला जा सकता है यदि वह आवास, भूमि और भविष्य में विकास की सुविधाओं और साथ ही प्रस्तावित विद्यालय पर अनुपातिक ऊपरी खर्च सहित आवर्ती और अनावर्ती व्यय वहन करने के लिए सहमत हो, बशर्ते कि ऐसे विद्यालय की आवश्यकता वैकल्पिक शैक्षिक सुविधाओं की अनुपलब्धता और स्थान के संदर्भ में स्थापित की गई हो।

3. एक नया केन्द्रीय विद्यालय भा.प्रौ.सं. और सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं जैसी उच्च अध्ययन की संस्था के परिसर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्कूलों से संबंधित यथानिर्धारित शर्तों पर खोले जा सकते हैं।

[हिन्दी]

सी.जे.डी. केसेज

1254. डा. रामकृष्ण कुसुमरिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में "पागल गाय" बीमारी की कुछ घटनाएं हुई हैं जिससे इंग्लैंड में हजारों गाएं प्रभावित हुई हैं और जो मनुष्य के लिए भी घातक हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में सी.जे.डी. के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस बीमारी को कम करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) देश में ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). "पागल गाय बीमारी" के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए प्रो. एम.जो.के. मेनन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

[अनुवाद]

भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा विदेशी मुद्रा का भुगतान

1255. प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाजरानी निगम ने वर्ष 1994 के दौरान कतिपय विदेशी कंपनियों को अधिक विदेशी मुद्रा की अदायगी की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस चूक के संबंध में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि, मैसर्स स्टैंडर्ड स्टीम शिप (प्युचुअल) बरपूहा लि. से संबंधित 2.75 लाख अमरीकी डालर की राशि भारतीय नौवहन निगम लि. के लंदन स्थित कार्यालय द्वारा असावधानीवश दिसम्बर, 1994 में मै. यूनाइटेड स्टीवीडोरिंग, आन्टवर्प, बेल्जियम को अदा कर दी गई थी। इस राशि को उस पक्ष से ब्याज सहित पहले ही वसूल कर लिया गया है।

(ग) और (घ). सरकार ने कोई जांच नहीं की है, तथापि, भारतीय नौवहन निगम लि. ने इस मामले में एक आन्तरिक जांच शुरू की है और जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

ऊंट दौड़ के लिए भारतीय बच्चों का सवार के रूप में प्रयोग

1256. श्री के. प्रधानी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल मजदूरी पर संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि भारत से युवा/बच्चों को खाड़ी के देशों में ऊंट दौड़ हेतु सवार अथवा साऊदी अरब के वृद्ध व्यक्तियों के लिए युवा दुल्हनों के रूप में अभी भी बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस विषय में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). हाल ही में "यूनीसेफ" ने बाल कल्याण के बारे में राष्ट्रों की प्रगति के विषय में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, परन्तु यह इस प्रश्न की विषय-वस्तु से संबन्धित नहीं है। तथापि विगत में ऐसे कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं जो कुछ खाड़ी देशों में युवा भारतीय बच्चों को ऊंट-दौड़ में सवार के रूप में इस्तेमाल करने अथवा बूढ़े व्यक्तियों की युवा दुल्हन के रूप में इस्तेमाल करने से सम्बद्ध हैं। सरकार ने वीसा और पासपोर्ट आवेदन पत्रों की बारीकी से छानबीन करके इन कार्यों में संलग्न संदिग्ध व्यक्तियों को इन सुविधाओं से वंचित करके ऐसे मामलों को रोकने के लिए कदम उठाये हैं। सरकार का इन उपायों को जारी रखने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

मेडिकल कॉलेज

1257. श्री जी.एम. कंदूरकर : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नान्देड़ (महाराष्ट्र) के मेडिकल कॉलेज, में अभी तक स्नातकोत्तर अध्ययन शुरू नहीं हो सका है, जबकि इसे स्थापित हुए पांच शैक्षिक सत्र पूरे हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन मेडिकल कालेज, नांदेड़ में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

[अनुवाद]

कलकत्ता स्थित सेंटर फार स्टडीज इन सोशल साईंसिज द्वारा शुरू की गई शोध परियोजनायें

1258. श्री प्रदीप भट्टाचार्य : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता स्थित सेंटर फार स्टडीज इन सोशल साईंसिज द्वारा वर्ष 1990 से 1995 के दौरान शुरू की गई शोध परियोजनायें कौन-कौन सी हैं;

(ख) क्या कोई परियोजना ऐसी है, जो अधूरी पड़ी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). सामाजिक विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता द्वारा भेजी गई सूचनानुसार वर्ष 1990-95 के दौरान 27 अनुसंधान परियोजनायें शुरू की गई और उन्हें पूरा किया गया। तथापि वर्ष 1990-95 के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं की कुल संख्या 48 है। वर्ष 1993 तक आरम्भ की गई परियोजना जबकि पूरी हो चुकी है और 1994 व 1995 में आरम्भ की गई 15 परियोजनायें अभी पूरी की जानी हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं

1259. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ख) इन योजनाओं के राज्य-वार नाम और उनकी स्थिति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) भारत सरकार ने वर्ष 1996-97 में महिला विकास के लिए किसी नयी केन्द्रीय अथवा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का अनुमोदन नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इराक में भारतीय श्रमिक

1260. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इराक में कार्यरत भारतीय श्रमिक अपने आचरण के कारण अत्यधिक समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, नहीं। इन देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बारे में आमतौर पर यह माना जाता है कि वे कानून का अनुपालन करने वाले और महेनतकश हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत विरोधी प्रसारण

1261. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास ने अमरीकी प्रचार माध्यम द्वारा जम्मू और कश्मीर में हुए चुनावों से संबंधित भारत विरोधी प्रसारण किये जाने का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख) जम्मू कश्मीर में चुनावों के बारे में रेडियो और टी.वी पर जो खबरें दी गई थी वह अपर्याप्त थी। मुख्य वाणिज्यिक नेटवर्क में जम्मू कश्मीर में हुए चुनावों के बारे में बिलकुल कोई खबर नहीं दी गई। सी एन एन ने 30 मई, 1996 को एक खबर प्रसारित की थी जिसमें कुछ आलोचना थी। 24 मई, 1996 को अमरीकी समाचार-पत्रों में भी इस विषय पर छपी खबरें कुछ भ्रामक थीं।

आलोचना में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया था कि सुरक्षा बलों ने कश्मीर में रह रहे लोगों को जोर-जबरदस्ती करके मतदान करवाया था ताकि मतदान अधिक हो सके।

(ग) सरकार ने इस मिथ्या आरोपों का श्रीनगर और नई दिल्ली में तथा भारतीय राजदूतावासों के जरिए कई पक्षसार देकार व्यापक रूप से खंडन किया है। 24 मई, 1996 को प्रकाशित भ्रामक खदरों के वाद वाशिंगटन स्थित भारतीय राजदूतावास ने अमरीकी मीडिया को एक विस्तृत प्रेस ब्रीफिंग जारी की थी। राजदूतावास ने प्रमुख समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के संपादकों को भी व्यक्तिगत रूप से सही स्थिति से अवगत कराया था।

(घ) सरकार जम्मू कश्मीर के संबंध में अपना पारदर्शिता की नीति पर चलती रहेगी क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए यह एक प्रभावी तरीका है कि इच्छुक प्रेक्षक स्वयं सही स्थिति से अवगत हो सकें और लोगों को सही स्थिति की खबर दे सकें।

"यूथ होस्टलों" और "हॉलीडे कैम्पों" की स्थापना

1262. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार अब तक कितने "यूथ होस्टलों" और "हॉलीडे कैम्पों" की स्थापना की गयी है और इनमें युवाओं को क्या सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

(ख) क्या सरकार सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को उन समस्त सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति देती है जो नियमित सरकारी कर्मचारियों को प्रदान की जा रही हैं।

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों को भी ये सुविधायं प्रदान करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) : (क) निम्नलिखित 45 युवा छात्रावास स्थापित किए गए हैं :-

पंचकुला, पीपली, भिवानी (हरियाणा), डलहौजी, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश), रोपड़, अमृतसर, संगरूर (पंजाब), जयपुर, जोधपुर (राजस्थान), नैनीताल, आगरा (उत्तर प्रदेश), सिकंदराबाद, तिरूपति (आ.प्र.), हसन, मैसूर (कर्नाटक), कालीकट, एर्नाकुलम, वेली (केरल), मद्रास, तंजावूर, मदुरैई, तिरूचरापल्ली (तमिलनाडु), पणजी (गोआ) गांधीनगर (गुजरात), भोपाल (मध्य प्रदेश), औरंगाबाद (महाराष्ट्र) नहारलागुन (अरूणाचल प्रदेश), शिलांग, टूरा (मेघालय), पटनीटोप, (जम्मू व कश्मीर), पटना (बिहार), पुरी, जोशीपुर (उड़ीसा), दार्जिलिंग (पं. बंगाल), गोलाघाट, गुवाहाटी (असम), इम्फाल, उकहरूल (मणिपुर), त्रिपुरा (अगरतला), दीमापुर (नागालैण्ड), एजवाल (मिजोरम), पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्व.समूह) पॉडिचेरी (पॉडिचेरी), नामची (सिक्किम)।

ये युवा छात्रावास गैर-धार्मिक, गैर-राजनैतिक और गैर-व्यवसायिक एकक हैं और इनमें जाति, रंग, लिंग, वर्ण, धर्ममत अथवा सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। रात्रि प्रभार न्यूनतम रखे गए हैं ताकि सीमित साधनों वाले युवा भी इनमें ठहर कर सुविधाओं का लाभ उठा सकें। युवा छात्रावास संघ के सदस्यों और शैक्षिक संस्थानों के संगठित समूहों के छात्रों को रात्रि प्रभारों में छूट दी जाती है। ऐतिहासिक और सांस्कृति महत्व वाले केन्द्रों पर युवाओं के शैक्षिक भ्रमण के लिए छात्रावास की सस्ती सुविधाएं उपलब्ध करवाने से युवाओं द्वारा की जाने वाली यात्रा को बढ़ावा मिलता है और इसका इरादा एक-दूसरे को भली-भाँति समझने की भावना जागृत करना, देश की विविधता, इसकी प्राकृतिक छटा और ऐतिहासिक प्राचीन परंपरा के बारे में जानकारी हासिल करना है। तथापि, पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने किसी भी "हॉलीडे कैम्प" की स्थापना नहीं की हैं।

(ख) युवा छात्रावास मुख्य रूप से यात्रियों विशेषकर युवाओं के थोड़े समय के लिए ठहरने के लिए होते हैं तथा इनमें उनकी स्थिति पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

पेटेंट अधिकार

1263. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका स्थित "फाक्स चेस कैंसर सेंटर" ने यूरोपीय पेटेंट कार्यालय में "फैलेन्शस निरूरी" पर पेटेंट अधिकार का

आवेदन किया है जो कि भारत में "भूयिन आंवला" के नाम से प्रसिद्ध है और जिसका आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सक पोलिया के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). अमरीका स्थित "फाक्स चेज कैंसर सेंटर" ने फैलेन्शस निरूरी जो कि भूमि आंमला के रूप में जाना जाता है और आयुर्वेदिक और यूनानी डाक्टरों द्वारा यकृत विकारों सहित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक घटक के इस्तेमाल द्वारा यकृतशोध के वायरस के इलाज के लिए पेटेंट फाइल किया है।

ऐसे पौधों या ऐसे पौधों के भागों का पेटेंट अधिकार नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये प्रकृति में मिल पाते हैं।

कश्मीर पर पाकिस्तानी प्रधान मंत्री का वक्तव्य

1264. श्री जगमोहन : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रीमती बेनजीर भुट्टो द्वारा हाल ही में राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ कश्मीरी "मुसलमानों द्वारा आत्म-निर्णय के अधिकार, हेतु किए जा रहे संघर्ष में अपना पूरा समर्थन देने की बात कही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां।

(ख) 28 जून, 1996 को पाकिस्तान की प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश का स्वर, हमारे प्रधानमंत्री के पदभार संभालने पर उनके द्वारा भेजे गए बधाई संदेश से भिन्न था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने उत्तर में, हमारे प्रधानमंत्री ने विदेश सचिव स्तर की वार्ता पुनः शुरू करने का सुझाव दिया था। हमें हमारे प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान को भेजे गए पत्र पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग का बंद किया जाना

1265. श्री चमन लाल गुप्त : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 तथा जनवरी से जून 1996 के दौरान जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग को यातायात के लिए कितने दिनों तक बंद रखा गया तथा इसके मुख्य क्या कारण हैं;

(ख) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग की मरम्मत पर कितना धन खर्च हुआ; और

(ग) क्या राजमार्ग की स्थिति बदतर होती जा रही है और इसे वाहन चलने योग्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) भारी बारिश और बर्फ गिरने के कारण जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग 1995 में 41 दिन के लिए और जनवरी, 1996 से जून, 1996 के दौरान 9 दिनों के लिए बन्द रहा।

(ख) 1993-94, 1994-95 और 1995-96 में जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर मरम्मत कार्यों पर क्रमशः 413 लाख रु., 511 लाख रु. और 516 लाख रु. व्यय हुए।

(ग) जी नहीं।

यद्यपि, सुधार/रख-रखाव कार्यों हेतु अत्यंत कम निधियां उपलब्ध हैं, फिर भी राजमार्ग को यातायात योग्य बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना

1266. श्री भीम प्रसाद दाहाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी औषधालयों में रक्त/थूक/मल/मूत्र परीक्षण हेतु उनकी अपनी प्रयोगशालाए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की सभी औषधालयों में ये सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त सुविधाएं कब उपलब्ध हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रत्येक औषधालय में प्रयोगशाला सुविधाएं प्रदान करना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के सभी औषधालयों को नजदीक के दो/तीन औषधालयों को प्रयोगशाला सुविधाओं वाले औषधालयों के साथ संबद्ध करके, प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए कवर कर लिया गया है।

[अनुवाद]

वृहत् परियोजना का कार्यान्वयन

1267. श्री चित्त बसु : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी ज्यादा संख्या में गांव के लोग अपने गांव से वृहत् परियोजनाओं यथा सुवर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना तथा कायल-कारो परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप बाहर किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना और कोइल कारो परियोजना से प्रभावित लोगों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

I. सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना	
1. चांदिल बांध (बिहार)	37596 सं.
2. इचा बांध	
i) बिहार भाग	12160 सं
ii) उड़ीसा भाग	9653 सं.
3. हल्दिया बांध	1629 सं
4. जामभीरा बांध	6672 सं
5. बौरा बांध	5474 सं
II. कोइल कारो परियोजना	22359 सं

(ग) सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना और कोइल कारो परियोजना के संबंध में पुनर्स्थापना के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं :-

I. **सुवर्णरेखा परियोजना** : बिहार सरकार की नवीनतम नीति के अनुसार प्रत्येक विस्थापित परिवार को 55,000 रुपए अनुदान के रूप में दिए जा रहे हैं। इसमें गृह निर्माण, आर्थिक पुनर्वास, स्थानांतरण खर्चे और 25 डेसिमल्स आश्रय स्थल के लिए अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त जलमग्न क्षेत्र में अधिगृहित भूमि और घरों के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए भुगतान किया जाता है।

उड़ीसा पुनर्वास नीति अधिनियम, 1994 के अनुसार प्रत्येक विस्थापित परिवार को आवास-भूखंडों की खरीद, घरों का निर्माण और कृष्य भूमि की खरीद के लिए 64,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, विस्थापित होने की तारीख से एक वर्ष तक प्रतिमाह 500/- रुपए की पुनर्स्थापना सहायता भी प्रदान की जाती है।

II. **कोइला कारो परियोजना** : परियोजना के पुनर्वास पैकेज में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1) बिहार सरकार द्वारा और परियोजना में जिनकी भूमि अधिगृहित की जा रही है/क्रमशः 75:25 के अनुपात में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा।

2) अधिगृहित भूमि के लिए मुआवजे का निर्धारण भूमि से 15 वर्षों की प्राप्ति के मूल्य से किया जाएगा।

3) पुनर्वास स्थल पर मकान के निर्माण के लिए प्रत्येक निष्काषित को 25 डेसिमल भूमि निःशुल्क दी जाएगी।

4) प्रत्येक विस्थापित परिवार को निजी सामान के परिवहन के लिए 750 रुपए का परिवहन अनुदान।

5) जिस परिवार की भूमि अधिगृहित की जाएगी उस प्रत्येक परिवार को उनकी अधिगृहित भूमि की मुआवजा राशि के अलावा मुआवजे की राशि के आधार पर 500 रुपए से 1000 रुपए तक अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी।

6) कालोनियों/निर्माण स्थलों में निर्मित बाजार परिसर में दुकानें विस्थापित व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

7) प्रभावित व्यक्तियों के लिए मिट्टी कार्य और पत्थर तोड़ने का उनके मध्य प्रतियोगी बोलियों के आधार पर 10 लाख रुपए अनुमानित मूल्य तक का ठेका। प्रभावित व्यक्तियों को अग्रवाद धन और सिक्योरिटी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8) जो धार्मिक स्थान जलमग्न हो सकते हैं, उनके बदले में पुनर्वास स्थल पर धार्मिक स्थानों का निर्माण किया जाएगा।

9) विस्थापित परिवारों के लिए सभी नागरिक सुविधाएं, आदिवासियों के लिए सांस्कृतिक गतिविधियां, विस्थापित परिवारों के लिए तकनीकी व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आदि।

नेताजी जन्म शताब्दी

1268. श्रीमती कृष्णा बोस : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी, जो केवल छह महीने बाद ही है, ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय समिति की बैठक तत्काल आयोजित करेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए गठित की गई राष्ट्रीय समिति की बैठक कब तक आयोजित करने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). सरकार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्म शताब्दी के स्मरणोत्सव से संबंधित कार्यक्रमों/गतिविधियों को अंतिम रूप से तैयार करने के लिए अपेक्षित तात्कालिकता के प्रति सचेत है। इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं तथा राष्ट्रीय समिति की अगली बैठक की तारीख निर्धारित करने संबंधी प्रश्न भी विचाराधीन है।

कालाजार

1269. डा. एम.पी. जायसवाल : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कालाजार बड़े पैमाने पर फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने डी.डी.टी. का छिड़काव कराना बंद कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) बिहार में कालाजार की प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) (क) और (ख). बिहार में कालाजार की घटना में जनवरी-मई, 1996 की अवधि में विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है। समय से डी.डी.टी. का छिड़काव नहीं करने और घर-घर जाकर रोगियों का पता लगाकर उनके उपचार में अपर्याप्ता के कारण यह बढ़ोतरी हो सकती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान सोडियम स्टिबो ग्लूकोनेट की 99,200 शीशियां और पेंटामिडीन की 10,000 शीशियां जिससे काला-आजार के उपचारार्थ अनिवार्य औषधियां बनती है केंन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार को स्पलाई की गई।

(च) रोग के नियन्त्रणार्थ उठाए गए कदमों में ये हैं:-

- प्रभावित क्षेत्रों में अवशिष्ट कीटनाशियों का छिड़काव करके वेक्टर, नियन्त्रण द्वारा संचरण की रोकथाम करना।
- प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति द्वारा निदान और पूर्णतः उपचार करना।
- स्वास्थ्य शिक्षा तथा समुदाय को सहभागी बनाना।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना।

इसके अलावा, भारत सरकार ने बिहार और पश्चिम बंगाल में काला आजार नियन्त्रण कार्यकलापों के कार्यान्वयन का जायजा लेने तथा कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाले उपाय सुझाने के लिए 28 मई, 1996 को एक विशेषज्ञ दल का गठन किया।

वेतन समिति की अंतरिम रिपोर्ट

1270. श्री एम. नायक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के प्रोफेसरों, रीडरों और व्याख्याताओं के वेतनमानों पर विचार करने और सुझाव देने के लिए गठित वेतन समिति की कोई अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) प्रोफेसरों, रीडरों तथा व्याख्याताओं के वेतनमानों के निर्धारण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कब तक अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने की सम्भावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वेतन समीक्षा समिति के विचाराधीन विषय के अनुसार यह केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के संशोधन के बारे में पाँचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में विश्वविद्यालय व कॉलेज अध्यापकों के वेतनमानों के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तत करेगा।

अंतर्राज्यीय जल-विवाद

1271. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय अंतर्राज्यीय जल-विवादों के निपटारे पर अधिक बल दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से अंतर्राज्यीय जल विवाद निपटारे हेतु लंबित हैं;

(ग) क्या उन विवादों का निपटारा करने में अत्यधिक विलंब किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो विवादों का शीर्घातिशीघ्र निपटारा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। मौजूदा परिपाटी के अनुसार, जल विवादों को बेसिन राज्यों के साथ बातचीत के जरिए हल करने की कोशिशें की जाती हैं। यदि ये कोशिशें कामयाब नहीं होती और यदि कोई बेसिन राज्य अधिकरण की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार के पास पहुँच जाता है तो अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत निपटारे के लिए इसे स्थापित किया जाता है। जल के बंटवारे के लिए राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश अपनाए जाने के लिए भी प्रस्ताव हैं।

(ख से (ङ). इस समय दो अन्तर्राज्यीय जल विवाद हैं नामश :

1. कावेरी जल विवाद, और
2. रावी-व्यास जल विवाद

कावेरी जल विवाद के मामलें में, अधिकरण ने अब तक 90 सुनवाईयां की हैं। रावी-व्यास विवादों के मामले में अधिकरण के एक सदस्य के त्यागपत्र दे देने के कारण अधिकरण की बैठकें आयोजित करना संभव नहीं हुआ है।

भारत-ईरान के बीच रासायनिक पदार्थों संबंधी सौदा

1272. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जून, 1996 के "दी इकोनॉमिक टाइम्स", नई दिल्ली संस्करण में "क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोब इंडिया-ईरान केमिकल डील" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ईरान के साथ इस वाणिज्यिक सौदे के मामले के संबंध में भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट करने हेत क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ख). जी, हाँ। अमरीका प्रशासन ने अपनी यह आशंका जता दिया है कि कांटनाशक संयंत्र का रासायनिक हथियार प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ग) सरकार ने सूचित किया है कि भारत रासायनिक हथियारों के अप्रसार के प्रति और रासायनिक हथियारों से संबद्ध अभिसमय जिसका वह हस्ताक्षरकर्ता है, के तहत अपनी अन्तर्राष्ट्रीय बचनद्धता का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

जन्म दर

1273. श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम" : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में औसत वार्षिक जन्म दर क्या है;

(ख) वर्ष 2000 तक जन्म दर का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि अब तक शुरू किये गये उपायों के अनुसार जन्म दर कम करने के संबंध में की गई प्रगति से लक्ष्य प्राप्त हो जायेंगे;

(घ) यदि नहीं, तो अन्य किन उपायों पर विचार किया जा रहा है;

(ड) क्या सरकार ऐसे लोगों के जिनके भूतलक्षी तिथि के पश्चात तीन बच्चे हैं, मतदान करने और अथवा चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की वांछनीयता की जांच करेगी; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री समील इकबाल शेरवानी) : (क) नवीनतम नमूना पंजीकरण प्रणाली अनुमानों के अनुसार देश में वर्ष 1994 में वार्षिक जन्म दर 28.7 (प्रति 1000 जनसंख्या) है।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (1983) के अनुसार देश में वर्ष 2000 ई. तक जन्म-दर लक्ष्य 21 (प्रति 1000 जनसंख्या) है।

(ग) योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार जनसंख्या की निवल प्रजनन दर का लक्ष्य 2011-2016 ई. तक प्राप्त किए जाने की संभावना है।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित अतिरिक्त उपाय किए गए हैं :-

(i) सोशल सेफ्टी नेट स्कीम के अन्तर्गत उच्चतर जन्मदर वाले 10 जिलों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देना;

(ii) उच्च वृद्धि दरों वाले राज्यों में बाह्य वित्तपोषित परियोजनाएं शुरू करना;

(iii) परिचर्या की गुणवत्ता और उपयोगकर्ता की संतुष्टि पर जोर देने के साथ 1996-97 से प्रभावी लक्ष्य रहित अभिगम के आधार पर परिवार कल्याण कार्यक्रम का कार्यान्वयन;

(iv) गैर-सरकारी संगठनों की सहभागिता बढ़ाना; और

(v) समेकित प्रजननात्मक शिशु स्वास्थ्य पैकेज।

(ङ) और (च). एक संविधान (79 वां संशोधन) विधेयक 1992 जो दो से अधिक शिशुओं वाले व्यक्ति को संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होने से भविष्यलक्षी प्रभाव से अयोग्य ठहराता है, को मानव संसाधन विकास विषयक संसदीय स्थायी समिति द्वारा पारित करने की सिफारिश की गई है।

यमुना नदी पर पुल

1274. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में चिल्ला घाट बांदा मार्ग पर यमुना नहीं पर पैन्टुन पुल के स्थान पर पक्का पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). संवैधानिक रूप से केन्द्र सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है और अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं। चूंकि प्रश्नगत पुल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर नहीं है इसलिए इसके निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जिम्मेदार है।

[हिन्दी

केन्द्रीय जल आयोग

1275. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग में राजभाषा अधिनियम के उल्लंघन की कितनी घटनाएं पाई गई हैं;

(ख) ऐसे उल्लंघन के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय और संबद्ध कार्यालयों में ऐसे उल्लंघन की घटनाएं अभी भी जारी हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यदि नहीं, तो पत्रिका "भागीरथ" (हिन्दी संस्करण) की तुलना में "भगीरथ, (अंग्रेजी संस्करण) को अधिक कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ हिन्दी पत्रिका को आवश्यक सुविधा प्रदान न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) राजभाषा अधिनियम के ऐसे उल्लंघन को रोकने और हिन्दी के घोर अपमान का अंत करने और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जल संसाधन मंत्रालय अथवा केन्द्रीय जल आयोग में पिछले तीन वर्षों के दौरान राजभाषा अधिनियम का कोई उल्लंघन सरकार के ध्यान में नहीं लाया है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भगीरथ के हिन्दी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों के लिए स्टाफ और अन्य सुविधाएं एक समान प्रदान की गई हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में कॉलेजों में प्रवेश

1276. डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 1996 के जनसत्ता में "शत-प्रतिशत से नीचे वालों को तो दाखिला ही नहीं मिलने वाला" शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये होंगे; और

(घ) यदि हाँ, तो बारहवीं कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता पर विचार किये बिना सभी छात्रों को नियमित प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ). केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार दिल्ली क्षेत्र से इस वर्ष 65,435 विद्यार्थियों ने कक्षा XII की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनमें से अधिकांश विद्यार्थियों ने दिल्ली के कॉलेजों में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठित संस्था होने के कारण सारे देश से विद्यार्थियों को आकर्षित करता है। फिर भी, लगभग प्रत्येक विद्यार्थी एक ही समय में एक से अधिक पाठ्यक्रमों तथा एक से अधिक कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन करता है अतः प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रवेश न ले पाने वालों की सही संख्या नहीं बताई जा सकती। तथापि, पिछले वर्षों की तरह विश्वविद्यालय सभी पात्र छात्रों को कॉलेजों, नान कालेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड, पत्राचार पाठ्यक्रम तथा संतत् शिक्षा स्कूल और बाह्य छात्र सेल में प्रवेश देने की स्थिति में है।

पड़ोसी देशों के साथ संबंध

1277. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने के लिये कोई विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है अथवा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन देशों के साथ संबंधों में सुधार करने की दृष्टि से कोई कार्ययोजना तैयार करने के लिये एक सर्वदलीय बैठक बुलाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). सरकार हमारे पड़ोसियों के साथ संबंधों को बनाये रखने तथा उन्हें और मजबूत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है एवं द्विपक्षीय संबंधों के सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। विगत कार्य-निष्पादन और भावी सम्भावना को ध्यान में रखकर प्रत्येक पड़ोसी देश के सम्बन्ध में वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है।

(ग) से (ङ). उपर्युक्त नीतिगत दृष्टिकोण को राष्ट्रीय सर्वसम्मति प्राप्त है और हमारे सभी पड़ोसियों के साथ संबंधों को बेहतर और घनिष्ठ बनाने के उद्देश्य से सरकार सभी प्रकार के जनमत से बराबर अवगत रहती है।

[अनुवाद]

देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कालेज

1278. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू शिक्षा सत्र से देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कालेज शुरू करने के लिए स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और प्रस्तावित पाठ्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय को इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए कम्प्यूटर इंजीनियरी, इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरों और यांत्रिकी इंजीनियरों में वर्ष 1996-96 के सत्र में 60 छात्रों को दाखिला क्षमता सहित चार वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए सशर्त स्वीकृति दी है।

मेडिकल कालेजों में दाखिला

1279. **श्री गुलाम रसूल कार :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में जम्मू और कश्मीर के मेडिकल कालेज-वार कितने विद्यार्थियों को दाखिला दिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : सरकार के पास जम्मू व कश्मीर के उन छात्रों की संख्या के बारे में कोई सूचना नहीं है जिन्होंने देश के भिन्न-भिन्न मेडिकल कालेजों में दाखिला लिया है। तथापि, जम्मू व कश्मीर को 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय पूल में से 29 एम बी एस सीटें आवंटित की गई थी। कालेज-वार ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

जम्मू व कश्मीर राज्य को केन्द्रीय पूल में से एम बी बी एस सीटों का आवंटन

1993-94 सत्र

क्र.सं.	कालेज का नाम	सीटों की संख्या
1	2	3
	दिल्ली	
1.	लेडी हार्डिंग मेडिकल काजेज, नई दिल्ली	3 (तीन)
2.	मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	1 (एक)
	बिहार	
3.	राजेन्द्र मेडिकल कालेज, रांची	2 (दो)
4.	नालन्दा मेडिकल कालेज, पटना	2 (दो)
	हरियाणा	
5.	मेडिकल कालेज, रोहतक	1 (एक)
	मध्य प्रदेश	
6.	मेडिकल कालेज, भोपाल	3 (तीन)
7.	मेडिकल कालेज, जबलपुर	2 (दो)
	महाराष्ट्र	
8.	राजकीय मेडिकल कालेज, औरंगाबाद	1 (एक)
9.	एस.आर.टी.आर. मेडिकल कालेज, अम्बाजोगई	1 (एक)
10.	डा. वी.एम. मेडिकल कालेज, सोलापुर	1 (एक)
11.	महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईंसिज, वर्धा	2 (दो)
	केरल	
12.	मेडिकल कालेज, त्रिचुर	2 (दो)
	राजस्थान	
13.	मेडिकल कालेज, अजमेर	1 (एक)
14.	मेडिकल कालेज, जयपुर	2 (दो)
	हिमाचल प्रदेश	
15.	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला	2 (दो)
	पश्चिम बंगाल	
16.	सी.एन. मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1 (एक)

1	2	3		
	पांडिचेरी			
17.	जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पांडिचेरी	:	1	(एक)
	कुल :	:	28	(अट्ठाईस)
	1995–95 सत्र			
	दिल्ली			
1.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	:	1	(एक)
	कुल	:	1	(एक)

श्रीलंका के राष्ट्रपति से अपने प्रभाव का उपयोग करने का अनुरोध

1280. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से भारत और पाकिस्तान की बातचीत शुरू कराने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है जैसा कि 8 जून, 1996 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इंद्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। 20 जून, 1996 को दिल्ली में विदेश मंत्री से विचार-विमर्श करते समय श्रीलंका के विदेश मंत्री ने उल्लेख किया कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री श्रीलंका की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने श्रीलंका से भारत को यह संदेश देने के लिए कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ फिर से बातचीत करना चाहता है। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश का मध्यस्थता करने का कोई इरादा नहीं है अपितु केवल संदेश देने की सहमति व्यक्त की थी क्योंकि श्रीलंका के भारत तथा पाकिस्तान दोनों से ही अच्छे संबंध हैं।

(ख) श्रीलंका के विदेश मंत्री को सूचित कर दिया गया था कि भारत-पाक संबंधों में भारत द्विपक्षीय मार्ग ही अपनाएगा और जैसाकि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भेजे गए संदेश में कहा गया था, आपसी हित के सभी मसलों पर व्यापक और विस्तृत बातचीत के हमारे प्रस्ताव पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है

[हिन्दी]

रांची विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलना

1281. श्री ललित उराव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची विश्वविद्यालय (बिहार) को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुहीराम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1992 में किये गये सशोधनों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया है कि संस्थानों में सर्वांगीण सुधार करने की आवश्यकता को देखते हुए निकट भविष्य में विद्यमान संस्थानों में सुविधाओं के समेकन व विस्तार पर बल देने का प्रस्ताव है।

पाकिस्तान का रक्षा परिव्यय

1282. जस्टिस गुमान मल लोढा :
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान का रक्षा परिव्यय और परमाणु कार्यक्रम दक्षिण एशिया क्षेत्र में सैन्य शक्ति का असंतुलन पैदा कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मामला इस क्षेत्र के अन्य पड़ोसी देशों के साथ उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). पाकिस्तान के अत्यधिक रक्षा खर्च, परिष्कृत हथियारों की अधिप्राप्ति और हथियारनोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रम इस क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए अनुकूल नहीं हैं। पाकिस्तान द्वारा परिष्कृत हथियारों की अधिप्राप्ति और उसके प्रच्छन्न हथियारोन्मुख नाभिकीय कार्यक्रमों पर सरकार ने अन्य देशों के साथ अपने राजनयिक कार्यकलापों के दौरान अपनी चिन्ता प्रकट की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डे पर विमानों से पक्षियों के टकराने की आशंका

1283. श्री के.पी. सिंहदेव :
श्री धीरेन्द्र अग्रवाल :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ते हुए विमानों से पक्षियों के टकराने की संभावनाओं के कारण नए स्थानों पर हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए भारतीय वायु सेना के अनेक हवाई अड्डों से हवाई अड्डे की संरचना और संचार नेटवर्क को हटाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय वायु सेना के हवाई अड्डे पर पक्षियों के टकराने की आशंका से निपटने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस मामले में विदेशी एजेंसियों की सहायता से संबंधित प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने का प्रयास किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लड़ाकू विमानों से पक्षियों के टकराने के कारण वायु सेना को पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी हानि हुई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (घ). यद्यपि कुछ हवाई क्षेत्र ऐसे हैं जहां उड़ान भरने वाले वायुयानों से पक्षियों के टकराने की सम्भावनाएं अधिक रहती हैं फिर भी इन हवाई क्षेत्रों से किसी भी संरचना अथवा संचार तंत्र को स्थानांतरित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कृषि तथा शहरी एवं रोजगार मंत्रालयों और संबंधित राज्य सरकारों ने पशुवध गृहों/पशु अवशेष उपयोगिता केन्द्रों को आधुनिक बनाने तथा पक्षियों के टकराने की आशंका वाले हवाई क्षेत्रों के आस-पास पक्षियों की गतिविधियों को कम करने के लिए सफाई रखने के उपाय किए हैं। पक्षियों को भगाने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा विदेश से एल पी जी से संचालित होने वाले अकॉस्टिक उपकरण, बर्ड गार्ड बायो-अकॉस्टिक उपस्कर और माइक्रोलाइट वायुयान अर्जित किए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) पिछले दो वर्षों में भारतीय वायुसेना के 57 एयरोइंजन बेकार हो गए और 2 मिग-27 और 2 मिग-21 वायुयानों की हानि हुई।

[अनुवाद]

पत्तन की अतिरिक्त भूमि

1284. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश में पत्तन की अतिरिक्त भूमि को पट्टे पर दिए जाने के संबंध में बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन नियमों के अंतर्गत गुजरात के किसी पत्तन की अतिरिक्त भूमि को पट्टे पर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) पत्तन में भूमि को अतिरिक्त घोषित नहीं किया गया है। तथापि, पत्तन से संबंधित कार्य-कलापों के लिए, प्रतिस्पर्द्धात्मक बोलियों के जरिए भूमि को पट्टे पर दिया जाता है।

(ख) और (ग). जी नहीं।

विदेश स्थित भारतीय मिशन परिसर

1285. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री अनन्त कुमार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न देशों में भारत सरकार के स्वामित्व वाले परिसरों में स्थित तथा किराये पर लिये गए परिसरों में स्थित भारतीय मिशनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक मामले में किराये के रूप में वर्ष-वार दी गई धनराशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने किराये के परिसरों में दूतावासों/मिशनों को रखने के लिए परिसर स्थल खरीदने के विकल्प के तुलनात्मक लाभ की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) इस समय विभिन्न देशों में स्थित 57 (सत्तावन) भारतीय मिशन सरकार के स्वामित्व वाले भवनों में स्थित हैं और 59 (उनसठ) मिशन किराये के भवनों में स्थित हैं। समन्वित ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा किये गये किराये की रकम इस प्रकार है :

1993-94	-	8.32 करोड़ रु.
1994-95	-	11.02 करोड़ रु.
1995-96	-	11.32 करोड़ रु.

(ग) जी हां।

(घ) समूचे विश्व में बढ़ रहे किराये को देखते हुए सरकार की यह नीति है कि जहां कहीं किफायती हो वहां स्थित अपने मिशनों के लिए भवन संपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया जाये। ऐसा या तो निर्मित भवन खरीदकर अथवा भूखंडों का अधिग्रहण करके उन पर भवनों का निर्माण करके किया जाता है।

निर्मित सम्पत्तियों की खरीद के संबंध में मिशनों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिये गये हैं जिनके आधार पर वे सीधी खरीद के लिए सम्पत्तियों का सुझाव देते हैं। प्रत्येक मामले में बुनियादी अपेक्षाएं इस प्रकार हैं:

(1) स्थान और अवस्थिति की उपयुक्तता,

(2) बाजार मूल्य और किराये की दर की तुलना में आर्थिक लागत कुशलता,

(3) प्रस्तावित भवन सम्पत्ति के ढांचे की मजबूती और उसका शेष जीवन,

(4) निर्विवाद हकनामा।

यदि ये अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं तो मंत्रालय से सम्पत्ति के निरीक्षण हेतु और भूस्वामी के साथ सौदा तय करने हेतु मंत्रालय से सम्पत्ति दल इन स्थानों पर भेजे जाते हैं।

इस प्रकार निर्माण प्रस्तावों के संबंध में भी प्रत्येक मामले में निर्माण करने का निर्णय निम्नलिखित बातों पर विचार करने के बाद लिया जाता है: किराये की स्थानीय दरों, खरीद के लिए उपलब्ध भवन सम्पतियों, जिन भूखंडों पर निर्माण का प्रस्ताव है उनकी अवस्थिति की उपयुक्तता, स्थानीय निर्माण मापदंड तथा किराये तथा खरीद की तुलना में निर्माण का किफायती होना। प्रत्येक मामले में निर्माण प्रस्तावों को जगह के संबंध में मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों, कर्मचारियों की संख्या, स्थान के संबंध में निर्धारित तथा अतिरिक्त अपेक्षाओं और मिशन की वर्तमान तथा भावी जरूरतों को ध्यान में रखकर अंतिम रूप दिया जाता है।

(ङ) जी हां।

(च) विदेश स्थिति भारतीय मिशनों तथा केन्द्रों के लिए भवन सम्पत्तियों के अधिग्रहण/निर्माण की एक व्यापक योजना तैयार की गयी है जिसे दस वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा बशर्ते धन उपलब्ध रहे। वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह इस प्रयोजन के लिए इस मंत्रालय के पूंजीगत परिव्यय बजट में अतिरिक्त धन उपलब्ध कराये। सरकार की यह सुसंगत तथा सामान्य नीति है कि किरायों पर होने वाले खर्च को कम से कम करने के उद्देश्य से जहां तक संभव हो, अपनी सम्पत्ति प्राप्त हो जाए/निर्मित की जाए।

विवरण-I

दिनांक 15.7.1996 की सूचना के अनुसार उन भारतीय मिशनों की सूची जो सरकार के स्वामित्व वाले भवनों में स्थित हैं।

क्र.सं.	मिशन
1	2
1.	भारतीय उच्चायुक्त, अकरा
2.	भारतीय राजदूतावास, अमन
3.	भारतीय राजदूतावास, अंकारा
4.	भारतीय राजदूतावास, एन्टानारिवो
5.	भारतीय राजदूतावास, एथेंस
6.	भारतीय राजदूतावास, बैंकाक
7.	भारतीय राजदूतावास, बीजिंग
8.	भारतीय राजदूतावास, बॉन
9.	भारतीय राजदूतावास, बुसेल्स
10.	भारतीय राजदूतावास, बुडापेस्ट
11.	भारतीय राजदूतावास, ब्यूनस आयर्स
12.	भारतीय राजदूतावास, कैरो
13.	भारतीय उच्चायुक्त, कैन्बरा
14.	भारतीय राजदूतावास, काराकास
15.	भारतीय उच्चायुक्त, कोलम्बो
16.	भारतीय राजदूतावास, कोपेनहेगन
17.	भारतीय राजदूतावास, दमिश्क
18.	भारतीय उच्चायुक्त, हरारे
19.	भारतीय राजदूतावास, हेलसिंकी
20.	भारत का आयुक्त, हांगकांग
21.	भारत का उच्चायुक्त, इस्लामाबाद
22.	भारत का राजदूतावास, जकार्ता
23.	भारत का उच्चायुक्त, कम्पाला
24.	भारत का राजदूतावास, काठमांडू
25.	भारत का राजदूतावास, खार्तूम
26.	भारत का राजदूतावास, कोव
27.	भारत का उच्चायुक्त, किंसाशा
28.	भारत का उच्चायुक्त, क्वालालम्पुर
29.	भारत का राजदूतावास, कुवैत
30.	भारत का उच्चायुक्त, लागोस
31.	भारत का राजदूतावास, लीमा
32.	भारत का राजदूतावास, लिस्बन
33.	भारत का उच्चायुक्त, लन्दन
34.	भारत का उच्चायुक्त, लुसाका
35.	भारत का राजदूतावास, मेड्रिड
36.	भारत का उच्चायुक्त, माहे
37.	भारत का राजदूतावास, मनिला
38.	भारत का राजदूतावास, मैक्सिको सिटी
39.	भारत का राजदूतावास, मास्को

1	2
40.	भारत का उच्चायुक्त, निकोसिया
41.	भारत का राजदूतावास, ओस्लो
42.	भारत का उच्चायुक्त, ओटावा
43.	भारत का राजदूतावास, पेरिस
44.	भारत का उच्चायुक्त, पोर्ट ऑफ स्पेन
45.	भारत का उच्चायुक्त, प्रिटोरिया
46.	भारत का राजदूतावास, रबात
47.	भारत का राजदूतावास, सेंटियागो
48.	भारत का राजदूतावास, सिओल
49.	भारत का उच्चायुक्त, सिंगापुर
50.	भारत का राजदूतावास, तेहरान
51.	भारत का राजदूतावास, द हेग
52.	भारत का राजदूतावास, थिम्पू
53.	भारत का राजदूतावास, टोक्यो
54.	भारत का राजदूतावास, ट्यूनिस
55.	भारत का राजदूतावास, वियना
56.	भारत का राजदूतावास, वाशिंगटन
57.	भारत का उच्चायुक्त, विन्धोक

विवरण–II

उन मिशनों की सूची जो किराए के भवनों में स्थित हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान अदा किए गए किराए की राशि

क्र. स.	मिशन का नाम	को अदा किया गया किराया (हजार रुपए)		
		1993–94	1994–95	1995–96
1	2	3	4	5
1.	भारत का राजदूतावास, अल्जीयर्स	155	24	*
2.	भारत का राजदूतावास, अदीस अबाबा	319	312	336
3.	भारत का राजदूतावास, आबिदजान	777	480	628
4.	भारत का राजदूतावास, अल्माटी	789	1577	1840
5.	भारत का राजदूतावास, अश्गाबाद	8	62	175
6.	भारत का राजदूतावास, आबु धाबी	–	4310	4741
7.	भारत का राजदूतावास, बगदाद	1	1	1
8.	भारत का राजदूतावास, बेरूत	784	998	1175
9.	भारत का राजदूतावास, बेलग्रेड	6641	6641	7022
10.	भारत का राजदूतावास, बर्न	3382	3607	4615
11.	भारत का राजदूतावास, बिस्केक	–	379	634
12.	भारत का राजदूतावास, बगोटा	–	1550	1532
13.	भारत का राजदूतावास, ब्राजीलिया	379	2282	1587
14.	भारत का राजदूतावास, ब्रातीसलिया	–	–	4554
15.	भारत का राजदूतावास, बुखारेस्ट	1332	1365	1551
16.	भारत का राजदूतावास, बहरीन	2207	2550	2640
17.	भारत का राजदूतावास, डकार	259	259	262
18.	भारत का उच्चायोग, दार-ए-सलाम	1379	1499	1598
19.	भारत का उच्चायोग, ढाका	2450	2510	3260
20.	भारत का राजदूतावास, दोहा	2038	1878	1983
21.	भारत का राजदूतावास, दुशानबे	–	1354	2167
22.	भारत का उच्चायोग, गैबरोन	7361	6433	2655
23.	भारत का राजदूतावास, जोर्जटाउन	344	344	361

1	2	3	4	5
24.	भारत का राजदूतावास, हनोई	1212	1212	1344
25.	भारत का राजदूतावास, हवाना	794	762	807
26.	भारत का राजदूतावास, काबुल	–	411	*
27.	भारत का राजदूतावास, कम्पाला	2051	1286	2317
28.	भारत का राजदूतावास, कीव	2065	5329	7057
29.	भारत का उच्चायोग, किंगस्टन	1136	1136	1191
30.	भारत का राजदूतावास, लुआन्डा	109	*	*
31.	भारत का उच्चायोग, माले	770	4619	**
32.	भारत का राजदूतावास, माबुतो	999	1000	1057
33.	भारत का राजदूतावास, मिंस्क	1678	1431	1500
34.	भारत का उच्चायोग, माल्टा	415	421	620
35.	भारत का राजदूतावास, मस्कट	2850	2850	2840
36.	भारत का उच्चायोग, नैरोबी	479	1061	603
37.	भारत का राजदूतावास, ओगाडुगु	–	–	***
38.	भारत का राजदूतावास, पनामा	917	946	1201
39.	भारत का राजदूतावास, पारामारियो	315	316	336
40.	भारत का राजदूतावास, नोम पेन्ह	568	568	308
41.	भारत का उच्चायोग, पोर्ट लुई	1347	7021	7389
42.	भारत का उच्चायोग, पोर्ट मोसबी	–	–	–
43.	भारत का राजदूतावास, प्राग	4217	7572	7628
44.	भारत का राजदूतावास, प्योंगयांग	438	438	488
45.	भारत का राजदूतावास, रियाद	3619	3390	1835
46.	भारत का राजदूतावास, रोम	5905	6086	6912
47.	भारत का राजदूतावास, साना	1119	656	785
48.	भारत का राजदूतावास, सोफिया	991	791	673
49.	भारत का राजदूतावास, स्टाकहोम	3425	3626	4310
50.	भारत का राजदूतावास, ताशकंद	1717	4141	3566
51.	भारत का राजदूतावास, तेल अबीब	3362	3805	3999
52.	भारत का राजदूतावास, त्रिपोली	2634	1262	*
53.	भारत का राजदूतावास, उलान-बतर	1420	1414	1919
54.	भारत का राजदूतावास, विएनतियानें	780	354	378
55.	भारत का उच्चायोग, विलिंगटन	1871	1734	1881
56.	भारत का राजदूतावास, वारसा	2044	2485	2878
57.	भारत का राजदूतावास, पांगोन	153	304	432
58.	भारत का राजदूतावास, जगरेब	–	–	–
59.	भारत का उच्चायोग, ब्रुनी	1108	1271	1726
	कुल	83112	110113	113197
	करोड़ रुपए में पूर्णांकित	8.32	11.02	11.32

* बातचीत हो रही है/भुगतान किया जाना है। ** 1994-95 में भुगतान किया गया अग्रिम। *** कोई किराया नहीं किया गया।

श्वसन संबंधी रोग

1286. श्री के.सी. कोंडय्या : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कामगारों में श्वसन संबंधी रोग अपंगता एवं मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस रोग को रोकने के लिए क्या उपचारी उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) सामान्य तौर पर भारतीय कामगारों में श्वसनी रोगों के कारण होने वाली विकलांगता और मौतों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई वैज्ञानिक रिपोर्ट अथवा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि सिलिका, कोयला, एस्बेस्टों और सूत को जैसी भिन्न-भिन्न किस्म धूल छोड़ने वाले कुछ उद्योगों में कामगारों के बीच श्वसनी रोग अधिक पाए जाते हैं।

(ख) और (ग). कारखाना अधिनियम के अधीन यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध है कि कामगारों को व्यावसायिक खतरे न हों। इस अधिनियम को प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना भी कारखाना कामगारों को चिकित्सीय उपचार प्रदान करती है।

इंसीनरेटर (कूड़ा जलाने वाला उपकरण) का निर्माण और स्थापित किया जाना

1287. श्री आर.एल.पी. वर्मा क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को राजधानी में सभी अस्पतालों और 50 और उससे अधिक बिस्तरों से सज्जित और उनमें प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन नर्सिंग होम्स को इंसीनरेटर (कूड़ा जलाने वाला उपकरण) का निर्माण करने और स्थापित करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 1.3.1996 के अपने फैसले में केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, व नई दिल्ली नगर पालिका को निर्देश दिया है कि वे राजधानी में अपने-अपने प्रशासकीय नियन्त्रणाधीन 50 और उससे अधिक पलंगों वाले सभी अस्पतालों और उपचर्या गृहों में 9 महीने के भीतर इनसिनरेटर के लिए निर्माण कार्य करें और उसे संस्थापित करें। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए एक इन्सिनरेटर संस्थापित करने हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं। सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में पहले स्थापित किए गए इन्सिनरेटरों को पूरक बनाने हेतु अतिरिक्त इन्सिनरेटर प्रदान करने हेतु भी कार्रवाई शुरू की गई है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका भी माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु कार्रवाई कर रहे हैं।

नीतिगत योजना

1288. श्री विनय कटियार :
श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 मई, 1996 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंडिया नैगिंग इन स्ट्रेटेजिक प्लैनिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) भारत की एक व्यापक सामरिक और सुरक्षा नीति है जो अन्य बातों के साथ-साथ हमारे संभावित खतरों और विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा-वातावरण पर आधारित है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में इस नीति की सतत समीक्षा की जाती है ताकि सरकार राष्ट्र की सुरक्षा को होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सके।

[हिन्दी]

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई परियोजना

1289. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र में माही केनल (सगवाड़ा-डूंगरपुर) बागीडोरा अनंदपुरी सिंचाई परियोजना को पूरा करने के लिए धनराशि का प्रावधान करेगी; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना के लिए 1996-97 के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) माही बजाज सागर परियोजना चरण-II यूनिट-II से सगवाड़ा, डूंगरपुर, बागीडोटा व आनंदपुरी क्षेत्रों में सिंचाई को परिकल्पित किया गया। योजना आयोग के कार्यकारी दल ने इस परियोजना हेतु 1995-96 के लिए 33.06 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफारिश की है बशर्ते राज्य सरकार

सलाहकार समिति से अनुमति ले लें। परियोजना में राजस्थान, मध्य प्रदेश व गुजरात के बीच जलमग्नता व जल बांटने के अन्तर राज्यीय मामले शामिल हैं। अन्तर्राज्यीय मामलों को सुलझाने के पश्चात् राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय जल आयोग में प्रस्तुत करनी है।

(ख) राजस्थान की 1996-97 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

मध्य प्रदेश में पुल का निर्माण

1290. श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 पर घोंडा के निकट असन नदी पर एक पुल के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक पूरे हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). रा.रा.-3 पर 85/10 कि.मी. पर असन नदी पर एक पुल के पुनर्निर्माण के लिए तकनीकी प्रस्ताव, भूमि-अधिग्रहण अनुमान और नए पुल के लिए संरेखण कार्य को सरकार ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है। हिजाइन और अनुपान, अभी सरकार द्वारा तैयार करके पेश किए जाने हैं। अतः इस परियोजना के पूरा होने के बारे में कोई निश्चित समय बता पाना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

नदी घाटी परियोजनाओं को स्वीकृति

1291. श्री टी. गोपाल कृष्ण : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इचमपल्ली, पोलावरम (रमापाड़ा सागर परियोजना) जैसी अनेक नदी घाटी परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दिए जाने के लिए प्रतीक्षारत हैं; और

(ख) यदि हां, तो लम्बे समय से लम्बित पड़ी इन परियोजनाओं को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केंद्र में स्वीकृति के लिए 69 वृहद और 58 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लंबित हैं। आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना तथा इन्चमपल्ली परियोजना इन लंबित परियोजनाओं में नहीं है। पोलावरम परियोजना के संबंध में, राज्य सरकार को केंद्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को अनुपालना करने के बाद संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इन्चमपल्ली परियोजना प्रस्ताव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वृहद वन क्षेत्र को जलमग्नता के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि वही लाभ प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक स्थल का पता लगाएं जिनमें कम वन क्षेत्र जलमग्न होता हो। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की मुख्य इंजीनियरों की संयुक्त टास्क फोर्स के दिशा निर्देश के तहत परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जानी है। राज्यों के बीच मतभेद होने के कारण संयुक्त टास्क फोर्स का गठन नहीं किया जा सका।

ख. हालांकि, परियोजना के मूल्यांकन के लिए समय निर्धारित है, स्वीकृति में विलंब होने के कारण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केंद्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना में देरी होना है।

गुजरात की सिंचाई परियोजनाएं

1292. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य के मद्देनजर गुजरात में कार्यान्वयनाधीन मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और 1995-96 के दौरान वास्तविक रूप से परियोजना-वार कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) कितनी धनराशि का अस्थाई आवंटन किया गया और चल रही योजनाओं के लिए 1996-97 में परियोजना-वार क्या-क्या लक्ष्य तय किया गया है तथा नई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि के आवंटन का विचार है;

(घ) किस-किस परियोजना को अब तक स्वीकृति नहीं मिली है इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति मिल जाने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). गुजरात को चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। राज्य सरकार को निधियां, एकमुश्त अनुदानों तथा ऋण के रूप में दी जाती है तथा ये विकास के किसी क्षेत्र अथवा परियोजना से संबंधित नहीं होती है।

(ग) गुजरात को चालू योजनाओं के लिए वर्ष 1996-97 के योजना आवंटन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) गुजरात को स्वीकृति के लिए लम्बित नई वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति दर्शाते हुए विवरण-II संलग्न है।

(ङ) यद्यपि, परियोजना के मूल्यांकन के लिए समय सीमा निर्धारित है, तथापि स्वीकृति में विलम्ब का कारण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों को अनुपालना करने में देरी है।

विवरण-I

गुजरात की चालू वृहद, मध्यम एवं ई.आर.एम. परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत	मार्च, 95 तक किया गया व्यय (करोड़ों में)	1995-96 के दौरान कार्यकारी दल द्वारा संस्तुत परिव्यय	अंतिम सिंचाई क्षमता	3/95 तक सृजित क्षमता (हजार हेक्टयर)	1995-96 के लिए क्षमता का लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8
	वृहद परियोजनाएं						
1.	साबरमती	124.51	113.43	4.00	61.09	55.44	5.84
2.	पानम	95.34	173.52	6.00	49.37	49.16	-
3.	करजन	264.10	233.29	15.00	77.36	46.10	0.39
4.	दमनगंगा	231.32	173.52	14.72	51.56	45.33	6.23
5.	सुखी	113.40	104.53	3.50	25.20	24.18	0.08
6.	सरदार सरोवर	13180.62	4515.34	1500.00	1792.00	-	-
7.	सिपू	97.75	85.86	4.75	22.00	20.00	2.00
8.	वत्रक	63.03	64.10	3.00	18.34	18.34	-
9.	झंगखारी	78.70	3.70	-	24.00	-	-
	मध्यम परियोजनाएं						
1.	हिरन (एस) - II	12.20	8.92	-	6.40	6.40	-
2.	सुख बहादुर	22.05	23.50	1.20	5.41	5.41	-
3.	मचुंदरी	21.05	21.75	0.75	8.08	8.08	-
4.	कालूभार	21.62	21.83	0.77	4.70	4.70	-
5.	मच्छनला	17.92	17.29	0.10	4.33	4.30	-
6.	वेर-II (अनली)	26.50	24.84	1.00	5.47	5.47	-
7.	दियो	56.98	52.84	0.10	10.16	10.16	-
8.	वेनू-II	23.78	23.31	1.00	5.25	6.00	-
9.	उण्ड (जोवापुर)	38.45	39.05	0.77	9.59	9.59	-
10.	भादर (पंचमहल)	47.93	47.69	0.10	8.00	8.70	-
11.	मझेम	32.60	31.62	0.05	4.72	5.73	-
12.	हाटक	26.17	25.34	0.50	5.24	6.08	0.28
13.	घई	71.53	56.50	4.20	7.51	9.72	-
14.	केलिया	25.00	23.03	2.65	3.46	3.46	-
15.	हरनभ	8.72	8.24	0.05	3.44	2.84	0.10
16.	सनी	11.47	11.20	0.75	2.76	2.76	-
17.	अनीपुर	9.62	9.80	0.50	6.77	4.30	1.80
18.	औनाड़िया	7.56	6.96	0.05	2.37	2.39	0.43
19.	अजी-II	13.61	13.86	-	2.38	2.25	-

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	अजी-III	28.54	28.81	0.60	6.84	6.77	1.00
21.	झुज	42.00	38.78	2.25	5.89	3.22	0.89
22.	अबेन	13.20	13.45	-	2.46	2.46	-
23.	मुक्तेश्वर	22.80	20.45	3.75	6.19	2.00	1.00
24.	डैनी-II	11.24	11.33	0.05	2.42	2.42	-
25.	यू.एन-II (गुनातित सरोवर)	38.94	25.03	4.00	4.25	-	-
	ई.आर.एस						
1.	मच्छू-II (बांध सुदृढ़ीकरण)	1.70	1.60	-	-	-	-
2.	मच्छू-II (पुनर्निर्माण)	39.30	40.01	0.90	9.99	9.90	1.02
3.	खडोकूट नहर का आधुनिकीकरण	8.15	8.24	0.50	2.07	2.01	-
4.	फतेहवाडी नहर का आधुनिकीकरण	40.46	38.33	0.00	4.47	4.33	-
5.	दंतीवाडा आधुनिकीकरण	45.70	47.64	3.00	12.13	12.13	-
6.	भादर नहर का आधुनिकीकरण	24.05	24.32	2.50	1.71	1.71	-
7.	सतरंक्षी नहर का आधुनिकीकरण	26.21	35.68	6.00	3.78	3.63	-
8.	मच्छू -I नहर का आधुनिकीकरण	11.12	11.29	2.00	1.07	1.00	-
9.	लवणता प्रवेश को रोकना (सौराष्ट्र तटीय विकास)	172.12	126.56	18.00	18.27	14.10	2.00
10.	उकई ककरापुर आधुनिकीकरण	75.23	63.08	3.50	3.09	3.09	-
11.	मिट्टी का पुनरुद्धार	.53	4.02	2.45	-	-	-
12.	कालिन्द्री	3.41	1.31	0.20	2.56	2.56	-

विवरण-II

गुजरात की नई वृहद, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की मूल्यांकन स्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	अंततः सिंचाई क्षमता (हेक्टे.)	केंद्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तिथि	तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
क.	तकनीकी-आर्थिक परीक्षण पूरा किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा कुछ टिप्पणियों के अनुपालन शर्तों पर सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया				
	वृहद				
1.	मच्छू-I सिंचाई का आधुनिकीकरण	11.12	2,140	2/91	राज्य वित्त विभाग की सहमति तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों पर अगस्त, 93 में सलाकार समिति द्वारा 8.12 करोड़ रुपए के लिए स्वीकार्य पाया गया। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति और राज्य वित्त विभाग से सहमति लिया जाना अपेक्षित है।

1	2	3	4	5	6
	मध्यम				
	शून्य				
(ख)	सलाकार समिति द्वारा विचार-विमर्श स्थगित				
	वृहद				
	शून्य				
	मध्यम				
1.	वलान सिंचाई परियोजना	22.16	7,390	5/90	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संबंधी, कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना योजनाओं संबंधी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए तथा फसल पैटर्न की पुनरीक्षण/आदि के संबंध में स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सलाहकार समिति द्वारा विचार स्थगित।
ग.	राज्य सरकार के पास विचाराधीन परियोजनाएं				
	वृहद				
	शून्य				
	मध्यम				
1.	उंद-II सिंचाई परियोजना	38.94	4,250	12/91	जल विज्ञान, के सिंचाई योजना तथा अनुमानित लागत आदि पहलुओं पर राज्य सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।
2.	गोमा सिंचाई परियोजना	31.10	7,000	5/94	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है।
3.	ओजाट-II	59.73	7,970	10/93	राज्य सरकार द्वाराविभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को हल किए जाने की आवश्यकता है।
4.	मित्ती सिंचाई का पुनरुद्धार	14.51	2,030	6/93	-वही-
5.	महूपादा जल जलाशय	25.74	2,340	9/93	-वही-
6.	वर्थू-II	30.38	6,150	12/91	केंद्रीय जल आयोग द्वारा संशोधित रिपोर्ट की जांच की गई तथा टिप्पणियां भेज दी गई हैं।
7.	नानीबरसान जल जलाशय परियोजना	32.40	3,760	11/94	राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग के साथ विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों को हल किए जाने की आवश्यकता है।
8.	बकरोल	23.86	4,290	1/95	-वही-

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटन

1293. श्री सोहनवीर सिंह : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि में कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में विश्व बैंक से इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि की मांग की गई तथा प्रत्येक राज्य को इसमें से कितनी धनराशि आवंटित की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी नहीं। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में वृहद और मध्यम

सिंचाई परियोजनों के लिए कुल परिव्यय 22,414.53 करोड़ रुपए है। इसमें से गत तीन वर्षों के दौरान दिया गया परिव्यय नीचे दिया गया है जो बढ़ोतरी का रुख दिखा रहा है :-

(करोड़ रुपए)

वर्ष	अनुमोदित परिव्यय
1993-94	3,840.90
1994-95	4,284.96
1995-96	5,045.98

(ग) 1994-96 के दौरान केवल तीन वृहद सिंचाई परियोजनाओं को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

परियोजना का नाम	राज्य	बाह्य सहायता की राशि
हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	294.289 मिलियन अमेरीकी डालर (लगभग 1030 करोड़ रुपए)
तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	तमिलनाडु	282.9 मिलियन अमेरीकी डालर (लगभग 990 करोड़ रुपए)
उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	उड़ीसा	290.9 मिलियन अमेरीकी डालर (लगभग 1018 करोड़ रुपए)

स्वीकृत सिंचाई योजनाएं

1294. श्री के.डी. सुल्तानपुरी : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्य-वार और योजना-वार कार्यान्वयन हेतु कितनी सिंचाई योजनाएं स्वीकृत की गई और कितनी धनराशि प्रदान की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : 158 वृहद, 226 मध्यम और 95 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाएं आठवीं योजना में आगे लाई गई। इसके अलावा आठवीं योजना में 14 वृहद, 50 मध्यम और 24 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण की नई सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया गया। गत तीन वर्षों अर्थात् 1993-96 के लिए राज्यवार और वर्षवार व्यय/परिव्यय संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1996-97 की राज्य वार्षिक योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

लघु सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा केन्द्र में नहीं रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1993-96 के दौरान चालू वृहद, मध्यम और विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजना पर व्यय/परिव्यय का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1993-94 के दौरान व्यय	1994-95 के दौरान व्यय (प्रत्याशित)	वर्ष 1995-96 के दौरान कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत परिव्यय
1.	आंध्र प्रदेश	1511.48	301.64	651.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
3.	असम	19.80	21.65	21.75
4.	बिहार	93.96	119.78	267.00
5.	गोवा	15.16	24.75	30.48
6.	गुजरात	435.38	455.99	605.67
7.	हरियाणा	22.30	44.35	26.81
8.	हिमाचल प्रदेश	2.46	2.60	2.63
9.	जम्मू और कश्मीर	23.00	38.26	44.12
10.	कर्नाटक	551.44	783.93	741.85
11.	केरल	94.85	86.00	94.50
12.	मध्य प्रदेश	268.32	202.63	295.80
13.	महाराष्ट्र	518.92	690.99	537.29
14.	मणिपुर	24.99	25.68	160.70
15.	मेघालय	0.00	-	-
16.	मिजोरम	0.00	-	-
17.	नागालैंड	0.00	-	-
18.	उड़ीसा	135.66	140.52	135.62
19.	पंजाब	30.02	37.04	46.15
20.	राजस्थान	226.99	293.36	337.03
21.	सिक्किम	0.00	-	-
22.	तमिलनाडु	30.84	20.73	10.11
23.	त्रिपुरा	5.51	3.88	5.63
24.	उत्तर प्रदेश	294.53	283.51	349.56
25.	पश्चिम बंगाल	80.06	83.92	97.50
	संघ शासित राज्य	-	-	-
	कुल	4384.87	3661.21	4461.35

[अनुवाद]

सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई

1295. श्री हरिन पाठक : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांध और राज्य के हित में सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई 110 मीटर रखने की आवश्यकता महसूस की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बात को किस हद तक स्वीकार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). सिंचाई व विद्युत दोनों के अंतरिम लाभ प्राप्त करने के लिए 1996-97 के दौरान सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई ई.एल. 110 मीटर तक बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई। तदनुसार, सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति ने 26.06.1996 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि 1996-97 की कार्य अवधि के दौरान बांध के ब्लाकों की ऊंचाई को ई.एल. 110 मीटर तक उठाने का कार्यक्रम रखा जाए। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने इन आधारों पर अपनी असहमति व्यक्त की कि बांध की अंतिम ऊंचाई पर निर्णय लिए बिना बांध की ऊंचाई को ई.एल. 80.3 मीटर के वर्तमान स्तर से और उठाना मध्य प्रदेश के पक्ष के साथ समझौता होगा और यह कि स्पिलवे ई.एस. 110 मीटर के अनुरूप मध्य प्रदेश के परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए गुजरात में पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। बांध की ऊंचाई के मामले पर 15.07.1996 और 17.07.1996 को हुई बैठकों में विचार-विमर्श कर लिया गया है और राज्य सरकारें आवश्यक पुनर्वास व पुनर्स्थापन के कार्यान्वयन के लिए सहमत हो गई हैं।

युद्धक टैंक और हल्के लड़ाकू विमानों का विनिर्माण

1296. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विनिर्मित किया जा रहा मुख्य युद्धक टैंक (अर्जुन) सेना में शामिल किए जाने के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). गहन प्रयोक्ता परीक्षणों और कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर सेना ने देश में डिजाइन और विकास किए गए मुख्य युद्धक टैंक "अर्जुन" के उत्पादन की स्वीकृति दे दी है। मुख्य युद्धक टैंक के उत्पादन के बाद उसे नवीं योजना-अवधि में सेना में शामिल कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय

1297. डा. बलिराम :

श्री डी.पी. यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये विद्यालय कब तक खोलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में नवोदय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव नवोदय विद्यालय समिति को प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित 15 जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के संबंध में निर्धारित शर्तें पूर्णतः संतोषजनक नहीं रही हैं। ये जिले इस प्रकार हैं:

1. मुरादाबाद
2. सहारनपुर
3. पीलीभीत
4. खीरी
5. पौड़ी गढ़वाल
6. जालौन
7. देहरादून
8. शाहजहांपुर
9. बांदा
10. महाराजगंज
11. लखनऊ
12. कानपुर देहात
13. पिथौरागढ़
14. प्रतापगढ़
15. सोनभद्र।

रामपुर जिले के प्रस्ताव को निरीक्षण हेतु स्थल-निरीक्षण दल को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

मेलिगनेन्ट मलेरिया

1298. श्री रामचन्द्र डोम : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मेलिगनेन्ट मलेरिया" का प्रकोप पूरे देश में बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस "मेलिगनेन्ट मलेरिया" के फैलने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कथित रोग से कितनी मौतें हुई हैं; और

(घ) इस रोग से निपटने के लिए सरकार का क्या तत्कालिक उपाय करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) मेलिगनेन्ट मलेरिया (पी. फाल्सीपेरम मलेरिया) ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान मामूली वृद्धि दर्शायी है।

(ख) मेलिगनेन्ट मलेरिया के फैलने के मुख्य कारण :-

- लम्बे समय तक वर्षा, पानी का जमा होना और परिस्थिति विज्ञानी परिवर्तन जैसी प्राकृतिक आपदाएं,
- कीटनाशकों के प्रति वेक्टरों में और मलेरिया के नियंत्रण के लिए सामान्य तौर पर प्रयुक्त औषधों के प्रति परजीवियों में प्रतिरोध क्षमता पैदा होना।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मलेरिया के कारण हुई मौतों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(घ) मलेरिया के प्रभावी नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- शीघ्र पता लगाना और तत्काल उपचार करना;
- संचरण को रोकने के लिए कीटनाशकों का प्रभावी इस्तेमाल करके वेक्टर नियंत्रण;
- स्रोत में कमी करके लार्वानाशकों का प्रयोग करके और जैव पर्यावरणिक कार्यनीतियां अपना कर मच्छरों के फैलने को समाप्त करने के लिए लार्वा रोधी उपाय करना;
- मलेरिया की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने हेतु स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तेज करना;
- बहु-प्रतिरोध क्षमता वाले क्षेत्रों में मार्गदर्शी आधार पर नए कीटनाशकों के साथ प्रयोग करना।

विवरण

1993, 1994, 1995 के दौरान भारत में मलेरिया से हुई मौतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ अन्य का नाम	1993	1994	1995
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7	9	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	6	0
3.	असम	48	69	300
4.	बिहार	2	12	21
5.	गोवा	-	0	-
6.	गुजरात	25	14	5
7.	हरियाणा	-	-	0
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	0
9.	जम्मू और कश्मीर	-	-	0
10.	कर्नाटक	-	3	20
11.	केरल	-	1	2
12.	मध्य प्रदेश	12	28	19
13.	महाराष्ट्र	15	9	219
14.	मणिपुर	9	55	17
15.	मेघालय	-	11	18
16.	मिजोरम	33	41	54
17.	नागालैंड	-	253	0
18.	उड़ीसा	118	78	163
19.	पंजाब	-	1	8
20.	राजस्थान	19	452	47
21.	सिक्किम	-	0	0
22.	तमिलनाडु	9	7	1
23.	त्रिपुरा	19	20	12
24.	उत्तर प्रदेश	-	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	37	52	146
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान निकोबार द्वीप ससमूह	1	1	2
2.	चंडीगढ़	-	-	-
3.	दादरा व नगर हवेली	-	-	-
4.	दिल्ली	-	-	-
5.	दमन व दीव	-	-	-
6.	लक्षद्वीप	-	-	-
7.	पांडिचेरी	-	-	-
	भारत	354	1122	1061

डावकी नदी पर झूला-पुल

1299. श्री जी.जी. स्वैल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिलांग डावकी राजमार्ग पर डावकी नदी पर बना झूला-पुल टूट गया है, जिसके कारण इस पुल पर यातायात रुक गया है;

(ख) क्या उस राजमार्ग के माध्यम से बांगलादेश को कोयला भेजने का कार्य प्रभावित हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार वर्तमान पुल की मरम्मत कराने या एक नया कंक्रीट पुल बनाने का है जिससे कि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क पुनः स्थापित किया जा सके?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) फिलहाल, इस पुल की जो "विन्ड टाई" टूट गई थी उसकी मरम्मत कर दी गई है। तथापि, एहतियाती उपायों के तौर पर लदे हुए वाहनों के प्रचालन पर कुछ भार प्रतिबंध लगाए गए हैं।

(ख) और (ग). शिलांग-डावकी राजमार्ग से बंगलादेश को कोयला भेजने का कार्य मामूली रूप से प्रभावित होने की सूचना मिली है। तथापि, भारत-बंगलादेश व्यापार के लिए जोवाई तक रा.रा. 44 और उसके बाद नदी पार किए बगैर डावकी तक एक वैकल्पिक मार्ग पहले से ही उपलब्ध है।

(घ) इस पुल की प्रारंभिक भार क्षमता के लिए इसकी मरम्मत के प्रयास किए जा रहे हैं। एक उपयुक्त समीपवर्ती स्थान पर नए कंकरीट पुल के निर्माण के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता होगी और वह निधियों की पर्याप्तता पर निर्भर करेगा।

सी.आर.एफ. योजना के अंतर्गत धनराशि

1300. श्री संतोष मोहन देव : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 17 जनवरी, 1995 के अपने पत्र द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अंतर्गत तीन सड़कों के निर्माण हेतु खर्च की स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस स्वीकृति के अनुसार अब तक धनराशि जारी कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो धनराशि जारी नहीं करने के क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) केन्द्र सरकार ने असम सरकार को दिनांक 17.1.95 के अपने पत्र के जरिए सी आर एफ स्कीम के अंतर्गत तीन सड़क परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान की है।

(ख) इन परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं;

(लाख रु.)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	सी आर एफ के तहत अनुमोदित राशि
1.	सिल्चर-जयन्तीपुर सड़क	40.00
2.	पालोत-डबी-बोरजालंगा सड़क	25.00
3.	सोनाए-मोतीनगर-दीदारकुश सड़क	40.50
	कुल	105.50

(ग) और (घ). सी आर एफ के तहत निधियां एक मुश्त राज्यवार आवंटित की जाती हैं न कि कार्य-वार। तथापि, वर्ष 1995-96 में असम राज्य को 21.00 लाख रु. जारी किए जा चुके हैं।

बालासोर में विश्वविद्यालय की स्थापना

1301. श्री मुरलीधरन जेना : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी उड़ीसा के लिए बालासोर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने संबंधी एक लम्बे समय से की जा रही मांग से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). 1992 मे किये गये संशोधनों के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह कहा गया है कि संस्थानों में सर्वांगीण सुधार करने की आवश्यकता को देखते हुए निकट भविष्य में विद्यमान संस्थानों में सुविधाओं के समेकन व विस्तार पर बल देने का प्रस्ताव है।

उपर्युक्त को देखते हुए सरकार के पास उत्तरी उड़ीसा के लिए बालासोर में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में संशोधन

1302. श्री ई. अहमद : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) और (ख). सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1995 को राज्य सभा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 24 में संशोधन हतु प्रस्तुत किया था ताकि धारा 22 अथवा धारा 23 का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के दण्ड को बढ़ाया जा सके। धारा 22 किसी विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि प्रदान करने से तथा धारा 23 "विश्वविद्यालय" शब्द का प्रयोग करने वाली उन संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है जिन्हें कि निर्धारित तरीके से स्थापित नहीं किया गया है।

भारतीयों को दुबई से वापस भेजा जाना

1303. श्री आर. साम्बासिवा राव : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से भारतीयों को निर्धारित समय से अधिक ठहरने अथवा यात्रा संबंधी वैध कागजात के बिना ठहरने के कारण समुद्र अथवा वायु मार्ग से प्रति माह दुबई से वापस भेजा जा रहा है;

(ख) क्या यह बात कभी सरकार के ध्यान में लाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त अरब अमीरात से भारतीयों को बड़ी संख्या में निर्वासित करके भारत भेजा गया निर्वासन का कारण निर्धारित अवधि से अधिक ठहरना तथा वैध यात्रा दस्तावेज के बिना ठहरना था। भारतीयों को वापस भेजने का कार्य समुद्री और वायु मार्ग से किया गया है। इस वर्ष के शुरू से जिन भारतीय राष्ट्रिकों को निर्वासित किया गया उनकी संख्या दुबई के प्राधिकारियों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	माह	निर्वासित किए गए भारतीय राष्ट्रिक
1.	जनवरी	962
2.	फरवरी	641
3.	मार्च	733
4.	अप्रैल	959
5.	मई	899
6.	जून	874

(ग) इनमें से अधिकांश व्यक्ति बेईमान एजेंटों के शिकार हुए। अन्य मामले वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद ठहरने और जाली पासपोर्टों का पता चलने से संबंधित हैं। जब भी शिकायतें मिलती हैं, शिकायतों के स्वरूप के अनुसार उनकी जांच पुलिस और विदेश स्थित संबंधित भारतीय मिशनों की सहायता से की जाती है। भारतीय राष्ट्रिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए मामला दर मामला आधार पर स्थानीय प्राधिकारियों से हस्तक्षेप करके भारतीय मिशन आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

सैनिक स्कूल

1304. श्री रमेन्द्र कुमार : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार स्थापित किए गए सैनिक स्कूलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपरोक्त अवधि में बिहार में एक भी सैनिक स्कूल की स्थापना नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग). सन् 1978 से देश के किसी भी राज्य में कोई नया सैनिक स्कूल नहीं खोला गया है।

बंगलादेश में पारगमन सुविधाएं

1305. श्री सुरेश कलमाड़ी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगलादेश में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को पारगमन सुविधाएं प्रदान करने के लिए बंगलादेश से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो बंगलादेश की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) भारत सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए बंगलादेश के प्रदेश से बहु उद्देशीय पारगमन सुविधाएं प्राप्त करना चाहती है और वह इस मसले को कई अवसरों पर बंगलादेश की सरकार के साथ उठाती रही है।

(ख) बंगलादेश की सरकार ने अभी तक हमारे प्रस्तावों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है।

विदेशों में प्रचार

1306. श्री परसराम भारद्वाज : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में देश की छवि को सुधारने के लिए विदेशों में कार्यरत हमारे बाह्य प्रचार विभागों को नया रूप प्रदान करने और संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामलों पर अपना दृष्टिकोण अधिक सशक्त ढंग से प्रस्तुत करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ पेशेवर व्यक्तियों को नियुक्त करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इंद्र कुमार गुजराल) : (क) भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट करने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें उजागर करने के लिए कई नए कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं:- इन्टरनेट पर विदेश मंत्रालय का गृह पेज खोलना विदेशों में स्थित मिशनों और केन्द्रों के साथ हमारी संचार व्यवस्था का उन्नयन; आधुनिक प्रचार तकनीकों तथा व्यवसायिक जन संपर्क का प्रयोग, समर्थन जुटाने वाले और विज्ञापन अभिकरण; सेटेलाइट टेलीविजन के माध्यम से प्रसारण सहित संचार और मास मीडिया के चेनलों का विविधीकरण और उनको संख्या में वृद्धि तथा गैर सरकारी और व्यावसायिक एजेंसियों की सहायता से प्रचार कार्य को व्यापक बनाना। भारत को विदेश और आर्थिक नीतियों तथा दोनों क्षेत्रों में की गयी विशिष्ट पहलकदमियों का पर्याप्त स्वागत हुआ है। कश्मीर तथा मानवाधिकारों से संबद्ध मसलों पर को गयी नई पहलकदमियों के साथ-साथ पारदर्शिता की नीति से तथा विदेशों में उन्हें जोर शोर से उजागर करने से इन मसलों पर पाकिस्तान का कुप्रचार नियंत्रित हुआ है। मीडिया तथा विदेशों में लोगों के बीच भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि में जो सुधार हुआ है वह दृष्टिगोचर है।

(ख) और (ग). अपनी प्रचार सामग्री को तैयार करने तथा उसका वितरण करने में सरकार व्यवसायिक व्यक्तियों एवं व्यावसायिक अभिकरणों को भी सहायता लेती है। प्रकाशनों वृत्तचित्रों अथवा वीडियो फिल्मों, विभिन्न विषयों पर प्रमुख आलेखों, जन संपर्क गतिविधियों, विज्ञापन तथा मीडिया नीति तैयार करने में इन एजेंसियों का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को चार लेन का बनाना

1307. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-बरेली-लखनऊ राजमार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-24) को चार लेनों में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). दिल्ली-बरेली-लखनऊ राजमार्ग (रा.रा.24) की कुल लम्बाई 499 कि.मी. है। रा.रा.-24 का 28 कि.मी. लम्बा दिल्ली-गाजियाबाद खंड पहले से ही चार लेन का है। शेष 471 कि.मी. की लम्बाई में 2 लेन का परिवहन मार्ग है। गाजियाबाद-हापुड़ खंड और हापुड़ बाईपास जिसकी कुल लम्बाई 32 कि.मी. है, में चार लेन बनाने का कार्य 8वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और यह कार्य ओवरसीज इकॉनामिक कोओपरेशन फंड (जापान) की ऋण सहायता से निष्पादित किए जाने का प्रस्ताव है। इस ऋण समझौते पर फरवरी, 1995 में हस्ताक्षर किए गए थे।

[अनुवाद]

रक्त बैंक

1308. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996 के दौरान रक्त बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करने के संबंध में केरल राज्य से कोई अन्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभ्यर्थियों को जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या क्या है;

(घ) शेष अभ्यर्थियों को लाइसेंस प्रदान करने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) ऐसे लाइसेंस के मामले पर शीघ्र निर्णय को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सल्लीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). रक्त बैंकों को लाइसेंस जारी करने के मामले में राज्य सरकार को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने संबंधी एक अभ्यावेदन स्वास्थ्य मंत्री, केरल से 16.10.95 को प्राप्त हुआ था और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री, केरल को 18.12.95 को उत्तर भी भेज दिया गया था। तदनंतर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, केरल सरकार ने उक्त अभ्यावेदन की एक प्रतिलिपि केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव को 3.5.96 को अग्रेषित की।

(ग) और (घ). औषध महानियंत्रक (भारत) को 41 रक्त बैंकों के लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इनमें से 36 लाइसेंस विधिवत-रूपेण मंजूर कर दिए गए हैं, शेष 5 रक्त बैंकों के लिए लाइसेंसों को औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची "च", भाग II (ख) के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न परामीटरों का पालन नहीं करने के कारण पाई गई मौलिक त्रुटियों की वजह से मंजूर नहीं किया जा सका।

(ङ) केन्द्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकारी (औषध महानियंत्रक, भारत) की ओर से लाइसेंस को अनुमोदित करने में कोई विलम्ब नहीं होता, फिर भी सरकार का औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत उल्लिखित नई जिम्मेदारियों का निर्वाह करने और मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए केन्द्रीय औषध नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ करने का विचार है।

दिल्ली परिवहन निगम समाप्ति के कगार पर

1309. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिनांक 13 अप्रैल, 1996 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "डी.टी.सी. डाईंग ए रिजैक्ट्स डैथ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) समाप्ति के कगार पर खड़ी दि.प.नि. को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) तत्कालीन सरकार द्वारा परिवहन व्यवस्था विशेषकर "620" जैसे कतिपय लाभप्रद मार्गों का निजीकरण करने के लिये किन बातों पर विचार किया गया था;

(ङ) क्या सरकार यात्रियों से प्राप्त शिकायतों के प्रकाश में राजधानी में संपूर्ण परिवहन व्यवस्था का निजीकरण करने के प्रस्ताव को पुनः जांच करेगी; और

(च) यदि हां, तो कब; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि दि.प.नि. की वित्तीय स्थिति संतोषजनक नहीं है फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि दि.प.नि. समाप्ति के कगार पर है क्योंकि सरकार दि.प.नि. की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है।

(ग) सरकार ने दि.प.नि. का जीर्णोद्धार करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) दि.प.नि. के फालतू स्टाफ को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्कीम शुरू करना,

(2) भर्ती पर प्रतिबंध।

इसके अतिरिक्त, सरकार दि.प.नि. के काम-काज को बेहतर बनाने के लिए इसके कार्य-निष्पादन पर लगातार नजर रख रही है और उत्पादकता में वृद्धि करने, प्रति कि.मी. लागत कम करने, किफायती उपाय लागू करने, प्रभावी जांच के जरिए राजस्व की चोरी को रोकने, राजस्व वसूली में बढ़ोतरी के लिए मार्गों के युक्तिकरण तथा नकद घाटे को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) से (च). चूंकि, वित्तीय कठिनाइयों के कारण दि.प.नि. के बेड़े में वृद्धि नहीं की जा सकती तथा दि.प.नि. द्वारा दिल्ली में परिवहन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करना संभव नहीं था, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालन के पूरक के रूप में दिल्ली में निजी बस सेवा शुरू की। प्रत्येक रूट पर दि.प.नि. के साथ निजी बसों को 40:60 के अनुपात पर लगाया गया था। चूंकि, नगरीय बसों की कुल आवश्यकता का केवल 40 प्रतिशत भाग-निजी बसों के लिए रखा गया था अतः राजधानी में परिवहन प्रणाली के सम्पूर्ण निजीकरण की पुनः जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय रक्षा नीति

1310. डॉ. कृपा सिन्धु भोई : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा के संबंध में दीर्घकालिक नीति बनाये जाने की लंबे समय से पुरजोर मांग है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद गठित करने के सुझाव दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन. वी. एन. सोमू) : (क) भारत की एक व्यापक सामरिक और सुरक्षा नीति है जो अन्य बातों के साथ-साथ हमारे संभावित खतरों और विश्वव्यापी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा परिवेश पर आधारित है। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में इस नीति की सतत समीक्षा की जाती है ताकि सरकार, राष्ट्र की सुरक्षा को होने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर सके।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 24 अगस्त, 1990 को की गई थी।

[हिन्दी]

संस्कृत/उर्दू की पुस्तकों के प्रकाशन के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार को धनराशि

1311. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्कृत/उर्दू की पुस्तकों के प्रकाशन के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संस्कृत और उर्दू के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत, अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे प्रकांड संस्कृत विद्वानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान प्रतिवर्ष 41,400/रु. का अनुदान दिया गया था। राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में उर्दू के विकास के लिए मौखिक सुलेख केन्द्रों, एक सजावटी सुलेख केन्द्र तथा दो गैर सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान किया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल मार्ग सं. 3

1312. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 3 के उत्तर में कोट्टापुरम से कसरगोहा और दक्षिण में कोल्लाम से कोवालम तक विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आवंटित किये जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन से मालूम हुआ है कि कोटापुरम से कासरगोहा तक और कोल्लम से कोलम तक राष्ट्रीय जलमार्ग सं. III का विस्तार आर्थिक और वित्तीय लाभ-दर की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा। तथापि, जलमार्ग के कोल्लम-कोवलम खंड की व्यवहार्यता की पुनः जांच करने के लिए एक नए तकनीकी आर्थिक अध्ययन की व्यवस्था की गई है।

(ग) इस स्तर पर इस प्रयोजनार्थ आवंटित की जाने वाली संभावित राशि की मात्रा बताना संभव न होगा।

[हिन्दी]

जल संसाधन का विकास

1313. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय परिदृश्य में देश में जल संसाधनों के विकास के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ख) सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के बीच जल विवाद सुलझाने, नदी जल बंटवारा करने और बांध बना कर बेकार हो रहे पानी का सदुपयोग करने के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के स्थान पर, स्थान विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार लघु सिंचाई परियोजनाओं का कार्य आरंभ करने और लघु बांध, टंकी का निर्माण करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) गत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(च) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिदृश्य तैयार किया गया था जिसमें जल संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल का अन्तरण करने के लिए विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों और हिमालय से निकली नदियों के बीच सम्पर्क स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। सरकार ने जल अन्तरण सम्पर्कों के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 1982 में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना की है। कुल 36 सम्पर्कों का प्रस्ताव किया गया है जिसमें प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 17 और हिमलायाई घटक के अंतर्गत 19 सम्पर्क शामिल हैं।

(ख) मौजूदा परिपाटी के अनुसार बेसिन राज्यों से विचार विमर्श करके जल विवादों को सुलझाने की कोशिशें की जाती हैं। यदि किसी मामले में ये कोशिशें कामयाब नहीं होते और यदि कोई बेसिन राज्य केन्द्र सरकार से अधिकरण के गठन का अनुरोध करता है तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निपटारे के लिए अधिकरण का गठन किया जाता है। जल बंटवारे के लिए राष्ट्रीय नीति दिशानिर्देश अपनाने का प्रस्ताव भी है।

(ग) और (घ). वृहद सिंचाई और लघु सिंचाई परियोजनाओं और टैंकों की आयोजना और कार्यान्वयन, भूमि की रूपरेखा, भू-वैज्ञानीय और जल वैज्ञानिक पहलुओं आदि के अनुसार की जाती है। लघु सिंचाई परियोजनाएं वृहद सिंचाई परियोजनाओं द्वारा प्रदान की गई सिंचाई सुविधाओं को बढ़ा देती हैं।

राज्य सरकारों द्वारा सभी तीनों प्रकार की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ङ) विवरण संलग्न है।

(च) राज्य सिंचाई परियोजनाओं के विभिन्न वर्गों के लिए योजना प्रावधान राज्य सरकारों के परामर्श से किए जाते हैं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई के संबंध में अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वृहद एवं मध्यम सिंचाई		लघु सिंचाई	
		1994-95	1995-96	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	325.55	980.61	82.99	142.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	0.50	14.20	16.16
3.	असम	25.65	26.00	38.00	41.00
4.	बिहार	319.00	316.46	181.27	178.70
5.	गोवा	29.71	30.28	3.60	4.00
6.	गुजरात	485.98	484.13	100.00	101.85
7.	हरियाणा	124.09	178.95	40.54	45.51
8.	हिमाचल प्रदेश	2.74	3.06	23.26	25.70
9.	जम्मू एवं कश्मीर	18.71	20.39	19.97	21.60
10.	कर्नाटक	628.92	775.50	67.03	66.78
11.	केरल	104.00	113.00	33.50	34.00
12.	मध्य प्रदेश	362.60	270.60	166.70	158.14
13.	महाराष्ट्र	618.09	622.43	226.44	293.36
14.	मणिपुर	32.22	38.73	5.30	7.00
15.	मेघालय	2.70	3.00	6.63	6.80
16.	मिजोरम	0.05	0.07	2.78	2.40
17.	नागालैंड	0.80	0.80	2.45	2.55
18.	उड़ीसा	299.99	198.09	80.85	94.00
19.	पंजाब	56.44	64.96	28.99	33.68
20.	राजस्थान	271.84	328.00	46.06	48.95
21.	सिक्किम	0.00	-	1.99	2.31
22.	तमिलनाडु	65.41	76.23	59.14	48.01
23.	त्रिपुरा	3.57	5.63	4.41	4.65
24.	उत्तर प्रदेश	380.76	372.01	39.59	57.58
25.	पश्चिम बंगाल	101.60	105.00	64.25	16.00
	कुल राज्य	4261.42	5014.43	1339.94	1453.01

1	2	3	4	5	6
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	-	-	1.99	1.42
27.	चंडीगढ़	-	-	0.25	0.20
28.	दादरा एवं नागर हवेली	1.00	0.50	0.85	1.05
29.	दिल्ली		-	2.50	2.52
30.	लक्षद्वीप	-	-	-	-
31.	पांडिचेरी	-	-	2.20	2.83
32.	दमन एवं द्वीव	0.55	0.55	0.10	0.12
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	1.55	1.05	7.89	8.14
	कुल राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र	4262.97	5015.48	1347.83	1461.15
	केन्द्रीय क्षेत्र	21.99	30.50	65.38	59.00
	कुल योग	4284.96	5045.98	1413.21	1520.15

[अनुवाद]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1314. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थापना हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं तथा इस उद्देश्य हेतु केन्द्र द्वारा कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में स्थापित किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य उप-केन्द्रों की संख्या क्या है; और

(ग) उक्त केन्द्र जिलावार किन किन स्थानों पर स्थित है तथा इनको कितना धन आवंटित किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य उप केन्द्रों की स्थापना करने के लिए जनसंख्या मानदण्ड निम्न है:-

	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/जनजातिये क्षेत्र
उप-केन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना व रखरखाव राज्य सरकारों द्वारा राज्य के न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है। 1.4.81 के बाद स्थापित किये गये उप-केन्द्रों को केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत धन दिया जाता है। इन केंद्रों के लिए पिछले तीन वर्षों का परिव्यय नीचे दर्शाया गया है :-

वर्ष	एम.एन.पी. के अन्तर्गत परिव्यय*	उप-केन्द्रों के लिए आवंटन
1993-94	31277.74	18500.00
1994-95	36200.58	18500.00
1995-96	50134.03	19000.00

* सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के निर्माण के लिए परिव्यय भी शामिल है।

(ख) आठवीं योजना के दौरान, मौजूदा ढांचे के सुदृढ़ करण पर जोर दिया जायेगा। तथापि 19.4.95 तक 120 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार जिला-वार ब्यौरा नहीं रखती।

पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली का अधिकार क्षेत्र

1315. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा जैसे उपनगरों के लोगों को अपने पासपोर्ट प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें इस कार्य के लिए अपने राज्य की राजधानी में जाना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली स्थित पासपोर्ट कार्यालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाकर इन शहरों को इसके अन्तर्गत लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). दिनांक 2.12.94 से हरियाणा राज्य के गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और रोहतक जिलों और उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद और मेरठ जिलों को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाया जा चुका है। चूंकि नोएडा, गाजियाबाद जिले का ही एक भाग है, अतः नोएडा के पासपोर्ट आवेदकों को भी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

परिवार कल्याण केन्द्र

1316. श्री सौम्य रंजन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उड़ीसा में कितने परिवार कल्याण केन्द्र हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : उड़ीसा राज्य में 19 जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र, 60 उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र, 10 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, 8 शहरी स्वास्थ्य चौकियां और 314 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र हैं।

सहायक आयुक्त का कार्यालय

1317. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त का कार्यालय खोलने के क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार का केरल में केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के लिए सहायक आयुक्त का कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त के कार्यालय स्थान विशेष के आसपास केन्द्रीय विद्यालयों की बहुलता तथा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के नियंत्रण के न्याय-संगत विस्तार को भी ध्यान में रखते हुए स्थापित किए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तीस्ता बांध परियोजना

1318. श्री अमर रावप्रधान : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की तीस्ता बांध परियोजना के पूरा हो जाने से लगभग कितने क्षेत्र की सिंचाई किए जाने की संभावना थी;

(ख) अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है; और

(ग) इस परियोजना द्वारा अब तक कितने क्षेत्र की सिंचाई की गयी है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) इस समय फेज-I के अंतर्गत तीस्ता बराज परियोजना के चरण-I के उप चरण-I का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस उप-चरण की चरम सिंचाई क्षमता 527 हजार हेक्टेयर है।

(ख) अब तक पूरे किए गए कार्य का प्रतिशत नीचे दिया गया है:

तीन बराजों नामशः तीस्ता, महानन्दा और डॉक नगर बराज तथा तीस्ता महानन्दा सम्पर्क नहर व महानंदा मुख्य नहर पूरी कर ली गई है। अन्य 3 मुख्य नहरों और वितरण प्रणाली की प्रगति निम्नानुसार है।

1. डॉक नगर मुख्य नहर	66 प्रतिशत
2. नगर टंगन मुख्य नहर	शून्य
3. तीस्ता जल ढाका मुख्य नहर	25 प्रतिशत
4. प्रणाली	25 प्रतिशत

(ग) मार्च, 1996 तक 527 हजार हेक्टेयर की चरम क्षमता के मुकाबले 73.35 हजार हेक्टेयर की क्षमता सृजित किए जाने की संभावना थी।

मेडिकल कालिज का दर्जा बढ़ाना

1319. डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार गुवाहाटी मेडिकल कालेज का दर्जा बढ़ा कर पूर्णरूपेण चिकित्सा संस्थान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कान्हर सिंचाई परियोजना

1320. श्री बृजमोहन राम : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा बिहार के पलामू जिले में "कान्हर" सिंचाई परियोजना को किस तिथि से स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) उक्त परियोजना पर अब तक किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) योजना आयोग ने कन्हार सिंचाई परियोजना को स्वीकृति नहीं दी है।

(ख) अब तक इस परियोजना पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

(ग) और (घ). बिहार राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य सरकार के साथ अभी यह मुद्दा निपटाना है। यद्यपि परियोजना के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए समय निर्धारित है, फिर भी किसी परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार विभिन्न अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना कितनी जल्दी करती है।

[अनुवाद]

नागपुर रिंग रोड पर चार लेन बनाना

1321. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार से नागपुर रिंग रोड पर चार लेन बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). वर्धा सड़क और उमरेड सड़क के बीच (1.457 से 6.871 कि.मी.) नागपुर रिंग रोड को चार लेन का बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 25.7.94 को एक प्रस्ताव भेजा था। इसकी अनुमानित लागत 165 लाख रु. है। इस मंत्रालय ने केन्द्रीय सड़क निधि के तहत 16.11.94 को इसे संस्वीकृति प्रदान की थी।

[हिन्दी]

संस्थात्मक विकास बैंक का गठन किया जाना

1322. श्री पंकज चौधरी : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अलग से एक संस्थात्मक विकास बैंक का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा "बैलिस्टीक" प्रक्षेपास्त्र का उत्पादन

1323. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता चला है कि पाकिस्तान चीन की सहायता से एक गुप्त कारखाने में नये बैलिस्टीक प्रक्षेपास्त्र का निर्माण कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां। सरकार ने समाचार पत्रों में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) सरकार को पाकिस्तान द्वारा चीन के सहयोग से "हाफ सीरीज" की बैलास्टिक मिसाइलें विकसित करने तथा उनके उत्पादन से सम्बद्ध किए जा रहे प्रयासों की जानकारी है, तथा वह इसे अत्यधिक चिन्ता का कारण मानती है। भारत सरकार इन खतरों के अपने आकलन के अनुसार देश की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए वचनबद्ध है।

आतंकवादियों को पाकिस्तान के समर्थन के बारे में अमेरिकी रिपोर्ट

1324. प्रो. अजित कुमार मेहता :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमेरिकी सरकार की नवीनतम रिपोर्ट "पैटर्न ऑफ ग्लोबल टैरोरिज्म 1995" की जानकारी है जिसमें कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी गुटों को पाकिस्तान के समर्थन की बात स्वीकार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) इस रिपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

(घ) क्या सरकार ने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में हथियारों की आपूर्ति करने की दृष्टि से यह मामला अमेरिकी सरकार के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). 1995 की सार्वभौम आतंकवाद की पैटर्न संबंधी स्टेट डिपार्टमेंट्स की वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि कश्मीर में उग्रवादियों को पाकिस्तान द्वारा सरकारी स्तर पर समर्थन देने की विश्वस्त रिपोर्टें हैं। इनमें पाकिस्तानी, अफगान और अरब राष्ट्रिक तथा वे दल शामिल हैं जिन्होंने कश्मीर में विभिन्न आतंकवादी बमबारियां करने के लिए जिम्मेदारी का दावा किया है। कश्मीर में चल रहे बन्धक संकट के सन्दर्भ में यह कहा गया कि हरकत-उल-अंसार एक उग्रवादी दल, जिसका मुख्यालय पाकिस्तान में है, अल-फरान, जो दल अपहरण के लिए जिम्मेदारी का दावा कर रहा था, के साथ जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत का दावा है कि पाकिस्तान सिख उग्रवादी दलों को आश्रय तथा समर्थन देता है।

सार्वभौम आतंकवाद समर्थन की पैटर्न संबंधी रिपोर्ट के उपरोक्त कथनों ने हमारी स्थिति का समर्थन किया है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों, जिसमें शस्त्रों, उपकरणों की आपूर्ति, प्रशिक्षण और घुसपैठ शामिल है, को बड़े पैमाने पर बढ़ावा और समर्थन देने में लगातार सीधे ही जुड़ा हुआ है।

(ग) सरकार भारत में पाकिस्तान के सक्रिय रूप से आतंकवाद में लिप्त होने से सम्बद्ध विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मित्र सरकारों को लगातार अवगत कराती रही है।

(घ) जी हां।

(ङ) सरकार ने अमरीकी सरकार को बार-बार यह स्पष्ट किया है कि हेंक ब्राउन संशोधन के अन्तर्गत पाकिस्तान को 368 मिलियन डालर के शस्त्रों के पैकेज के अन्तरण के अमरीका के निर्णय से इस क्षेत्र में शांति और स्थायित्व को बढ़ावा नहीं मिलेगा और इसे अन्य बातों के साथ-साथ पाकिस्तान के अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद में प्रमुख रूप से और सीधे लिप्त होने के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के घरों पर छापे

1325. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जून, 1996 के हिन्दुस्तान में "रेड्स आन द रेजीडेंस ऑफ द ऑफीसर्स ऑफ हैल्थ डिपार्टमेन्ट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच कार्य किस स्तर पर पहुंच चुका है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इस मामले की छानबीन की जा रही है और सदन के पटल पर रखने हेतु ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

भारतीय बालिकाओं की स्थिति संबंधी रिपोर्ट

1326. श्री जगतबीर सिंह द्रोण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "यूनिसेफ" द्वारा भारतीय बालिकाओं की स्थिति के संबंध में हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) बालिकाओं के शिक्षा संबंधी अधिकारों की स्थिति में सुधार लाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) सरकार को यूनिसेफ द्वारा हाल ही में प्रकाशित "प्रोग्रेस आफ नेशन्स" रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) रिपोर्ट में जोकि एक अन्तर-राष्ट्रीय प्रकाशन है, औद्योगिकृत और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में बच्चों की अद्यतन स्थिति का उल्लेख है। ये स्वास्थ्य, पोषाहार, शिक्षा में जैण्डर अन्तर, रोग प्रतिरोधक, कुपोषण, मातृ मृत्युदर जन्म के समय कम वजन, अस्वच्छता, स्तनपान और दूध छुड़ाने वाले खाद्य पदार्थों, महिलाओं की सामान्य अधीनता आदि के क्षेत्रों में है।

(ग) उनके शैक्षिक अधिकारों के संबंध में स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 तथा कार्रवाई कार्यक्रम, जिसमें साक्षरता तथा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में लड़कियों पर बल देते हुए महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा का प्रस्ताव है।

2) लड़कियों की भागीदारी में सुधार के लिए लड़कियों और महिलाओं में जागृति विकास।

3) विभिन्न प्रोत्साहन स्कीमें, जैसे वर्दी, पाठ्य पुस्तकें शिक्षावृति, हाजिरी भत्ता, लेखन सामग्री अनुदान, होस्टल सुविधाएं आदि।

4) आपरेशन ब्लैकबोर्ड, जहां नियुक्त 50 प्रतिशत शिक्षक महिलाएं हैं।

5) लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम।

6) महिला समाख्या कार्यक्रम।

7) पूर्ण साक्षरता अभियान।

8) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसके अन्तर्गत लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया जाता है।

[हिन्दी]

कूड़ा-करकट मुक्त हवाई अड्डे

1327. श्री अमरपाल सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसी भी प्रकार की विमान दुर्घटना को रोकने के लिए हवाई अड्डे के दस किलोमीटर की परिधि को पूर्णतया कूड़ा-करकट मुक्त रखने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). चुनिंदा हवाई बेसों के आस-पास 10 कि.मी. की परिधि में सफाई और कूड़ा करकट निपटान व्यवस्था, जिसमें खुले कूड़ादानों को हटाना, बंद कूड़ाघरों का निर्माण करना आदि शामिल है, में सुधार करने संबंधी केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना लागू करने का सरकार का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

महिलाओं और बच्चों के लिए केन्द्रीय योजनाएं

1328. श्री संदीपन थोरात : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं और बच्चों की दशा सुधारने के लिए क्या केन्द्रीय योजनायें बनाई गयी हैं;

(ख) इसके अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना-वार और राज्यवार कितना व्यय किया गया है और उसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) इन योजनाओं के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान योजनावार और राज्यवार क्या परिणाम उपलब्ध कराया गया है;

(घ) महिलाओं/बच्चों के कल्याण के लिए प्रस्तावित नई योजनायें क्या हैं; और

(ङ) प्रस्तावित और समाप्त कर देने/स्थगित कर देने वाली योजनायें क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) से (ग). महिला एवं बाल विकास विभाग समाज के कमजोर वर्गों की महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, स्कीम-वार व्यय, प्राप्त परिणाम और 1996-97 के लिए स्कीम-वार परिव्यय दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-I में दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की केन्द्रीय स्कीमों के अन्तर्गत राशि का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता। तथापि, समेकित बाल विकास सेवा तथा इन्दिरा महिला योजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/संघराज्य क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं/ब्लाकों की संख्या के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों की सहायता अनुदान निर्मुक्त किया जाता है। वर्ष 1993-94 से 1996-97 (आजतक) के दौरान समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त सहायता-अनुदान दर्शाने वाला एक विवरण विवरण II में दिया गया है। गत तीन वर्षों में समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त परिणामों को दर्शाने वाला एक अन्य विवरण विवरण III में दिया गया है। जहां तक इन्दिरा महिला योजना का संबंध है यह स्कीम 20 अगस्त, 1995 को देश के 200 ब्लाकों में शुरू की गई थी। वर्ष 1995-96 में इन्दिरा महिला योजना के अन्तर्गत राज्यों को निर्मुक्त अनुदान तथा प्राप्त परिणामों का विवरण विवरण IV में दिया गया है।

(घ) और (ङ). कोई नहीं।

विवरण-I

वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान स्कीम-वार व्यय और उपलब्धि तथा वर्ष 1996-97 के लिए योजना परिव्यय

(रु. करोड़ों में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	1993-94		1994-95		1995-96		1996-97 के लिए
		व्यय	उपलब्धि	व्यय	उपलब्धि	व्यय	उपलब्धि	योजना परिव्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	शिशुगृह/दिवस देखभाल केन्द्र	1.66	12389 शिशुगृह 3.10 लाख लाभार्थी	6.50	12470 शिशुगृह 3.12 लाख लाभार्थी	7.50	12470 शिशुगृह 3.11 लाख लाभार्थी	7.50
2.	राष्ट्रीय शिशुगृह कोष	19.90	-	0.01	450 शिशुगृह	0.01	509 शिशुगृह	0.01
3.	प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा	0.50	4224 केन्द्र	0.50	4361 केन्द्र	0.50	4365 केन्द्र	0.50
4.	बालवाडी पोषाहार कार्यक्रम	3.94	5641 केन्द्र	5.87	5641 केन्द्र 53 होस्टल	6.05 7.75	5641 केन्द्र 37 होस्टल	6.05 7.75
5.	कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल	7.05	30 होस्टल 2069 लाभार्थी	7.75	4592 लाभाथी		3560 लाभार्थी	
6.	महिलाओं के लिए रोजगार सह-आयोत्पादक एकक	4.40	56 परियोजनाएं 6000 लाभार्थी	4.99	134 परियोजनाएं 9635 लाभार्थी	6.20	188 परियोजनाएं 13500 लाभार्थी	8.00
7.	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण-सह-रोजगार हेतु सहायता	15.05	6 परियोजनाएं 12000 लाभार्थी	15.98	13 परियोजनाएं 68590 लाभार्थी	16.00	7 परियोजनाएं 36390 लाभार्थी	16.00
8.	अल्पावास-गृह	2.04	34 गृह	2.14	42 गृह	2.75	32 गृह	2.75
9.	महिलाओं के साथ अत्याचारों के निवारण हेतु शिक्षात्मक कार्य	0.46	गैर-मात्रात्मक	0.42	गैर-मात्रात्मक	0.35	गैर-मात्रात्मक	0.35
10.	राष्ट्रीय महिला कोष	-	-	0.01	37066 लाभार्थी	0.01	99627 लाभार्थी	0.01
11.	महिला समृद्धि योजना	10.50	5.40 लाख खाते	50.00	85.29 लाख खाते	60.00	158.27 लाख खाते	60.00
12.	शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यवसायिक प्रशिक्षण	8.00	1393 पाठ्यक्रम 34825 लाभार्थी	8.00	1215 पाठ्यक्रम 30375 लाभार्थी	10.00	1235 पाठ्यक्रम 30875 लाभार्थी	9.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम	4.50	502 इकाइयां 6080 लाभार्थी	5.50	564 इकाइयां 6768 लाभार्थी	6.50	673 इकाइयां 4886 लाभार्थी	6.00
14.	जागृति विकास परियोजनाएं	1.25	-	2.00	-	2.25	-	2.25
15.	समेकित बाल विकास सेवाएं	410.62	312 परियोजनाएं	434.99	312 परियोजनाएं	555.64	1677 परियोजनाएं	503.94
16.	इन्दिरा महिला योजना	-	-			12.00	200 आवंटित इन्दिरा म.यो. ब्लाक	12.00
17.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाएं	53.36	66 ब्लाक	90.00	8 ब्लाक	90.00	37 ब्लाक	154.30

विवरण–II

समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अन्तर्गत 1993–94 से 1996–97 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त सहायता अनुदान दर्शानेवाला विवरण

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993–94	1994–95	1995–96	1996–97 (अप्रैल–जुलाई 96)
1.	आंध्र प्रदेश	1819.26	1796.63	2944.16	774.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	501.43	364.43	657.98	164.08
3.	असम	1129.93	2006.10	1859.19	561.49
4.	बिहार	2867.11	4779.49	2955.19	1452.69
5.	गोवा	180.26	144.58	189.63	40.32
6.	गुजरात	2270.17	1986.58	2477.95	655.69
7.	हरियाणा	829.86	703.75	1026.86	226.78
8.	हिमाचल प्रदेश	587.34	519.90	852.93	213.22
9.	जम्मू और कश्मीर	710.25	708.33	902.98	300.85
10.	कर्नाटक	3201.45	2874.87	4153.54	570.53
11.	केरल	1259.01	1252.62	1788.95	427.64
12.	मध्य प्रदेश	2631.69	4088.10	3902.20	1050.60
13.	महाराष्ट्र	3484.91	3527.82	5409.35	1102.73
14.	मणिपुर	409.47	338.69	484.31	111.30
15.	मेघालय	462.88	333.72	549.69	109.48
16.	मिजोरम	315.19	280.42	308.16	69.44
17.	नागालैंड	316.38	467.62	559.76	145.88
18.	उड़ीसा	722.28	1096.32	1737.01	565.13
19.	पंजाब	1285.40	762.48	1093.17	355.73
20.	राजस्थान	2258.58	1972.64	2565.63	783.74
21.	सिक्किम	115.23	22.03	126.40	18.48
22.	तमिलनाडु	2104.08	1418.41	2981.45	425.86
23.	त्रिपुरा	245.96	237.85	359.90	76.72
24.	उत्तर प्रदेश	6977.27	7287.73	11141.94	2755.41
25.	पश्चिम बंगाल	3588.95	3648.91	4833.65	1148.78
26.	दिल्ली	494.41	603.01	616.47	97.29
27.	पांडिचेरी	115.33	105.83	117.78	18.48
28.	अंडमान और निकोबार	53.07	59.54	66.62	18.48
29.	चंडीगढ़	42.84	36.91	38.82	7.56
30.	दादर और नागर हवेली	17.24	16.29	27.81	3.92
31.	दमन और दीव	32.83	21.43	36.32	7.56
32.	लक्षद्वीप	14.70	18.19	15.66	3.92
33.	राम कृष्ण मिशन	17.24	17.85	18.74	
34.	विविध			37.83	
	जोड़	41062.00	43499.00	56838.03	14264.15

विवरण-III

गत तीन वर्षों में आई सी डी एस के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

(लाभार्थी लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं की संख्या			लाभार्थियों की संख्या (0-6 वर्ष के बच्चे तथा माताएं)								
		93-94	94-95	95-96	बच्चे	माताएं	जोड़	बच्चे	माताएं	जोड़	बच्चे	माताएं	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	192	209	363	13.74	3.09	16.83	13.58	3.10	16.68	12.34	2.80	15.15
2.	अरुणाचल प्रदेश	39	39	51	0.53	0.10	0.63	0.56	0.11	0.67	0.70	0.12	0.82
3.	असम	79	83	224	3.32	0.67	3.99	3.90	0.73	4.62	3.28	0.51	3.78
4.	बिहार	296	323	598	11.51	1.74	13.25	12.14	1.92	14.05	11.23	1.64	12.87
5.	गोवा	11	11	11	0.30	0.08	0.38	0.34	0.17	0.51	0.34	0.09	0.43
6.	गुजरात	154	163	227	9.86	1.86	11.72	9.40	1.78	11.18	9.50	1.81	11.31
7.	हरियाणा	104	106	114	7.04	1.91	8.95	7.11	1.92	9.04	8.33	2.12	10.46
8.	हिमाचल प्रदेश	41	42	75	1.27	0.26	1.53	1.25	0.26	1.51	1.69	0.32	2.01
9.	जम्मू और कश्मीर	69	78	128	1.48	0.30	1.78	1.58	0.35	1.94	1.51	0.32	1.83
10.	कर्नाटक	185	185	185	15.79	2.68	18.47	16.80	4.11	20.91	22.91	3.78	26.69
11.	केरल	113	120	164	6.42	1.32	7.74	6.15	1.33	7.48	5.59	1.09	6.69
12.	मध्य प्रदेश	269	298	486	11.25	2.34	13.59	10.92	2.79	13.72	12.94	2.85	15.80
13.	महाराष्ट्र	255	274	326	17.70	3.60	21.30	17.70	3.60	21.30	17.61	3.62	21.23
14.	मणिपुर	29	29	32	0.90	0.18	1.08	1.07	0.21	1.28	1.16	0.23	1.38
15.	मेघालय	30	30	30	0.75	0.10	0.85	0.81	0.13	0.94	0.92	0.16	1.08
16.	मिजोरम	21	21	21	0.52	0.14	0.66	0.57	0.15	0.71	0.65	0.15	0.81
17.	नागालैंड	26	27	53	1.24	0.18	1.42	1.42	0.29	1.71	1.43	0.42	1.85
18.	उड़ीसा	218	229	324	12.48	2.42	14.90	13.10	2.55	15.65	12.78	2.25	15.03
19.	पंजाब	70	72	123	2.16	0.63	2.79	2.16	0.67	2.83	2.15	0.51	2.66
20.	राजस्थान	182	194	270	6.28	1.07	7.35	8.54	1.68	10.21	9.02	1.79	10.81
21.	सिक्किम	4	5	5	0.11	0.02	0.13	0.13	0.03	0.15	0.19	0.04	0.23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	तमिलनाडु	112	431	434	5.10	1.13	6.23	5.15	1.13	6.28	9.87	4.21	14.08
23.	त्रिपुरा	19	20	23	0.66	0.11	0.77	0.70	0.13	0.84	0.88	0.10	0.98
24.	उत्तर प्रदेश	540	580	935	16.62	3.84	20.46	17.26	4.52	21.78	18.26	4.44	22.70
25.	पश्चिम बंगाल	277	294	366	11.55	1.71	13.26	11.76	2.05	13.81	12.62	1.76	14.39
26.	अंडमान और निकोबार	4	5	5	0.17	0.03	0.20	0.16	0.04	0.20	0.13	0.04	0.17
27.	चंडीगढ़	2	3	3	0.13	0.04	0.17	0.13	0.04	0.17	0.13	0.04	0.17
28.	दादर व नगर हवेली	1	1	1	0.13	0.04	0.17	0.13	0.04	0.16	0.13	0.04	0.16
29.	दिल्ली	28	28	29	3.16	0.64	3.80	3.89	0.79	4.68	3.54	0.68	4.22
30.	दमन और दीव	2	2	2	0.05	0.02	0.07	0.05	0.01	0.06	0.05	0.01	0.07
31.	लक्षद्वीप	1	1	1	0.05	0.02	0.07	0.05	0.02	0.07	0.06	0.02	0.08
32.	पांडिचेरी	5	5	5	0.29	0.08	0.37	0.30	0.08	0.38	0.31	0.10	0.42
	जोड़	3378	3908	5614	162.56	32.35	194.91	168.80	36.73	205.52	182.28	38.07	220.35

विवरण–IV

इन्दिरा महिला योजना के अन्तर्गत 1995–1996 में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार निर्मुक्त अनुदान तथा प्राप्त परिणाम दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1995–96 में निर्मुक्त अनुदान (रु. लाखों में)	1995–96 में आंबटित आई.सी. डी.एस. ब्लॉकों की संख्या	पंजीकृत इ.म.ब्ला.सो. की राज्यवार संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	85.40	14	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.10	1	–
3.	असम	30.50	5	–
4.	बिहार	122.00	20	–
5.	गोवा	6.10	1	–
6.	गुजरात	61.00	10	–
7.	हरियाणा	24.40	4	–
8.	हिमाचल प्रदेश	18.30	3	–
9.	जम्मू और कश्मीर	12.20	2	–
10.	कर्नाटक	61.00	10	10
11.	केरल	42.70	7	–
12.	मध्य प्रदेश	85.40	14	5
13.	महाराष्ट्र	97.60	16	5
14.	मणिपुर	6.10	1	–
15.	मेघालय	6.10	1	–
16.	मिजोरम	6.10	1	–
17.	नागालैंड	6.10	1	–
18.	उड़ीसा	42.70	7	–
19.	पंजाब	30.50	5	5
20.	राजस्थान	61.00	10	–
21.	सिक्किम	6.10	1	1
22.	तमिलनाडु	79.30	13	–
23.	त्रिपुरा	6.10	1	–
24.	उत्तर प्रदेश	183.00	30	30
25.	पश्चिम बंगाल	85.40	14	–
26.	दिल्ली	–	2	–
27.	अंडमान और निकोबार	–	1	–
28.	चंडीगढ़	–	1	–
29.	दादर और नागर हवेली	–	1	–
30.	दमन और दीव	–	1	–
31.	लक्षद्वीप	–	1	–
32.	पांडिचेरी	–	1	–

विदेशों में हिन्दी शिक्षण

1329. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने जून, 1996 के दौरान विदेश में हिंदी शिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में जारी मार्ग निर्देशों की अवहेलना करके उम्मीदवारों का चयन किया गया है;

(ग) क्या जो उम्मीदवार पहले से प्रतिनियुक्ति के आधार पर विदेश में थे उन्हें पुनः चयनित किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार आई.सी.सी.आर. को मार्ग निर्देशों के अनुरूप उम्मीदवार का फिर से चयन करने हेतु निर्देश देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) विदेशों में हिन्दी प्राध्यापकों के वर्तमान रिक्त स्थानों और भविष्य में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए तैनात किए जाने वाले हिन्दी प्राध्यापकों का पैनल तैयार करने हेतु प्रमुख भारतीय विश्व विद्यालयों और केन्द्रीय हिन्दी संस्थान से नामांकन प्राप्त करने के उपरान्त भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद ने उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था विधिवत रूप से गठित हिन्दी विशेषज्ञों की चयन समिति ने दिनांक 25–26 जून, 1996 को उपयुक्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया था।

(ख) जी, नहीं। यह चयन विदेशों में हिन्दी प्राध्यापकों की प्रति–नियुक्ति के लिए बने दिशा निर्देशों के अन्तर्गत किया गया है और यह भारत में बहुत से विश्व विद्यालयों से नामांकन प्राप्त करके और आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त ही किया गया है।

(ग) ऐसे चार उम्मीदवार हैं जिन्हें भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद विदेशों में प्रतिनियुक्त कर चुकी है और जिनका चयन करके

नये पैनल में शामिल किया गया है। तथापि, चयन समिति के निर्णय के अनुसार इन उम्मीदवारों को पैनल के अन्त में रखा गया है और उन उम्मीदवारों को योग्यता क्रम के अनुसार अधिमानता दी जाएगी जिन्हें पहले कभी विदेशों में तैनात नहीं किया गया हो।

(घ) और (ङ). जी, नहीं। चूंकि उम्मीदवारों का चयन इस प्रयोजनार्थ निर्धारित दिशा निर्देशों और नीति के अन्तर्गत किया जा चुका है अतः भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद को पुनः साक्षात्कार लेने का निर्देश देने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रक्तदान

1330. श्री पिनाकी मिश्र : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "कन्जेनिटल रिस्क फैक्टर्स" पर स्वीडन में भारतीयों को रक्त दान करने से मना किये जाने के संबंध में 14 जनवरी, 1996 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य यूरोपीय और विकसित देश में वर्ण संबंधी ऐसे आधारों पर भारतीय रक्त दाताओं को रक्त दान करने से मना किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के पास क्या सूचना है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी, हां। तथापि, यह खबर सत्य नहीं है। स्वीडन में ऐसा कोई विधान नहीं है जिससे दाताओं के बीच कंजेनीटल रिस्क फैक्टर के आधार पर भेदभाव होता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ के पानी का बंटवारा

1331. श्री गिरधारी लाल भार्गव :
श्री महेन्द्र सिंह भाटी :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय जल आयोग से गंगा के बाढ़ के जल को राजस्थान के साथ बांटने सम्बन्धी मामले पर त्वरित कार्यवाही करने का अनुरोध/प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में केन्द्रीय जल आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या राज्य सरकार का विचार गंगा नदी के अतिरिक्त जल का उपयोग राज्य के सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से हरिद्वार के निकट 1133 क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड (क्यूमेक) और बिजनौर के निकट 566 क्यूमेक की दर पर मानसून के दौरान 100 दिन के लिए राजस्थान को गंगा जल के व्यपवर्तन के लिए एक स्कीम तैयार करने को कहा गया था। राजस्थान को जल के व्यपवर्तन के लिए इन दो स्थलों पर अधिशेष जल की उपलब्धता का पता लगाने के लिए अध्ययन का कार्य केन्द्रीय जल आयोग को सौंपा गया था। राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को अध्ययन शीघ्र करने का अनुरोध किया है।

(ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि इन दो स्थानों पर गंगा में वर्ष में 20-30 दिन से अधिक पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं था जिसे राजस्थान को व्यपवर्तित किया जा सके। राजस्थान के अनुरोध पर केन्द्रीय जल आयोग अध्ययन की पुनरीक्षा करने के लिए सहमत हो गया है। गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाने का अपेक्षित समय अध्ययन के परिणाम पर निर्भर करेगा।

(घ) और (ङ). जी, हां। राजस्थान ने राज्य के सूखा प्रवण क्षेत्रों में गंगा के अधिशेष बाढ़ जल का उपयोग करने का संकेत दिया है। राज्य, अध्ययन के परिणामों के आधार पर तकनीकी प्रस्ताव तैयार करेगा।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

1332. श्री राजीव प्रताप रूडी :
डा. साहेबराम सुकराम बागूल :
श्री मृत्युन्जय नायक :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार और उड़ीसा में चालू बड़ी और मझौली जल परियोजनाएं विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निधियों के आवंटन के साथ-साथ प्रत्येक राज्य को विश्व बैंक से कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु केन्द्र द्वारा आवंटित निधि में कटौती की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्रीय सहायता की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को उक्त सहायता को अन्य प्रयोजनों के लिए वितरित करने के बारे में पता चला है; और

(च) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 8 वृहद और मध्यम सिंचाईपरियाजनाएं इस समय कार्यान्वित की जा रही हैं। बिहार में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कोई परियोजना चालू नहीं है। उड़ीसा में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त 3 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) परियोजना का नाम, समझौते की तारीख, सहायता राशि और 31.3.96 तक निधियों का उपयोग दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). राज्यों को केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋण और एकमुश्त अनुदानों के रूप में प्रदान की जाती है। सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण परियोजना का अन्वेषण, आयोजना, क्रियान्वयन तथा वित्त पोषण राज्य योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा किया जाता है। अनुमोदित परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी मुख्यतया राज्य सरकार द्वारा जुटाए जाने वाले संसाधनों में कमी के कारण है, जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:-

केंद्रीय सहायता

(करोड़ रुपए में)

	1993-94		1994-95		1995-96	अद्यतन
	(अनुमोदित)	(वास्तविक)	(अनुमोदित)	(वास्तविक)	(अनुमो.)	प्राक्कलन
1.	बिहार	1801.60	1647.46	2068.05	1846.16	1786.57
	1786.57					
2.	उड़ीसा	1213.14	944.35	1311.43	1127.49	1263.29
	1250.13					

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बाह्य सहायता प्राप्त चालू सिंचाई परियोजनाओं की सूची

क्रमांक	परियोजना का नाम	राज्य	समझौते की तिथि	सहायता की राशि	31.3.96 को उपयोग
1	2	3	4	5	6
क.	**विश्व बैंक**				
1.	अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना चरण-II	कर्नाटक	16.6.89	169.208 मि.अ.डा.	150.812 मि.अ.डा.
2.	महाराष्ट्र कम्पोजिट सिंचाई परियोजना-III	महाराष्ट्र	5.12.85	169.083 मि.अ.डा.	138.411 मि.अ.डा.
3.	पंजाब सिंचाई और जल निकास परियोजना	पंजाब	9.2.90	171.429 मि.अ.डा.	93.875 मि.अ.डा.
4.	हरियाणा जल संसाधन समेकन परियोजना	हरियाणा	6.4.94	294.289 मि.अ.डा.	32.263 मि.अ.डा.
5.	तमिलनाडु जल संसाधन समेकन परियोजना	तमिलनाडु	29.4.95	282.9 मि.अ.डा.	12.438 मि.अ.डा.
6.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना	उड़ीसा	19.12.95	290.9 मि.अ.डा.	276.693 मि.अ.डा.

1	2	3	4	5	6
7.	बांध सुरक्षा आश्वासन और पुनर्स्थापन परियोजना	बहुराज्यीय (मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा)	10.6.91	148.884 मि.अ.डा.	20.847 मि.अ.डा.
8.	जल विज्ञान परियोजना	बहुराज्यीय (उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु)	22.9.95	142.0 मि.अ.डा.	4.003 मि.अ.डा.

मि.अ.डा. - मिलियन अमेरिकी डालर।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा

1333. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कितनी बैठकें किन-किन तिथियों को हुई हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए गये हैं; और

(ग) ऐसे निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय मानिटरिंग समिति की एक बैठक 8 नवम्बर, 1995 को हुई।

(ख) और (ग). उस बैठक में हुई चर्चा तथा लिए गए निर्णयों के संबंध में आवश्यक कदम पहले ही शुरू किये जा चुके हैं। ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

सिफारिशें	की गई कार्रवाई
1	2
1. शिक्षा की उपलब्धता, सुलभता और विषय वस्तु में सुधार लाने के लिए सामान्य उपायों के साथ अल्प संख्यकों को लक्ष्य बनाकर विशेष उपाय करने के प्रयास किए जाएं। विशेषतः प्रारंभिक शिक्षा सभी को सुलभ कराने और सम्पूर्ण साक्षरता अभियानों से संबंधित योजनाएं प्राथमिकता आधार पर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में शुरू की जाएं।	**आपरेशन ब्लैकबोर्ड** आपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1986 की तरह सभी प्राथमिक स्कूलों (5.22 लाख) को शामिल कर लिया गया है। जहां तक उच्च प्राथमिक स्कूलों का प्रश्न है अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले ब्लॉकों को प्राथमिकता दी जाएगी। **गैर-औपचारिक शिक्षा** जहां तक अल्पसंख्यक बहुल जिलों वाले राज्यों में गैर-औपचारिक शिक्षा का प्रश्न है, उर्दू में शैक्षणिक सामग्री को तैयार करने तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले ब्लॉकों की पहचान करने पर अत्यधिक बल दिया जाएगा। **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान** कुल जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डी.आई.ई.टी.) में उर्दू शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए विशेष सैल सृजित किए गए हैं। ऐसे और अधिक सैलों का सृजन किया जाएगा।

1	2
	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत 12 अल्पसंख्यक बहुल जिलों की पहचान की गई है। जिनमें मध्य प्रदेश का भोपाल, पश्चिम बंगाल का पश्चिम दीनाजपुर, राजस्थान का जैसलमेर, उत्तर प्रदेश के रामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, गोंडा, पीलीभीत और बिहार के पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और दरभंगा शामिल हैं। अधिकतर जिलों में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किए जा चुके हैं।
2. अल्पसंख्यकों के शैक्षिक विकास संबंधी योजनाओं का समुचित प्रचार किया जाए ताकि अभिप्रेत लाभार्थियों को इस संबंध में पर्याप्त सूचना मिल सके।	निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं : 1. समाचार पत्रों, विशेष तौर पर क्षेत्रिय भाषाओं के सामाचार पत्रों में विज्ञापन देना। 2. पाठकों के अनुकूल पुस्तिकाओं का प्रकाशन कराना 3. अल्पसंख्यकों की शिक्षा के कार्यक्रमों को व्यापक प्रचार देने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध करना। 4. अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रमों के संबंध में सूचना के प्रचार के लिए रेडियो और टी.वी का प्रयोग।
3. अल्पसंख्यकों के लिए कोचिंग कक्षाओं से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना ने अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं किया। इसकी जांच करने की जरूरत है और महिलाओं पर बल देते हुए इसके कार्यान्वयन में तेजी लाई जाए। महिलाओं के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं शीघ्र शुरू की जानी चाहिए।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी शिक्षण केन्द्रों के समन्वयकों को महिला अभ्यार्थियों के शिक्षण पर विशेष बल देने की सलाह दी है।
4. उस लाभ की सीमा के संबंध में उचित आंकड़े तैयार किए जाने चाहिए जो अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनाओं से उस समुदाय के सदस्यों द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं और इस प्रयोजनार्थ, संसाधन संगठनों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से अध्ययन शुरू किए जाएं।	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान से इसके लिए परियोजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है।
5. कार्यक्रम का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ ताल मेल रखने के लिए राष्ट्रीय समिति की एक उप समिति गठित की जाए।	विचाराधीन

नेहरू युवक केन्द्र

1334. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कार्यरत नेहरू युवक केन्द्रों की स्थानवार संख्या कितनी है और इन केन्द्रों द्वारा किन-किन क्षेत्रों में कार्य किया जाता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान झांसी मण्डल में स्थित केन्द्रों पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान झांसी मण्डल में प्रत्येक केन्द्र के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) (क) उत्तर प्रदेश में 63 नेहरू युवा केन्द्र कार्यरत हैं। इन केन्द्रों के स्थान के नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। केवल सुलतानपुर जिले को छोड़कर जहां पर दो नेहरू युवा केन्द्र हैं, एक सुलतानपुर में और दूसरा अमेठी में, प्रत्येक केन्द्र अपने-अपने राजस्व जिले को कवर करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान झांसी मंडल में स्थित केन्द्रों पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान झांसी मंडल में प्रत्येक केंद्र के लिए निम्नानुसार धनराशि स्वीकृत की गई है:-

(1) बांदा	1,80,470/- रुपये
(2) हमीरपुर	1,44,720/- रुपये
(3) झांसी	1,41,300/- रुपये
(4) जालौन	1,39,320/- रुपये
(5) ललितपुर	1,38,720/- रुपये

विवरण-I

उत्तर प्रदेश राज्य में कार्यरत नेहरू युवा केन्द्रों की सूची

क्र.सं	केन्द्र का नाम
1	2
1.	अल्मोड़ा
2.	इलाहाबाद
3.	अलीगढ़
4.	प्रतापगढ़
5.	आजमगढ़
6.	बदायूं
7.	बांदा
8.	बिजनौर
9.	चमोली
10.	देहरादून
11.	देवरिया
12.	फतेहगढ़
13.	फतेहपुर
14.	फैजाबाद
15.	गाजीपुर
16.	गोरखपुर
17.	हमीरपुर
18.	झांसी
19.	लखीमपुर खेरी
20.	मथुरा
21.	मेरठ
22.	मुजफ्फरनगर
23.	मुरादाबाद
24.	नैनीताल
25.	मिर्जापुर
26.	पौड़ी गढ़वाल
27.	पिथौरागढ़
28.	राय बरेली
29.	रामपुर
30.	सीतापुर
31.	सहारनपुर
32.	ऊन्नाव
33.	उत्तर काशी
34.	वाराणसी
35.	सुल्तानपुर
36.	ललितपुर
37.	एटा
38.	आगरा
39.	टिहरी गढ़वाल
40.	बुलन्दशहर
41.	शाहजहां पुर
42.	बहराइच
43.	जौनपुर
44.	बरैली
45.	पीलीभीत
46.	मैनपुरी
47.	लखनऊ
48.	गोंडा
49.	बाराबंकी
50.	बलिया
51.	कानपुर
52.	इटावा
53.	जालौन
54.	गाजियाबाद
55.	हरदौई
56.	बस्ती
57.	हरिद्वार
58.	सिद्धार्थनगर
59.	अमेठी
60.	महाराजगंज
61.	मऊ
62.	फिरोजाबाद
63.	सोनभद्र

विवरण–II

पिछले तीन वर्षों के दौरान झांसी मंडल में स्थित केन्द्रों पर किया गया व्यय

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	1993-94 (रु.)	1994-95 (रु.)	1995-96 (रु.)
1.	बांदा	2,38,871=90	1,70,937=00	1,65,070=00
2.	हमीरपुर	1,49,280=40	1,74,833=50	1,76,401=00
3.	झांसी	1,54,330=15	82,777=30	1,42,095=50
4.	जालौन	1,40,053=10	1,81,913=100	1,11,186=00
5.	ललितपुर	1,48,302=20	1,34,377=30	2,00,295=55

खेल-कूद संबंधी नयी नीति

1335. कुमारी उमा भारती :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री पंकज चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खूल-कूद के संबंध में कोई नयी नीति बनायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त नीति को कब तक लागू किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र

1336. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में जिला-वार कितने कुष्ठ उन्मूलन केन्द्र चल रहे हैं;

(ख) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इन केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र को कितनी सहायता राशि मंजूर की गई और कितनी-कितनी सहायता राशि दी गई,

(ग) क्या उन केन्द्रों में कुष्ठ रोगियों को कोई निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) असम के विभिन्न जिलों में कार्य कर रहे कुष्ठ उन्मूलन केन्द्रों की संख्या संलग्न है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा इन केन्द्रों को सहायता विमुक्त की जाती है। तथापि, पिछले 3 वर्षों के दौरान असम राज्य को विमुक्त की गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है :-

भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई सहायता

(लाख रुपये में)

वर्ष	नकद	वस्तुगत	योग
1993-94	18.00	1.49	19.49
1994-95	20.00	16.47	36.47
1995-96	20.00	42.45	62.45

(ग) जी हां।

(घ) जब कभी भी राज्य सरकार को आवश्यकता होती है सभी रोगियों के निःशुल्क उपचार के लिए राज्य को कुष्ठ रोधी औषधों की आपूर्ति की जा रही है।

विवरण

जिलों के नाम	असम राज्य में कार्यरत कुष्ठ निवारण केन्द्रों की संख्या						
	सैट	यू एल सी	यू यू एल सी	कुष्ठ उपचार केन्द्र	एल सी यू	एस एल सी यू	एम एल टी यू
1	2	3	4	5	6	7	8
कामरूप	16	1	1	4			1
नलवाड़ी	13			2			1
कोकराझार	5				1		1

1	2	3	4	5	6	7	8
बोंगईगांव	8						1
धुबरी	16						1
बरपेटा	6						1
ग्वालपाड़ां	8	1		1	1		1
नौगांव	19	1		3			1
मोरीगांव	5						
गोलाघट	9	1		1			1
जोरहाट	13	1		1			1
डिब्रूगढ़	16	1		1		1	1
शिवसागर	16	1		1		1	1
तिनसुकिया	10	1		1	1		1
धोमाजी	13						1
लखीमपुर	26			4			1
दारांग	7				1		1
सोनितपुर	10	2					1
कारबी-आवलोंग	18			27	2		–
करीम गंज	8	1		2			1
एन सी हिल्स	4			7	1		1
कछार	14	1		1			1
हैलाकोंडी	5			1			1
जोड़	268	13	1	56	7	2	22

सेट : सर्वेक्षण, शिक्षा तथा उपचार केन्द्र

यू.एल.सी : शहरी कुष्ठ केन्द्र

यू यू एल सी : उन्नत शहरी कुष्ठ केन्द्र

एल सी यू : कुष्ठ नियंत्रण केन्द्र

एम यू एल सी :आधुनिकीकृत कुष्ठ नियंत्रण इकाई

एम एल टी यू :कुष्ठ उपचार चल ईकाई

राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद

1337. श्री मोहन रावले : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 27 फरवरी, 1995 के अतारांकित प्रश्न सं. 35 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद की स्थापना कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों को राज्य स्तर पर इसी प्रकार के निकाय स्थापित करने का भी परामर्श दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) जी, हां।

(ख) अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन) की अध्यक्षता में राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद का गठन किया गया है और 23-5-1996 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है जिसके सदस्य भारत सरकार,

इंडियन रेडक्रास सोसायटी, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय चिकित्सा संघ प्रमुख चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संस्थानों और प्राइवेट रक्त संस्थानों के हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) अब तक निम्नलिखित 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने संबंधित राज्यों में रैक्त आधान परिषदों की स्थापना की पुष्टि की है:-

1. आंध्र प्रदेश
2. असम
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. जम्मू-कश्मीर
6. कर्नाटक
7. केरल
8. महाराष्ट्र
9. मिजोरम
10. मणिपुर
11. उड़ीसा
12. उत्तर प्रदेश
13. तमिलनाडु
14. पंजाब
15. त्रिपुरा
16. पश्चिम बंगाल
17. पाण्डिचेरी
18. चण्डीगढ़ प्रशासन
19. दमण एवं दीव

[हिन्दी]

सिंथेटिक दूध

1338. श्री मृत्युन्जय नायक :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री कचरूभाऊ राऊत :
श्री पंकज चौधरी :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कई भागों में दुग्धउत्पादकों द्वारा खतरनाक रसायनों के मिश्रण से तैयार किया गया सिंथेटिक दूध बेचा जा रहा है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई उपचारात्मक उपाय किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस प्रकार के दूध के संभावित दुष्प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार द्वारा सिंथेटिक दूध तैयार करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) देश के उत्तरी भाग के कुछ राज्यों से मिलावटी पदार्थों वाले दूध के कुछ मामलों की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग). मिलावटी दूध की बिक्री निषिद्ध है और यह खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 के उपबंधों के अन्तर्गत एक दंडनीय अपराध है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को निगरानी उपायों को तेज करने और अपराधियों के विरुद्ध उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।

(घ) और (ङ). दूध में सोडियम हाइड्रोक्साइड/डिटरजेन्ट्स/ऐडेड यूरिया के होने से जठरोये विकार हो सकते हैं।

(च) और (छ). संबंधित राज्य प्राधिकारियों ने अभियोजन शुरू किया है और कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

पटना और इलाहाबाद के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग

1339. श्री राम कृपाल यादव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटना और इलाहाबाद के बीच यातायात हेतु राष्ट्रीय जलमार्ग को अभी तक शुरू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस जलमार्ग को कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). पूर्ण ज्वार की अवधि में पटना और इलाहाबाद के बीच जलमार्ग यातायात के लिए खुला रहता है। तथापि, इसे पूरे वर्ष भर नौचालन योग्य बनाने के लिए, तल विनियमन संबंधी कार्यकलाप, जैसे निकर्षण, बंडालिंग और टर्मिनल सुविधाओं हेतु प्रावधान को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है और इन्हें कार्यों की बढ़ोत्तरी और निधियों की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध किया जाएगा।

अनुसंधान केन्द्र, नालंदा

1340. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नालंदा में महाविहार एण्ड पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च सेन्टर (स्नातकोत्तर अनुसंधान केन्द्र) की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए की गई थी और क्या ये उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं;

(ख) इतने गौरवपूर्ण स्थान पर स्थित इस अनुसंधान केन्द्र का केन्द्रीय शिक्षा विभाग द्वारा अधिग्रहण करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस अनुसंधान केन्द्र में विकास गतिविधियों को सीधे निगरानी करने के लिए विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) और (ख). नव नालंदा महाविहार (एन.एन.एम;) पाली भाषा, साहित्य तथा बौद्ध दर्शन में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान के लिए समर्पित संस्थान, की स्थापना बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1951 में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी। वर्ष 1990 में बिहार सरकार ने नव नालंदा महाविहार को भारत सरकार (संस्कृति विभाग) को सौंप देने का निर्णय लिया। इस संस्था के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसके चहुंमुखी विकास को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, भारत सरकार (संस्कृति विभाग) ने नव नालंदा महाविहार के संगम ज्ञापन नियम, विनियम और उप-नियम तैयार किए। विधिक और प्रशासकीय औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् भारत सरकार के दिनांक 7.12.1993 के संकल्प के तहत नव नालंदा महाविहार का अधिग्रहण किया गया। इस संस्था का पंजीकरण 25.2.1994 को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक सोसायटी के रूप में किया गया।

(ग) नये प्रबंध के अनुसार, नव मालंदा महाविहार भारत सरकार (संस्कृति विभाग) द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्त सोसायटी है। संस्थान के मामलों के प्रबंध के लिए एक निदेशक की नियुक्ति की गई है। सोसायटी की शैक्षिक परिषद् और वित्त समिति भी गठित की गयी है।

[अनुवाद]

खेल संस्थान

1341. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं में खेल-कूल को बढ़ावा देने के लिए देश में कितने खेल संस्थान चल रहे हैं/ खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नए संस्थानों के लिए स्थलों की पहचान की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान संस्थान-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई और कितनी राशि खर्च की गई; और

(ङ) खेल-वार प्रतिभा खोजने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोड़ी आदित्यन आर.) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, महिलाओं में खेलों को प्रोत्साहित करता है। राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केन्द्रों और विशेष क्षेत्र खेल (एस.ए.जी.) योजना, जो महिलाओं में भी खेलों का संवर्धन करती है, के अलावा निम्नलिखित योजनाएं केवल महिलाओं के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं :-

(1) **महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल महोत्सव**

यह महोत्सव प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और इसमें राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा छोटे स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन (ब्लाक, जिला और राज्य स्तर) अंतर्ग्रस्त है इसके पश्चात राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

(2) **खेल प्रतिभा खोज छात्रवृति योजना**

इस योजना के अंतर्गत, महिला राष्ट्रीय चैम्पियनों को और शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्रीधारी महिलाओं को तथा भारतीय खेल प्राधिकरण से एन.आई.एस. डिप्लोमा/एम.फिल./पी.एच.डी. करने वाली महिलाओं को छात्रवृति प्रदान की जाती है।

(3) **महिलाओं में खेल और शारीरिक शिक्षा का संवर्धन**

इस योजना के अंतर्गत, प्रत्येक वर्ष महिला शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के लिए विशेष प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत अपनाए गए स्कूलों के संबंध में तथा एस.ए.आई. प्रशिक्षण केन्द्रों और विशेष क्षेत्र खेल योजना के संबंध में ब्यौरे संलग्न विवरण I, II, और III पर दिए गए हैं।

(घ) औसतन भारतीय खेल प्राधिकरण उपर्युक्त भाग (क) के पैरा-I में उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत, दाखिल किए गए बच्चों की शिक्षा, प्रशिक्षण और टूर्नामेंटों में सहभागिता के लिए प्रत्येक बच्चे पर प्रतिवर्ष 37,500/- रुपये की धनराशि खर्च करता है। वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

1993-94	2,87,47,306/-	रुपये
1994-95	2,91,12,480/-	रुपये
1995-96	2,45,92,701/-	रुपये

(ङ) उपर्युक्त सभी योजनाओं के अंतर्गत, भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय निदेशालयों के सहयोग से स्थानीय प्राधिकारियों एवं राज्य सरकारों की सहायता से, ब्लाक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रतिभा की खोज की जाती है। संलग्न विवरणा IV में दिए ब्यौरे के अनुसार 17 खेल विधाओं में प्रतिभा की खोज की जा रही है।

विवरण–I

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना के अंतर्गत अपनाए गए स्कूल

	स्कूल का नाम	खेल विधा	लड़के	लड़कियां	कुल
	1	2	3	4	5
पंजाब					
*1.	राजकीय उच्चतर माध्यमिक बालिका विद्यालय, जालन्धर	एथलेटिक		14	
		हाकी			
				06	20
*1-ए.	यादनन्द पब्लिक स्कूल, पटियाला	एथलेटिक	08	03	11
2.	शिवालिक पब्लिक स्कूल	एथलेटिक	08	05	
		हाकी	11	-	
		वालीवाल	13	03	
		बैडमिंटन	04	-	
		कुश्ती	18	-	
		फुटबाल	11	-	73
हरियाणा					
1.	मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल, राई	एथलेटिक	15	08	
		जिमनास्टिक	06	06	
		हाकी	04	-	
		तैराकी	09	02	50
हिमाचल प्रदेश					
*1.	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माजरा	हाकी		07	07
दिल्ली					
*1.	एयर फोर्स बाल भारती स्कूल, नई दिल्ली	बैडमिंटन		05	
		बास्केटबाल		02	
		तैराकी		02	09
*2.	मदर्स इन्टरनेशनल स्कूल, नई दिल्ली	एथलेटिक		05	
		टेबिल टेनिस		03	08
उत्तर प्रदेश					
*1.	एम.के.पी. इन्टर कालेज, देहरादून	हाकी		14	
		टेबल टेनिस		02	
		वालीवाल		02	
		बैडमिंटन		02	20

1		2	3	4	5
मध्य प्रदेश					
*1.	महारानी लक्ष्मीबाई	एथलेटिक		10	
	राजकीय बहुउद्देशीय	बास्केटबाल		02	
	स्कूल, जबलपुर	जिमनास्टिक		03	15
पश्चिम बंगाल					
*1.	राजकीय बालिका	एथलेटिक		23	
	हाई, स्कूल, कृष्णानगर	जिमनास्टिक		10	
		वालीवाल		06	39
*2.	डाउनहिल विद्यालय	एथलेटिक		04	
	कारशियांग	वास्केटबाल		04	
	पश्चिम बंगाल	जिमनास्टिक		13	21
3.	ताल्दी मोहनचन्द	एथलेटिक	14	06	
	हार्ह स्कूल, ताल्दी	तैराकी	15	07	
		वालीवाल	04	02	48
उड़ीसा					
*1.	सेन्ट मेरी बालिका विद्यालय, सुन्दरगढ़	एथलेटिक		05	05
बिहार	राजकीय बालिका	एथलेटिक		14	
	हाई स्कूल, रांची	हाकी		12	
		वालीवाल		04	30
सिक्किम					
	ताशी नामग्याल	एथलेटिक	03	02	
	अकादमी गंगतोक	बैडमिंटन	02	02	
		फुटबाल	14	–	
		टेबल टेनिस	03	01	
* ये विद्यालय केवल लड़कियों के लिए हैं।		तैराकी	03	02	32
असम					
1.	राजकीय उच्चतर	एथलेटिक	04	06	
	माध्यमिक बेजबरूआ	फुटबाल	13	–	23
	विद्यालय, गोलाघाट				
अरुणाचल प्रदेश					
1.	दोनी पोलो विद्या	फुटबाल	08	–	
	भवन, ईटानगर	एथलेटिक	16	09	33
महाराष्ट्र					
1.	प्रवर पब्लिक स्कूल	एथलेटिक	11	10	
	प्रवरनगर	जिमनास्टिक	09	–	
		तैराकी	10	02	
		बास्केटबाल	12	03	
		हाकी	04	–	61

	1	2	3	4	5
2.	मुक्तांगन इंगलिश	एथलेटिक	33	22	
	स्कूल, पुणे	जिमनास्टिक	03	08	66
3.	संजीवन विद्यालय	बैडमिंटन	04	02	
	पंचगनी	बास्केटबाल	05	–	
		तैराकी	–	02	13
गुजरात					
1.	एन.एस.टी.सी.	एथलेटिक	–	11	
	गांधी नगर	हाकी	04	–	
	(छात्रावास) गांधी नगर	जिमनास्टिक	–	02	17
आंध्र प्रदेश					
1.	वी.पी. सिद्धार्थ	एथलेटिक	03	05	
	पब्लिक स्कूल,	बास्केटबाल	03	–	
	विजयवाड़ा	जिमनास्टिक	11	04	26
केरल					
1.	माउंट कार्मल बालिका विद्यालय, कोट्टायम	एथलेटिक	–	13	13
		कुल	318	322	640

विवरण–II

भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केन्द्र

क्र.सं	राज्य	केन्द्र	खेल विधा	संवासियों की स्थिति		
				लड़के	लड़कियां	
1	2	3	4	5	6	7
1.	पंजाब	पटियाला	जिमनास्टिक	01	05	
			हाकी	23	–	
			जूडो	09	–	
			तैराकी	–	–	38
2.	आंध्र प्रदेश	ऐलूरू	एथलेटिक	05	–	
			वालीवाल	05	–	
			भारोत्तोलन	03	01	14
3.	कर्नाटक	धारवाड़	एथलेटिक	18	03	
			बास्केटबाल	12	–	33
4.	कर्नाटक	मेडिकेरी	एथलेटिक	–	12	
			हाकी	21	–	33

1	2	3	4	5	6	7
5.	कर्नाटक	बंगलौर	एथलेटिक	05	02	
			मुक्केबाजी	03	–	
			फुटबाल	16	–	
			हाकी	25	–	
			जूडो	06	–	57
6.	केरल	कोलान	एथलेटिक	20	11	
			फुटबाल	07	–	38
7.	केरल	त्रिचूर	एथलेटिक	03	06	
			बास्केटबाल	–	11	
			बैडमिंटन	03	–	
			तैराकी	01	02	26
8.	केरल	कालीकट	एथलेटिक	14	–	
			बैडमिंटन	–	01	
			वालीवाल	14	–	
			फुटबाल	17	–	46
9.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	बास्केटबाल	08	–	
			जिमनास्टिक	05	07	
			वालीवाल	04	–	24
10.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	एथलेटिक	06	03	
			फुटबाल	03	–	
			हाकी	21	–	
			तीरंदाजी	04	06	43
11.	उड़ीसा	कटक	एथलेटिक	12	06	
			फुटबाल	27	–	
			जिमनास्टिक	05	02	
			बास्केटबाल	14	–	
			हाकी	–	–	66
12.	महाराष्ट्र	बुलडाना	एथलेटिक	06	04	
			हैंडबाल	02	12	24
13.	महाराष्ट्र	कांडीवाली	एथलेटिक	11	04	
			हाकी	26	–	
			कुश्ती	11	–	52
14.	राजस्थान	अजमेर	एथलेटिक	–	09	
			बास्केटबाल	–	04	
			वालीवाल	–	03	16
15.	असम	गोलाघाट	एथलेटिक	13	13	
			फुटबाल	15	–	41

1	2	3	4	5	6	7
16.	असम	गुवाहाटी	एथलेटिक	05	03	
			फुटबाल	23	–	
			साईकलिंग	06	03	
			भारोत्तोलन	04	03	47
17.	मेघालय	शिलौंग	एथलेटिक	05	09	
			तीरंदाजी	09	–	
			फुटबाल	28	–	51
18.	मणिपुर	इम्फाल	एथलेटिक	10	09	
			फुटबाल	21	–	
			हाकी	–	16	
			साईकलिंग	08	05	69
19.	चंडीगढ़(संघ शासित)	चंडीगढ़	एथलेटिक	–	08	
			बास्केटबाल	–	10	
			वालीवाल	–	09	
			हाकी	–	16	43
20.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर	एथलेटिक	03	04	
			वालीवाल	07	–	
			मुक्केबाजी	06	–	20
21.	गोवा	मारगांव	एथलेटिक	04	04	
			फुटबाल	19	–	
			मुक्केबाजी	06	–	33
				567	247	814

विवरण–III

भारतीय खेल प्राधिकरण

विशेष क्षेत्रीय खेल

क्र.सं	केन्द्र का नाम	खेल विधा	लड़कों की संख्या	लड़कियों की संख्या	कुल	
1	2	3	4	5	6	
	मिजोरम					
1.	एजवाल	मुक्केबाजी	20	–	20	36
		जूडो	9	7	16	
	मणिपुर					
2.	इम्फाल	मुक्केबाजी	12	–	12	66
		जूडो	15	6	21	
		कुश्ती	15	–	15	
		भारोत्तोलन	–	18	18	

1	2	3	4	5	6	
	केरल					
3.	एलैप्पी	क्याकिंग	10	7	17	
		केनोइंग	5	–	5	39
		रोईंग	15	2	17	
4.	तेलीचेरी	जिमनास्टिक	7	7	14	14
5.	दिल्ली (सम्बद्ध सदस्य-5)	तीरंदाजी	4	1	5	
		साइकलिंग	7	4	11	27
		फेंसिंग	11	–	11	
	उत्तर प्रदेश					
6.	इलाहाबाद	जिमनास्टिक	11	11	22	22
	बिहार					
7.	रांची	हाकी	13	5	18	18
	उड़ीसा					
8.	जगतपुर	रोइंग	5	5	10	
		केनोइंग	4	–	4	21
		क्याकिंग	4	3	7	
	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह					
9.	(क) पोर्ट ब्लेयर	क्याकिंग	5	5	10	
		केनोइंग	4	–	4	
		रोइंग	–	6	6	44
		साइकिलिंग	14	10	24	
	(ख) कार निकोबार	एथलेटिक	1	–	1	
		फुटबाल	19	–	19	20
			210	97	307	307

विवरण–IV

खेल विधाओं की सूची

1. एथलेटिक्स
2. हाकी
3. वालीवाल
4. बास्केटबाल
5. फुटबाल
6. बैडमिटन
7. कुश्ती
8. जिमनास्टिक
9. टेबल टेनिस
10. तैराकी
11. जूडो
12. मुक्केबाजी
13. भारोत्तोलन
14. फेंसिंग
15. साइकलिंग
16. तीरंदाजी
17. जलीय खेल (क्याकिंग, केनोइंग व रोइंग)

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्मारकों को गिराना

1342. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में भोजशाला "धार" में ऐतिहासिक स्मारकों "शिला लेख" को नष्ट/गिराया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो संस्कृत और पाली भाषाओं में खुदे हुए इस ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) मध्य प्रदेश में भोजशाला धार में किसी भी "शिला लेख" (इन्स्क्रप्शन) को नष्ट/गिराया नहीं जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू एवं कश्मीर में सेना द्वारा अधिगृहित की गई भूमि

1343. श्री गुलाम रसूल कार : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू एवं कश्मीर में सेना द्वारा अभी तक कुल कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) क्या भूमि के मालिकों को मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सेना द्वारा किराये के आधार पर कितनी भूमि ली गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जम्मू और कश्मीर में जम्मू और कश्मीर स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1968 तथा जम्मू और कश्मीर भूमि अर्जन अधिनियम, 1990 (एस वी टी) के अंतर्गत अब तक 11,420.459 एकड़ भूमि अर्जित की गई है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त अर्जित भूमि के बदले मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है, केवल निम्नलिखित क्षेत्रों के मामले में उनके सामने बताए गए कारणों से मुआवजा नहीं दिया जा सका है;

(1) 1007.469 एकड़-राज्य सरकार के प्राधिकारियों से जम्मू और कश्मीर स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम के अनुसार अदा की जाने वाली मुआवजे की राशि का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट प्राप्त न होना।

(2) 894 एकड़-राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने जम्मू और कश्मीर भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत अंतिम अधिनिर्णय घोषित नहीं किया है। तथापि, 9,76,34,600 रुपये की अदायगी खाते में भुगतान के रूप में कर दी गई है।

(3) 32,176 एकड़ - राज्य सरकार से मूल्यांकन रिपोर्ट फरवरी, 1996 में प्राप्त हुई है। रक्षा मंत्रालय इस रिपोर्ट की रक्षा संपदा महानिदेशक के साथ परामर्श करके जांच कर रहा है।

(घ) सेना ने 30726.731 एकड़ भूमि किराए पर ली है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

1344. श्री ललित ठरांव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनजातीय लोक कला और संस्कृति का संरक्षण और विकास करने के लिए रांची (बिहार) में एक क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार द्वारा इलाहबाद में स्थापित उत्तर-मध्य अंचल सांस्कृतिक केन्द्र के अंतर्गत सहभागी राज्यों में बिहार पहले ही एक सहभागी राज्य है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार

1345. डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय :
श्री एस.डी.एन. आर. वाडियार :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य ने जापान और जर्मनी के विश्वव्यापी प्रभाव और शक्ति को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता देने हेतु इस परिषद का विस्तार करने के वास्ते संयुक्त राष्ट्र को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव के प्रतिकार में कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार ने भारत के दक्षिण एशिया के मुख्य देश के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के अधिकार पर बल देने हेतु क्या कदम उठाए हैं तथा उसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता की उम्मदवारी का समर्थन किन-किन देशों ने किया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ङ). सुरक्षा परिषद की पुनर्संरचना के संबंध में संयुक्त राष्ट्र में चल रहे विचार-विमर्शों में अमरीका ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए जापान और जर्मनी की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। तथापि, उन्होंने अन्य देशों की उम्मीदवारी पर कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। भारत ने स्थायी तथा गैर-स्थायी सदस्यों की श्रेणियों के किसी प्रकार के विस्तार में विकासशील देशों को शामिल करने की मांग की है। भारत ने इस बात पर भी बल दिया है कि निष्पक्ष मानदण्ड के आधार पर कुछ देश स्थायी सदस्यता के लिए स्पष्ट रूप से पात्र होंगे जिनमें भारत भी एक है। स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी के मामले को द्विपक्षीय बातचीत के दौरान तथा सुरक्षा परिषद की पुनर्संरचना से सम्बद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा के खुले कार्यदल में दृढ़तापूर्वक उठाया गया है। भूटान, मारीशस, क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए गए वक्तव्यों में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है जबकि कई अन्य देशों ने द्विपक्षीय बातचीत के दौरान भारत का समर्थन किया है। कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक विस्तार की मांग करके यह कहा है कि उसमें विकासशील देशों को भी शामिल किया जाए।

एक वर्षीय स्नातक डिग्री कोर्स

1346. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जो तीन वर्ष के स्थान पर एक वर्ष में ही स्नातक की डिग्री प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है और ऐसे विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं, और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, उस्मानिया, ककातीय तथा कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय एक ही सत्र में अवर स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य कार्यक्रम

1347. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कौन-कौन से राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन कार्यक्रमों के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा वास्तव में कितनी खर्च की गई;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि रही;

(घ) क्या इन कार्यक्रमों के विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, प्रभावी क्रियान्वयन पर और अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). कर्नाटक में चल रहे प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर आवंटन और व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य क्षेत्र के कार्यक्रम हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा सीधे चलाए जाते हैं और उनके द्वारा ही उनको मानीटरिंग की जाती है। जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

(घ) और (ङ). राज्य में माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं को समुन्नत करने के लिए विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने पर बल दिया गया है। परियोजना की लागत 546.37 करोड़ रुपए है और यह 6 वर्ष की अवधि के लिए है और सम्पूर्ण राज्य को कवर करेगी। विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए डानिडा, सीडी, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे बाह्य एजेंसियों से भी सहायता उपलब्ध कराई गई है।

विवरण-I

कर्नाटक में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चल रहे प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आवंटन और व्यय का विवरण

(लाखों रुपये में)

स्कीम का नाम	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन
राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	318.35	318.35	241.05	241.05	476.65	476.65	432.92	432.92	849.68
राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	130.00	137.20	180.00	103.29	205.00	130.86	237.00	250.98	250.00
राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यकम	89.00	170.25	117.00	102.31	154.00	81.80	199.50	191.06	300.00
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	57.35	38.68	70.44	43.81	76.96	63.07	89.39	74.32	74.44
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	117.87	4.00	129.31	79.48	197.88	55.44	239.86	27.96	239.80
राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम	3395.11	4719.78	4676.51	5602.03	6974.61	6401.41	7557.81	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

* 1.1.96 से 31.3. 96 तक के व्यय की प्रतीक्षा है।

**अनन्तिम

विवरण- II

कर्नाटक में 1995-96 के दौरान प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	1995-96 उपलब्धि
1	2	3
1.	**राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम**	
	क. पता लगाए गए और उपचारित पॉजिटिव रोगी	0.25 मिलियन
	ख. पता लगाए गए और उपचारित पी.एफ. रोगी	0.03 मिलियन
	मलेरिया रोधी उपायों को कीट नाशको और औषधों की आपूर्ति करके और सुदृढ़ किया गया :-	
	रा.म.उ. कार्यक्रम के अन्तर्गत भेजे गए कीटनाशी	
	डीडीटी	555 मे.टा
	मलेरियान टेलन	1250 कि.ग्रा.
	लार्वानाशी	
	सैकिस	7000 लीटर
	टेम्फोस	1500 लीटर
	पाइराध्रा एक्सट्रेक्ट	1500 लीटर
	रा.म.उ.का. के अन्तर्गत भेजी गई दवाइयां	
	क्लोरोक्विन गोलियां	134 लाख
	प्राइमाक्विान गोलियां (7.5 मि.ग्रा.)	32 लाख
	प्राइमाक्विन गोलियां (2.5 मि.ग्रा.)	30 लाख
	कुइन इंजे.	15990 एम्पा.
2.	**राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम**	
	पता लगाए गए नए रोगी	0.22 लाख
	उपचारित रोगी	0.22 लाख
	छुट्टी दिए गए रोगी	0.34 लाख
3.	**राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम**	
	पता लगाए गए नए रोगी	0.57 लाख
	थूक जांच	0.30 लाख*
4.	**राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम**	
	मोतियाबिन्द आपरेशन	1.35 लाख

*अनन्तिम

1	2	3
5.	**परिवार कल्याण कार्यक्रम**	
(क)	टीकाकरण कवरेज	कवर किए गए बच्चे
	डी पी टी	11.57 लाख
	पोलियो	11.59 लाख
	बी सी जी	12.34 लाख
	खसरा	10.87 लाख
(ख)	टी टी (गर्भवती महिलाएं)	12.91 लाख
	नसबन्दी	3.82 लाख
	आई यू डी	3.48 लाख
	प्रचलित गर्भ निरोधकों के उपयोगकर्ता	3.74 लाख
	मुख सेव्य गोली उपयोगकर्ता	1.51 लाख

6. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम :

इस समय एच आई वी / एड्स रोकथाम और नियंत्रण के लिए देश भर में एक व्यापक योजना चलाई जा रही है। कार्यक्रम की कार्यनीति में शामिल हैं - (i) एच आई वी / एड्स के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करके आचरण परिवर्तन (ii) रक्त निरापदता और रक्त का युक्तिसंगत उपयोग (iii) यौन संचारित रोगों का नियंत्रण और (iv) एच आई वी/ एड्स संक्रमित व्यक्तियों की निगरानी और नैदानिक उपचार। पिछले चार वर्षों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन से राज्य में निम्नलिखित बुनियादी ढांचा तैयार किया गया है-

आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र	9
रक्त बैंकों का आधुनिकीकरण	42
एच आई वी परीक्षण सुविधाएं	10
यौन संचारित रोग क्लिनिक	32

7. राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना

कर्नाटक राज्य में माध्यमिक स्तर की स्वास्थ्य प्रणालियों अर्थात प्रथम रेफरल बिन्दु (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) से जिला स्वास्थ्य अस्पतालों को समुन्नत करने के लिए राज्य स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है। इसकी लागत 546.37 करोड़ रुपए है तथा यह 1996 से छह वर्षों के लिए है।

अपराधियों का प्रत्यर्पण

1348. श्री शरत पटनायक : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से अपराधियों के प्रत्यर्पण संबंधी कितने मामले लंबित पड़े हैं; और

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से व्यक्तियों के प्रत्यर्पण के लिए लम्बित अनुरोध विवरण-I में दिए गए हैं। प्रत्येक मामले पर कार्यवाही की स्थिति का ब्यौरा भी अनुबन्ध में दिया गया है।

विवरण-I

भारत सरकार द्वारा प्रार्थित प्रत्यर्पण से सम्बन्धित लम्बित मामलों की सूची

संख्या	अभियुक्त का नाम	देश जिससे प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है (दिनांक सहित)	मामले पर कार्यवाही की स्थिति
1	2	3	4
1.	आर.एस. गिल तथा सुखविन्दर सिंह अपराध- जनरल वैद्य तथा श्री ललित माकन की हत्या	संयुक्त राज्य अमरीका 1987	यह मामला संयुक्त राज्य अमरीका के न्यायालय में विचाराधीन है
2.	कुलवीर सिंह अपराध हत्या	संयुक्त राज्य अमरीका नवम्बर, 1994	अनुरोध संयुक्त राज्य अमरीका के प्राधिकारियों के पास लम्बित है।
3.	दया सिंह लाहोरिया तथा उनकी पत्नी कंवलजीत कौर उर्फ सुमन सूद अपराध- हत्या, अपहरण आपराधिक षडयंत्र	संयुक्त राज्य अमरीका सितम्बर, 95	जांच मजिस्ट्रेट ने यह आदेश दिया था कि लहोरिया तथा सूद के समर्पण के लिए भारत गणराज्य की सरकार के उचित प्राधिकारियों की मांग पर एक वारंट जारी किया जाए।

1	2	3	4
4.	अमीर भाई उर्फ के.एस.एम. अम्मरूद्दीन उर्फ के.एस.एम. मौह. अम्मरूद्दीन उर्फ आरिफ भाई अपराध- अपराधिक षडयंत्र तथा रिश्वतखोरी	हांगकांग जनवरी, 96	हांगकांग प्राधिकारियों से उत्तर की प्रतीक्षा है।
5.	दाऊद इब्राहिम तथा अन्य अपराध- बम्बई बम विस्फोट का षडयंत्र	संयुक्त अरब अमीरात पाकिस्तान अप्रैल, 94	पाकिस्तान की सरकार ने अपने उत्तर में यह कहा था कि ये अभियुक्त पाकिस्तान में नहीं हैं। अनुरोध संयुक्त अरब की सरकार के पास लम्बित है।
6.	वी. प्रभाकरन तथा पोट्टू ओमान उर्फ शिवशंकर अपराध- भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या करने का आपराधिक षडयंत्र	श्रीलंका जून, 1996	श्रीलंका के प्राधिकारियों के पास विचाराधीन

[हिन्दी]

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाएं

1349. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों की सिंचाई परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक या अन्य विदेशी एजेंसियों से सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी-कितनी है और इन परियोजनाओं से कितनी भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राजस्थान सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुजरात के सी.आर.एफ. से धनराशि का आवंटन

1350. श्री शान्ति लाल पुरषोत्तम दास पटेल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से गुजरात को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या केन्द्रीय सड़क निधि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति राशि में से राज्य को और भी धनराशि दी जानी है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष का इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष राशि कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 में केन्द्रीय सड़क निधि में से गुजरात को आवंटित राशि नीचे दर्शाई गई है :-

(लाख रु.)

वर्ष	राशि
1994-95	239.00
1995-96	139.00

(ख) से (घ). स्थिति इस प्रकार है :-

वर्ष	राशि
1993-94	80.00 (जारी की जा चुकी है)
1994-95	239.00 (जारी की जा चुकी है)
1995-96	139.00 (जारी की जा चुकी है)

संसद द्वारा अनुदान मांगें पारित किए जाने के बाद 1996-97 के लिए धनराशि जारी की जाएगी।

सरदार सरोवर नर्मदा बांध परियोजना

1351. श्री हरिन पाठक : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने क्षेत्रों में विस्थापितों के पुनर्वास कार्य में सहयोग नहीं करने के कारण सरदार सरोवर नर्मदा बांध परियोजना का कार्य रुक गया है;

(ख) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के साथ यह मामला उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग). बांध की अन्तिम ऊंचाई और परियोजना से प्रभावित परिवारों के संतोषजनक पुनर्वास के संबंध में पक्षकार राज्यों के बीच मतभेद होने के कारण सरदार सरोवर परियोजना के मुख्य बांध पर कार्य रोक दिया गया था। माननीय प्रधान मंत्री की पक्षकार राज्यों और 16.7.1996 को आयोजित बैठकों में अब इसका समाधान किया गया है। राज्य बांध की ऊंचाई और बढ़ाने के लिए आवश्यक पुनर्वास और पुनर्स्थापना उपाय कार्यान्वित करने के लिए राजी हो गए हैं।

बराक बांध परियोजना

1352. श्री संतोष मोहन देव : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बराक बांध (तिपैमुख बांध) के निर्माण हेतु तकनीकी मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या यह सच है कि मणिपुर सरकार के विरोध के कारण कार्य की प्रगति में बाधा पड़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कार्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). मणिपुर सरकार ने परियोजना की पुनर्स्थापना और पुनर्वास पहलुओं, कार्य-स्थल के भूकम्पीय प्रभाव और पर्यावरणीय विवक्षाओं पर कुछ टिप्पणियां की हैं। मामला मणिपुर सरकार के साथ उठाया गया है। इस परियोजना पर कोई और प्रगति करने के लिए मणिपुर की सहमति आवश्यक है।

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

1353. श्री कचरू भाऊ राउत : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). जी, हां। राज्य सरकार से फरवरी, 1986 में प्राप्त संगोला शाखा नहर परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी आर्थिक रूप से जांच केन्द्रीय जल आयोग में की गई थी और सलाहकार समिति ने मई, 1986 में 37.01 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर इसे इस शर्त पर स्वीकार्य पाया था कि राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति और राज्य वित्त विभाग से सहमति प्राप्त कर ली जाए।

(ग) राज्य सरकार को सलाहकार समिति की टिप्पणियों की अनुपालन करनी है।

सिंचाई सुविधा

1354. श्री मुरलीधरन जेना :
श्री माधव सरदार :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज तक सिंचित भूमि का राज्यवार प्राप्त प्रतिशत क्या है;

(ख) उड़ीसा में सिंचित भूमि का प्रतिशत क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा में सिंचाई सुविधा कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). कृषि मंत्रालय द्वारा भूमि के प्रयोग के संबंध में प्रकाशित 1992-93 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उड़ीसा में कृषि योग्य कुल क्षेत्र की तुलना में निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 25.6 प्रतिशत है, जबकि इसकी राष्ट्रीय औसत 27.2 प्रतिशत है। प्रत्येक राज्य में सिंचित भूमि का प्रतिशत अलग-अलग होता है क्योंकि सिंचाई क्षमता का सृजन करने वाले वित्तीय संसाधनों का अभाव, जल संसाधनों और कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता, भूमि की रूपरेखा जैसे कारण प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होते हैं।

(ङ) चूंकि सिंचाई राज्य का मामला है, अतः भारत सरकार चल रही वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं को जल्दी पूरा करने, चल रही सतही जल लघु सिंचाई योजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने सतही व भूजल के संयुक्त प्रयोग को प्रोत्साहित करने वृहद एवं मध्यम

परियोजनाओं में प्रयोग करने वालों की भागीदारी को बढ़ाकर और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देकर सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के मामले पर राज्य सरकारों से आग्रह कर रही है।

विवरण

1992-93 (अनन्तिम) के अंत तक राज्यवार निवल सिंचित क्षेत्र, कुल कृषि योग्य क्षेत्र और उसका प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य का नाम	निवल सिंचित क्षेत्र	कुल कृषि योग्य क्षेत्र	कुल कृषि योग्य क्षेत्र के निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	4029	15855	25.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	36	268	13.4
3.	असम	572	3229	17.7
4.	बिहार	3344	11084	30.2
5.	गोवा	23	198	11.6
6.	गुजरात	2642	12358	21.4
7.	हरियाणा	2628	3769	69.7
8.	हिमाचल प्रदेश	99	807	12.3
9.	जम्मू व कश्मीर	311	1049	29.6
10.	कर्नाटक	2194	13049	16.8
11.	केरल	335	2444	13.7
12.	मध्य प्रदेश	4775	22811	20.9
13.	महाराष्ट्र	2470	21165	11.7
14.	मणिपुर	65	164	33.6
15.	मेघालय	45	1077	4.2
16.	मिजोरम	8	584	1.4
17.	नागालैंड	60	648	9.2
18.	उड़ीसा	2070	8086	25.6
19.	पंजाब	3861	4254	90.8
20.	राजस्थान	4471	25711	17.4
21.	सिक्किम	16	114	14.0
22.	तमिलनाडु	2698	8361	32.3
23.	त्रिपुरा	50	310	16.1
24.	उत्तर प्रदेश	11322	20838	54.3
25.	पश्चिम बंगाल	1911	5932	32.2
	कुल राज्य	50035	184165	27.2
	कुल संघ शासित क्षेत्र	66	211	31.3
	कुल योग	50101	184376	27.2

स्रोत : कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भूमि प्रयोग आंकड़े (नवीनतम)

हांगकांग में रहने वाले भारतीय

1355. डा. एम.पी. जाबसवाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हांगकांग चीन को हस्तांतरित करते समय 3000 से अधिक भारतीय राष्ट्रविहीन हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस मामले पर चीन के अधिकारियों से बातचीत का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). हांगकांग में उत्प्रवास विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारतीय मूल के जिन व्यक्तियों को भविष्य में तय की जाने वाली किसी तारीख को राज्यविहीन दर्जे का सामना करना पड़ता है उनकी संख्या 3190 है। इन व्यक्तियों को भारतीय मूल हांगकांग के ऐसे स्थाई निवासी के रूप में माना जाता है जिनके पास ब्रिटिश अधीन प्रदेशों की नागरिकता है या वे ब्रिटिश राष्ट्रिक विदेशी पासपोर्ट धारक हैं लेकिन उनके पास कोई अन्य राष्ट्रिकता नहीं है।

जब हांगकांग। जुलाई, 1997 को वापस चीन की सम्प्रभुता के अधीन आ जाएगा तब वे व्यक्ति जो हांगकांग में 7 वर्ष के सतत निवास का प्रमाण दे सकेंगे वे ही स्थायी पहचान पत्र पाने के हकदार होंगे। इन स्थाई पहचान पत्रों के आधार पर उन्हें हांगकांग में आवास का अधिकार मिलेगा। अधिकतर जिन व्यक्तियों के पास ब्रिटिश अधीन प्रदेश की नागरिकता है अथवा जिनके पास ब्रिटिश राष्ट्रीय विदेशी पासपोर्ट है उनमें से अधिकांश के बारे में यह उम्मीद की जाती है कि वे इसके पात्र होंगे।

इस समय यू.के. की वर्तमान नीति के अनुसार ब्रिटिश अधीन प्रदेश नागरिकों अथवा ब्रिटिश राष्ट्रीय विदेशी पासपोर्ट धारकों के

1997 के बाद जन्म लेने वाले बच्चों की दो पीढ़ियों को ब्रिटिश विदेशी नागरिकों का दर्जा दिया जाएगा। इससे उन्हें ब्रिटिश कौंसीली संरक्षा का अधिकर तो मिलेगा लेकिन उन्हें यूनाइटेड किंगडम में आवास का अधिकार नहीं मिलेगा। इनकी तीसरी पीढ़ी को यह दर्जा नहीं दिया जाएगा यदि वे तब तक चीन अथवा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त नहीं कर लेते हैं तो वे उस स्थिति में राज्यविहीन हो सकते हैं।

(ग) और (घ). सरकार ने इस मामले को ब्रिटेन तथा चीन की सरकारों के साथ उठाया है। सरकार का बराबर यह दृष्टिकोण रहा है कि ब्रिटिश अधीन प्रदेशों के नागरिकों अथवा ब्रिटिश राष्ट्रीय विदेशी पासपोर्ट धारकों के प्रति बुनियादी जिम्मेदारी ब्रिटेन सरकार की है और यह भी कि उसे चाहिए कि वह ब्रिटिश नागरिकों के रूप में इन व्यक्तियों के दर्जे की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। कई अवसरों पर चीन के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह कहा है कि ये व्यक्ति चीनी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नदी जल का उपयोग

1356. श्री जग मोहन : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के नदी जल का अधिकतम उपयोग किए जाने हेतु एक व्यापक योजना तैयार की गई है;

(ख) क्या सरकार ने उन क्षेत्रों/राज्यों की पहचान की है जिन पर अगले दस वर्षों में जल-वितरण विवादों के कारण विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों में जल की अत्यधिक कमी तथा इसकी बढ़ती हुई मांग के कारण उक्त विवादों का गंभीर रूप ले लेने से रोकने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को जल का अन्तरण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिदृश्य तैयार किया गया है। इससे नदी जल का उपयोग बढ़ाने में सहायता मिलेगी। जलाशयों में वाष्पीकरण नुकसान को कम करने और जल के वितरण में कुशल हस्तांतरण से उपयोग बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

(ख) देश में बढ़ती हुई आबादी और आर्थिक उत्पादन कार्यकलापों से जल की मांग बढ़ रही है। अतः जल की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता में कमी करने से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

(ग) बेसिन राज्यों के मध्य जल के बंटवारे पर समझौते और अधिकरण के पंचाट पक्षों पर बाध्यकारी हैं। राज्यों को सतही और भूजल के संयुक्त प्रयोग द्वारा जल की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करना है।

[हिन्दी]

छावनी क्षेत्र के अंतर्गत सड़कें

1357. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सड़कों पर यातायात प्रतिबंध लगाने संबंधी नीति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बरेली छावनी क्षेत्र के अंतर्गत कितनी सड़कों को सार्वजनिक परिवहन के यातायात हेतु प्रतिबंधित किया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) छावनी क्षेत्र की सड़कों पर सार्वजनिक वाहनों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी नीति नहीं है। छावनी क्षेत्र में गलियां/सड़कें बंद करने/खोलने का काम छावनी अधिनियम 1924 की धारा 192 के तहत किया जाता है। छावनी अधिनियम के संगत उद्धरण संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग). छावनी बोर्ड ने बरेली छावनी की किसी भी सड़क पर सार्वजनिक वाहनों के आने-जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा रखा है। तथापि, बरेली छावनी क्षेत्र में दो सड़कें ऐसी हैं जिन पर सुरक्षा कारणों से वाहनों के आने-जाने पर कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं क्योंकि ये सड़कें सैन्य क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं। इनमें से एक सड़क जाट रेजिमेंटल सेंटर से होकर गुजरती है। यह ए-1 भूमि पर बनी एक आंतरिक सड़क है जिसका इस्तेमाल मुख्यतः जाट रेजिमेंटल सेंटर के वाहन और कार्मिक करते हैं। इस संबंध में लोगों ने सिविल मुकदमा दायर किया है जो न्यायाधीन है।

दूसरी सड़क सेना सेवा कोर और पशु परिवहन बटालियन क्षेत्र से होकर गुजरती है। इस सड़क पर भारी वाहनों के आने-जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है क्योंकि इस सड़क पर प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए पशु बार-बार आते-जाते रहते हैं।

इन दोनों सड़कों पर पैदल चलने वाले व्यक्तियों और साइकिल सवारों को आने-जाने दिया जाता है परंतु भारी वाहनों को आने-जाने की अनुमति नहीं है।

विवरण

192. पथ का बंद किया जाना और खोलना

(1) (बोर्ड) (कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी की या निदेशक की) पूर्व मंजूरी के बिना न तो कोई पथ स्थाई रूप से बंद करेगा और न ही कोई नया पथ खोलेगा।

(2) (कार्यपालक अधिकारी) मरम्मत के लिए अथवा जल निकासी, जल प्रदाय या रोशनी से संबंधित कोई काम या कोई नया

काम, जिसे करने के लिए व इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात हो, करने के लिए किसी पथ या पथ के किसी भाग को लोक सूचना द्वारा अस्थाई रूप से बंद कर सकेगा :

परंतु जहां कि कोई काम करने या मरम्मत करने या किसी नए हेतुक से किसी पथ की अथवा किसी जल संकर्म, नाली, पुलिया या परिसर की, जो बोर्ड में निहित है दशा ऐसी है कि उससे लोक साधारण को खतरा होना संभाव्य है, वहां, (बोर्ड) -

(क) पारस्वस्थ इमारतों और भूमि की संरक्षा के लिए सब युक्तियुक्त तरीके अपनाएगा तथा उसमें जाने या उससे आने के युक्तियुक्त रास्ते के लिए भी उपलब्ध करेगा।

(ख) जीवन और संपदा की सुरक्षा के लिए पर्याप्त रोध या बाड़ लगवाएगा तथा ऐसे रोध या बाड़ों को पर्याप्त रूप से सूर्यास्त से सूर्योदय तक प्रकाशयुक्त रखेगा।

टिप्पणियां

(1) सड़क सड़क के किसी हिस्से पर भारी वाहनों के आने-जाने पर रोक लगाने वाला आदेश रोक लगाने से पूर्व-आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई- शांति और धारित संपत्ति बनाए रखने के लिए लोगों की सुरक्षा के वास्ते आदेश जारी किए गए- आदेश जारी करने और उसे कार्यान्वित करने के अधिकार नगरपालिका के पास थे।

(2) सार्वजनिक सड़क- इसमें सड़क के दोनों ओर की भूमि शामिल है।

मेडिकल कालेज

1358. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरियारम कन्नानोर, केरल में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कालेज कब से शुरू होने की संभावना है;

(घ) क्या हुडको द्वारा पेरियारम मेडिकल कालेज को दी जाने वाली प्रस्तावित अग्रिम धन राशि रोक दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). मेडिकल कालेज खोलने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 10 (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत 17 जुलाई, 1995 को एकेडेमी फार मेडिकल साईंसिज, पेरियारम, कन्नूर को केन्द्र सरकार की अनुमति दी गई।

(ग) निदेशक, एकेडेमी आफ मेडिकल साईंसिज, कन्नूर, द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार मेडिकल कालेज ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था

(घ) और (ग). सरकार के पास इस बात की कोई सूचना नहीं है।

[अनुवाद]

नए टीके का आविष्कार

1359. डा. कृपा सिन्धु भोई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एड्स, मलेरिया, मिरगी तथा अनेक अन्य रोगों के इलाज के लिए कुछ नए प्रकार के टीके के आविष्कार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त टीके का परीक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इन टीकों की बिक्री के लिए बाजार में उपलब्ध कराने के लिए वाणिज्यिक उत्पादन कब तक शुरू कराये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ). वैज्ञानिक कुष्ठ, जापानी मस्तिष्कशोथ, मलेरिया, एड्स, रेबीज, के एफ डी आदि जैसी बीमारियों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए ऐसी नई वैक्सीनें तैयार करने के प्रयास कर रहे हैं जो कम खर्चीली और कम प्रतिकूल प्रभावों वाली हों। मिरगी के लिए ऐसी किसी वैक्सीन के विकास के बारे में कोई सूचना नहीं है।

नई वैक्सीनें जब भी तैयार की जाती हैं, उन पर भारत और बाहर, दोनों जगह क्षेत्र परीक्षण करने के लिए अध्ययन किए जाते हैं। वैक्सीनों का वाणिज्यिक उत्पादन तभी आरम्भ किया जा सकता है जब वैक्सीनों की प्रभावकारिता और निरापदता सुनिश्चित हो जाए।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिक

1360. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विभिन्न राज्य सरकारें और सरकारी उपक्रम विभिन्न रोजगारों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति का अनुपालन कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सैनिक कल्याण बोर्ड को अधिक कारगर और कुशल बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में वृद्धि करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भूतपूर्व सैनिकों को समूह 'ग' पदों में 14.5 प्रतिशत और समूह "घ" पदों में 24.5 प्रतिशत आरक्षण मुहैया कराते हैं। बिहार, केरल, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्यों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का अलग-अलग प्रतिशत निर्धारित कर रखा है।

(ग) राज्यों/राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे संघ शासित क्षेत्रों में सैनिक कल्याण विभागों के मानकीकरण और उन्हें पुनः कार्यक्षम बनाए जाने संबंधी उप समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करें।

(घ) और (ङ). सरकार ने पांचवां वेतन आयोग गठित किया है। वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ सशस्त्र सेना कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विद्यमान पेंशन ढांचे की जांच करना और उससे संबंधित वांछनीय और व्यवहार्य सिफारिशें करना शामिल है।

विवरण

भूतपूर्व सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं इस प्रकार हैं :-

(1) भूतपूर्व सैनिकों को सैन्य अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपचार मुहैया कराया जाता है।

(2) गंभीर रोगों से ग्रस्त भूतपूर्व सैनिकों को सिविल अस्पतालों में उपचार कराए जाने के लिए ऐसी स्थिति में कुल व्यय के 60 प्रतिशत के बराबर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जब उनका उपचार सैन्य अस्पतालों में न किया जा सकता हो और न ही उन्हें अन्य स्रोतों से ऐसी सहायता प्राप्त हुई हो।

(3) भूतपूर्व सैनिक नजदीकी सी एस डी कैंटीनों से कैंटीन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

(4) युद्ध में मारे गए या स्थाई रूप से निशक्त हुए रक्षा कार्मिकों के बच्चों को, जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में अध्ययनरत हैं, उन संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य शुल्क से पूरी छूट प्रदान की जाती है।

(5) युद्ध में अथवा शांति काल के दौरान सेवा संबंधी कारणों से मारे गए या निशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को एम बी बी एस में 25 सीटें और बी डी एस में एक सीट आरक्षित की गई है।

(6) युद्ध में मारे गए अथवा स्थाई रूप से निशक्त हुए रक्षा/अर्द्ध सैन्य बलों के बच्चों को छह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में प्रत्येक में दो सीटें आरक्षित हैं।

(7) सेवारत और सेवानिवृत्त सशस्त्र सेना कार्मिकों के बच्चों के लिए सैनिक स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

(8) परम वीर चक्र, महावीर चक्र, अशोक चक्र, और कीर्ति चक्र, के वीरता पुरस्कार विजेताओं, स्थाई रूप से निशक्त हुए अफसरों और उनके परिवारों के आश्रित सदस्यों और स्वतंत्रता पश्चात् के युद्धों में मारे गए सैनिकों की पत्नियों को इंडियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों में यात्रा करने के लिए हवाई किराए में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(9) युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों को द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने के लिए रेल किराए में 75 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

(10) युद्ध में दिवंगत सैनिकों और निशक्त कार्मिकों के बच्चों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 35 वार मेमोरियल होस्टल बनाए गए हैं ताकि वे अपना अध्ययन जारी रख सकें। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड इन होस्टलों में रह रहे बच्चों को शैक्षिक अनुदान भी प्रदान करता है।

(11) बुजुर्ग और अशक्त भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को गरीबी की परिस्थितियों में रक्षा मंत्री की विवेकाधिकार निधि से वित्तीय सहायता दी जाती है।

(12) भूतपूर्व सैनिकों के लिए संपूर्ण देश में 238 सैनिक भवन/विश्राम गृह बनाए गए हैं।

2. इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारें भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत सी सुविधाएं/रियायतें भी प्रदान कर रही हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर बाई पास

1361. श्री अमर रायप्रधान : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 पर फलाकाटा से पुनिबआरी बाईपास के निर्माण तथा तोर्षा नदी पर पुल के निर्माण के संबंध में आज की तारीख तक कितना प्रतिशत कार्य सम्पन्न हुआ है: और

(ख) शेष कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). दिनांक 31.3.96 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 31 पर फलाकाटा पुंडीबारी बाईपास सड़क और तोर्षा नदी पर पुल की प्रगति निम्न प्रकार है :-

बाईपास सड़क	-	40 प्रतिशत
तोर्षा पुल	-	45 प्रतिशत

इसे मार्च, 1998 में पूरा करने का लक्ष्य है।

केरल में केन्द्रीय विद्यालय

1362. श्री सुरेश कोडीकुन्नील :
श्री एस. अजय कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को शिक्षा सत्र 1996-97 के दौरान केरल में नये केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) 1996-97 के दौरान कितने केन्द्रीय विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी जाएगी;

(ग) केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) उक्त कार्य को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). वर्ष 1996-97 में केरल में कोई केन्द्रीय विद्यालय संस्वीकृत नहीं किया गया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय

1363. डा. प्रवीन चंद्र शर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक भी संग्रहालय नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में प्रागज्योतिषपुर (गुवाहाटी) तथा शिबसागर जैसे स्थानों में कोई गहन सर्वेक्षण/खुदाई कराई गई है;

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार का ऐसा करने का विचार है; और

(ङ) इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री : (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां। पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कोई संग्रहालय नहीं है।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उन स्थानों में संग्रहालय स्थापित करता है जहां बहुत बड़े पैमाने पर खुदाई की जाती है और जहां से बहुत बड़ी संख्या में पुरावशेष पाये जाते हैं। उत्खनित अवशेषों सहित ये अवशेष उस स्थल के समीप सुरक्षित रखे जाते हैं।

(ग) हाल ही में असम सरकार के पुरातत्व विभाग ने गुवाहाटी स्थित अम्बारी में खुदाई की है। इस खुदाई से प्राचीन बस्तियों का पता चला है जिसमें भवन एवं ऐतिहासिक पुरावशेष हैं। इस राज्य के पुरातत्व विभाग ने हाल ही में सिबसागर में अन्वेषण किए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

सड़कों के लिए आवंटन

1364. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सड़क नेटवर्क हेतु धनराशि के आवंटन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में सड़क नेटवर्क हेतु धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कें संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आती हैं। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, कुल योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विकास के लिए निधियों के आवंटन में गिरावट आई है और यह प्रथम योजना के 1.4 प्रतिशत से घटकर आठवीं योजना में 0.6 प्रतिशत रह गया है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों का बढ़ा हुआ आवंटन प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, यह राष्ट्रीय स्तर पर संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

चिकित्सा उपकरणों की खरीद

1365. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री आर.एल.पी. वर्मा :
श्री पिनाकी मिश्र :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री सनत मेहता :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक से विभिन्न अस्पतालों द्वारा अवैध और अनधिकृत रूप से शुल्क मुक्त आयातों का लाभ उठाकर 5000 करोड़ रुपए मूल्य के चिकित्सा उपकरणों के आयात की जांच करने का निर्देश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कौन-कौन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार कतिपय मामलों में सीमा शुल्क मुक्त प्रमाण पत्रों को जारी करने के मामले की जांच इस मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा की जा रही है। यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

शिशु मृत्यु दर

1366. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिशु मृत्यु दर अत्यधिक है;

(ख) इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इसकी राज्य-वार स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) शिशु मृत्यु दर को कम करने और तत्पश्चात् इसको रोकने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) तथा (ख). भारत के महापंजीयक के अनुसार, 1993 में 0-4 वर्ष आयु के शिशुओं की अनुमानित शिशु मृत्यु दर 23.7 प्रति 1000 थी। समय पूर्व जन्म, तीव्र श्वसनी संक्रमण, अतिसार के रोग तथा वेक्सिन निरोध्य रोग शिशुओं की मृत्यु का एक बड़ा कारण रहे हैं। निरक्षरता, गरीबी तथा अपर्याप्त विकास-संरचना और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना भी शिशु मृत्यु दर के कारण रहे हैं।

(ग) बड़े राज्यों में वर्ष 1991-1992 तथा 1993 में अनुमानित शिशु (0-4 वर्ष) मृत्यु दर संबंधी सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) शिशु जीवन रक्षा एवं सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम के अन्तर्गत टीकाकरण, विटामिन ए की कमी की रोकथाम, अतिसार रोगों का समुचित उपचार और तीव्र श्वसनी संक्रमण तथा नवजात शिशुओं के लिए निवार्य परिचर्या की जा रही है ताकि बच्चों की रूग्णता और मृत्यु दर में कमी आ सके।

विवरण

बड़े राज्यों में शिक्षा मृत्यु (0-4 वर्ष आयु ग्रुप में आयु-विशेष मृत्यु)

	1991	1992	1993
	1	2	3
आंध्र प्रदेश	21.3	20.0	17.1
असम	32.4	30.5	36.1
बिहार	22.8	26.8	25.3
गुजरात	23.3	23.7	20.7
हरियाणा	23.0	22.8	20.3
कर्नाटक	23.6	21.7	20.0
केरल	4.3	3.9	3.4
मध्य प्रदेश	44.5	38.5	36.9
महाराष्ट्र	16.3	15.9	14.1
उड़ीसा	39.0	33.4	33.7
पंजाब	17.0	17.4	16.1
राजस्थान	30.9	33.6	26.2
तमिलनाडु	16.1	15.3	13.6
उत्तर प्रदेश	35.6	37.8	32.9
पश्चिम बंगाल	20.6	18.4	17.0

स्रोत :- नमूना पंजीकरण पद्धति।

[हिन्दी]

वर्दी और कंबलों की खरीद

1367. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मार्च, 1996 से आज तक सैनिकों के लिए वर्दी तथा कंबल खरीदे गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार को उनके घटिया स्तर के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (च). भारतीय सेना के सैनिकों के लिए वर्दी और कम्बलों की अधिप्राप्ति लगातार पूरे वर्ष की जाती है। 1.3.1996 से 30.6.1996 तक अपर महानिदेशक (आयुध निर्माणी), हथकरघा क्षेत्र और व्यापार से की गई वर्दी और कम्बल की खरीद के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

क्र.सं	मद	मात्रा (अदद)	राशि (रुपये)
1	2	3	4
1.	पालिएस्टर सूती सादा बुनी कमीज	90,506	2,12,68,910
2.	पालिएस्टर सूती सादा बुना पजामा	1,04,745	3,08,99,775

1	2	3	4
3.	कम्बल	1,94,423	5,76,62,475
4.	बूट एंकल डी बी एस	2,38,454	10,37,27,490
5.	पुरूषों की जैतूनी हरे रंग की जुराबें	6,84,996	3,76,23,620

उपर्युक्त मदों में से कुछ के बारे में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रयोक्ता यूनिटों से दोष संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और गुणता आश्वासन महानिदेशक ने उनकी जांच की थी। वर्दी की खराबियां रंग उड़ने और उपयुक्त रंग न होने से संबंधित थीं। जहां तक बूटों का संबंध है, उनमें सोल अलग हो जाने की खराबी थी। दोष की छानबीन की रिपोर्ट के आधार पर सेना प्राधिकारियों ने निरीक्षण स्टाफ को गुणता पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी और आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर को गुणता मानकों में सुधार लाने का परामर्श दिया।

[अनुवाद]

सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग

1368. श्री राजीव प्रताप रूडी :
श्री के.सी. कोंडय्या :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी-गैर-सरकारी क्षेत्र के संयुक्त उद्यम कार्यक्रम के अंतर्गत देश में सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कुल कितने पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी और धनराशि के स्रोत क्या होंगे?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं। तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करवाने के लिए निजी क्षेत्र से विश्व-व्यापी निविदाएं आमंत्रित की थी। उसके उत्तर में 22 भारतीय तथा विदेशी बोली दाताओं ने अपने प्रस्ताव भेजे।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिला विकास निगम

+1369. श्री महेश कनोडिया :
श्री काशीराम राणा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अब तक महिला विकास निगम की स्थापना हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां पर इसकी स्थापना की गई है; और

(ग) अब तक निगम द्वारा क्या कार्य किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम लिमिटेड सम्पूर्ण गुजरात राज्य में कार्यरत है।

(ग) निगम ने महिलाओं की शक्ति-सम्पन्नता तथा आर्थिक विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें शुरू की हैं;

(1) विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण स्कीम;

(2) आयोत्पादक कार्यकलाप शुरू करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए महिलाओं को ऋण प्रदान करने की स्कीम;

(3) महिला औद्योगिक सहकारिताओं को सीमान्त धन सहायता;

(4) महिला सहकारी समितियों को सुनिश्चित विपणन सुविधाएं;

(5) जागृति विकास स्कीमें; और

(6) देश भर में विभिन्न स्थानों पर बिक्री-सह-प्रदर्शिनयां आयोजित करके महिला उद्यमियों/महिला सहकारिताओं आदि के लिए विपणन सुविधाएं।

[अनुवाद]

परमाणु कार्यक्रम

1370. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अप्रैल, 1996 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "यू.एस.रिपोर्ट सेज इण्डिया विलिंग टु गो स्लो ऑन न्यूक्लियर प्रोग्राम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रेस रिपोर्ट की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). समाचारों में छपी खबर सही नहीं है।

[हिन्दी]

सड़क विकास परियोजनाओं में गैर-सरकारी क्षेत्र

1371. **कुमारी उमा भारती :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सड़क विकास परियोजनाओं में गैर-सरकारी कम्पनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. टी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). जी हां। सरकार ने निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण (बी ओवी) आधार पर सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र को शामिल करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में आवश्यक संशोधन जून, 1995 में पहले ही कर दिए गए हैं और यह स्कीम पहले से ही कार्यान्वयन के स्तर पर है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय प्रणाली की दाखिला क्षमता

1372. **श्री सौम्य रंजन पटनायक :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शैक्षणिक वर्ष 1995-96 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय प्रणाली के अंतर्गत स्वीकृत स्कूलों की राज्यवार कुल संख्या, अध्यापकों के पदों की संख्या तथा दाखिला क्षमता कितनी-कितनी थी; और

(ख) उक्त शैक्षणिक वर्ष के दौरान वास्तव में कुल कितने अध्यापक राज्यवार सेवा में थे तथा कुल कितने छात्र स्कूलों में दाखिल थे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). वर्ष 1995-96 के दौरान कुल 838 केन्द्रीय विद्यालय थे तथा इनमें 22 नए केन्द्रीय विद्यालय वे भी शामिल हैं जो 1995-96 के दौरान खोले गए थे।

34,065 की संस्वीकृत संख्या के मुकाबले में वर्ष 1995-96 में 31,017 शिक्षक नियुक्त थे।

1995-96 के दौरान दाखिल किए गए छात्रों की वास्तविक संख्या तथा दाखिला क्षमता के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

1373. **डा. अरूण कुमार शर्मा :**
श्री मोहन रावले :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम तथा महाराष्ट्र सरकारों ने जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों सहित अपने राज्यों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम असम और महाराष्ट्र सहित देश भर में पहले से ही चल रहा है जिसमें आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

असम राज्य को दिसम्बर, 1994 से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है जिसमें सम्पूर्ण असम को कवर किया जा रहा है और उसमें राज्य के आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्र भी शामिल हैं। महाराष्ट्र राज्य को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र और राज्य सरकार के बीच 50:50 के आधार पर सहायता प्रदान की जा रही है।

इसके अतिरिक्त सात प्रायद्वीपीय राज्यों, जिनमें महाराष्ट्र भी शामिल है, के आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों को तेज करने के लिए बाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु एक मलेरिया नियंत्रण परियोजना इस समय तैयार की जा रही है।

एड्स नियंत्रण

1374. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन देश में एड्स के नियंत्रण के लिए कोई आर्थिक सहायता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संगठन से गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य सरकार को कितनी-कितनी राशि दी गई;

(घ) इन वर्षों के दौरान वार्षिक आवंटन की कितनी प्रतिशत राशि का उपयोग किया गया;

(ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई राशि के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने में असफलता के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व के अन्य भागों की तुलना में मुम्बई में टोक्सोप्लाज्मा (मस्तिष्क क्षति) की घटनाएं अधिक होती हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ङ). विश्व स्वास्थ्य संगठन देश भर में इस समय चल रहे एड्स रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम के लिए पांच वर्षों की अवधि (1992-97) हेतु अनुमानतः 1.5 मिलियन अमरीकी डालर की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस सहायता के अन्तर्गत राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय परामर्शी सेवाएं, उपस्कर और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सामग्री प्रदान करता है।

(च) मुम्बई में टेक्सोप्लाजमा की घटनाएं देश के अन्य भागों से अधिक होती हैं। तुलना करने के लिए विश्व के अन्य देशों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(छ) टोक्सोप्लाजमा एच आई वी/एड्स के अवसरवादी संक्रमणों में से एक है। एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए मुम्बई सहित सारे देश में इस समय एक गहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध

1375. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध और मजबूत बनाने के लिये पिछले दो वर्षों के दौरान कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) देशवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्षेत्रीय

क्षेत्रीय स्तर पर, भारत इस समय दक्षिण पूर्व एशियसयाई देशों के संघ (आसियान) का पूर्ण वार्ता भागीदार है, और इसे आसेयान क्षेत्रीय मंच जिसे इस क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए बनाया गया था के विचार-विमर्शों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस समय विदेशी मंत्री जकार्ता में आसियान तथा ए आर एफ से सम्बद्ध बैठकों में भाग ले रहे हैं।

सिंगापुर

1. तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव सितम्बर, 1994 में सिंगापुर गए थे। उनकी इस यात्रा के दौरान, 12 "कारपोरेट" करार तथा विदेश कार्यालय परामर्श से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ। उनकी इस यात्रा के दौरान एक व्यापार शिष्टमण्डल ने भी सिंगापुर की यात्रा की।

2. सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री गोह चोक तोंग ने भारतीय उद्योग परिसंघ के शताब्दी समारोहों में भाग लेने के लिए जनवरी, 1995 में कलकत्ता की यात्रा की। अपनी इस यात्रा के दौरान, उनकी तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राव के साथ उपयोगी द्विपक्षीय बातचीत हुई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न हुआ।

3. प्रधान मंत्री श्री राव के निमंत्रण पर, सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री, एवं वहां के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री ली क्वान येव ने जनवरी, 1996 में भारत की यात्रा की।

4. एफ डी आई के अनुमोदन के अनुसार 1995 में सिंगापुर भारत में चौथे सबसे बड़े निवेशक देश के रूप में उभरा है स्रोतः (एसआईए)।

5. सिंगापुर कम्पनियों की सहायता प्राप्त वर्तमान परियोजनाओं में बंगलोर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, बंगलोर अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परियोजना इत्यादि शामिल है।

6. सिंगापुर सरकार ने 19 से 21 जून 1996 तक प्रथम बार सार्वभौम भारतीय उद्यमियों का सम्मेलन करने की पहल करके विश्व भर से भारतीय और भारतीय मूल के व्यापारियों को एक मंच पर इकट्ठा किया था। वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने 19-20 जून को सिंगापुर की यात्रा की और "आई आई ई सी" में मुख्य भाषण दिया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने सिंगापुर के प्रधन मंत्री, उप प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री तथा सूचना मंत्री से भी मुलाकात की।

7. जुलाई, 1994 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह तथा सिंगापुर के संस्कृति मंत्री श्री बी जी जार्ज इयो ने संयुक्त रूप से "अलंकार-भारत के 5000 वर्ष" नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। वर्ष 1996-98 तक के लिए कला, संस्कृति तथा अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक कार्यकारी कार्यक्रम सम्पन्न करना विचाराधीन है।

मलेशिया

1. तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव अगस्त, 1995 में कुआलालम्पुर की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा से द्विपक्षीय सम्बन्धों को एक नयी गति मिली। 25 सदस्यीय व्यापार शिष्टमण्डल भी प्रधान मंत्री के साथ गया था। कई समझौता ज्ञापन तथा करार सम्पन्न हुए और द्विपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया गया।

2. मलेशिया के प्रधान मंत्री डा. महाथिर मोहम्मद को हाल ही में वर्ष 1994 के लिए जवाहर लाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

3. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री दातो सेरी रफीदा अजीज ने द्विपक्षीय परामर्श तथा सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अप्रैल 1995 में भारत की यात्रा की।

4. विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) ने द्विपक्षीय परामर्श के लिए मई, 1996 में कुआलालम्पुर की यात्रा की जिसके दौरान उन्होंने वहां के विदेश मंत्री श्री बदावी से मुलाकात की।

5. वाणिज्य सचिव मार्च, 1996 के दौरान मलेशिया गए। मलेशिया के व्यापार समुदाय से मिलने के अतिरिक्त उन्होंने फिक्की तथा उसके मलेशियाई समक्ष द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संगोष्ठी में मुख्य भाषण दिया।

थाईलैन्ड

1. थाईलैन्ड के प्रधान मंत्री महामान्य बानहरन सिल्पा-आर्चा इस वर्ष सितम्बर में सरकारी यात्रा पर भारत आएंगे।

2. थाईलैन्ड की राजकुमारी सुश्री महाचक्री सिरीधरन सम्भवतया दिसम्बर, 1996 में अण्डमान एवं निकोबार संघ शासित क्षेत्र की यात्रा पर आएंगी।

3. दोनों देशों के बीच एक संयुक्त आयोग है जिसकी पिछली बैठक जनवरी, 1996 में बैंकाक में तब हुई थी जब तत्कालीन विदेश मंत्री थाईलैन्ड गए थे।

4. द्विपक्षीय निवेश संवर्द्धन एवं संरक्षण करार (बी आई पी ए) को सम्पन्न करने के लिए 31 जुलाई से 2 अगस्त, 1996 तक द्विपक्षीय वार्ताएं होनी हैं।

5. प्रत्यर्पण संधि सम्पन्न करने के लिए वार्ता का पहला दौर नवम्बर, 1995 में बैंकाक में हुआ था। दूसरा दौर इस वर्ष सितम्बर में होने की उम्मीद है।

6. भारत ने थाईलैन्ड के महामहिम नरेश के राज्यारोहरण की स्वर्ण जयन्ती के समारोहों में भारत महोत्सव के रूप में भाग लिया जिनका समापन 1997 को आरम्भ में भगवान बुद्ध के पवित्र स्मृतिचिन्हों को दर्शनार्थ रख कर किया जाएगा।

7. भारत और थाईलैन्ड में आई सी सी आर तथा थाईलैन्ड के अन्तर्राष्ट्रीय स्टडीज सेन्टर के बीच सहयोग से सम्बद्ध एक समझौता ज्ञापन है। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत नई दिल्ली में मार्च, 1996 में भारत-थाई संवाद हुआ।

8. द्विपक्षीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सहयोग वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और थाईलैन्ड वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के बीच संयुक्त कार्यक्रम के स्वरूप का है। चुलालोंगकोर्न विश्वविद्यालय बैंकाक में इलैक्ट्रानिक्स डिजायन प्रयोगशाला की स्थापना भारत सरकार की सहायता से की गई थी।

9. थाईलैन्ड के हाउस आफ रिप्रेजेन्टेटिव के द्वितीय डिप्टी स्पाकर के नेतृत्व में सांसदों का एक आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल 31 जनवरी से 7 फरवरी, 1996 तक भारत आया। प्रतिनिधिमण्डल ने भारत के निर्वाचन आयोग के साथ उपयोगी बातचीत की।

ब्रूनी

1. भारत और ब्रूनी के बीच हवाई संपर्कों की स्थापना की गई जिसका उद्घाटन नवम्बर, 1995 में ब्रूनी की राजधानी बंदर सेरी बेगवान तथा कलकत्ता के बीच ब्रूनी एयरलाइन्स की उड़ान से हुआ।

2. दोनों देशों की वरिष्ठ अधिकारी स्तर की एक संयुक्त समिति है जिसकी द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के लिए पिछले दो वर्षों में दो बैठकें हुई थीं। इसकी पहली बैठक ब्रूनी के विदेश मंत्रालय में स्थायी सचिव की फरवरी, 1995 की यात्रा के दौरान हुई। इसकी दूसरी बैठक विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) की मई, 1996 की यात्रा के दौरान की गई।

3. ब्रूनी ने भारत को जी एस एल वी के कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए मोबाइल टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन की स्थापना करने की अनुमति दे दी है।

4. भारत में ब्रूनी के निवेशों को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्रूनी निवेश एजेन्सी के निदेशक की यात्रा का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है।

5. श्रीमती सुखबंस कौर, तत्कालीन पर्यटन राज्यमंत्री ने अक्तूबर, 1995 में ब्रूनी की यात्री की। यह यात्रा ब्रूनी-भारत पर्यटन संवर्द्धन समारोह के सन्दर्भ में की गई थी।

फिलीपीन्स

1. प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति श्री रामोस को भारत यात्रा का आमंत्रण दिया गया था जिसकी तारीखें निर्धारित की जा रही हैं।

2. अप्रैल, 1996 में मनीला में क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें कम्पनियों और व्यवसायिक स्थापनाओं के 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

3. दोनों देशों के बीच विद्यमान एक संयुक्त व्यवसाय परिषद् की पिछली बैठक अक्तूबर, 1995 में मनीला में हुई थी और इसमें 1998 तक द्विपक्षीय व्यापार 500 मिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया।

4. तकनीकी सहयोग : कोलम्बो योजना के अधीन वित्त वर्ष 1996-97 के लिए फिलीपीन्स को 43 स्लाट आवंटित किए गए हैं। फिलीपीन्स को अब तक किए गए आवंटन की यह अधिकतम संख्या है। 1995-96 के दौरान फिलीपीन्स को आवंटित 40 स्लाटों के लिए 52 नामांकन प्राप्त हुए हैं।

5. दो भारतीय नौवहन पोत- अगस्त, 1995 के दौरान खंजर और सरयू नामक दो भारतीय पोतों ने मनीला की सद्भावना यात्रा की।

6. मेजर जनरल एस सी मेहरा के नेतृत्व में नेशनल डिफेन्स कालेज से एक दल तथा भारत तथा अन्य देशों से 14 अन्य कैडेट अधिकारियों ने 19 से 24 जून, 1995 तक फिलीपीन्स की यात्री की।

7. नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और फिलीपीन्स के बीच राजदूत और फिलीपीन्स ऊर्जा सचिव (मंत्री) द्वारा 26 फरवरी को सहयोग संवर्द्धन संबंधी एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया।

8. श्री प्रणव मुखर्जी, तत्कालीन विदेश मंत्री अक्तूबर, 1995 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान फिलीपीन्स के विदेश मामलों में सम्बद्ध सेक्रेटरी श्री डोमिंगो एल. सियाजों से मिले।

9. भारत सरकार के खनिज और धातु व्यापार निगम (एम एम टी सी) और फिलीपीन्स के राष्ट्रीय खाद्य प्राधिकरण द्वारा 75,000 मी.ट. चावल की बिक्री की संविदा को अन्तिम रूप दिया गया है। इससे पूर्व राज्य व्यापार निगम ने सितम्बर, 1995 में फिलीपीन्स को 25000 मी.ट. चावल की आपूर्ति की थी।

वियतनाम

1. तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव सितम्बर, 1994 में वियतनाम की यात्रा पर गए थे। उनकी यात्रा के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों में चार करार संपन्न किए गए : (i) दोहरे कराधान का परिहार (ii) विदेश कार्यालय परामर्श (iii) कोंसली और (iv) रक्षा। द्विपक्षीय सहयोग के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाया गया।

2. तत्कालीन प्रधानमंत्री की वियतनाम यात्रा के दौरान हुए निर्णय अनुसार संयुक्त आयोग के तत्वाधान में एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया। इसकी बैठक जनवरी, 1995 में दिल्ली में तथा दिसम्बर, 1995 में हनोई में हुई थी। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई तथा सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाया गया।

3. श्री विनय बहल ने हनोई में मार्च/अप्रैल 1995 में एक माह के लिए चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया।

4. 1995 में सितम्बर माह के शुरू में नई दिल्ली में वियतनामी संस्कृति सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान वियतनाम के उप संस्कृति मंत्री नई दिल्ली आए।

5. भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक फरवरी, 1996 में नई दिल्ली में हुई जिसमें भारत और वियतनाम के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।

6. परियोजना गत उपस्करों/संयंत्रों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारत-वियतनाम संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक के दौरान वियतनाम को आसान शर्तों पर 900 मिलियन रुपये का नया ऋण दिया गया।

7. भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आई.टी.इ.सी.) कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.5 करोड़ रुपए की लागत से अगस्त 1995 में हनाई में एक बहुद्देशीय लघु उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया था जो छह व्यापारिक विधाओं का प्रशिक्षण देता है।

8. हमने प्रशिक्षक के प्रयोजनार्थ आइटेक कार्यक्रम के अधीन 1.6 करोड़ रुपए मूल्य की टेक्सटाइल मशीनों की आपूर्ति की पेशकश भी की है। इन मशीनों का प्रेषण किया जा रहा है।

9. 1995 के दौरान वियतनाम के लोगों के लिए आइटेक कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण स्थानों की संख्या को बढ़ाकर 100 कर दिया गया है और इनका संतोषजनक ढंग से उपयोग किया गया है।

10. सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अधीन दीर्घकालिक अध्ययनों के लिए 1995 में छात्रवृत्तियों की संख्या को 14 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। फिल्म तथा टेलिविजन संस्थान पुणे में एक वियतनामी राष्ट्रिक को दाखिला दिलाने हेतु विशेष व्यवस्था की गयी थी।

11. खनन के क्षेत्र में भी अप्रैल, 1995 में एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ।

12. फरवरी, 1996 में वियतनाम के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक नया करार सम्पन्न हुआ है।

13. फरवरी, 1996 में स्वास्थ्य और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग हेतु एक समझौता ज्ञापन भी सम्पन्न हुआ।

इन्डोनेशिया

1. अक्तूबर, 1995 में काटजिना, कोलम्बिया में सम्पन्न 11वें नाम शिखर सम्मेलन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव राष्ट्रपति श्री सुहार्तो से मिले।

2. श्रम सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन्डोनेशिया के श्रम मंत्री श्री अब्दुल लतीफ जनवरी, 1995 में नई दिल्ली आये थे।

3. अप्रैल, 1995 में वांडुग में नाम समन्वय ब्यूरो की बैठक में भाग लेने के लिए तत्कालीन विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी इन्डोनेशिया गये थे।

4. अक्तूबर, 1995 के दौरान न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री इन्डोनेशिया के विदेश मंत्री श्री अली अलतास से मिले थे।

5. इन्डोनेशिया की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित "सेल इन्डोनेशिया-95" के अंक के रूप में

इन्डोनेशिया द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय जहाजी बेड़ा समीक्षा में भाग लेने के लिए भारतीय नौ-सैनिक जहाज आई.एन.एस. सरयु और आई.एन.एस. खंजर ने भाग लिया।

6. जकार्ता में स्थित जवाहर लाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केन्द ने 1995 के दौरान बहुत से कार्यक्रम आयोजित किये जिनमें डा. सुनील कोठारी की वार्ता, डा. बालादास घोषाल का व्याख्यान, समकालीन कला प्रदर्शनी में सहभागिता, सुश्री चन्द्रलेखा की 17 सदस्यीय नृत्यमण्डली द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, नवम्बर, 1995 में इस्लाम और सार्वभौमिक समुदाय" विषय पर संगोष्ठी में प्रो. रशीदुद्दीन खान की सहभागिता, श्रीमती उषा वेंकटेश्वरन की नृत्यमण्डली की यात्रा तथा श्रीमती कुमुदनी लाखिया की 12 सदस्यीय कत्थक नृत्य मण्डली की यात्रा शामिल है।

7. मार्च, 1996 में एक अनन्य भारतीय व्यापार प्रदर्शनी लगायी गयी जिसमें 65 भारतीय कम्पनियों ने भाग लिया।

8. इस प्रदर्शनी के दौरान संयुक्त व्यापार परिषद की एक बैठक भी हुई और जकार्ता में फिक्की का एक कार्यालय भी खोला गया।

9. मंत्री स्तर पर तथा अधिकारी स्तर पर कई अन्य यात्राएं भी हुई।

लाओस

1. लाओस के विदेश मंत्री अगस्त 1994 में भारत की यात्रा पर आये थे और उनकी इस यात्रा के दौरान एक सांस्कृतिक करार तथा आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध एक समझौता सम्पन्न हुआ।

2. नवम्बर, 1995 में लाओस से दो महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मण्डल हमारे यहां आये जिनमें से एक के अध्यक्ष लाओस के कृषि मंत्री थे और दूसरा प्रतिनिधिमण्डल प्रतिरक्षा प्रतिनिधि मण्डल था।

3. जनवरी, 1996 के दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी लाओस की यात्रा पर गये थे। भारत एवं लाओस के बीच पहला सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (सी.ई.पी.) उनकी इस यात्रा के दौरान सम्पन्न हुआ।

4. हमने सितम्बर, 1995 में लाओस की बाढ़ नियंत्रण निधि में 30,000/- अमरीकी डालर की राशि का अंशदान किया।

5. मई, 1996 में लाओस को खाद्यान्नों की कमी से निपटने में लाओस की सहायता करने के लिए 1.26 करोड़ मूल्य के 1000 मी.ट. चावल की खेप लाओस को भारत ने भेजी।

6. लाओस के सैनिक अधिकारियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अपने खर्चे पर दो अध्यापक वहां भेजे हैं।

कम्बोडिया

1. कम्बोडिया के प्रथम प्रधान मंत्री राजकुमार नोरोत्तम रणरिद्ध 28 जनवरी से 1 फरवरी, 1996 तक भारत की यात्रा पर आये। उनकी इस भारत यात्रा के दौरान एक सांस्कृतिक करार सम्पन्न हुआ।

2. तत्कालीन विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी जनवरी, 1996 के दौरान कम्बोडिया की यात्रा पर गये थे। उनकी इस यात्रा के दौरान कम्बोडिया के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग से संबद्ध एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ।

3. भारत ने 480,000 अमरीकी डालर के मूल्य के 2000 मी.ट. चावल उपहार स्वरूप दिये।

4. 1995 में कम्बोडियायी राष्ट्रिकों के प्रशिक्षण हेतु आईटेक प्रशिक्षण स्थानों की संख्या को 15 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया।

5. आइटेक कार्यक्रम के अधीन कम्बोडिया में प्रतिनियुक्ति एक भारतीय डाक्टर की प्रतिनियुक्ति की अवधि भी एक और वर्ष के लिए हमने बढ़ा दी है।

प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना

1376. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने अन्तर्देशीय जल परिवहन के क्षेत्र मे कार्य कर रहे कर्मियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और यदि कोई धनराशि प्रदान की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां। केरल सरकार ने "केरल मेरिन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट" तेवारा, कोची नाम का एक परियोजना प्रस्ताव 1995 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के समक्ष पेश किया था।

(ख) इस इंस्टीट्यूट की स्थापना केरल सरकार, जल परिवहन विभाग की एक स्वायत्तशासी मैरीटाइम सोसाइटी के रूप में करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य नए अभ्यर्थियों तथा मैरिन अंतर्देशीय जलयानों, हार्बर, क्राफ्टों, मत्स्य जलपोतों, निकर्षकों, बाजों आदि के वर्तमान कर्मीदल को सैद्धान्ति और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा मैरीटाइम व्यवसायों के लिए डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करना है। केरल सरकार ने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना तथा प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के लिए इसके प्रचालन हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण से 291.50 लाख रु. की वित्तीय सहायता मांगी है।

(ग) केरल सरकार के प्रस्ताव तथा अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों की जांच की जा रही है। अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए केन्द्रीय स्कीमों के तहत वार्षिक योजना 1996-97 में कर्मीदल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए 20 लाख रु. का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

अहीर रेजीमेंट

1377. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अहीर रेजीमेंट बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में तकनीकी/प्रबंध संस्थानों की स्थापना

1378. **श्री संदीपान थोरात :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नए तकनीकी/प्रबंध संस्थानों की स्थापना के लिए सरकार के पास काफी संख्या में प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मंजूरी के लिए लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग). अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम के अन्तर्गत परिषद को तकनीकी संस्थाओं को शुरू करने और नए पाठ्यक्रमों को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकार प्राप्त है जिसके लिए परिषद ने विनियम बनाएं हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रयोजनार्थ तंत्र निर्धारित किया गया है। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में 108 संस्थाएं तथा प्रबंधन में 58 संस्थाएं शुरू करने के लिए महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त 166 प्रस्तावों में परिषद ने अब तक इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में 16 संस्थाओं को पहले ही अनुमोदित कर दिया है।

कृष्णा उपरितट परियोजना का आप्लावन

1379. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा उपरितट परियोजना द्वारा कितने लोगों के आप्लावित होने की संभावना है;

(ख) क्या इन प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अपर कृष्णा परियोजना चरण-I के नारायणपुर बांध व अलमट्टी बांध की जलमग्नता के कारण 1,26,574 लोगों के प्रभावित होने की संभावना है। इस परियोजना को विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है।

(ख) और (ग). अपर कृष्णा परियोजना चरण-I के नारायणपुर बांध व अलमट्टी बांध के निस्काषितों के लिए 105 पुनर्वास बस्तियां विकसित करने का प्रस्ताव है। मार्च, 1996 तक की गई प्रगति इस प्रकार है :-

1) पुनर्वास बस्तियां	60	संख्या
2) खुले कुएं	52	संख्या
3) बोर कुएं	162	संख्या
4) पेयजल आपूर्ति	15	संख्या
5) सड़कें	104.72	किमी.
6) विद्यालयों के भवन	49	संख्या
7) पंचायत/सामुदायिक केन्द्र	46	संख्या
8) मंदिर	71	संख्या
9) मस्जिदें	15	संख्या
10) की गई क्षतिपूर्ति	198.389	करोड़ रुपये
11) पुनर्वासित व्यक्ति	24517	संख्या

भूमि क्षतिपूर्ति सहित पुनर्वास व पुनः स्थापन योजना की अनुमानित लागत 1314.06 करोड़ रुपये है।

जम्मू और कश्मीर में खराब पड़ी ड्रेजिंग मशीन

1380. **श्री गुलाम रसूल कार :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर के बारामूला में ड्रेजिंग मशीन गत दस वर्षों से खराब पड़ी है और गाद के जमाव के कारण घाटी में वर्षा से तबाही मची हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां। तथापि, झलम नदी में बाढ़ें मात्र ड्रेजर के काम न करने के कारण नहीं आती हैं।

(ख) जम्मू व कश्मीर सरकार पुरानी ड्रेजिंग मशीन की मरम्मत करने के प्रस्ताव की जांच कर रही है ताकि ड्रेजिंग कार्य पुनः शुरू किए जा सकें।

[हिन्दी]

औरंगा जलाशय योजना

1381. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार की औरंगा जलाशय योजना को किस तिथि से मंजूरी दी गई थी;

(ख) उक्त योजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस परियोजना को चालू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कषचालू किया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) औरंगा जलाशय योजना जून, 1983 में अनुमोदित की गई थी।

(ख) मार्च, 1995 तक प्रत्याशित व्यय 18.40 करोड़ रुपए था।

(ग) और (घ). परियोजना का चालू किया जाना राज्य सरकार द्वारा निधियों के आवंटन पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988

1382. श्री शरत पटनायक : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 1994 के तहत 1994 में संशोधित किया गया था। सामान्य जानकारी के लिए यह "मोटरयान (संशोधन) अधिनियम, 1994, 1994 की संख्या 54" के रूप में 12 सितम्बर, 1994 को भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खंड-I में प्रकाशित किया गया था।

(ग) और (घ). मोटर यान अधिनियम, 1988 में संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है और विभिन्न संगठनों/विभागों, राज्य सरकारों और व्यक्तियों अर्थात् अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस, तमिलनाडु सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार आदि के परिवहन विभागों से अनेक सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ये सुझाव/अभ्यावेदन मोटरयान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 की समीक्षा कर रही एक उप समिति को उसके विचारार्थ भेज दिए गए हैं।

इंदिरा गांधी नहर परियोजना की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच

1383. श्री ताराचंद भगोरा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश की महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पिछले पांच वर्षों के दौरान वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे किस तारीख से आंरभ किए जाने की संभावना है और इसके संबंध में क्या कार्य योजना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). राजस्थान सरकार से घोर वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसके लिए इस प्रकार की जांच की जरूरत है।

चेचक

1384. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले चेचक जैसी महामारी से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस महामारी के निवारण और उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). "इंटरनेशनल कमीशन फार असेसमेंट आफ स्माल पॉक्स इराडिकेशन" द्वारा भारत को अप्रैल, 1977 में चेचक मुक्त घोषित किया गया था। यह स्थिति पूर्ववत् जारी है।

निजी व्यवसाय पर प्रतिबंध

1385. श्री परस राम भारद्वाज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने सरकारी डाक्टरों द्वारा निजी व्यवसाय किए जाने पर प्रतिबंध लगाया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या डॉक्टरों के निजी व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाए जाने के बदले उन्हें कुछ अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (घ). राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वे सरकारी सेवा में चिकित्सा कार्मिकों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस समाप्त करने के लिए कदम उठाएं। सरकारी डाक्टरों द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस पर प्रतिबंध के बारे में राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकारी डाक्टरों को प्राइवेट प्रेक्टिस की अनुमति नहीं है। ऐसे डाक्टरों को प्रतिपूर्ति के रूप में प्रेक्टिस-बन्दी भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

सी.बी.एस.सी. द्वारा घोषित परिणामों में उत्तीर्ण प्रतिशतता

1386. श्री हरिन पाठक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1996 में दिल्ली में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षा के घोषित परिणामों में उतीर्ण छात्रों की प्रतिशतता में कोई गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में उतीर्ण प्रतिशतता की तुलना में वर्तमान उतीर्ण प्रतिशतता क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय प्राध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा दसवीं में सभी पांचों विषयों को उतीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्णय के खिलाफ कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) से (ग). दिल्ली क्षेत्र में बोर्ड द्वारा घोषित किए गए कक्षा-X तथा कक्षा-XII के परिणामों के उत्तीर्णता प्रतिशत के संबंध में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	कक्षा-X	कक्षा-XII
1993	50.5	64.9
1994	55.9	68.0
1995	49.6	65.6
1996	48.3	68.9

(घ) से (छ). देश में अन्य बोर्डों के साथ एकरूपता लाने हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक संशोधित उत्तीर्णता मानदंड अपनाया है जिसमें कक्षा-X के छात्रों को मार्च, 1995 से बोर्ड द्वारा आयोजित बाह्य परीक्षा के सभी पांचों विषयों में उत्तीर्ण होना जरूरी है। उपर्युक्त निर्णय के खिलाफ कुछ स्थानों पर राय व्यक्त की गई थी परन्तु बोर्ड ने संशोधित उत्तीर्णता मानदंड में कोई परिवर्तन न करने का निर्णय लिया है।

[हिन्दी]

सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं

1387. श्री कचरू भाऊ राउत :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को और अधिक सुविधाएं/रियायतें देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन.सोमू) : (क) और (ख). भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को स्वीकार्य सुविधाओं रियायतों को बेहतर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार ने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन किया हुआ है। वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ, सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिलब्धियों के मौजूदा ढांचे, पेंशन सेवा की शर्तों तथा उन्हें मिलने वाले विभिन्न भत्तों एवं अन्य लाभों की जांच करना और इनके संबंध में वांछनीय और व्यवहार्य सिफारिशें करना शामिल है।

वर्षा के मौसम में बीमारियां

1388. श्री ललित उरांव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा के मौसम में बिहार के वनांचल क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष सैकड़ों व्यक्ति हैजा, खूनी दस्त, पेचिश तथा मस्तिष्क ज्वर के कारण मरते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे रोकने के लिए अन्य राज्यों में भी कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है।

(ख) से (घ). सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रभावित अवधि के दौरान महामारी फैलने को रोकने के उपायों की समीक्षा करें। केन्द्र सरकार महामारी की जांच और सुधारात्मक उपाय करने हेतु राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली के माध्यम से तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है।

इसके अलावा रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं।

(1) स्वच्छ पेयजल का प्रावधान,

(2) खाद्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता में सुधार,

(3) मानव मल-मूल का सुरक्षित-निपटान,

(4) उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा

(5) निगरानी एवं प्रबोधन, और

(6) क्लोरीन की गोलियां तथा पुनर्जल पैकेटों का संवितरण

केरल के तेलिचेरी में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना

1389. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कन्ननोर जिले के तेलिचेरी में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना का कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रायोजक प्राधिकरण ने तेलिचेरी में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के मानकों के अनुसार अपेक्षित स्थल तथा अस्थायी आवास उपलब्ध नहीं कराया है।

बंगलादेश द्वारा बांध का निर्माण

1390. श्री अमर रायप्रधान : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा उनके मंत्रालय का ध्यान बंगलादेश के अधिकारियों द्वारा गांव बूढ़ीमारी, जिला लाल-मनरिहाट (बंगलादेश) में 1 जनवरी, 1994 से 30 जून, 1996 तक धारिया नदी पर बांध के निर्माण की ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा यह मामला बंगलादेश के अधिकारियों के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब और इसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ). बंगलादेश द्वारा धारला नदी पर एक बांध के निर्माण का कार्य मार्च, 1994 के अन्तिम सप्ताह में आरम्भ किया गया था। यह बांध बंगलादेश के लालमोनीरहट जिलों के गांव बुड़ीमारी में स्थित है, जो भारत-बंगलादेश सीमा से बंगलादेश के प्रदेश में 200 गज भीतर की और है। निर्माण के संबंध में जानकारी मिलते ही भारत के सीमा सरक्षा बल ने बंगलादेश राइफल्स से कमांडेंट स्तर पर 26 और 28 अप्रैल 1994 को अपना विरोध प्रकट किया और यह अनुरोध किया था कि इन बांध के निर्माण से लूप की शार्ट सर्किटिंग के परिणामतः भारत पर पड़ने वाले सम्भावित प्रतिकूल परिणामों की हमारे द्वारा जांच करने तक इस बांध के निर्माण का कार्य स्थगित कर दिया जाए। इस मामले को मई, 1994 में औपचारिक रूप से बंगलादेश की सरकार के साथ भी उठाया गया था। बंगलादेश की सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि धरला नदी में लूप के शार्ट सर्किटिंग से भारतीय प्रदेश अथवा वहां के रहने वाले लोगों पर किसी भी तरह का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। 8 जून, 1994 को हमारे जल संसाधन मंत्रालय के सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण से भी ऐसी किसी बात का पता नहीं चला था कि इस बांध के निर्माण से हमारे प्रदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जल संसाधन मंत्रालय को पश्चिम बंगाल की सरकार से भी बांध के कारण राज्य पर किसी प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

वित्तीय संकट के कारण रुके पड़े शोध-कार्य

1391. श्री चित्त बसु : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धनराशि उपलब्ध न कराए जाने के कारण इन दिनों देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रहे शोध कार्यों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों में अनुसंधान परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तथापि, वित्तीय कठिनाइयों के कारण सभी प्रस्तावों को सर्वदा समायोजित करना संभव नहीं है।

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2

1392. **डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 (ब्रह्मपुत्र) में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन सुविधाओं के विकास के लिए अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ग) इन निष्कर्षों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 पर माल परिवहन के लिए होवरक्राफ्ट खरीदने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). जी हां। ब्रह्मपुत्र पर किए जाने वाले विकास कार्यों का पता लगाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई डब्ल्यू ए आई) ने एक परामर्शदाता के माध्यम से 1990 में एक अध्ययन करवाया था। इस परियोजना रिपोर्ट में यातायात अनुमानों के आधार पर ब्रह्मपुत्र नदी को नौचालन हेतु 4 चरणों में विकसित किए जाने की सिफारिश की गई थी। विकास कार्यों में नाव्य जल पथ का रख-रखाव, कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं के लिए प्रावधान तथा टर्मिनल इत्यादि शामिल हैं। इस घोषित खंड को यातायात की मांग के अनुरूप नौवहन और नौचालन हेतु विकसित किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य और कृत्रिम रंग

1393. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने परंपरागत मिठाइयां तैयार करने में खाद्य रंगों के उपयोग पर प्रतिबंध संबंधी तकनीकी समिति की रिपोर्ट की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में जारी किए गए निर्देशों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है; और

(च) यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). जी हां। विशेषज्ञ दल की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:-

- नियमों के अन्तर्गत सभी अनुमत्य संशलिष्ट रंगों को सुरक्षित माना जा सकता है बशर्ते कि इनका निर्धारित स्वीकार्य दैनिक ग्रहण सीमाओं के भीतर ही उपयोग किया जाता हो।
- खाद्य संसाधन क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए खाद्य वस्तुओं में संशलिष्ट रंगों के उपयोग से संबंधित उपबन्धों की गहराई से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (च). यह प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बाल कल्याण

1394. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रो. वाइजनर के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारत में बाल कल्याण के लिए धन खर्च न करने का कारण गरीबी नहीं है बल्कि देश के नीति निर्माताओं के जातिगत पूर्वाग्रह और मूल्य हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : (क) जी, हां।

(ख) संवैधानिक और कानूनी उपबन्ध सरकार के नीति निर्धारण में जाति पूर्वाग्रह और मूल्यों को कोई भूमिका अदा करने की अनुमति नहीं देते। राष्ट्रीय बाल नीति (1974) में अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के बच्चों जैसे कमजोर वर्गों के सभी बच्चों को विशेष सहायता, अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान है। अतः कार्यान्वयन हेतु बाल कल्याण उपाय और स्कीमें तद्नुसार तैयार की गयी हैं।

केन्द्रीय विद्यालय

1395. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री काशीराम राणा :
श्री ताराचन्द भगोरा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में इस समय राज्य-वार केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) गुजरात में वर्ष 1996-97 के दौरान किन-किन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार को राज्यों से वर्ष 1995-96 और 30 जून, 1996 तक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) केन्द्रीय विद्यालयों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गुजरात में वर्ष 1996-97 के दौरान कोई केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ). जी, हां। केन्द्रीय संगठन को प्राप्त हुए राज्य-वार प्रस्तावों की संख्या (विवरण II) में संलग्न है।

विवरण-I

केन्द्रीय विद्यालयों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	44
2.	असम	48
3.	बिहार	57
4.	गुजरात	41
5.	हरियाणा	25
6.	हिमाचल प्रदेश	18
7.	जम्मू और कश्मीर	26
8.	कर्नाटक	28
9.	केरल	25
10.	मध्य प्रदेश	91
11.	महाराष्ट्र	54
12.	मणिपुर	05
13.	मेघालय	07
14.	नागालैंड	06
15.	उड़ीसा	30
16.	पंजाब	36
17.	राजस्थान	52
18.	सिक्किम	01
19.	तमिलनाडु	29
20.	त्रिपुरा	05
21.	उत्तर प्रदेश	119
22.	पश्चिम बंगाल	48
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्टब्लेयर	03
24.	अरुणाचल प्रदेश	10
25.	चंडीगढ़	06
26.	दिल्ली	34
27.	गोवा, दमन और दीव	05
28.	पॉडिचेरी	02
29.	मिजोरम	01
	कुल	856
भारत के बाहर		
30.	मास्को (रूस)	01
31.	नेपाल (काडमाण्डू)	01
	कुल	858

विवरण–II

केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त हुए उन राज्य–वार प्रस्तावों की संख्या जिन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्रीय विद्यालय संगठन को प्राप्त हुए प्रस्ताव
1.	आंध्र प्रदेश	04
2.	असम	01
3.	बिहार	17
4.	गुजरात	02
5.	हरियाणा	04
6.	हिमाचल प्रदेश	12
7.	जम्मू और कश्मीर	01
8.	कर्नाटक	03
9.	केरल	10
10.	मध्य प्रदेश	32
11.	महाराष्ट्र	02
12.	उड़ीसा	07
13.	पंजाब	04
14.	राजस्थान	08
15.	तमिलनाडु	01
16.	उत्तर प्रदेश	21
17.	पश्चिम बंगाल	05
18.	मेघालय	01

[अनुवाद]

नेशनल हेल्थ कॉरपस फंड

1396. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लंबी बीमारी से पीड़ित निर्धन लोगों को कर्नाटक को भांति नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक नेशनल हेल्थ कॉरपस फंड गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त प्रस्तावों पर विचार किया है;

(ग) क्या ऐसे प्रस्ताव कर्नाटक में सफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना को देश में शेष राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) और (ख). जीवन को संकट में डालने वाली बीमारी के लिए विशेषीकृत चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में गरीब लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय व्याधि सहायता निधि की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ग) यह योजना प्रारम्भिक अवस्था में है क्योंकि यह योजना पिछले वर्ष ही शुरू की गई है और अभी पूरी तरह से लागू होनी बाकी है।

(घ) चूंकि यह योजना सोच-विचार की प्रारम्भिक अवस्था में है इसलिए देश में इसे शुरू करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

सैनिकों को कंप्यूटर प्रशिक्षण देना

1397. कुमारी उमा भारती :
श्री सत्य देव सिंह :
डा. रामकृष्ण कुसमारिया :

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय सैनिकों को बड़े पैमाने पर कंप्यूटर प्रशिक्षण देने संबंधी एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) सेना के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण नियमित रूप से दिया जाता है। उक्त प्रशिक्षण को वृहद पैमाने पर देने की कोई योजना नहीं है।

(ख) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेशनल कैडेट कोर के विभिन्न विंग

1398. श्री सौम्य रंजन : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नेशनल कैडेट कोर के विभिन्न विंगों के राज्य-वार कितने यूनिट कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नेशनल कैडेट कोर के और अधिक यूनिट स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) से (घ). चूंकि विद्यमान यूनिटें वर्तमान कैडेट संख्या को संचालित करने के लिए पर्याप्त हैं, अतः फिलहाल और यूनिटें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

क्र.सं.	निदेशालय	सेना यूनिटें	बालिका यूनिटें	नौसेना यूनिटें	वायु यूनिटें	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	36	07	07	07	57
2.	बिहार	35	05	01	02	43
3.	दिल्ली	08	06	02	02	18
4.	गुजरात, दीव व दमन और दादर नागर हवेली	24	05	03	03	35
5.	जम्मू और कश्मीर	06	02	01	–	09
6.	कर्नाटक और गोवा	36	04	06	06	52
7.	केरल और लक्षद्वीप	26	06	05	01	38
8.	मध्य प्रदेश	39	06	03	03	51
9.	महाराष्ट्र	43	08	05	03	59
10.	पूर्वोत्तर राज्य (असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर नागालैंड व त्रिपुरा)	24	12	02	04	42
11.	उड़ीसा	18	01	03	01	23
12.	पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़	40	09	05	08	62
13.	राजस्थान	25	04	02	04	35
14.	तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान व निकोबार	39	06	07	06	58
15.	उत्तर प्रदेश	96	18	04	04	122
16.	पश्चिम बंगाल व सिक्किम	37	07	02	04	50
	योग	532	106	58	58	754

असम में उच्च शिक्षा का व्यावसायीकरण

1399. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष असम राज्य में उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि जारी और उपयोग की गई;

(ग) शेष धनराशि को कब तक जारी किये जाने की संभावना है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत असम में कार्य कर रहे व्यावसायीक संस्थानों की संख्या कितनी है और वे किन-किन स्थानों पर हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर असम सहित सभी राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान असम सरकार को दी गई धनराशि तथा उनके द्वारा उपयोग में लाई गई धनराशि निम्नानुसार है :-

वर्ष	दी गई धनराशि	(उपयोग में लाई गई धनराशि) (लाख रुपयों में)
1993-94	291.54	100.94
1994-95	164.42	76.78
1995-96	108.92	उपयोग संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(घ) अब तक राज्य के सभी जिलों में स्थित 150 स्कूलों में 350 व्यावसायिक अनुभाग चल रहे हैं।

मिग-21 विमान हेतु आधुनिकीकरण कार्यक्रम

1400. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिग-21 विमान के आधुनिकीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ एक विशेषज्ञ दल का मास्को की यात्रा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) से (ग). भारतीय वायुसेना साम्मान-सूची में मिग-21 बिस वायुयान के आधुनिकीकरण के लिए रूस के साथ एक संविदा को अंतिम रूप दिया गया है। इस संविदा में यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय वायुसेना के दो मिग-21 बिस वायुयानों पर डिजाइन और विकास के लिए एक परियोजना दल को रूस भेजा जाना है। परियोजना दल के दायित्वों में अन्य बातों के साथ-साथ कार्यक्रम प्रबंधन तथा विकेताओं के कार्य-कलापों में समन्वय करना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रयोक्ता आवश्यकताओं को डिजाइन और विकास चरण में शामिल कर लिया गया हो। तदनुसार, अफसरों और वायुकर्मियों के एक दल को कार्य की सम्पूर्ण अवधि के लिए रूस में तैनात किया जा रहा है। कार्य को संविदा-कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभ करने के लिए दल के एक हिस्से को पहले ही मास्को भेजा जा चुका है।

जाली स्थानान्तरण प्रमाणपत्रों के आधार पर केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

1401. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन शिक्षा सत्रों वर्षों के दौरान नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालय, न्यू मेहरौली रोड़ में कथित रूप से जाली स्थानान्तरण प्रमाणपत्रों के आधार पर भारी संख्या में प्रवेश किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) से (ग). केन्द्रीय विद्यालय, न्यू महरौली रोड, नैई दिल्ली में तीन मामलों तथा केन्द्रीय विद्यालय, पंजाब लाइन्स, मेरठ में जाली स्थानान्तरण प्रमाणपत्रों पर दाखिले के दस मामलों की सूचना भेजी गई है। इन मामलों में लिप्त चार कर्मचारियों को प्रारंभिक कदम के रूप में केन्द्रीय विद्यालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली से स्थानान्तरित कर दिया गया है। केन्द्रीय विद्यालय ने सम्बन्धित सहायक-आयुक्त को इस मामले की विस्तृत रूप से जांच करने के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं।

एग्जीमाला में नौसेना अकादमी

1402. श्री रमेश चेन्नीत्तला : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एग्जीमाला में एक नौसेना अकादमी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को अकादमी के लिए भूमि सौंप दी है;

(ग) क्या प्रथम चरण हेतु सभी बुनियादी सुविधाएं पूरी कर ली गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (घ). राज्य सरकार, नौसेना अकादमी परियोजना के निर्माण के लिए अपेक्षित विभिन्न आधारभूत सुविधाएं, प्रदान कर रही है। इन सुविधाओं में जल और विद्युत आपूर्ति, सड़कें और पुल तथा रुके हुए पानी की निकासी आदि शामिल हैं। इन आधारभूत सुविधाओं को पूरा करने में थोड़ा सा विलंब हुआ है।

[हिन्दी]

दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारियों को वेतन

1403. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को अभी भी समय से वेतन नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने माह से कितने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास निकट भविष्य में दिल्ली परिवहन निगम को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और बोनस की बकाया राशि का भुगतान कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) निकट भविष्य में दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). दिल्ली परिवहन निगम को पिछले अनेक वर्षों से भारी घाटा हो रहा है और इसके आन्तरिक संसाधन इसकी वचनबद्ध देयताओं को समय पर पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने में कुछ विलम्ब हुआ है। तथापि, दि.प.नि. के सभी कर्मचारियों को जून, 1996 के महीने तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है।

(ग) से (ङ). सरकार ने बजटगत संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार दि.प.नि. को पर्याप्त धनराशि प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं और दि.प.नि. भी अधिक धनोपार्जन के लिए सभी प्रयास कर रहा है ताकि वह अपनी वचनबद्ध देयताओं को पूरा कर सके।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र सड़क परिवहन

1404. श्री कृष्ण लाल शर्मा : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र के सड़क परिवहन उपक्रमों को वर्ष 1995-96 के दौरान घाटा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्यवार किन-किन उपक्रमों को घाटा हुआ और कितना घाटा हुआ तथा लाभ अर्जित करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) उनको हुए घाटे के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) उनके कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या-क्या उपाय करने का विचार किया गया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). योजना आयोग, वार्षिक योजना को अंतिम रूप देते समय प्रत्येक वर्ष राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों (एस आर टी यू) के कार्य निष्पादन की समीक्षा करता है। योजना आयोग ने सितम्बर, 1995 में सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे 46 उपक्रमों का अध्ययन किया था जिनके संसाधन राज्य योजना संसाधनों का हिस्सा होते हैं। उस अध्ययन के अनुसार वास्तविक कार्य निष्पादन अर्थात् वाहन उत्पादकता, बस स्टाफ अनुपात, स्टाफ-उत्पादकता और ईंधन क्षमता की समग्र सूचियों में निरंतर सुधार हुआ है। तथापि, एस आर टी यू की वित्तीय स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान विभिन्न एस आर टी यू के लाभ/घाटे (अनुमोदित) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) अध्ययन के अनुसार एस आर टी यू को होने वाले घाटे के निम्नलिखित कारण हैं :-

(1) अलाभकारी बाध्यकारी रूटों पर प्रचालन।

(2) खराब सड़कों वाले रूटों पर प्रचालन जिसके फलस्वरूप रख-रखाव लागत अधिक होती है।

(3) छात्रों, विकलांगों, सरकारी कर्मचारियों आदि के लिए रियायतें।

(4) अलाभकरी किराया।

(घ) योजना आयोग एस आर टी यू के समग्र कार्य निष्पादन की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाए किए जाने पर बल देता रहा है :-

(1) बेहतर प्रबंधन और नियंत्रण द्वारा उत्पादकता में सुधार।

(2) रख-रखाव सुविधाओं का सुधार जिसके फलस्वरूप ईंधन क्षमता में सुधार हो।

(3) उपयुक्त भाड़ा संशोधन।

(4) स्टाफ का समावेशन।

विवरण

राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों का निवत लाभ/घाटा

(करोड़ रु.)

राज्य सड़क परिवहन उपक्रम	1994-95 नवीनतम अनुमान	1995-96 अनुमानित
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	+ 6.50	- 88.83
2. अरुणाचल प्रदेश	- 3.84	- 4.63

1	2	3
3. असम	- 21.74	- 17.40
4. बिहार	- 42.59	- 38.39
5. गोवा (काढम्बा)	- 2.71	- 2.45
6. गुजरात	-102.33	- 100.05
7. हरियाणा	- 11.50	- 23.05
8. हिमाचल प्रदेश	- 32.44	- 36.57
9. जम्मू और कश्मीर	- 20.96	- 24.06
10. कर्नाटक	- 90.49	- 99.10
11. केरल	- 18.29	- 22.37
12. मध्य प्रदेश	- 31.67	- 39.40
13. महाराष्ट्र	- 10.84	- 12.49
14. मणिपुर	- 2.18	- 1.86
15. मेघालय	- 1.51	- 0.39
16. मिजोरम	- 5.27	- 5.25
17. नागालैंड	- 8.64	- 5.59
18. उड़ीसा	- 3.84	- 2.28
19. पंजाब रोडवेज	- 10.31	- 14.10
20. पेप्सू	- 2.96	- 10.64
21. राजस्थान	+ 23.95	+ 18.98
22. सिक्किम	- 3.10	- 3.36
23. तमिलनाडु	- 33.77	- 57.30
24. त्रिपुरा	- 4.51	- 5.04
25. उत्तर प्रदेश	+ 2.33	+ 18.07
26. कलकत्ता	- 20.75	- 20.22
27. उत्तरी बंगाल	- 5.80	- 7.93
28. दक्षिण बंगाल	- 5.43	- 5.75
29. दि.प.नि.	- 68.27	- 87.00

अंतर-राज्यीय सड़कें

1405. डा. कृपासिंधु भोई : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को जोड़ने वाली कुछ अंतर-राज्यीय सड़कों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इनमें से कुछ सड़कों का निर्माण कार्य शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाएं

1406. श्री संदीपान थोरात : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कौन-कौन सी मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजना पूरी हुई;

(ख) राज्यवार विशेषकर महाराष्ट्र की उन मध्यम तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो अपने निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ग) इस विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) परियोजनावार तथा राज्यवार विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित चालू परियोजनाओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा का ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी सहायता राशि जारी की गई है; और

(ङ) चालू परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी करने और यह सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत परियोजनाएं समय से पीछे न हों और इन पर अधिक लागत न आए, क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पिछले तीन वर्षों 1992-95 के दौरान 7 वृहद और 28 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पूरी की गई। इन परियोजनाओं के राज्यवार नाम दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ख) इस समय 109 वृहद, 108 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं अपने पूरा होने के निर्धारित समय से पीछे हैं। इन परियोजनाओं के नाम दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

(ग) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के सबसे प्रमुख कारण अपर्याप्त बजट आवंटन हैं। अन्य कारण हैं:- कार्यान्वयन के दौरान परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र और डिजाइन में परिवर्तन, भूमि के अधिग्रहण की समस्याएं, पुनर्वास और पुनर्स्थापन संविदात्मक समस्याएं, स्थानीय लोगों द्वारा आन्दोलन आदि। ये सभी परियोजनाओं में समान हैं।

(घ) विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित चालू सिंचाई परियोजनाओं के नाम और उपयोग की गई सहायता राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग को देश में विशिष्ट वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को मानीटरी का कार्य सौंपा है। गहन मानीटरी के लिए, इसने विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय यूनिटें खोली हैं।

योजना आयोग ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए परिव्यय निर्धारित करना प्रारंभ कर दिया है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिससे प्रगति की पुनरीक्षा की जा सके और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के समक्ष आ रही बाधाओं का समाधान किया जा सके।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1992-95 के दौरान पूरी की गई वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की सूची

	I. **वृहद परियोजनाएं**
	केरल
1.	पेरयार घाटी
2.	पम्बा
3.	चित्तूरपूझा
4.	कुट्टीमाडी
	राजस्थान
5.	हरीश चन्द्र सागर (कालीसिंध)
	उत्तर प्रदेश
6.	उर्मिल बांध
7.	गंडक नहर
	II. **मध्यम परियोजनाएं**
	असम
1.	कालडोया
2.	डेकाडांग
	गुजरात
3.	सुखभादर
4.	मच्छूंदरी-II
5.	उन्ड (जीवापुर)
6.	अजी-II
7.	कालूभर
8.	उबेन
9.	डैमी-II
	हिमाचल प्रदेश
10.	बाल घाटी
	जम्मू एवं कश्मीर
11.	राजल लिफ्ट
12.	राजन लिफ्ट
13.	कश्तोगढ़ नहर
	महाराष्ट्र
14.	मटूवाडी
15.	लोवर पस
16.	बेलपाड़ा
	राजस्थान
17.	भीमसागर
18.	सोम कगडर
	तमिलनाडु
19.	कलावरैपल्ली जलाशय
	पश्चिम बंगाल
20.	सालो व्यपवर्तन
21.	साली जलाशय
22.	वाराभूम
23.	माउटरजोर
24.	पटलोई
25.	लिपनियाजोर
26.	गोलामारजोर
27.	परगा
28.	रामचन्द्रापुर

विवरण-II

निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	किस योजना में शुरू की गई
1	2	3
	वृहद आन्ध्र प्रदेश	
1.	नागार्जुन सागर	दूसरी
2.	श्रीरामसागर चरण-I (पोचंपाड़)	तीसरी
3.	वम्लथारा चरण-I	चौथी
4.	पुलिवेंदुला शाखा नहर	चौथी
5.	सोमसिला	पांचवी
6.	सिंगुर	पांचवीं
	असम	
7.	धमसिरी	पांचवीं
8.	बोरदिकैरै	पांचवीं

1	2	3
9.	एकीकृत कोलांग	पांचवीं
10.	पहुमारा	वार्षिक योजना 1978-80
	बिहार	
11.	पश्चिमी कोसी नहर	तीसरी
12.	बागमती	पांचवीं
13.	सुवर्णरेखा	पांचवीं
14.	उत्तरी कुयूल जलाशय	पांचवीं
15.	दुर्गावती जलाशय	पांचवीं
16.	बरनार जलाशय	पांचवीं
17.	कोनार व्यपवर्तन	पांचवीं
18.	तिलैय्या व्यपवर्तन	पांचवीं
19.	बटेश्वरस्थन पम्प चरण-I	पांचवीं
20.	अजोय बराज सिकतिया	पांचवीं
21.	गुमानी बराज	पांचवीं
22.	इकरनाता पम्प चरण-I	वार्षिक योजना 1978-80
	गोवा	
23.	सलौली	चौथी
	गुजरात	
24.	दमनगंगा	चौथी
25.	पानम	चौथी
26.	साबरमती	चौथी
27.	करजन	पांचवीं
28.	सुखी	पांचवीं
29.	सिपु	वार्षिक योजना 1978-80
30.	वतरक	वार्षिक योजना 1978-80
	हरियाणा	
31.	गुड़गांव नहर	तीसरी
32.	जवाहरलाल नेहरू लिफ्ट	पांचवीं
33.	सतलुज-यमुना लिंक नहर	पांचवीं
	जम्मू व कश्मीर	
34.	रावी-तावी लिफ्ट सिंचाई काम्प्लेक्स	पांचवीं

1	2	3
	कर्नाटक	
35.	भद्रा	पहली
36.	तुंगभद्रा बांध और बायां तट नहर	पहली
37.	तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर	दूसरी
38.	काबिनी	दूसरी
39.	मालाप्रभा	तीसरी
40.	हारंगी	तीसरी
41.	हेमावती	वार्षिक योजना 1966-69
42.	अपर कृष्णा चरण-I	चौथी
43.	करंजा	पांचवीं
44.	बेन्नितोरे	पांचवीं
45.	हिप्पर्गी बराज	पांचवीं
	केरल	
46.	कनहरपूझा	तीसरी
47.	पझासी	तीसरी
48.	कल्लाडा	तीसरी
49.	मुवाट्टुपुझा	पांचवीं
50.	चिमोनी	पांचवीं
	मध्य प्रदेश	
51.	तावा	दूसरी
52.	महानदी जलाशय	चौथी
53.	कोलार	चौथी
54.	पैरी	चौथी
55.	सिन्ध फेज-I	चौथी
56.	जोंक	चौथी
57.	बाणसागर	पांचवीं
58.	बार्गी (रानी अवन्तीबाई सागर)	पांचवीं
59.	अपर वेनगंगा	पांचवीं
60.	कोदार	पांचवीं
61.	बरियारपुरबायां तट नहर	पांचवीं
62.	हसदेव बांगो	वार्षिक योजना 1978-80
63.	हलाली (सम्राट अशोक सागर)	वार्षिक योजना 1978-80
64.	तनवर	वार्षिक योजना 1978-80

1	2	3
	महाराष्ट्र	
65.	खड़कवासला	दूसरी
66.	कृष्णा	तीसरी
67.	भीमा	तीसरी
68.	कुकाड़ी	वार्षिक योजना 1966-69
69.	अपर गोदावरी	वार्षिक योजना 1966-69
70.	वरना	चौथी
71.	अपर तापी	चौथी
72.	अपर पेनगंगा	पांचवीं
73.	अपर वर्धा	पांचवीं
74.	दूधगंगा	पांचवीं
75.	वाघुर	पांचवीं
76.	अपर प्रवारा	पांचवीं
77.	चशकमन	पांचवीं
78.	नन्दुर मधमेश्वर	पांचवीं
79.	घटना	पांचवीं
80.	जयकवाड़ी चरण-II	पांचवीं
81.	सूर्या	वार्षिक योजना 1978-80
82.	बावनयाड़ी	वार्षिक योजना 1978-80
83.	इस्यापुरी (विष्णुपुरी)	वार्षिक योजना 1978-80
84.	तिल्लारी	वार्षिक योजना 1978-80
	मणिपुर	
85.	थौबल	वार्षिक योजना 1978-80
	उड़ीसा	
86.	पोट्टेरू	चौथी
87.	रेंगाली	चौथी
88.	अपर कोलाब	पांचवीं
89.	अपर इन्द्रावती	वार्षिक योजना 1978-80

1	2	3
	राजस्थान	
90.	इंदिरा गांधी नहर चरण-I	दूसरी
91.	झाकम	तीसरी
92.	माही बजाज सागर	चौथी
93.	सोम कमला अम्बा	पांचवीं
94.	इंदिरा गांधी नहर चरण-II	पांचवीं
	उत्तर प्रदेश	
95.	शारदा सहायक	तीसरी
96.	लखवर व्यासी	पांचवीं
97.	मध्य गंगा नहर	पांचवीं
98.	सरजू नहर (बायां तटधारानहर)	पांचवीं
99.	पूर्वी गंगा नहर	पांचवीं
100.	राजघाट	पांचवीं
101.	जमरानी बांध	पांचवीं
102.	सोन पम्प नहर	पांचवीं
103.	कनहर सिंचाई	पांचवीं
104.	बेबार फीडर	पांचवीं
105.	मऊदाहा बांध	पांचवीं
106.	चितौड़गढ़	पांचवीं
	पश्चिम बंगाल	
107.	बैराज और डी वी सी की सिंचाई प्रणाली	प्रथम
108.	कांगसावती	दूसरी
109.	तीस्ता बैराज	पांचवीं
	मध्यम	
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	थांडवा जलाशय	तीसरी
2.	कनपुर नहर	तीसरी
3.	वेंगलरायसागरम (सुवर्णमुखी-गोमुखी)	पांचवीं
4.	वोट्टिवागु	पांचवीं
5.	मुट्टवलसा	पांचवीं
6.	चेय्येरू	पांचवीं
7.	तलिपेरू	पांचवीं
8.	गुंडलवागु	पांचवीं
9.	सतनाला	पांचवीं
10.	झंझावटी	पांचवीं

1	2	3
11.	येर्राकल्वा जलाशय	पांचवीं
12.	मड्डिगेड्डा जलाशय	पांचवीं
13.	तम्मिलेरू	छठी
14.	वरदाराजा स्वामीगुडि	छठी
15.	अन्द्रा जलाशय (चम्पावती)	सातवीं
16.	बुग्गा वन्का जलाशय	सातवीं
17.	अपर कोलसनाना	सातवीं
18.	चलमलवागु इरकपल्ले के निकट	सातवीं
	असम	
19.	कोल्लंगा	पांचवीं
20.	बुरदीहिंग	वार्षिक योजना 1978-80
21.	बरोलिया	वार्षिक योजना 1978-80
22.	हवाईपुर लिफ्ट	छठी
	बिहार	
23.	ओरनी	पांचवीं
24.	बटाने	पांचवीं
25.	तोरई	पांचवीं
26.	कंस	पांचवीं
27.	झरझरा	पांचवीं
28.	बिलासी	वार्षिक योनजा 1978-80
29.	सोनुआ	छठी
30.	सुरू	छठी
31.	लटराटू जलाशय	सातवीं
32.	भैरवा जलाशय	सातवीं
33.	केसो जलाशय	सातवीं
34.	पंचखेरो जलाशय	सातवीं
35.	नकाटी जलाशय	सातवीं
36.	सारंगी जलाशय	सातवीं
37.	कंसजोरे जलाशय	सातवीं
38.	रामरेखा जलाशय	सातवीं
39.	अपर शंख नहर	सातवीं
40.	दानसिंह तोली जलाशय	सातवीं
41.	कतरी जलाशय	सातवीं
42.	मलाई सिंचाई	सातवीं

1	2	3
	गोवा	
43.	मनडोवी	पांचवीं
	गुजरात	
44.	हिरन (एस)-II	चौथी
45.	मच्छनाला	पांचवीं
46.	अनली (बेर-II)	पांचवीं
47.	देव	पांचवीं
48.	वेणु-II	पांचवीं
49.	भादर (पी डब्ल्यू एस)	पांचवीं
50.	माजम	पांचवीं
51.	हादफ	पांचवीं
52.	गुहाई	पांचवीं
53.	केलिया	पांचवीं
54.	हरनद-II	पांचवीं
55.	सनी	पांचवीं
56.	अम्बेरपुर	पांचवीं
57.	उमरिया	पांचवीं
58.	अजी-III	वार्षिक योजना 1978-80
59.	झुझ	वार्षिक योजना 1978-80
60.	मुक्तेश्वर	छठी
61.	उंद-II (गुनातीत सरोवर)	सातवीं
	हिमाचल प्रदेश	
62.	किरपौल चड खुल	सातवीं
	जम्मू व कश्मीर	
63.	मरवल लिफ्ट	चौथी
64.	लेटपोरा लिफ्ट	चौथी
65.	नियु खरेवा भंडारण	चौथी
66.	कोइल लिफ्ट	पांचवीं
67.	राजपोरा लिफ्ट	वार्षिक योजना 1978-80
68.	साल लिफ्ट	वार्षिक योजना 1978-80
69.	अन्स नहर	छठी
70.	रफियाबाद लिफ्ट	सातवीं

1	2	3
	कर्नाटक	
71.	मंच्छनबाले	चौथी
72.	इग्गूलर	चौथी
73.	वोटेहोले	पांचवीं
74.	अमरजा	पांचवीं
75.	लोअर मुल्लामारी	पांचवीं
76.	मस्किनाला	पांचवीं
77.	रानीकेरे और की फीडर नहर	पांचवीं
78.	चुल्कीनाला	पांचवीं
79.	अरकावती	पांचवीं
80.	चिल्कीहोले	वार्षिक योजना 1978-80
81.	उडथोरेहल्ला	वार्षिक योजना 1978-80
82.	हैरेहल्ला	छठी
	केरल	
83.	अट्टपाड़ी	पांचवीं
84.	करपूसा	पांचवीं
	मध्य प्रदेश	
85.	घुघट्टा	पांचवीं
86.	मतियारी	पांचवीं
87.	बिलासपुर व्यपवर्तन	पांचवीं
88.	बालर	पांचवीं
89.	शिवनाथ व्यपवर्तन	पांचवीं
90.	पिपरिया नल्ला	पांचवीं
91.	बन्जर	पांचवीं
92.	बन्की	पांचवीं
93.	मंड व्यपवर्तन	पांचवीं
94.	तिल्लार	वार्षिक योजना 1978-80
95.	मतियामोती	वार्षिक योजना 1978-80
96.	छोरल	वार्षिक योजना 1978-80
97.	धुधी	वार्षिक योजना 1978-80
98.	चन्दोरा	वार्षिक योजना 1978-80
99.	बुन्दाला	वार्षिक योजना 1978-80
100.	गोमुख	वार्षिक योजना 1978-80
101.	कलियासोटे	वार्षिक योजना 1978-80
102.	बुधना	वार्षिक योजना 1978-80
103.	रामपुराखुर्द	वार्षिक योजना 1978-80
104.	डोलवाड़	वार्षिक योजना 1978-80
105.	छिपानी	छठी
106.	बाह	छठी
107.	महुआर	छठी
108.	कनहरगांव	छठी
109.	गेज	छठी
110.	लखुन्देर	छठी
111.	केसरटेडा	छठी
112.	देजला-देवदा	छठी
113.	बरनाई	छठी
114.	बन्दिया नल्ला	छठी
115.	सागर	छठी
116.	कुनवारी लिफ्ट	छठी
117.	संक - स्वर्णरेखा लिंक	सातवीं
118.	गोपद लिफ्ट	सातवीं
	महाराष्ट्र	
119.	हारनबारी	चौथी
120.	अलंदी	पांचवीं
121.	बहुला	पांचवीं
122.	मोर	पांचवीं
123.	हिवारा	पांचवीं
124.	मंगलूरपुर	पांचवीं
125.	एरदा	पांचवीं
126.	पेतिमसोली	पांचवीं

1	2	3
127.	जावलगांव (हतीज हिंगनी)	पांचवीं
128.	छिकोतरा	पांचवीं
129.	कसारी	पांचवीं
130.	कुम्भी	पांचवीं
131.	कदवी	पांचवीं
132.	जंगमहट्टी	पांचवीं
133.	अरन (पिम्परी बारावत)	पांचवीं
134.	धम	पांचवीं
135.	चैन्ना नाड़ी	पांचवीं
136.	अंजना पाल्सी	पांचवीं
137.	तेपापुरी	पाचवीं
138.	पुना (न्यूपुर)	पांचवीं
139.	तालानी	पांचवीं
140.	पेंधारीनल्ला	पांचवीं
141.	वड़ीवाली	वार्षिक योजना 1978-80
142.	उमरझारी	वार्षिक योजना 1978-80
143.	देवगढ़	छठी
144.	डोंगरगांव (सी)	छठी
145.	हेटवाने	छठी
146.	सोनवाड़	छठी
147.	उरमोडी	छठी
148.	बोरी (कानपुर)	छठी
149.	शाहनुर	छठी
150.	करवप्पा नल्ला	छठी
151.	देहाली	छठी
152.	शंख	छठी
153.	नग्यशक्य	छठी
154.	मुन	छठी
155.	शिवाना तकाली	छठी
156.	पटगांव	छठी
157.	अमरावती	छठी
158.	अपर मनार	छठी
159.	सकोल	छठी
160.	पकाड़ीगूडेन	छठी
161.	कसरसोई	छठी
162.	देवराजन	छठी

1	2	3
163.	बोर दहेगांव	छठी
164.	मासलगा	छठी
165.	जाग	छठी
166.	तजनापुर लिफ्ट	छठी
167.	अन्दाली	
168.	मदन टैंक	सातवीं
	मणिपुर	
169.	सिंगदा	पांचवीं
	उड़ीसा	
170.	हरिहरझोरे	वार्षिक योजना 1978-80
171.	हरभंगी	वार्षिक योजना 1978-80
172.	अपर जोंक	वार्षिक योजना 1978-80
173.	बगुआ चरण-I और चरण-II	वार्षिक योजना 1978-80
174.	बधनाला	छठी
175.	देव	छठी
176.	बगलाती	छठी
177.	सपुआबधजोरे	छठी
178.	बिरूपा गेंगुटी द्वीप सिंचाई	सातवीं
179.	सतीगुडा	सातवीं
	पंजाब	
180.	तलवाडा के नीचे हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में सिचाई	सातवीं
	राजस्थान	
181.	पंचना	पांचवीं
182.	छपी	छठी
183.	बिलास	छठी
184.	सावन भादो	छठी
185.	परवान लिफ्ट	छठी
	तमिलनाडु	
186.	ओरथुपालयम	छठी
	त्रिपुरा	
187.	गुमती	पांचवीं
188.	खोवाई	छठी
189.	मनु	छठी

विवरण-III

विश्व बैंक की सहायता से चालू सिंचाई परियोजनाओं के नाम

क्र.सं.	परियोजना के नाम	समझौते की तिथि	पूर्ण होने की तिथि	सहायता की राशि (अमरीकी डा. मिलियन में)	31.3.96 की स्थिति के अनुसार समउपयोजित
	हरियाणा				
1.	जल संसाधन समेकन परियोजना	6-04-94	31.12.2000	294.289	32.263
	कर्नाटक				
2.	अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना फेज-II	16-06-89	31.12.96	169.208	150.812
	महाराष्ट्र				
3.	समेकित सिंचाई परियोजना - III	5-12-85	31.12.96	169.083	138.411
	बहुराज्यीय				
4.	बांध सुरक्षा पुनर्स्थापना परियोजना	10-06-91	30-09-97	148.884	23.820
5.	हाइड्रोलॉजी परियोजना	09-06-95	31-03-2002	142.0	4.003
	उड़ीसा				
6.	जल संसाधन समेकन परियोजना	05-01-96	30-09-2002	290.9	14.207
	पंजाब				
7.	सिंचाई एवं जल निकास परियोजना	06-04-94	31-03-98	171.429	93.875
	तमिलनाडु				
8.	जल संसाधन समेकन परियोजना	29-04-95	31-03-2002	282.9	12.438

भूतपूर्व सैनिक

1407. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया;

(ख) शेष भूतपूर्व सैनिकों को विभिन्न सिविल विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरी देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त हो रहे रक्षा कर्मियों की औसत संख्या क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में पुनः रोजगार दिए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिक
1993	16,736
1994	16,475
1995	15,400 (अनंतिम)

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000-55,000 सशस्त्र सेना कार्मिक सेवानिवृत्त होते हैं।

विवरण

सेना कार्मिकों को सशस्त्र सेनाओं से सेवामुक्त किए जाने के बाद उन्हें पुनः रोजगार मुहैया कराने के लिए केन्द्र सरकार ने समूह "ग" तथा "घ" पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए निम्नलिखित आरक्षण प्रदान किया है :-

		समूह "ग"	समूह "घ"
(1)	केन्द्रीय सरकार के विभाग	10%	20%
(2)	राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	14.5%	24.5%

पैरा सैन्य बलों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए सहायक कमांडेंट के पदों में 10 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया गया है। रक्षा सुरक्षा कोर में भर्ती मुख्यतः भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित है। विभिन्न राज्य सरकारों ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का अलग-अलग प्रतिशत सैनिकों को रोजगार दिया जाना, उनके लिए आरक्षित पदों में उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या तथा ऐसे रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले पात्र भूतपूर्व सैनिकों की संख्या पर निर्भर करता है।

फिजिकल फिटनेस सेंटर

1408. श्री शरत पटनायक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में फिजिकल फिटनेस सेंटरों को विनियमित करने हेतु कानून लाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के युवा मामलों और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री धनुषकोडी आदित्यन आर.) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चार लेन वाले राजमार्ग संख्या - 23

1409. श्री ललित उरांव : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेलचर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर चार लेन बनाकर चौड़ा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी. जी. वेंकटरामन) : (क) से (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

कालीकट विश्वविद्यालय में श्रव्य-दृश्य शोध केन्द्र

1410. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल में कालीकट विश्वविद्यालय में श्रव्य-दृश्य शोध केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(ग) इस केन्द्र के प्रमुख कार्य क्या हैं;

(घ) क्या इस केन्द्र का कार्यकरण संतोषप्रद है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र को कार्यशील बनाने के लिए 82 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ग) केन्द्र का मुख्य कार्य शैक्षिक संचार संकाय (सी.ई.सी.) के देश व्यापी कक्षा कक्ष कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारण हेतु शैक्षिक संवर्धन कार्यक्रमों को तैयार करना है।

(घ) और (ङ). केन्द्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1995-96 में संस्वीकृति प्रदान की गई थी और यह स्थापना के प्रथम चरणों में है। इस अवस्था में इसका मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी।

[हिन्दी]

हिन्दी कम्प्यूटर शिक्षा

1411. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिंदी कम्प्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया) : (क) और (ख). हिंदी संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने हिंदी में डी.ओ.एस. और ओ.एस/2 का विकास करते हुए व्यक्तिगत संगणकों (पी.सी) के लिए हिंदी माहौल

बनाने के लिए एक परियोजना तैयार की है। विभाग ने भारत की नो भिन्न-भिन्न शैक्षिक संस्थानों को हिंदी में संख्यांक अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पी.जी. और डी.सी.ए.) चलाने के लिए एक कालिक वित्तीय सहायता भी दी है। इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा समर्थित एक अन्य परियोजना के अंतर्गत, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने के लिए राजस्थान स्थित वनस्थली विद्यापीठ में एक साफ्टवेयर प्रोटोटाइप विकसित किया गया। विदेशी पर्यटकों को हिंदी पढ़ाने के लिए एक प्रबुद्ध अनुशिक्षण प्रणाली प्रोटोटाइप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली तथा केन्द्रीय हिंदी संस्थान में विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र हिंदी में संगणक के प्रयोग के संबंध में सरकारी कर्मचारियों के लाभार्थ विभिन्न अंशकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। 1995 के दौरान राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, दिल्ली ने हिंदी में शब्द प्रकमनन, आंकड़ा प्रविष्टि (डी.ओ.एस) माहौल तथा डेस्क टाप प्रकाशन संचालित किया था।

संगणक शिक्षा को पहले ही स्कूलों में संस्थापित किया जा चुका है। देश में उपलब्धता के अनुसार अंग्रेजी के आर.ओ.एम. तथा वर्ड प्रोसेसर के साथ-साथ हिंदी के आर ओ एम तथा वर्ड प्रोसेसर प्रयोग में लाए जा रहे हैं।

गलत व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करना

1412. श्री महेश कुमार एम. कनोडिया : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान गलत व्यक्तियों को पासपोर्ट जारी करने से संबंधित कोई मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्यवार दोषी पाये गये पासपोर्ट अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिनके बारे में गलत पासपोर्ट का प्रयोग करके विदेश जाने की सूचना प्राप्त हुई है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा अनुबन्ध-I के अनुसार है।

(ग) चूंकि इन सभी मामलों में पासपोर्ट वर्तमान नियमों के तहत जारी किये गये और पासपोर्ट के लिए आवेदन आवश्यक कागजात सहित सभी प्रकार से पूर्ण थे, पासपोर्ट पदाधिकारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि इस सूचना की प्राप्ति पर कि वे गलत लोगों को जारी किये गये थे, पासपोर्ट जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा ये पासपोर्ट शीघ्र रद्द/जब्त कर लिये गये।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नकली पासपोर्टों पर विदेश जाने वाले कथित लोगों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है।

वर्ष	1993	1994	1995
	130	262	290

विवरण

क्र.सं.	नाम	पासपोर्ट सं.	जारी करने की तारीख	जारी करने का स्थान
1	2	3	4	5
1.	श्री एस. अमीर फारूक	एस-452950	22.6.1994	मद्रास
2.	श्री साजिद उर्फ जुबेर मोहम्मद इकबाल	ए-694453	1.5.1991	मुम्बई
3.	श्रीमती वेंगमाला लुथुई	बी-286072	27.12.1991	गुवाहाटी
4.	श्री दीन दयाल डिडवानियां	टी-688074	15.2.1983	मुम्बई
5.	नवनीत डिडवानियां	टी-814161	7.3.1993	मुम्बई
6.	अनिल कुमार डिडवानियां	ए-105842	मालूम नहीं	-
7.	मनोज कुमार डिडवानियां	आर-759446	17.6.1993	-
8.	शक्ति अहमद मोहम्मद मुसालिम शेख उर्फ लम्बू शकील	एस-184105	17.2.1982	मुम्बई
9.	राजेन्द्र सदाशिव निखालजे	ई-792821	27.4.1988	दुबई

1	2	3	4	5
10.	मुस्तका मोहम्मद उमर दोसा	ई-032186	20.10.1987	दुबई
11.	श्री लुईगम लुथुई	डब्ल्यू-898837	28.9.1984	दिल्ली
12.	मुस्ताक अब्दुल्ला बबानी	एच-407579	1.6.1990	मुम्बई
13.	मुहम्मद मुस्ताक	एच-119363	12.9.1991	कराची
14.	अब्दुल लतीफ			
15.	अब्दुल वहाज उर्फ मुल्ला			
16.	सुंदर सिंह	ओ-301995	15.6.1993	दिल्ली
17.	मोहम्मद अमीरूद्दीन हबीब	बी-431284	30.6.1993	हांगकांग
18.	सलीम अब्दुल गनी गाजी	बी-918409	19.2.1987	मुम्बई
19.	अब्दुल रशीद मोहम्मद खान उर्फ रशीद महमूद खान	आई-069801	6.2.1991	मुम्बई
20.	शेख दाउद हसन उर्फ दाउद अब्राहिम कस्कर	बी-110522	13.11.1978	मुम्बई
		बी-537849	30.7.1979	मुम्बई
21.	इब्राहिम अब्दुल रजाक मेमन	एच-825080	28.11.1990	दुबई
22.	मोहम्मद अहमद दोसा	सी-487715	5.6.1987	मुम्बई
		एच-900874	11.6.1991	दुबई
23.	मोहम्मद शाहिद निजामुद्दीन कुरेशी	बी-417452	22.9.1986	मुम्बई

[अनुवाद]

गर्भ निरोधक तरीकों के बारे में जागरूकता

1413. डा. टी सुब्बारामी रेड्डी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गर्भ निरोधक तरीकों के प्रयोग के बारे में जागरुकता के अभाव और इस सम्बन्ध में विद्यमान भ्रांतियों की वजह से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर को कम करने के प्रयासों में अभी भी रूकावट उत्पन्न होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह पता चलता है कि परंपरागत चिकित्सक और प्रशिक्षित व्यक्ति परिवार नियोजन के किसी एक तरीके को अपनाने के बारे में ग्रामवासियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन में अन्य कौन सी बातें कही गई हैं और परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1992-93) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 13-49 वर्ष की आयु की विवाहित 94.7 प्रतिशत महिलाएं परिवार नियोजन का कम से कम एक उपाय जानती हैं और 94.5 प्रतिशत महिलाएं कम से कम एक आधुनिक उपाय जानती हैं।

(ख) और (ग). मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए एक अग्रणी अध्ययन से पता चला कि प्रशिक्षित परंपरागत चिकित्सक परिवार नियोजन के बारे में पात्र दम्पत्तियों पर प्रभाव डाल सकते हैं।

अध्ययन से उन तरीकों का पता चला जिनमें परम्परागत चिकित्सक पात्र दम्पत्तियों को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा व्यापक अध्ययन किया जा रहा है।

कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

1414. डा. अरूण कुमार शर्मा : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम को गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत

कमान क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी धनराशि दी गई है; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत असम सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नानुसार वर्षवार 402.5 लाख रुपए की सहायता अनुदान मुहैया करवाया गया

वर्ष	सहायता अनुदान (लाख रुपए में)
1993-94	202.61
1994-95	137.89
1995-96	62.00
योग	400.50

(ख) इस अवधि में लक्ष्य तथा उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

	1993-94		1994-95		1995-96		1993-96 तक योग	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
फील्ड चैनल	2.03	1.50	3.353	1.088	4.963	0.528	10.346	3.116
फील्ड नालियां	3.80	0.64	3.341	1.48	4.167	0.175	11.308	2.295
वाराबंदी (बारी-बारी से जल आपूर्ति)	2.48	1.00	1.5	0.35	2.75	शून्य	6.73	1.35

सशस्त्र सेवाओं को आधुनिक बनाना

1415. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार थल सेना और वायुसेना को आधुनिक बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) और (ख). सरकार सशस्त्र सेनाओं के उपस्करों को आधुनिक तथा उन्नत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे राष्ट्र की सुरक्षा को होने वाले किसी भी खतरे का सामना कर सकें। आधुनिकीकरण की प्राथमिकताओं का पता लगाने और उपयुक्त बजटीय आवंटनों के माध्यम से उन्हें कार्यान्वित करने के लिए प्रतिवर्ष संगठित प्रयास किए जाते हैं।

संसदीय प्रस्ताव के अन्तर्गत केन्द्रीय रोड़ निधि

1416. श्री रमेश चेन्नित्तला :
श्री राजेश पायलट :
प्रो. राम नाईक :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस संसदीय प्रस्ताव को कार्यान्वित करने का कोई निर्णय लिया है जिसमें व्यवस्था की गई है कि दिनांक 13.5.1988 से डीजल और पेट्रोल की मूल कीमत का पांच प्रतिशत केन्द्रीय सड़क निधि के लिए अलग रखा जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). चूंकि, मंत्रियों के दल के लिए संशोधित नोट मंत्रिमंडल सचिवालय को भेज दिया गया है। इसलिए, इस मामले में कोई समय सीमा के बारे में बता पाना संभव नहीं है।

जल भंडारण क्षमता

1417. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकांश जलाशयों में भारी मात्रा में गाद भरी हुई है और इस प्रकार उनकी जल भंडारण क्षमता में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे जलाशयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों को सरकार द्वारा कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है; और

(घ) जलाशयों में, विशेषतः दिल्ली स्थित जलाशयों में, गाद न होने देने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विशेष दूत की बांग्लादेश यात्रा

1418. श्री सनत कुमार मंडल :
श्री पी. आर. दासमुंशी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के किसी विशेष दूत ने हाल ही में द्विपक्षीय और अन्य मुद्दों पर बंगलादेश की नई सरकार से चर्चा करने के लिए वहां का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन चर्चाओं के क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). जी हां। विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में 5 से 7 जुलाई, 1996 तक बांग्लादेश की यात्रा की थी। विदेश सचिव ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और वहां के विदेश मंत्री को अपने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का सद्भावना संदेश दिया जिसमें हमारी इस इच्छा को रेखांकित किया गया था कि हम सभी द्विपक्षीय मसलों को सहयोग और आपसी हित की भावना से सुलझाना चाहते हैं। विदेश सचिव ने बांग्लादेश के वित्त, वाणिज्य, जल संसाधन मंत्रियों से तथा विदेश राज्य मंत्री से भी मुलाकात की और सभी मसलों पर और आगे बातचीत करने के लिए तथा भारत बांग्लादेश संबंधों का संवर्धन करने के लिए बांग्लादेश के अधिकारियों से विचार-विमर्श किया।

मलेरिया उन्मूलन

1419. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम और देश के अन्य भागों में मलेरिया के कारण पिछले छह महीनों के दौरान कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या देश में मलेरिया से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मलेरिया उन्मूलन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) पिछले छह माह (जून,1996 तक) के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मलेरिया के कारण 101 मौतों की सूचना दी गई है जिसमें असम में हुई 20 मौतें शामिल हैं।

(ख) और (ग). जी नहीं। तथापि मलेरिया नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि,
- दिसम्बर, 1994 से उत्तर पूर्वी राज्यों को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान,
- मलेरिया रोगियों का शीघ्र पता लगाना और तत्काल उपचार,
- संचरण को रोकने के लिए कीटनाशकों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से वैक्टर नियंत्रण,
- मच्छर उत्पन्न करने वाले स्रोतों को समाप्त करने के लिए लार्वारोधी उपाय,
- मलेरिया रोधी कार्यक्रमों में जनजागरूकता तथा सहभागिता उत्पन्न करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलापों को तेज करना, और
- मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों में सामुदायिक सहभागिता।

नौवहन उद्योग

1420. श्री संदीपान थोरात : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय जहाजों का समुचित विकास करने और नौवहन उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विकसित देशों में जहाजों से माल भेजने के लिए "इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज सिस्टम" आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नौवहन उद्योग पर प्रस्तावित उपाय के क्या प्रभाव पड़े?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). सरकार ने भारतीय नौवहन उद्योग के विकास के लिए पिछले चार वर्षों के दौरान विभिन्न उपाय किए हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

(1) अब निम्नलिखित के लिए स्वतः अनुमोदन दिया जाता है :-

(क) निजी जहाज मालिक कंपनियों द्वारा क्रूड टैंकरों और अपतटीय सप्लाई जलयानों को छोड़कर सभी श्रेणियों के जलयानों का अधिग्रहण।

(ख) किसी भारतीय शिपयार्ड से जलयानों का अधिग्रहण।

(ग) प्रतिस्थापन टनभार का अधिग्रहण।

(घ) 10,000 डी डब्ल्यू टी तक के यंत्रीकृत सेलिंग जलयानों के लिए 51 प्रतिशत तक विदेशी निवेश।

(2) नौवहन कंपनियों को अपने जलयानों से प्राप्त बिक्री की राशि को विदेशों में रखने और उसे नए अधिग्रहण के लिए उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

(3) भारतीय कंपनियों को भारतीय जहाज, विदेशी नौवहन कंपनियों को "टाइम चार्टर" करने की स्वतंत्रता दी गई है।

(4) नौवहन कंपनियों की "बेयर वोट चार्टर कम-डिमाइज" पद्धति के जरिए जलयानों का अधिग्रहण करने की अनुमति दी गई है।

(5) नौवहन कंपनियों को अब सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी शिपयार्ड में अपने जहाजों की मरम्मत कराने की अनुमति है।

(6) जहाजों की मरम्मत के लिए तिमाही ब्लाक आवंटन स्कीम को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है और भारतीय रिजर्व बैंक अब बिना किसी मूल्य सीमा के जहाज मरम्मत/ड्राई डाकिंग तथा हिस्से पुर्जों के लिए आयातित पूंजीगत माल हेतु विदेशी मुद्रा जारी करता है।

(7) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम की कुछ धाराएं विदेशी ऋणदाताओं द्वारा ऋण का भुगतान न करने के मामले में ऋणदाताओं के अधिकारों के प्रवर्तन और बंधक के पुरोबंध की परिणामी आवश्यकता के लिए बाधाएं समझी जाती थी। इन्हें अब भारतीय नौवहन कंपनियों को विदेशी जलयान अधिग्रहण करने के लिए विदेशों से वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने हेतु संशोधित कर दिया गया है।

(8) पुराने पोतों की खरीद के लिए आयु संबंधी मानदंडों में छूट दी गई है ताकि पोत मालिकों को प्रचालन के संबंध में और स्वतंत्रता दी जा सके।

(ग) और (घ). जी हां। सरकार ने पत्तनों और विमान पत्तनों में इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ई डी आई) के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में "ई डी आई काउन्सिल" का गठन किया है। ई डी आई काउन्सिल के कहने पर प्रत्येक पत्तन में कार्य-संचालन कार्यक्रम तैयार करने के लिए मैसेज डेवलपमेंट ग्रुपों का गठन किया गया है क्योंकि प्रत्येक पत्तन में प्रक्रियाएं प्रलेखन आदि अलग-अलग हैं। मैसेज डेवलपमेंट ग्रुप प्रत्येक पत्तन में पत्तन प्रयोक्ताओं के परामर्श से मैसेज डेवलपमेंट ग्रुप प्रशासन, वाणिज्यिक और परिवहन के लिए इलैक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के प्रयोग को बढ़ाने और लोकप्रिय बनाने तथा सभी पत्तनों के लिए एक एकीकृत ढांचा तैयार करने हेतु मौजूदा फार्मों को सुचारू बनाने, अपेक्षित परिवर्तनों के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और परम्पराओं का अभिनिर्धारण करेगा।

यह निर्णय लिया गया है कि बम्बई और तूतीकोरिन पत्तन सर्वप्रथम साफ्ट-वेयर विकसित करेंगे और ई डी आई प्रणाली को कार्यान्वित करेंगे तथा अन्य पत्तन इसे उनसे ग्रहण करेंगे।

प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या

1421. डा. रामचन्द्र डोम : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तथा छात्र और छात्राओं की अलग-अलग संख्या क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुद्दी राम सैकिया) : (क) और (ख). पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक स्तर पर स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले लड़के और लड़कियों की प्रतिशतता के जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे निम्नवत् थे :-

कक्षा I-V	लड़के	लड़कियां	कुल
1991-92	41.0	45.2	42.8
1992-93	40.1	43.0	41.3
1993-94	35.0	38.6	36.3

स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वालों के आंकड़े ग्रामीण तथा शहरी आधार पर एकत्र नहीं किए गए हैं।

(ग) स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों की दर में कमी लाने के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जो उपाय किए गए हैं उनमें सूक्ष्म योजना और सामुदायिक सहभागिता, पंचायती राज संस्थाओं को अधिक से अधिक शामिल किया जाना, ग्रामीण शिक्षा समितियों की स्थापना, आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के माध्यम से स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, यूनिफार्म और छात्रवृत्ति के रूप में लड़कियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहन, शिक्षक शिक्षा संस्थानों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, अध्ययन के न्यूनतम स्तरों को लागू करना और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन शामिल है।

उड़ीसा की लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

1422. श्री शरत पटनायक :
श्री सौम्य रंजन :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु उड़ीसा की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये परियाजनाएं कब से लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इन लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख). स्वीकृति के लिए लम्बित उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा देने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री ने अगस्त, 1995 में उड़ीसा की लम्बित सिंचाई परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति के लिए अनुरोध किया था।

(घ) अगस्त, 1995 में उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री के साथ पत्राचार के समय उड़ीसा की 4 वृहद और 5 मध्यम परियोजनाएं स्वीकृति के लिए लम्बित थीं। इनमें से 2 वृहद परियोजनाएं नामशः कानपुर बराज और सुवर्णरेखा सिंचाई और 2 मध्यम परियोजनाएं नामशः बाघ बराज और बाघालती को तब से योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें आयोजित करता है जिसमें लम्बित सिंचाई परियोजनाओं की टिप्पणियों की अनुपालना की प्रगति की पुनरीक्षा की जाती है। इसने सिंचाई परियोजनाओं का शीघ्र मूल्यांकन करने में राज्यों की सहायता करने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर यूनिट भी स्थापित किये हैं।

विवरण

उड़ीसा की स्वीकृति के लिए लम्बित नई, वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लाभन्वित जिला	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	अन्ततः सिंचाई क्षमता (हेक्टेयर)	के.ज.आ. में प्राप्ति की तारीख	तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	रेंगाली सिंचाई उप-परियोजना बायां तट नहर II	-	795.15	93,500	2/96	परियोजना सलाहकार समिति द्वारा कुछ टिप्पणियों के अध्यधीन स्वीकार्य पाई गई। परियोजना को कल्याण मंत्रालय द्वारा पुनर्वास और पुर्नस्थापना दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2.	लोअर इन्दिरा सिंचाई परियोजना	बोलनगीर	191.56	38,870	4/93	राज्य सरकार ने सिंचाई आयोजना और अन्य पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग को टिप्पणियों की अनुपालना करनी है। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरण और वन दृष्टि से और पुनर्वास और पुर्नस्थापना योजनाओं के लिए कल्याण मंत्रालय से भी स्वीकृति प्राप्त करनी है।
3.	लोअर सुकतेल	बोलनगीर	171.45	29,840	9/9	-वही-
	मध्यम					
1.	तोलनगिरी सिंचाई	कोरापुट	53.8	13,830	10/85	राज्य सरकार को 11/93 में नौरंगपुर क्षेत्र में जल ले जाने के लिए इन्द्रावती नदी पर साइफन बनाने के लिए शीघ्र व्यवहार्यता अध्ययन करने और यदि व्यवहार्य पाया जाये तो संशोधित प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई। राज्य सरकार ने अब तक संशोधित प्रस्ताव नहीं भेजा है। राज्य सरकार ने पर्यावरण और

1	2	3	4	5	6	7
						वन दृष्टि से पर्यावरण और वन मंत्रालय से और पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजनाओं के लिए कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है।
2.	मानजोर	धेनकनाल	37.70	10,430	8/91	सलाहकार समिति द्वारा 3/93 में परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन स्वीकृति तथा कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के अध्यधीन स्वीकार्य पायी गई। कल्याण मंत्रालय ने पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना स्वीकृत की है। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।
3.	स्कुरा	सुन्दरगढ़	25.21	7,650	6/93	परियोजना पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजनाओं और वन स्वीकृति की शर्त पर 6/93 में सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई। कल्याण मंत्रालय ने पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजनाओं की स्वीकृति दी है। राज्य सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय से वन स्वीकृति प्राप्त करनी है।

राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु आवंटन

1423. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण/रख-रखाव के लिए आवश्यक योजना आवंटन के संबंध में आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु राज्य सरकारों को किए गए ऐसे आवंटन का प्रतिशत क्या था; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे यात्री सुविधाएं संबंधी सरकारी योजनाओं का विशेषकर केरल में ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) और (ख). राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत् प्रक्रिया है और सुधार की आवश्यकताएं विभिन्न समयों पर अलग-अलग होती हैं।

(ग) विभिन्न राज्यों को पिछले तीन वर्षों के दौरान विकास/रख-रखाव के लिए किए गए आवंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(घ) केरल में रा.रा.-17 पर काकाझीचेरा में एक स्थान सहित विभिन्न राज्यों में 17 स्थानों का सरकारी क्षेत्र की स्कोप के अंतर्गत मार्गस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अभिनिधरिण किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को विकास/रख-रखाव के लिए निधियों मे आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विकास कार्य 1993-94	रख-रखाव कार्य 1993-94	विकास कार्य 1994-95	रख-रखाव कार्य 1994-95	विकास कार्य 1995-96	रख-रखाव कार्य 1995-96
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	4524.00	1716.42	5194.50	2146.64	4864.00	2842.89
2.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	53.51	130.00	67.24	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	1400.00	1355.22	1485.00	1678.23	1650.00	1443.95
4.	बिहार	1920.00	1276.45	2221.00	1472.53	1980.00	1763.95
5.	चंडीगढ़	25.00	14.00	25.00	21.00	25.00	26.00
6.	दिल्ली	550.00	208.21	150.00	143.25	400.00	146.55
7.	गोवा	570.00	225.05	454.40	385.65	643.00	205.03
8.	गुजरात	6200.00	1033.95	7098.00	1316.64	5458.00	1745.20
9.	हरियाणा	3200.00	513.86	5160.00	560.43	5555.00	756.70
10.	हिमाचल प्रदेश	1200.00	881.70	1350.00	894.80	1600.00	1366.41
11.	जम्मू और कश्मीर	40.00	94.54	45.00	75.60	50.00	193.11
12.	कर्नाटक	2709.00	1234.19	3189.00	1506.78	3319.00	1768.40
13.	केरल	3089.00	726.15	3124.95	924.1	4310.00	863.88
14.	मध्य प्रदेश	1678.00	1316.28	2347.38	1696.01	2820.00	1971.52
15.	महाराष्ट्र	2831.00	1815.54	3262.92	2150.45	3703.00	2579.33
16.	मणिपुर	300.00	130.47	331.93	115.20	501.00	184.64
17.	मेघालय	470.00	231.13	500.00	270.06	680.00	426.54
18.	नागालैंड	45.00	7.29	40.00	4.00	50.00	8.00
19.	उड़ीसा	1221.00	1018.11	3557.55	1186.50	3602.00	1447.83
20.	पांडिचेरी	50.00	16.02	50.00	14.70	50.00	21.38
21.	पंजाब	2200.00	661.30	3559.80	736.97	5910.00	770.72
22.	राजस्थान	4028.00	1339.97	4720.88	1810.83	6733.00	1860.72
23.	तमिलनाडु	3264.00	1643.67	2589.50	1702.86	1275.00	1789.94
24.	उत्तर प्रदेश	4879.00	1710.52	8455.68	2065.48	8842.00	2529.94
25.	पश्चिम बंगाल	3500.00	1760.45	3987.00	1744.02	3810.00	1731.33
	योग	49495.00	20982.00	63029.50	24689.91	67831.00	28443.96

[हिन्दी]

कघवान सिंचाई परियोजना

1424. श्री ब्रजमोहन राम : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की कघवान सिंचाई परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ख) इस सिंचाई परियोजना के माध्यम से बिहार के प्रत्येक जिले में कितने भू-क्षेत्र की सिंचाई होगी;

(ग) इस पर कितना व्यय होगा; और

(घ) इस परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) केन्द्रीय जल आयोग में कघवान सिंचाई परियोजना (बिहार) नाम की कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि सोन नदी पर इन्द्रावती बराज के अंतर्गत वर्तमान सिंचाई के विस्तार के लिए बिहार सरकार द्वारा कघवान जलाशय नाम की परियोजना प्राप्त हुई है।

(ख) इस परियोजना से सिंचाई होने वाले कृष्य कमान क्षेत्र के जिलावार विवरण निम्नलिखित हैं:-

भोजपुर जिला - 67,374 हेक्टेयर

पटना जिला - 9,831 हेक्टेयर

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत 656.60 करोड़ रुपए थी।

(घ) यद्यपि इस परियोजना के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए समय निश्चित है किन्तु परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों (एजेंसियों) की टिप्पणियों की अनुपालना कितनी जल्दी करती है।

भारत के प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम पर अमरीका की प्रतिक्रिया

1425. श्री अनंत कुमार : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 जून, 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "अमरीका भारतीय मिसाइलें की तैनाती का विरोध करेगा" से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) समाचार की विषयवस्तु के तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में अमरीकी सरकार के साथ यह मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). जी, हां। सरकार ने अमरीका के विदेश विभाग के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा दिए गए वक्तव्य के संबंध में समाचार पत्रों में छपी खबरें देखी हैं। पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय क्षमता वाले एम-II प्रक्षेपास्त्रों के अधिग्रहण और उनकी तैनाती के संबंध में सरकार का अपना आंकलन है और वह इसे चिन्ता का विषय मानती है। सरकार खतरे के संबंध में अपने आंकलनों के अनुरूप अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए कृत संकल्प है।

(ग) और (घ). जी, हां। हमने इस संबंध में अपने विचारों से संबंधित देशों को अवगत करा दिया है। अमरीका की सरकार ने हमारे विचारों पर गौर किया है।

अमरीकी पर्यटकों के अपहरण में पाकिस्तान की भूमिका

1426. श्री पंकज चौधरी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने ऐसा संकेत दिया है कि अन्य विदेशियों सहित एक अमरीकी पर्यटक के अपहरण, अल-फरान गुट द्वारा नार्वे के एक पर्यटक की हत्या और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है;

(ख) यदि हां, तो अमरीकी सरकार द्वारा इस संबंध में दिए गए वक्तव्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) और (ख). सार्वभौमिक आतंकवाद के तौर-तरीकों के सम्बन्ध में 1995 में प्रकाशित स्टेट डिपार्टमेंट की वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि "पाकिस्तान समर्थित एक ग्रुप हरकल-उल अंसार के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि वह अल-फरान से सम्बद्ध है। अल फरान वह गुट है जिसने कश्मीर में अमरीका के दो नागरिकों, ब्रिटेन के दो नागरिकों तथा जर्मन और नार्वे के एक-एक नागरिक के अपहरण की जिम्मेदारी ली थी।"

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस आशय की विश्वस्त सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि कश्मीर में लड़ रहे उग्रवादियों को जिनमें पाकिस्तानी, अफगानी और अरब राष्ट्रिक भी शामिल हैं, तथा उन ग्रुपों को जिन्होने कश्मीर में आतंकवादी विभिन्न बम-विस्फोटों की जिम्मेवारी ली है, पाकिस्तान का आधिकारिक समर्थन प्राप्त है।

(ग) सार्वभौमिक आतंकवाद के तौर-तरीकों पर प्रकाशित इस रिपोर्ट में दिये गये उपर्युक्त वक्तव्यों से हमारे इस दृष्टिकोण का समर्थन होता है कि पाकिस्तान हथियारों, उपकरणों की आपूर्ति करके, प्रशिक्षण देकर तथा घुसपैठ के जरिये प्रत्यक्ष रूप से भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बड़े पैमाने पर दुष्प्रेरित कर रहा है और उनका समर्थन कर रहा है।

[अनुवाद]

सीमा पर बच्चों का अवैध व्यापार

1427. श्री मोहन रावले : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा पर बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल और बंगलादेश के साथ कुछ प्रभावी द्विपक्षीय प्रबन्ध किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को मंत्रालय के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) सीमा के आर-पार से बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल और बंगलादेश के साथ कोई द्विपक्षीय व्यवस्था नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीमा के आर-पार बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल और बंगलादेश के साथ प्रभावी द्विपक्षीय व्यवस्था करने संबंधी मामला सरकार के साथ नहीं उठाया है। तथापि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जून, 1995 में सरकार को एक मामला भेजा था जो दिल्ली में फरीदा

नामक अवैध अप्रवासी नाबालिग कन्या के बंगलादेश प्रत्यावर्तन से संबंधित था। सरकार ने इस बालिका के स्वदेश प्रत्यावर्तन के लिए दिल्ली स्थित बंगलादेश उच्चायोग के साथ सम्पर्क किया था।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर चुनावों के संबंध में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बयान

1428. श्री अमरपाल सिंह :

श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में जम्मू और कश्मीर में कराए गए संसदीय चुनावों के संबंध में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों की ओर दिलया गया है;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार से इस संबंध में कोई विरोध प्रकट किया गया है; और

(ग) पाकिस्तान सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). 28 जून, 1996 को पाकिस्तान की प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम दिये गये संदेश के परिप्रेक्ष्य में विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने यह टिप्पणी की कि "इस संदेश का स्वर हमारे प्रधानमंत्री को भेजे गये पत्र से भिन्न था। हमें ताज्जुब है कि हम किसे गम्भीरता से लें"।

हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह सुझाव दिया था कि दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत पुनः शुरू की जाए। हमें अपने प्रधानमंत्री के पत्र पर पाकिस्तान के उत्तर की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता

1429. श्री सुरेश कलमाडी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यू.एन.एस. सी.) में सदस्यता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त करने के लिए विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक किन-किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया गया है तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए चुनाव कब होने की सम्भावना है?

विदेश मंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : (क) से (ग). भारत 1997-99 सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए उम्मीदवार है। भारत सरकार ने अपनी न्यायोचित और जायज उम्मीदवारी के लिए अन्य सरकारों को अवगत कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन उपायों में विभिन्न राजधानियों और नई दिल्ली स्थित राजनयिक मिशनों से संपर्क कायम करना, क्षेत्रीय बैठकों में भाग लेना और विदेशों की राजधानियां तथा नई दिल्ली की यात्रा पर आने वाले विदेशियों से विशेष दूतों के जरिए परस्पर कार्यकलाप करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र का भारतीय स्थायी मिशन भी, जैसा कि अपेक्षित होता है, इस प्रयास में बराबर सहयोग देता है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों, जिनके साथ भारत के राजनयिक संबंध है, से इस संबंध में संपर्क किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट के लिए चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा के 51वें सत्र के दौरान अक्तूबर, 1996 के अन्त में होने की उम्मीद है।

भारतीय नौसेना के विमान वाहक

1430. श्रीमती भावना बेन देवराज भाई चिखलिया : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय नौसेना के विमान वाहनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नौसेना को और अधिक आधुनिक विमान वाहकों की खरीद की कोई योजना है;

(ग) क्या देश में ही ऐसे विमान वाहकों के उत्पादन की भी योजनाएं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आधुनिक विमान वाहकों के अभाव में सरकार का विचार इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) भारतीय नौसेना के पास दो वायुयान वाहक पोत हैं अर्थात् भा.नौ.पो. विराट और भा.नौ.पो. विक्रांत। इन दोनों में से भा.नौ.पो. विक्रांत सेवा से हटाए जाने योग्य हो गया है और इस तरह, उसे समुचित रूप से प्रतिस्थापित किया जाना है। दूसरे वायुयान वाहक पोत, भा.नौ.पो. विराट को भी आधुनिक बनाए जाने की योजना है ताकि उसकी युद्धक क्षमता को बेहतर बनाया जा सके।

(ख) जी हां।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ). इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि भा.नौ. पो. विक्रांत की सेवा से शीघ्र ही हटाया जाना है, एक वायुयान वाहक पोत सीधे ही प्राप्त करने का प्रस्ताव है। भा.नौ.पो. विराट को प्रतिस्थापित करने के प्रयोजनार्थ एक वायु रक्षा पोत के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

एड्स

1431. श्री कृष्ण लाल शर्मा :
श्री आनंद रत्न मौर्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एच.आई.वी. एक और दो सकारात्मक संक्रमण से पीड़ित लोगों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक दिल्ली और अन्य राज्यों में इस समय पता लगाये गये एड्स (एच.आई.वी. सकारात्मक) के मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) दिल्ली के उन अस्पतालों के नाम क्या हैं जहां एड्स की जांच करने की सुविधा उपलब्ध है;

(घ) एड्स पर नियन्त्रण करने के लिये दिल्ली को चालू वर्ष के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ङ) क्या दिल्ली सरकार ने इस पूर्ण धनराशि का उपयोग किया है;

(च) यदि हां, तो इस धनराशि का किन शीर्षों के अन्तर्गत उपयोग किया गया है;

(छ) क्या सरकार को इस अवधि के दौरान इस धनराशि के दुरूपयोग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) एचआईवी के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) सूचित किए गए एच आई वी (पाजिटिव) रोगियों का वर्षवार/राज्यवार सूचना देने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) विवरण-II पर एक सूची संलग्न है।

(घ) से (च). प्रबन्ध, निगरानी, रक्त निरापदता, यौन संचारित रोग, प्रशिक्षण, सूचना, शिक्षा व संचार इत्यादि जैसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 423.39 लाख रुपये के आवंटन का अनुमोदन किया गया है। इस योजना पर कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(छ) जी नहीं।

(ज) और (झ). प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	1993 पाजिटिव	1994 पाजिटिव	1995 पाजिटिव	जून, 1996 तक पाजिटिव
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	47	–	72	2
2.	असम	1	1	128	16
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–
4.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	82	3
5.	बिहार	2	–	–	14
6.	चंडीगढ़	46	–	19	4
7.	पंजाब				
8.	दिल्ली	173	86	–	43
9.	दमन व द्वीव	–	–	8	0
10.	दादर व नागर हवेली	–	–	–	1
11.	गोवा	128	33	395	57
12.	गुजरात	92	189	4	8
13.	हरियाणा	35	52	16	39
14.	हिमाचल प्रदेश	2	–	–	58
15.	जम्मू और कश्मीर	9	–	–	16

1	2	3	4	5	6
16.	कर्नाटक	668	693	426	325
17.	केरल	86	–	–	0
18.	लक्षद्वीप	2	–	3	0
19.	मध्य प्रदेश	21	–	150	84
20.	महाराष्ट्र	705	–	828	216
21.	मणिपुर	254	778	1231	199
22.	मिजोरम	11	41	–	0
23.	मेघालय	–	–	53	4
24.	नागालैंड	–	–	149	0
25.	उड़ीसा	4	28	111	47
26.	पांडिचेरी	104	484	590	265
27.	राजस्थान	–	29	10	18
28.	सिक्किम	–	–	1	0
29.	तमिलनाडु	199	319	32	100
30.	त्रिपुरा	–	–	13	0
31.	उत्तर प्रदेश	143	88	118	72
32.	पश्चिम बंगाल	100	82	1	0
	योग	2832	2886	4440	1583

विवरण–II

निगरानी केन्द्र

1. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग
   विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान कालेज, शाहदरा, दिल्ली
2. सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग
   मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, नई दिल्ली

एच.आई.वी. रेफरेंस केन्द्र

1. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

आंचलिक रक्त परीक्षण केन्द्र

1. रक्त बैंक,
   गुरू तेग बहादुर अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली
2. रक्त बैंक,
   हिन्दू राव अस्पताल, नई दिल्ली
3. रक्त बैंक,
   लोक नायक जय प्रकाश नारायण/मौलाना आजाद मेडिकल कालेज, अस्पताल, नई दिल्ली।

सबके लिए स्वास्थ्य

1432. श्री जेवियर अराकल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2000 तक "सबके लिए स्वास्थ्य" उपलब्ध करवाने का कोई लक्ष्य रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या वर्ष 2000 तक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) से (ग). राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 1983 में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की उपलब्धि की एक समीक्षा से पता चलता है कि 2000 ईसवी तक केवल कुछेक लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त किए जाने की सम्भावना है। ये लक्ष्य शिशु मृत्य दर आशोधित मृत्यु-दर, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के लिए टीकाकरण लक्ष्य और कुष्ठ के उन्मूलन से संबंधित हैं।

(घ) कुछ मामलों में लक्ष्यों की उपलब्धि प्राप्त नहीं किए जाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषतौर से निवारक उपायों का लाभ उठाने में लोगों में जागरूकता के अभाव, कतिपय क्षेत्रों की दूरी, निरक्षरता इत्यादि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। वैसे, केन्द्र सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के माध्यम से और कतिपय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे का दर्जा बढ़ाने के लिए विदेशी सहायता का लाभ उठाकर राज्यों की सहायता की है।

[हिन्दी]

सैन्य कर्मियों के वेतनमान और पेंशन

1433. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिविलियन कर्मियों की तुलना में सैन्य कर्मियों का वेतनमान और पेंशन कम है:

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सैन्य कर्मियों के वेतनमान और पेंशन की राशि में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आयुध कारखाने

1434. श्री सुरेश कोडीकुन्नील : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत नए सम्पूर्ण आयुध कारखाने खोलने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आयुधों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन.वी.एन. सोमू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रक्षा प्रणालियों के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। इसका उद्देश्य है स्वदेशीकरण के माध्यम से वार्षिक रक्षा अधिग्रहण में स्वदेशी अंश के प्रतिशत को बढ़ाना।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

1435. डा. प्रवीन चन्द्र शर्मा

श्री बनवारी लाल पुरोहित :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र और असम में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में कम है और इन औषधालयों में जन्म पूर्व और जन्मोपरांत देखरेख संबंधी चिकित्सा सेवाएं संतोषप्रद नहीं हैं और यही बात सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्य स्वास्थ्य देखरेख एककों पर भी लागू होती है;

(ख) यदि हां, तो विशेषतः असम में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष समुचित मेडिकल सुविधाओं के अभाव में कितनी जन्म-पूर्व और जन्मोपरांत मौतें दर्ज की गई;

(ग) क्या इन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालयों में समुचित दवाइयां और स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) क्या इन राज्यों का विचार विशेषतः विदर्भ के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय खोलने का है; और

(ङ) औषधालयों एवं अन्य स्वास्थ्य देखरेख एककों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : (क) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में प्रति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पताल के लाभभोगियों का अनुपात केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए अन्य राज्यों में प्रचलित अनुपात से तुलनात्मक रूप से अच्छा है। तथापि असम में गुवाहाटी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तीन अस्पताल शुरू करने की हाल ही में मंजूरी दी गई है और निर्धारित स्थानों पर बुनियादी संरचना स्थापित की जा रही है यह अस्पताल शीघ्र कार्य करना शुरू कर देंगे।

(ख) जहां तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पतालों का संबंध है, पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई प्रसव पूर्व तथा प्रसवोत्तर मौते सरकार के ध्यान में नहीं आई हैं।

(ग) अस्पतालों में औषधियां उपलब्ध हैं और जो औषधियां उपलब्ध नहीं हैं, वे स्थानीय कैमिस्टों से खरीदी जाती हैं और लाभभोगियों को दी जाती हैं।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) यह एक लगातार और चलने वाली प्रक्रिया है और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय को कार्य क्रो सरल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए महाराष्ट्र को धनराशि

1436. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए सहायता प्रदान करती रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य को दी गई ऐसी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से और ज्यादा धनराशि आवंटित करने हेतु आग्रह किया है क्योंकि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई अन्य किसी भी राज्य से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री टी.जी. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए महाराष्ट्र सरकार को पिछले तीन वर्षों में जारी की गई निधियां नीचे दर्शाई गई हैं:-

(लाख रु.)

वर्ष	आवंटन
1993-94	1815.54
1994-95	2150.45
1995-96	2579.33

(ग) और (घ). निधियां पहले ही राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई को ध्यान में रखकर आवंटित की गई हैं।

अपराह्न 12.01 बजे

सामान्य बजट प्रस्तुत करने के संबंध में घोषणा

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शून्यकाल आरंभ करने से पहले मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि सभा अपराह्न 4 बजे पर स्थगित हो जायेगी और अपराह्न 5 बजे पर सामान्य बजट प्रस्तुत किये जाने के लिये पुनः समवेत होगी।

अब हम सभा पटर पर रखे जाने वाले पत्र संबंधी मद लेंगे और उसके बाद शून्यकाल होगा।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा लेखा परीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

जल संसाधन मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 136/96]

लेखकों और कलाकारों को सहायता देने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 499 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई) : मैं लेखकों तथा कलाकारों को सहायता के बारे में श्री आर.बी.राई द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 499 के 15 जुलाई 1996 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 137/96]

राष्ट्रीय शैक्षिणिक योजना और प्रशासन संस्थान का वर्ष 1994-95 का प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुहीराम सैकिया) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने के लिए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 138/96]

(3) (एक) तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एज्युकेशन फार आल, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तमिलनाडु स्टेट मिशन आफ एज्युकेशन फार आल, मद्रास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 139/96]

(5) (एक) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 140/96]

(7) (एक) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र) कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 141/96]

(9) (एक) महिला समाख्या, कर्नाटक के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महिला समाख्या, कर्नाटक के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 142/96]

(11) (एक) बाल भवन सोसायटी, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) बाल भवन सोसायटी, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाल भवन सोसायटी, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 143/96]

(13) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रतिः-

(एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (क्षेत्रीय समितियों की स्थापना और क्षेत्रीय अधिकारिता) विनियम, 1995, जो 6 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 28-9/95-एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (क्षेत्रीय समितियों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया) विनियम, 1995, जो 24 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 28-4/95-एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (परिषद की बैठकों से संबंधित प्रक्रिया तथा ऐसी बैठकों की गणपूर्ति) विनियम, 1995, जो 24 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 28-5/95-एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(चार) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता हेतु आवेदन-प्रस्तुत करने का तरीका, संस्थानों की

मान्यता के लिए शर्तों का निर्धारण, तथा नये पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आरम्भ करने की अनुमति) विनियम, 1995 जो 24 फरवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 28-11/95-एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (क्षेत्रीय समिति में नाम-निर्देशित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या उनको पदावृद्धि तथा देय भत्ते) विनियम, 1995, जो 13 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 28-14/95-एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(छह) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (कार्यकारी समिति को गणपूर्ति, सहयोजन तथा बैठकों से संबंधित मामले) विनियम, 1995, जो 13 अप्रैल, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 28-7/95-एनसीटीई में प्रकाशित हुए थे।

(14) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 28-9/95-एनसीटीई, जो 6 जनवरी, 1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की कतिपय क्षेत्रीय समितियों की तत्काल प्रभाव से स्थापना की गई है, की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 140/96]

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रिविलेज मोशन है, उसके बार में मैंने कुछ और दस्तावेज दिये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले को कब तक बहस में लिया जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपके द्वारा दिये गये कागजात मुझे आज प्राप्त हुए हैं। मैं प्रधान मंत्री की टिप्पणी के लिये कहूंगा। उसके बाद मैं इस पर आऊंगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर) : अध्यक्ष महोदय देश के 75 लाख मछुआरों की एक गम्भीर समस्या को मैं यहां उपस्थित करना चाहता हूं। देश में 9 राज्यों में 8,200 किलोमीटर की सागर सीमा है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए.सी.जोस (इदुक्की) : श्रीमन्, मैंने एक महत्वपूर्ण विषय पर नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप की बात पर आ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने फॉरन ट्रालर्स को गहरे समुद्र में फिशिंग करने के लिए लाइसेंस दिया है। इस लाइसेंस के कारण दो साल तक आंदोलन चला और श्री पी.मुरारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी। उसमें इस सदन के 17 सदस्य सभासद थे। हम सब लोगों ने सागरीय राज्यों में जाकर बाद में एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट के अंदर हमने फॉरन ट्रालर्स के जो लाइसेंस हैं, उसे कैंसिल करने की रिकमेंडेशन की लेकिन वह रिकमेंडेशन पूरी नहीं हुई ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बात पूरी करने दें।

श्री राम नाईक : इसलिए वे 7 अगस्त से नेशनल फिशर फोरम की ओर से अनिश्चित काल के लिए अनशन करने जा रहे हैं और 10 अगस्त से सारे हिन्दुस्तान के जितने बंदरगाह हैं, उनको ब्लोकेड करने के लिए कहा जा रहा है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि 6 महीने के पहले जो रिपोर्ट दी है, उस पर कार्यवाही करें तथा फॉरन ट्रालर्स के लाइसेंस को कैंसिल करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री इस सदन को अवगत करायें कि सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैंने आपको देख लिया है। आप शोर न करें नहीं तो आपको मौका नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह 'बचदा' रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ...**(व्यवधान)** भूस्खलन और चट्टानों के खिसकने से करीब 27 लोगों की मलवे के नीचे दबकर मौत हो गई है। अभी तक तमाम मिलिट्री और पुलिस लगाए जाने के बावजूद केवल चौदह लाशें बरामद हुई हैं, बाकी लाशें अभी भी मलवे के नीचे दबी हुई हैं। सूचना मिलने के बावजूद भी दस-दस घंटे तक जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से उदासीनता बरती गई। न सिर्फ पिथौरागढ़ बल्कि अल्मोड़ा जनपद में भी भूस्खलन से बड़ी मात्रा में लोगों के मकान ध्वस्त होने की घटनाएं हो रही हैं और उनके प्रति सरकार की ओर से कोई विशेष चिन्ता नहीं की जा रही है। उनको राहत के रूप में अभी मात्र 5-10 हजार रुपये ही दिए गए हैं। मैं मांग करता हूं कि सरकार मृतकों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपये प्रदान करे और जिनके मकान धंस गए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोंस : अध्यक्ष महोदय, मैं उन 14 लड़कियों का मामला आपके नोटिस में लाना चाहता हूं जो यमन की राजधानी में रुकी हुई है। उन्हें दिल्ली की किसी फर्जी एजेन्सी ने भर्ती करके जाली वीजा पर यमन भिजवाया था। यमन की राजधानी साना के हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी के लिये कोई नहीं था। वहां उन्होंने एक अस्पताल में फोन किया परन्तु अस्पताल वालों के पास उनके बारे में पहले से कोई सूचना नहीं थी। तीन या चार जुलाई से इन लड़कियों ने यमन में भारत के दूतावास में शरण ली हुई है। वहां उनके रहने के लिये कोई स्थान नहीं है। उन्हें वहां पुस्तकालय के एक छोटे कमरे में रखा गया है।

अब यमन सरकार ने निर्णय किया है कि जब तक सम्बंधित एजेंट वहां नहीं जाते उन्हें वापस आने की अनुमति नहीं दी जायेगी। इन एजेन्टों के पास पासपोर्ट नहीं है और वे यमन के दूतावास से सम्पर्क भी स्थापित नहीं कर रहे हैं। स्थिति बहुत गम्भीर है और दो लड़कियों को पीलिया हो गया है।

महोदय, मेरा आप से अनुरोध है कि आप सरकार को इस बारे में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करने का आदेश दें। मैंने विदेश मंत्री से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया है परन्तु वह जकार्ता गये हुए हैं। अधिकारियों से कहा जाये ...

अध्यक्ष महोदय : आप श्रम मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित करें। वह मन्त्रालय इससे सम्बद्ध है।

(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोंस : श्रीमन्, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं भी यही कहना चाहता हूं। **...(व्यवधान)** उन्हें तुरन्त वापस लाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री रामलिंगम

(व्यवधान)

डा. के.पी. रामलिंगम : (तिरूचेगोडे) कृपया मुझे बोलने दें **...(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने की अनुमति दी है . **..(व्यवधान)** श्रीमन् भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने एक बयान में केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु को 1994-95 में दी गई धनराशि के बारे में **...महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 योजनाओं के लिये 10.25 करोड़ रुपये दिये थे। इसमें से केवल 55 लाख रुपये उचित प्रकार से प्रयोग में लाये गये हैं और शेष करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग किया गया है। **...(व्यवधान)** यदि एक वर्ष में करोड़ों रुपये का दुरूपयोग हो सकता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पांच वर्षों में कितने धन का दुरूपयोग किया गया होगा? ...**(व्यवधान)**

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुरियन, मैंने पहले ही कह दिया है कि श्रम मंत्रालय को इस पर ध्यान देना चाहिये। आप और क्या चाहते हैं?

(व्यवधान)

डा. के.पी. रामालिंगय : सुश्री जयललिता के सहयोगी मंत्री ...** जो अब एक साड़ी घोटाले में न्यूयार्क हिरासत में हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जो उन 16 योजनाओं में एक है जिसके लिए सरकारी धन आवंटित किया गया था।...**

अध्यक्ष महोदय : श्री रामालिंगम जी आप शून्य काल में लिखित वक्तव्य नहीं पढ़ सकते।

डा. के.पी. रामालिंगम : इस प्रकार यह सभा जानना चाहती है गत पांच वर्षों में तमिलनाडु में केन्द्र सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं के लिये दी गई राशि का क्या हुआ। इसके लिये एक जांच आयोग की स्थापना की जाये ...**

अध्यक्ष महोदय : आप अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर क्यों नहीं दे रहे। बैठ जाइये मैं आपको अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, 4-5 जुलाई को मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और उस सम्मेलन के अन्दर इन्दिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए 14,000 रुपये से 20,000 रुपये करने की अनुशंसा की गई थी। सर्व-सम्मति से यह अनुशंसा की गई, लेकिन बजट आज आ रहा है, इसमें क्या बात है, हमें पता चला है कि 14,000 रुपये ही इसके लिए रखा गया है **...(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : कैसे पता चला? **...(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : यह बजट लोक हो गया है। इन्हें कैसे पता चला? वित्त मंत्री जी यहां बैठे है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या यह बात सच है? **...(व्यवधान)** हम वित्त मंत्री जो से पूछना चाहते हैं कि बजट के सम्बन्ध में इन्होंने अभी यहां पर जो एक रहस्योद्घाटन किया है, क्या आप उससे सहमत हैं?

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : नहीं, सॉरी, गलती हो गई। मैं अंदाज से कह रहा हूं।

किसी भी हालत में 14,000 रुपये में मकान का निर्माण नहीं होगा। ईंट जो पहले 900 रुपये के भाव थी, अब 1500 रुपये है। सीमेंट जो पहले 100 रुपये प्रति बैग था, अब 165 रुपये प्रति बैग है। इसी तरह से मजदूर की मजदूरी दोगुनी हो गई है। राज मिस्त्री की मजदूरी भी दोगुनी हो गई है। किसी भी हालत में इस योजना में मकान

** अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

14,000 रुपये में नहीं बन सकता है। इसलिए मैं मांग करता हूं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया। आपका सुझाव है कि इसको थोड़ा रिव्यू करना चाहिए। बस, हो गया है न। ...(व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह (विदिशा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की बेतवा नदी बड़ी पवित्र नदी मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि उसमें स्नान करो तो परलोक सुधर जाता है। परलोक सुधरे चाहे न सुधरे, लेकिन आज बेतवा प्रदूषण के कारण इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि उसमें अगर नहा लो तो इहलोक जरूर बिगड़ जाता है। पिछले दिनों बेतवा के औद्योगिक प्रदूषण के कारण लाखों जीव-जन्तु मर गये। पीने के पानी की त्राहि-त्राहि मच गई। बेतवा के दोनों किनारों पर स्थित विदिशा, रायसेन, गुलाबगंज, गंज बासोदा नगरों की वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई और बेतवा के दोनों किनारों पर जो सैंकड़ों गांव स्थित थे, वहां भी पानी देना बंद कर दिया गया।

यह प्रदूषण पहली बार नहीं हुआ है। 1993 में इसी संसद में मैंने बेतवा के प्रदूषित होने का मामला उठाया था कि पूरे मंडीदीप के उद्योगों के कारण और विदिशा जिले के उद्योगों के प्रदूषित पानी के कारण बेतवा बार-बार प्रदूषित होती है। तकलीफ की बात यह है कि आज तक कोई सार्थक कार्रवाई न हो तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने की, राज्य सरकार ने की। अभी 12 तारीख को मंडीदीप में वायु में भी जहर घुल गया था, जिससे 100 मजदूर बुरी तरह से, गम्भीर रूप से घायल होकर अस्पतालों में भर्ती हैं और सैंकड़ों अन्य लोग प्रभावित हुए हैं। यह औद्योगिक प्रदूषण हवा और पानी दोनों में जहर घोल रहा है। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह कहना चाहता हूं कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तत्काल इस मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई करे और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो नियम, कायदे-कानून हमने बनाए हैं, या तो उनका पालन नहीं किया जा रहा है और अगर पालन किया जा रहा है तो वह अपर्याप्त हैं। अगर जरूरत हो तो हमारी प्रदूषण नियंत्रण की योजना के बारे में सरकार पुनर्विचार करे और इस गम्भीर मामले पर सरकार तत्काल स्टेटमेंट दे।

लाखों लोगों का जीवन आज खतरे में है। फिर से कभी भोपाल जैसी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस मामले में तत्काल स्टेटमेंट दे। ...(व्यवधान)

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। यह मुद्दा अमरनाथ जी की यात्रा का है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : माननीय होम मिनिस्टर ने हमें यह यकीन दिलाया है कि इस बार यह यात्रा होगी। होम मिनिस्टर नये हैं, इनको बहुत सारी चीजों का पता नहीं। इसलिये मैं इनका ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि अमरनाथ यात्रा में जहां हमें ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, वहां 12 रुपये में एक कप चाय बिकता है, राशन हम पहुंचा नहीं पाते हैं। यह यात्रा 15,000 फुट की ऊंचाई पर होती है। वहां पर ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. पी.जी. कुरियन : क्या आप मुझे अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय : यह विषय पहले ही उठाया जा चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका यह तरीका नहीं है। आप भी मंत्री रहे हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह विषय पहले ही उठाया जा चुका है। अपना नोटिस यहां मेरे पास है। मैंने सरकार से कहा है कि इस पर ध्यान दे। मैंने कहा कि श्रम मंत्रालय इस मामले को देखे। आप और क्या चाहते हैं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : आप कृपया मेरी बात सुनें।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं दो व्यक्तियों को एक ही विषय पर अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो. पी.जे. कुरियन : सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। बीस दिन बीत चुके हैं। यमन के हवाई अड्डे पर 14 लड़कियों को रोका हुआ है। कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं इस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। आपके आदेश के बावजूद सरकार मामले पर खामोश है। यहां पर अनेक कैबिनेट मंत्री बैठे हैं उन्हें बोलना चाहिये वे बताएं कि कार्यवाही की जायेगी। चौदह निर्दोष लड़कियों को वहां रोका हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुन्शी।

प्रो. पी.जे. कुरियन : श्रीमन् उन्हें बताना चाहिये। इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है मामले को इस प्रकार समाप्त नहीं करना चाहिये।

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : श्रीमन् मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठा रहा हूं। ...(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : चौदह निर्दोष लड़कियों को यमन विमान पतन पर रोका हुआ है। उनमें से दो पीलिया से पीड़ित हैं और उनका कोई उपचार नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कुरियन जी, आप मेरे से क्या कराना चाहते हैं। कृपया आप बैठ जायें।

प्रो. पी.जे. कुरियन : आप सरकार से कहें कि वे कुछ बोलें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह कर दिया है। आप और क्या चाहते हैं। आप बैठ जायें।

प्रो. पी.जे. कुरियन : आप उन्हें कहिए कि आप चाहते हैं कि वे उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

प्रो. पी.जे. कुरियन : मैं आपकी बात मानता हूं। परन्तु...

अध्यक्ष महोदय : अब बहुत हो गया।

प्रो. पी.जे. कुरियन : यह कोई साधारण मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे।

(व्यवधान)

प्रो. पी.जे. कुरियन : यह मामला अन्य मामलों की भांति नहीं है। इस समय 14 लड़कियां हवाई अड्डे पर रुकी हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे?

प्रो. पी.जे. कुरियन : जी नहीं, यह आम मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मुझे सुनेंगे।

प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या आप उन्हें मेरी बात का उत्तर देने के लिए कहेंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे पहले ही कह दिया है। वे उत्तर देंगे। आप मंत्री जी से यह उम्मीद क्यों करते हैं कि वह सभा में एक दम उत्तर दे देंगे।

प्रो. पी.जे. कुरियन : उन्हें उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : एक समय पर मैं श्रम मंत्री था। मैं समस्या को जानता हूं। इसीलिए मैंने उत्तर देने के लिए कहा है। मैं प्रक्रिया के बारे में आपसे कहीं अधिक जानता हूं।

प्रो. पी.जे. कुरियन : बीस दिन बीत गये हैं और कुछ नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री दास मुंशी।

श्री पी.आर. दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस मामले को उठाना चाहता हूं और सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय श्री चमन लाल गुप्त बोल रहे थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली थी।

श्री चमन लाल गुप्त : मुझे बात ही नहीं करने दे रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनके भाषण में व्यवधान डाला गया था।

अध्यक्ष महोदय : दासमुंशी जी उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दें।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अमरनाथ यात्रा इतना संवेदनशील मुद्दा है कि आप सरकार का ध्यान इस तफर दिलाएं कि वहां सारे प्रबंध ठीक से हों। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का प्रबंध करना पड़ेगा। वहां 15 हजार फुट की ऊंचाई पर लाखों लोग जाते हैं, इस बार उग्रवादियों ने ऐलान किया है कि हम किसी घोड़े वाले को या कुली को वहां नहीं जाने देंगे। इसलिए सरकार को इस बारे में तुरंत कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। वहां पर चाय का एक कप 12 रुपये का मिलता है, राशन नहीं मिलता है। कई निजी संस्थाएं वहां इनका प्रबंध करना चाहती है, सरकार कम से कम उनको एलाऊ करे और उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करे, ताकि लाखों लोग वहां पर जाएं तो उनको राशन मिल सके और कम्बल मिल सके। वहां पर एक कम्बल का एक रात का किराया 200 रुपये देना पड़ता है। मेरा अनुरोध है कि इन सब चीजों की तरफ ध्यान देकर केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के साथ मीटिंग करनी चाहिए ताकि पूरा प्रबंध ठीक से हो सके।

[अनुवाद]

श्री पी.आर. दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान एवं महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों को शिष्टाचार के नाते सुरक्षा और आवास मुहैया कराने के बारे में एक अधिनियम है और सुस्थापित प्रथा है। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं एक व्यक्ति जो दो बार राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेकर प्रधानमंत्री रहे हैं अर्थात श्री गुलजारी लाल नंदा। हम शीघ्र ही आजादी के आन्दोलन की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि श्री गुलजारी लाल नंदा उनसे मेरी बात नहीं हुई है—उनकी हालत ठीक नहीं है। सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। जिस दिन विश्वास प्रस्ताव चर्चा चल रही थी उस दिन मैंने एक नोट प्रधानमंत्री को दिया था और मांग की थी कि इस मामले पर तुरन्त ध्यान दिया जाये। मेरी जानकारी के अनुसार कुछ भी नहीं किया गया है। मैं जानना चाहता कि क्या अधिनियम के प्रावधानों के अधीन श्री नन्दा को भी लाया जा सकता है, ताकि अपने जीवन के अन्तिम दिनों में उन्हें यह सांत्वना मिल सके कि उन्होंने आजादी के संघर्ष में भाग लिया था और वह देश के लिये दो बार प्रधान मंत्री बने थे। चाहे यह अल्प काल के लिये था। मेरा यह निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये और जो संभव हो कार्यवाही करनी चाहिये।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में पंजाब का गम्भीर मसला लाना चाहता हूं। पंजाब बिजली के संकट में जकड़ा हुआ है। पंजाब खास तौर से इससे अफेक्टेड है। यह संकट नैचुरल भी है और मैन मेड भी है। हमें इस बात का खेद है कि देश में कोयले के भरपूर भंडार पड़े हुए हैं और पंजाब में कोयले की सप्लाई नहीं हो पा रही है जिसकी वजह से भटिंडा और रोपड़ में स्थित हमारे दो थर्मल प्लांट क्लोजर पर आ गए हैं। पंजाब में बिजली का इतना भयंकर संकट है कि आज पंजाब के जो ऑफिसेज हैं, वे दरख्तों के नीचे लगे हुए हैं। वहां पर कोई पंखे नहीं चल रहे हैं, वहां पर कोई एयरकंडीशनर नहीं चल रहा है, खेतों में कोई ट्यूब-वैल नहीं चल रहा है।

आप भलीभांति जानते हैं कि पंजाब नेशनल पूल में 60 प्रतिशत फूड ग्रेन देता है और जब पंजाब में बिजली का संकट आया हुआ है तो सेन्ट्रल पूल में से बिजली दी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हम पंजाब के सारे मेम्बर्स ने अपने हस्ताक्षर करके प्रधान मंत्री जी से भेंट की और हम उनके अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने तुरन्त एक्शन तो लिया मगर इतना एक्शन नहीं लिया जिससे पूरी तसल्ली हो जाती। वहां पर कोयले की पांच रेलवे रेक भेजी गई लेकिन वहां पर डेली आठ रेक का लोड है। अगर कोयला नहीं पहुंचा तो थर्मल प्लांट बन्द हो जाएंगे, वहां पर इतना भंयकर संकट खड़ा हो जाएगा कि पंजाब जो देश को 60 प्रतिशत अनाज देता है, वह नहीं दे पाएगा। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अपनी बात शीघ्र पूरी करें हर एक ने बोलना है।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि करोल बाग की सप्लाई रेगुलर होनी चाहिये और संकट बार-बार नहीं होना चाहिये। मुझे एक बात का और खेद है कि जो थीनडेम बन रहा है उसकी इनीशियल कास्ट 85 करोड़ रुपये थी, वह 2650 करोड़ रुपये पर जा चुकी है। अगर थीन डेम समय पर मुकम्मल नहीं हो जाता तो आज पंजाब को भयंकर संकट का सामना नहीं करना पड़ता। पंजाब में फलड से बहुत नुकसान होता है। खेती तबाह हो जाती है। वहां पानी भी नहीं रहता और बिजली भी नहीं रहती।

श्री प्रभु दयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख और विडम्बना के साथ मैं अपनी बात प्रारम्भ कर रहा हूं। दिनांक 27 जून को मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ हाल में आई बाढ़ और बारिश के बारे में जिलाधिकारी से मिलने के लिए गया। आधे घंटे तक उनके निवास पर बैठने के बाद मैंने कहा कि बाढ़ आई है, तमाम घर बर्बाद हो गए हैं। इतना कहने के बावजूद भी जिलाधिकारी, फिरोजाबाद ने आठ घंटे के बाद कहा कि हम मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। इस पर मैंने कहा कि हम धरने पर बैठ जाएंगे। इस पर जिलाधिकारी श्री मित्तल अपने घर से बाहर निकलकर आए, उन्होंने जनता की बात को गम्भीरतापूर्वक नहीं सुना जिससे जनता से उस वक्त गहमागहमी हो गई। मैंने कहा कि "जनता इस वक्त पीड़ित है, उसके घर ध्वस्त हो गए हैं, खेत बर्बाद हो गए हैं, आप जनता की बात को सुनिये। मैं वहां का रिप्रेजेन्टेशन कर रहा हूं, मैं वहां का सांसद हूं।" लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई बल्कि श्री मित्तल, जिलाधिकारी ने वे सारे कागज लेकर फाड़कर कहा कि "जाइये, जहां भी आपको सुरक्षा मिल सके, वहां जाइये। जो भी आप कर सकते हैं, करिए।"

आदरणीय चन्द्रशेखर जी ने कहा था कि इस देश के अन्दर अगर किसी के साथ अपमान हो रहा है तो वह सिर्फ सांसदों के साथ हो रहा है। मैं इस विषय को लोक सभा में नहीं उठाना चाहता हूं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से मिला और बताया कि मेरे सारे कागज लेकर फाड़कर उस जिलाधिकारी श्री मित्तल ने कह दिया है कि आप जाइये, जो कुछ करना है करिए। मैंने गृह मंत्री जी से निवेदन किया कि मेरी बेज्जती की गई है। गृह मंत्री जी से करीब 14 दिन के बाद जब मैं दोबारा मिला, कहा गया कि छः महीने के बाद रिपोर्ट आएगी ...**(व्यवधान)** गृह मंत्री ने कहा कि छः महीने के बाद रिपोर्ट आएगी। ...**(व्यवधान)** जिला अधिकारी ने मेरी बेइज्जती की है। उसने कहा कि सब यहां से निकल जाइए और जो करना है, करिए और हरिजन सांसदों के दिमाग खराब हो गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उन्होंने इस पर क्या कार्रवाई की है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं। सरकार इस पर टिप्पणी मंगाये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कठेरिया जी, मैंने कह दिया है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि सरकार इसमें शीघ्रता करे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कठेरिया जी, मैंने जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मंगाने के लिये कह दिया है।

(व्यवधान)

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, यह माननीय संसद के सम्मान का प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि कहा गया है, छः महीने के बाद रिपोर्ट आयेगी। लेकिन इसका क्या मतलब है, सांसद की बेइज्जती की गई है।...**(व्यवधान)**

डा. मुरली मनोहर जोशी (इलाहबाद) : अध्यक्ष महोदय, जिला अधिकारी ने कहा कि हरिजन सांसद का दिमाग खराब हो गया है और गृह मंत्रीजी ने कहा कि छः महीने के बाद रिपोर्ट आयेगी। इस पर क्या मतलब है? इस पर मैं कहूंगा, माननीय गृह मंत्रीजी अपनी प्रतिक्रिया अभी व्यक्त करें। उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत है और गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश का शासन चला रहा है। इसमें छः महीने का क्या सवाल है, रिपोर्ट तुरन्त मंगवा सकते हैं। यह सवाल नहीं माना जायेगा। ...**(व्यवधान)** स्पष्ट आरोप लगाया जा रहा है। यह बहुत गम्भीर मामला है। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री गुप्त इस पर कुछ कहना चाहेंगे।

गृह मंत्री (श्री इन्द्रजीत गुप्त) : माननीय सदस्य मुझे मिले थे और फिरोजाबाद के जिला मेजिस्ट्रेट के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। उसमें अधिकारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार की शिकायत है। मैंने उन्हें बताया था कि शिकायत के आधार पर मुझे वहां से रिपोर्ट मंगानी है। ...**(व्यवधान)** मैं उनकी बात समझ नहीं पाया।

[हिन्दी]

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कहा गया कि कि छः महीने के बाद रिपोर्ट आयेगी ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री कठेरिया कह रहे हैं कि आपने उनसे कहा कि आपको छः महीने बाद रिपोर्ट मिलेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह किस ने कहा है?

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि आप को छः महीने के बाद रिपोर्ट मिलेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह किस ने कहा है।

[हिन्दी]

छः महीने के बारे में किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। ... **(व्यवधान)** जल्दी रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। छः महीने का कोई जिक्र नहीं हुआ। ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस सारे मोले के दो पहलू हैं। गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने यह नहीं कहा है कि छः महीने में रिपोर्ट आएगी। दूसरे - जो जिला अधिकारी का आचरण है, वह विशेषाधिकार के उल्लंघन का मामला है। आप जिला अधिकारी के आचरण की जांच के लिए आदेश दे सकते हैं और यह सारा मामला प्रिवलेज कमेटी को सौंप सकते हैं। शिकायत की गई है। गृह मंत्री को सीधे-सीधे जानकारी नहीं है ...**(व्यवधान)** लेकिन जिला अधिकारी सांसदों के साथ इस तरह का बर्ताव करे, क्या यह आपत्तिजनक नहीं है? इस पर आपको दखल देना चाहिए और आपको हस्तक्षेप करना चाहिए ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे सुनिये, विपक्ष के नेता ने एक बहुत स्पष्ट प्रश्न उठाया है, गृह मंत्री इसकी जांच करायें और मुझे रिपोर्ट दें। गृह मंत्री की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में निर्णय करूंगा कि क्या करना है। मैं श्री वाजपेयी की इस बात से सहमत् हूं कि संसद सदस्यों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी : महोदय, कहा गया कि हरिजन सदस्य का दिमाग खराब हो गया, यह बहुत गम्भीर मामला है। इसे विरोधी दल के नेता ने कहा है कि यह मामला प्रिवलेज कमेटी को सौंप दिया जाए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। अध्यक्ष सभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करेंगे। मैं इसका आश्वासन देता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, अब मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, शून्य काल में केवल एक ही विषय को उठाइए।

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह (भिंड) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अंतर्गत एक मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। वहां पर जितने भी कारखाने लगाए गए हैं उनमें से किसी में भी प्रदूषण निवारण संयंत्र नहीं लगाए गए हैं जिसके कारण उन कारखानों का जो विषैला पानी निकलता है वह नहर में होकर गोहद बांध में जाता है, जहां से बेसली नदी निकलती है वहां सैंकड़ों गांवों में ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आज नहीं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : श्रीमन् अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में काम ठप्प पड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक ही सदस्य को सम्पूरक प्रश्न पूछने और शून्यकाल में मामले उठाने की अनुमति नहीं दे सकता। अन्य सदस्यों को भी मौका देना होता है। यहां पर अनेक नये सदस्य हैं उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है। मुझे सब को मौका देना है।

[हिन्दी]

डा. राम लखन सिंह : वहां सैंकड़ों जानवर मारे गए और वहां पर जो नहर से सिंचाई होती है उसमें कम से कम 50 परसेंट नुकसान फसलों में होता है। महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार को यह निर्देश दें कि वहां पर सभी कारखानों की अविलम्ब जांच कराई जाए और वहां पर जो प्रदूषण के संयंत्र लगाए जाते हैं वे लगाए जाएं।

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में प्रश्न-काल के दौरान बाढ़ के संबंध में माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने प्रश्न का जवाब दिया है। उसमें उत्तर प्रदेश बिलकुल छूट गया है। मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर कहना चाहता हूं कि लखीमपुर और सीतापुर के बीच में घाघरा और शारदा, दो नदियां बहती हैं। इन दोनों नदियों का संगम सीतापुर में मल्लाहपुर के पास है और इनसे पूरे सीतापुर और लखीमपुर में तबाही मची हुई है।

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि ये दोनों नदियां नेपाल से निकलती हैं और इनका वेग बहुत तेज होता है इसलिए वहां कटान जारी है। दूसरी बात यह है कि वहां पर शारदा बैराज बना दिया गया है। मान्यवर, वहां पर शारदा बैराज लखीमपुर में बना दिया गया है और बहराइच कतरनिया घाट पर एक और बैराज बना दिया गया है। इन दोनों बैराजों का पानी घाघरा और शारदा में डाल दिया जाता है। इसका नतीजा यह है कि दोनों जिलों के पूरे इलाके तबाही के कगार पर हैं। आज 50 लाख आदमी बेघरबार हो गए हैं।

गांव-गांव के लोग परेशानी के शिकार हैं और मल्लाहपुर में इसका संगम है। मान्यवर, पूरा इलाका कट गया है। अब हमारे पूरे इलाके में बाढ़ आने वाली है और इंजीनियर शारदा बैराज का पानी छोड़ देंगे।

मान्यवर, मैं दो बातों को कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि बाढ़ से सुरक्षा का इंतजाम किया जाए और बाढ़ के दौरान शारदा तथा कतरनिया बैराज का पानी इन नदियों में न डाला जाए, क्योंकि इससे भयंकरता और बढ़ती है। इसलिए हमारा कहना यह है कि हमारे पूरे इलाके में जो बाढ़ आती है उससे बचाव के लिए सरकार कोई उपाय शीघ्र करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मनोरंजन भक्त, द्वीपों से विशेष व्यवहार होना चाहिये।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : अध्यक्ष महोदय, अण्डमान तथा निकोबार दीपसमूह एक संघ राज्य क्षेत्र है और केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि वहां सुचारू शासन हो।

महोदय, वहां पर बेरोजगारी की समस्या पर बहुत गम्भीर है। आजकल वहां के युवक धरने पर बैठे हैं। वे द्वीपसमूह में रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहां के विभिन्न विभागों में वर्ग क, ख और ग में तदर्थ रूप से बहुत से पद भरे गये हैं। वहां पर कई कर्मचारी सात से आठ वर्ष से कार्य कर रहे हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया है। वहां की स्थिति यह है कि एक हजार से अधिक पद रिक्त पड़े हैं और इन्हें भरा नहीं गया है।

मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है वह अर्थात् गृह मंत्री संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को आदेश दें ताकि तदर्थ कर्मचारियों को नियमित किया जाए और रिक्त स्थानों को तुरन्त भरा जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री टी. गोविन्दन को अपना विषय उठाने के लिये बुला रहा हूं। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें और ब्यौरे में न जायें।

श्री टी. गोविन्दन (कासरगोड) : श्रीमन् मैं पोयमकुट्टी परियोजना के प्रश्न को उठाना चाहता हूं।

पर्यावरण तथा वन विभाग इस परियोजना के मार्ग में रुकावटें खड़ी कर रहा है। केरल की जनता इस पर स्वीकृति दिये जाने के लिए बहुत इच्छुक है। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि पर्यावरण और वन विभाग की भूमिका पर विचार करे। वह पन-बिजली परियोजना के आगे रुकावटें खड़ी कर रहा है।

मैं केरल के मुख्यमंत्री तथा राज्य के अनुरोध की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं और सभी संबंधित राज्यों की बैठक बुलाकर परियोजना को स्वीकृति दिये जाने की मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब शून्य काल समाप्त हुआ।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.35 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

प्राक्कलन समिति

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.37 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अपराह्न 12.37 $^{1}/_{2}$ बजे

(दो) लोक लेखा समिति

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित होने के लिये राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिये सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित होने के लिये राज्य सभा से सात सदस्यों को नाम निर्देशित करने के लिये सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.38 बजे

(तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से 15 सदस्य निर्वाचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित होने के लिये राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्देशित करने के लिये सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित होने के लिये राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्देशित करने के लिये सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.39 बजे

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में 20 सदस्य निर्वाचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये अपने में 20 सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित होने के लिये राज्य सभा से दस सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिये सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 30 अप्रैल, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजित होने के लिये राज्य सभा से दस सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिये सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.40 बजे

स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 5(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 की धारा 5(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.42 बजे

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन अखिल

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिएं अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.43 बजे

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.43 $^{1}/_{2}$ बजे

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 में और संशोधन वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.7.96 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.44 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान के बूंदी नगर का पर्यटन की दृष्टि से विकास किए जाने की आवश्यकता।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बूंदी नगर ऐतिहासिक नगर है। यहां की बावड़ियां जग प्रसिद्ध हैं। बूंदी की चित्रकारी जग प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने अपने प्रयत्नों से इसे प्रचारित कर पर्यटकों को आकर्षित किया, परन्तु केन्द्र केन्द्र सरकार के पर्यटन विभाग ने इस ओर समुचित ध्यान नहीं दिया। बूंदी में पर्यटन की पूर्ण सम्भावना व्याप्त है। यदि केन्द्र सरकार पूर्ण ध्यान दे तो बूंदी शहर पर्यटन के नक्शे पर तेजी से उभर कर आयेगा। इससे वहां रोजगार उपलब्ध होगा व बूंदी का पिछड़ापन दूर होगा।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बूंदी नगर को पर्यटन की दृष्टि से शीघ्र ही विकसित किया जाए।

[अनुवाद]

(दो) भावनगर-सुरेन्द्रनगर बड़ी लाइन के सर्वेक्षण कार्य को पूरा किये जाने की आवश्यकता।

श्री राजू राना (भावनगर) : भावनगर-सुरेन्द्रनगर बड़ी लाइन का सर्वेक्षण कार्य जून, 1996 को पूरा होना था। परन्तु यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। भावनगर की जनता 1940-45 से बड़ी लाइन की मांग कर रही है। औद्योगिक विकास मुख्यतः बड़ी लाइन पर निर्भर है। यह केवल 80 किलोमीटर की बड़ी लाइन बिछानी है। इस बड़ी लाईन के निर्माण से वहां पर जहाज तोड़ने के उद्योग, रिरोलिंग मिलों तथा प्लास्टिक उद्योग तथा अनेक अन्य उद्योगों का द्रुत गति से विकास हो सकता है। मीटर लाईन से माल भेजना बहुत मंहगा पड़ता है, क्योंकि छोटी लाइन से बड़ी लाईन की गाड़ी में सामान का स्थानांतरण लाभप्रद नहीं है। अतः आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि सर्वेक्षण का काम शीघ्र आरंभ करके इस काम को तुरंत पूरा किया जाये।

(तीन) डिंडिगुल जिले में पेयजल की समस्या के समाधान हेतु तमिलनाडु को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : श्रीमन, डिंडिगुल मनार थिरूमलाल जिला मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय है। डिंडिगुल के अलावा उसीलम पट्टी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का एक भाग और अट्टर पंचायत यूनियन और नीलाकोटई निर्वाचन क्षेत्रों में भी गत अनेक महीनों से पानी की समस्या गम्भीर है।

समस्या इतनी गम्भीर है कि पानी पांच दिनों में केवल एक दिन मिलता है। वह भी डिंडिगुल में बहुत कम मात्रा में होता है। चूंकि वहां भूमिगत पानी अपर्याप्त है। पानी भी स्वच्छ नहीं होता क्योंकि

चमड़ा उद्योग का गन्दा पानी उधर बहता है। यह पीने के योग्य नहीं होता। इस समय डिंडिगुल नगर को परनाल में कामराज सागर से पानी दिया जाता है। इस समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि उगल बांध से पाइपों के माध्यम से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति की जाये।

मेरा जल संसाधन मंत्री से अनुरोध है कि या तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से अथवा केन्द्रीय पूल से विशेष अनुदान दिलाये ताकि समस्या का समाधान हो।

(चार) राष्ट्रीय बचत योजना के कार्यकरण में सुधार किये जाने की आवश्यकता।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : गत वर्ष के दौरान बैंक दरों को दो बार संशोधित किया गया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों को स्वयं बैंक दरें लागू करने की अनुमति दी है। तदनुसार सहकारी बैंकों समेत अनेक बैंकों ने जमा राशियों पर ब्याज दर बढ़ा दी है। परन्तु राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत उसके अनुसार दरें नहीं बढ़ायी हैं। इस कारण राष्ट्रीय बचत इकट्ठा करने में कमी आयी है, विशेष रूप से अल्प अवधि और दीर्घ अवधि की जमा राशियों में कमी हुई है।

राष्ट्रीय बचत एजेन्टों को जमा राशियों के लिये प्रचार में कठिनाई हो रही है। विगत में एक समय पर एजेन्टों को दो लाख रुपये की रसीद देने की अनुमति दी, अब इन्हें पांच हजार तक करने की अनुमति है। इससे राष्ट्रीय बचतों को एकत्र करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

[हिन्दी]

(पांच) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर में एक इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज की आवश्यकता

श्री विद्या सागर सोनकर (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र सैदपुर, जो गाजीपुर जनपद में आता है, गाजीपुर वाराणसी के मध्य में स्थित है। यह एक मुख्य व्यावसायिक केन्द्र है। यहां की टेलीफोन व्यवस्था खराब है। जब भी कोई व्यापारी अपने निजी टेलीफोन से फोन करता है तो लाईन खराब रहती है। बात नहीं हो सकती है, किन्तु जब पी.सी.ओ. से सम्पर्क किया जाता है तो तुरन्त बात हो जाती है। व्यापारियों एवं अन्य नागरिकों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है तथा नगरवासी महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंछित रहते हैं।

माननीय संचार मंत्री से अनुरोध है कि इस समस्या को ध्यान में रखते हुये सैदपुर एक्सचेंज को यथाशीघ्र इलैक्ट्रानिक करते हुये इसकी क्षमता को और अधिक बढ़ाने के निर्देश दें।

[अनुवाद]

(छः) मुख्य भूमि और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के द्वीप समूह तथा अन्तःद्वीप समूहों के बीच नौवहन सेवाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान, तथा निकोबार द्वीपसमूह) : नौवहन अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मुख्य भूमि तथा द्वीपसमूह के बीच तथा अन्तरद्वीप नौवहन के लिये पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध न हों तो न केवल यातायात पर विपरीत प्रभाव पड़ता है बल्कि आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ और ताजी सब्जियां भी दुर्लभ हो जाती हैं।

अन्तरद्वीप सेवाओं की हालत बहुत खराब है। विशेष रूप से कैम्पबेल खाड़ी, नानकुटी, कुन्गल, पिलो मिलो, कैचल चावरा, टरेशा, कार निकोबार, लिटिल अंडमान में पर्याप्त नौवहन सेवा नहीं है। आम जनता बहुत असंतुष्ट है।

डिगलीपुर और मापाबन्दर, नील, हैवलाक, से सेवा भी खराब है। पोत की मरम्मत करने की सुविधा भी अपर्याप्त है। इस कारण पोत खराब रहते हैं। "एम.वी. लावरा" पोत की वार्षिक डाकिंग में 5 $^{1}/_{2}$ महीने लग गये। अन्तर्द्वीप नौवहन की हालत भी खराब है। इस विषय को अंडमान निकोबार प्रशासन के सामने भी अनेक बार उठाया गया है परन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं निकले।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि अन्डमान निकोबार प्रशासन को तुरन्त आदेश दे कि वह एक 500 बंक और 100 केबिन यात्रियों की क्षमता वाला जहाज खरीदे जो पोर्ट ब्लेयर और कैम्पबेल वे और इंडोनेशिया की सीमा के निकट वहां के लोगों को सेवा उपलब्ध कर सके। यह कार्य तुरन्त किया जाये और शीघ्र ही आवश्यक राशि उपलब्ध करायी जाये।

[अनुवाद]

अपराह्न 12.50 बजे

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के परन्तुक का निलम्बन करने के बारे में नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1996 जहां तक यह भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक, 1996 पर निर्भर करता है, पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का उस प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करती है।"

[हिन्दी]

श्री चार्ल्स फर्नान्डीज (नालंदा) : उपाध्यक्ष जी, मैंने इसका विरोध करने के लिये नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इसके लिये अध्यक्ष की अनुमति नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी नहीं, यह आवश्यक नहीं है। मैंने केवल अपना नाम दिया है कि मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं। नियम 388 के अन्तर्गत अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव कर सकता है कि किसी प्रस्ताव के बारे में किसी नियम को निलम्बित कर दिया जाये। इस प्रकार वह नियम प्रस्ताव के रखने के बारे में है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो सम्बन्धित नियम उस समय निलम्बित कर दिया जाता है।

श्रीमन, चूंकि प्रस्ताव पारित होना चाहिये, मैं इस समय इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। ताकि इस पर मतदान हो जाये और सभा निर्णय कर सकती है कि क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाये और कि क्या इन विधेयकों को लिया जाये। इसीलिये में बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

मुझे यह बताना है कि यह जो विधेयक आ रहा है उसमें एक प्रकार का धोखा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज जी, मुझे खेद है कि इस पर अध्यक्ष की अनुमति चाहिये, जो कि नहीं है। आप बाद में चर्चा में भाग ले सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्रीमन्, अध्यक्ष की अनुमति प्रस्ताव को रखने के लिये आवश्यक है।

जस्टिस गुमान मल लोढा (पाली) : श्रीमन, माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है। इस मामले में नियम 66 की शर्तें पूरा नहीं होती। अतः इस नियम को निलम्बित नहीं किया जा सकता। वह यही कहना चाहते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्रीमन, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि नियम को निलम्बित किया जाये। इस पर अध्यक्ष की अनुमति ली गई है। अतः यदि प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो सम्बंधित नियम इस समय निलम्बित होगा। अब यदि प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाना है तो मालूम होना चाहिये कि प्रस्ताव किसलिये है। प्रस्ताव स्वीकृत होने के बारे में लोगों को मालूम होना चाहिये कि क्यों स्वीकृत किया गया है। इसका पूरा ज्ञान होना चाहिये। केवल तब ही केवल प्रस्ताव के स्वीकृत होने का प्रश्न उठता है। हम गूंगी गुडिया माने जायेंगे जो बटन दबाकर यह कहेंगे कि प्रस्ताव स्वीकृत कर रहे हैं। मेरी शंकाएं हैं और मैं विरोध करता हूं। मैं सभा का सदस्य हूं और मुझे सभा की आपके द्वारा राय जानने से पहले इसका विरोध करने का अधिकार है। अन्यथा आप सभा में कैसे मतदान करायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप नियम 388 का प्रथम वाक्य पढ़ें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : नियम 388 का प्रथम वाक्य इस प्रकार है। कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से यह प्रस्ताव कह सकता है कि नियम को निलम्बित किया जाये उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : (दमदम) : वह पूर्णतः सही है उपाध्यक्ष महोदय। यह प्रस्ताव सभा के समक्ष है। अध्यक्ष ने अनुमति दे दी है, अतः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : श्रीमन, यह उनका प्रस्ताव है और उन्हें अनुमति दे दी गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बोलिये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह केवल औपचारिकता है। यदि वह वाद विवाद चाहते हैं तो उसका विरोध करने का उन्हें अधिकार है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इससे पहले कि सभा निर्णय करे कि इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाये या नहीं सभा को मालूम होना चाहिये कि इसे क्यों स्वीकृत किया जा रहा है। केवल पढ़ने मात्र से हम प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकते। सदस्य का यह अधिकार है कि इस पर चर्चा करे।

प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा) : श्रीमन् यह केवल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये ही है कि अध्यक्ष की अनुमति चाहिये। एक बार जब यह प्रस्तुत हो चुका हो तो यह सभा की सम्पत्ति हो जाता है और कोई भी सदस्य उस पर बोल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1996, जहां तक यह भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक, 1996 पर निर्भर करता है, पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का उस प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करती है।"

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : उपाध्यक्ष जी, मैं इसलिये विरोध कर रहा हूं कि यह जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है यह ऐसे दो विधेयकों को यहां बहस के लिये लाने के लिये है जिन विधेयकों का अपना इतिहास है। इस विधयेक 1988 में पहली बार राज्य सभा में पेश हुआ था। राज्य सभा में यह विधेयक पेश होने के बाद इसके बारे में लोक सभा की पिटीशन कमेटी के सामने, हिन्दुस्तान भर के बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन श्रमिकों की तरफ से बनी हुई कमेटी है, जिसके अध्यक्ष जस्टिस कृष्णा अय्यर है, जिसमें देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों की शिरकत है, जिसमें देश के वैचारिक विभाजन के बावजूद सभी केन्द्रीय संगठनों

की शिरकत है और इस संगठन की ओर से पिटीशन कमेटी के सामने यह पिटीशन दी गई थी। उस पिटीशन कमेटी ने 15 जुलाई, 1989 को इस पर इस सदन में जो सिफारिश की थी उसको उपाध्यक्ष जी मैं कोट कर रहा हूं -

> "कमेटी सिफारिश करती है कि राज्य सभा में लम्बित विधेयक वापिस लिया जाये और एक नया विधेयक पुरःस्थापित किया जाये ताकि कार्मिक वर्ग के उपेक्षित वर्ग की लम्बे अर्से की मांग को पूरा किया जा सके।"

इसमें आगे कहा गया है और में उद्धत करता हूं :-

> "कमेटी चाहती है कि अभियान कमेटी द्वारा प्रस्तावित विधान पर विचार किया जाये और सभी अच्छी बातों को सरकार के विधेयक में उचित प्रकार से शामिल किया जाये।"

मैं इसका जिक्र कर रहा था। इसमें आगे कहा गया है और मैं उद्धत करता हूं।

> "यह सरकार के लिये है कि वह सुनिश्चित करे कि अन्ततः जो विधान बने उसमें यथासंभव सीमा तक उपरोक्त सभी बातें शामिल हों।"

[हिन्दी]

इस आधार पर इस सिफारिश के बाद यह विधेयक तत्कालीन मजदूर मंत्री श्री विंदेश्वरी दूबे ने वापस ले लिया। बाद में इस पर बहस चलती रही, मजदूरों में बहस चलती रही, सरकार के साथ संवाद चलता रहा और बार-बार यह वादा भी किया गया कि इस विधेयक में सुधार करके इसे यहां पर रखा जाएगा। यह विधेयक चुनाव के पहले आया था, तब फिर एक बार लोग उत्तेजित हो गये, कमेटी में इस बारे में बहस हो गई और बहस करके कमेटी ने इस सवाल पर कुछ नये प्रस्ताव वगैरह लोगों के सामने रखे और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने सारे राजनीतिक दलों को इसके बारे में कमेटी की जो राय थी, उस राय को भेज दिया। अब उपाध्यक्ष जी, जनता दल ने इस पर विशेष तौर पर गौर करके अपने घोषणा पत्र में दो वाक्य लिखे। 1996 के लोक सभा के चुनाव के पहले के घोषणा पत्र में यह कहा था-

[अनुवाद]

सन्निर्माण कर्मकार अध्यादेश में कर्मकार विरोधी बातों को निकालने के लिये उसमें संशोधन किया जायेगा। इसमें आगे कहा गया है, मैं कोट करता हूं:

> "सन्निर्माण कर्मकार अध्यादेश के स्थान पर लोक सभा की याचिका समिति की सिफारिशों के अनुसार कानून बनाया जायेगा।"

[हिन्दी]

आज यहां पर जनता दल के दो-तीन केबिनेट मंत्री बैठे हैं। इस घोषणा पत्र को लिखने में उन लोगों का हाथ रहा है। इस घोषणा पत्र पर उन्हें देश के लोगों का वोट मिला है और उसके आधार पर यहां पर सरकारी बनी है। वचन यह दिया था और वचन मात्र नहीं बल्कि इस पर अपनी एक राय भी दी थी कि यह जो विधेयक है, यह जो आर्डीनेंस के आधार पर है। इसमें एण्टी वर्कर वायसेस हैं और आज उस एण्टी वर्कर वॉयसेस वाले विधेयक को उस वचन को भंग करके सदन के समाने इस तरह से लाना, उसके लिए नियम को सस्पेंड करने की बात करना उपाध्यक्ष जी यह कहां तक न्यायोचित है, कहां तक नैतिक है और यह कहां तक उन मजदूरों के बारे में जिनके विषय में आपने इस चीज को लिखा था कि हम इस विधेयक को, इस आर्डीनेंस को बदलेंगे और एक नया विधेयक यहां पर लायेंगे, तो कहां तक यह चीज उचित है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अगर कोई यह कहे कि वह तो जनता दल का वादा था और अब तो जनता दल के कार्यक्रम पर हम नहीं बैठे हैं। यह जो युनाइटेड फ्रंट का कामन मिनिमम प्रोग्राम है हम तो उस पर बैठे हैं। 10 जून, 1996 को श्री राम विलास पासवान के हस्ताक्षर पर मिला हुआ दस्तावेज है।

[अनुवाद]

मैं इसके साथ संयुक्त मोर्चा सरकार के सांझा न्यूनतम कार्यक्रम की एक प्रति आपकी जानकारी के लिए संलग्न कर रहा हूं।

अब उपाध्यक्ष जी, उस सूचना के आधार पर इनके कार्यक्रम में जो बात इस मामले पर लिखी है उसकी ओर से आपका और इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री एम. अरुणाचलम : श्रीमन, माननीय सदस्य विधेयक के गुण दोषों पर बात कर रहे हैं। इस समय नियम 66 के निलम्बन की बात है। अतः मेरे विचार में इस समय यह आवश्यक नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं विधेयक के गुण दोष की बात नहीं कर रहा। मैं यह कह रहा था कि यह अनैतिक है।

[हिन्दी]

पिटीशन कमेटी ने जो सिफारिश की है, आप खड़े होकर कहिये कि उन सिफारिशों की सदन में कोई कीमत नहीं है। फिर इस साल पिटीशन कमेटी के लिये चुनाव मत करिए क्योंकि अगर इस में बैठकर वहां केवल चाय पीनी है, दो सेशन्स के बीच में भत्ता लेना है ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज जी, आप नैतिकता की बात बाद में उठाना।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं केवल नैतिकता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सभा की गरिमा की बात कर रहा हूं। इस सदन की याचिका समिति का क्या महत्व है?

[हिन्दी]

आप बताइये कि इस सदन द्वारा चुनी हुई पिटीशनस कमेटी की कीमत क्या है। यदि आप ऐसा कहना चाहते हैं कि पिटीशन्स कमेटी ने जो सिफारिश की है, वे बेकार हैं।

फिर आप पिटीशन्स कमेटी को बर्खास्त कर दीजिये। हम लोगों के साथ यह मजाक क्यों कर रहे हैं।

अब मैं कामन मिनिमम प्रोग्राम पर आ रहा हूं। इसमें लिखा है:

[अनुवाद]

"असंगठित क्षेत्र में श्रम के बारे में कुछ कानून बनाये गये हैं। इन कानूनों को और सुदृढ़ किया जायेगा और जहां आवश्यक होगा ऐसे श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये नये कानून बनाये जायेंगे, विशेष रूप से निर्माण और बीड़ी उद्योग में लगे श्रमिकों के मामले में।"

[हिन्दी]

यह आपका प्रोग्राम है, आपका कार्यक्रम है और आज आप उस कानून को यहां पर हम लोगों के सामने ला रहे हैं जिसके बारे में आपने खुद लिखा है, देश के सामने वादा किया है कि हम इसे बदलेंगे क्योंकि यह मजदूर विरोधी है।

सभापति जी, पिटीशन्स कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं, उन पर अमल करना इस सदन का कर्तव्य मैं मानता हूं। आप या तो सदन में कहिए कि उन्हें नहीं माना जाएगा। इस सरकार को बनाते समय आपने कहा था कि यह हमारा मिनिमम प्रोग्राम है। अगर उस कार्यक्रम की कोई गरिमा है, इज्जत है, जिस कागज पर आपने हम सब लोगों को उसे लिखकर भेजा है, अगर उसकी कोई इज्जत है तो फिर विशेषकर हम राम विलास जी से चाहेंगे, क्योंकि उनके हस्ताक्षरों से यह कागज हम सब लोगों को भेजा गया है, कि वे सदन में खड़े होकर कहें कि इसमें जो कुछ लिखा है, आज उसकी कोई कीमत नहीं है, आज वही कानून आ जाएगा जो 1988 में बना था, बीच-बीच में जिसमें कुछ सुधार किए गए थे और मजदूरों के लिए जो खतरनाक था, आज उसी कानून को लाया जाएगा।

हिन्दुस्तान में किसी भी क्षेत्र के मजदूरों को आप देख लीजिए, सबसे अधिक संख्या उनमें कन्सट्रक्शन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की है और सबसे ज्यादा उनका शोषण होता है। क्या यह नई सरकार, कौमन मिनिमम प्रोग्राम वाली सरकार, सी.पी.एम. की मदद से बैठी हुई सरकार, जिसमें सी.पी.आई. के लोग मंत्री बनकर बैठे हैं, आज तक इन सभी लोगों ने मिलकर जो काम किया, जिसमें मैं भी शामिल था, कृष्णा अय्यर की कमेटी में हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, क्या अब उस कमेटी की इज्जत रखी जाएगी क्योंकि सारे देश के मजदूर आन्दोलन में आप सब पार्टियों की जो शिद्दत थी, काम था, उस इज्जत को क्या आज सदन के अंदर बिलकुल उतारा जाएगा।

उपाध्यक्ष जी, यहां मामला केवल नैतिकता का ही नहीं है या मौरेलिटी का ही नहीं है, मामला पिटीशन्स कमेटी के फैसले का भी है। इसलिये मेरी प्रार्थना का ही नहीं है, मामला पिटीशन्स कमेटी के फैसले का भी है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को आप अस्वीकार कर दीजिए और इस बिल को विदड्रा करने के लिए आपकी तरफ से आदेश होना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (डमडम) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ...**(व्यवधान)**

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैंने इस मामले के बारे में आपत्ति की है। ...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : श्रीमन् व्यवस्था के प्रश्न को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले बोलने दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैंने प्रस्ताव पर श्री जार्ज के बोलने के अधिकार का पक्ष लिया था क्योंकि यह नियमों के निलम्बन का प्रश्न था जिसे उन्होंने सही ढंग से कोट किया है। नियम 388 इस प्रकार है :

"कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा"

इस प्रकार उन्हें प्रस्ताव का विरोध करने का अधिकार है परन्तु हमें यह भी देखना चाहिये कि नियम 66 को निलम्बित करने का प्रस्ताव है। मेरे विचार में वह संगत नहीं है।

मैं प्रश्न के गुण दोष को नहीं दूंगा। उन्होंने सी.पी.आई. और सी.सी.एम. की बात की है। वह भिन्न प्रश्न है।

नियम 66 में कहा गया है:

"कोई विधेयक जो सभा में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णतः या अंशतः निर्भर है, उस विधेयक के पारित हो जाने की पूर्वाशा में जिस पर कि वह निर्भर है सभा में पुरःस्थापित किया जा सकेगा।"

ऐसी बात नहीं कि इसका एक भाग संगत है। दूसरे पारा में कहा गया है:

"परन्तु दूसरे विधेयक सभा में विचार किए जाने तथा पारित किए जाने के लिये ये केवल तभी लिया जायेगा जबकि पहला विधेयक सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो।"

सारभूत में इसी भाग को निलम्बित करने का प्रस्ताव है। वह या कोई और जो उसका विरोध करे उसे बताना होगा कि पहले विधेयक को पारित करने से पहले दूसरे विधेयक को क्यों पारित किया जाये। इस बारे में आपत्ति की कोई बात नहीं है। हम सभी इसके गुण दोष पर विचार कर सकते हैं। हम श्री जार्ज फर्नान्डीज की भान्ति जोर देकर कह सकते हैं। अतः मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो भी कह रहे हैं वह विधेयक विषय वस्तु में जाना है। अतः मेरा सुझाव है कि उनकी आपत्ति संगत नहीं है और माननीय मंत्री को सभा की अनुमति से प्रस्ताव को पारित करने दिया जाना चाहिये।

जस्टिस गुमान मल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी प्रश्न को उठा रहा हूं जिसे उन्होंने उठाया है। मैं उसका उत्तर दूंगा और अपनी आपत्ति भी रखूंगा।

महोदय, नियम 66, जिसे पढ़ा गया है, में आपको अधिकार दिया गया है कि आप किसी मामले में दो विधेयकों पर विचार करने की अनुमति दे सकते हैं। सामान्यतः इसकी अनुमति नहीं है। उपबन्ध में कहा गया है:

> "परन्तु दूसरा विधेयक सभा में विचार किए जाने तथा पारित किए जाने के लिए केवल तभी लिया जायेगा जबकि पहला विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका हो और राष्ट्रपति द्वारा उस पर अनुमति दी जा चुकी हो।"

महोदय, सभा के समक्ष दो विधेयक है। एक उपकर के बारे में है और दूसरा कार्मिकों की सेवा शर्तों के बारे में है। दोनों आज की कार्यसूची में हैं। सामान्यतः पहला विधेयक जो कार्मिकों की सेवा शर्तों के बारे में है पारित किया जायेगा। उसके बाद वह उपरि सदन में जायेगा उसके बाद उस पर राष्ट्रपति की अनुमति होगी। उसके बाद दूसरा विधेयक लिया जायेगा। यह या तो इस सत्र में अथवा अगले सत्र में लिया जायेगा।

अब इस प्रस्ताव द्वारा माननीय सदस्य आप से चाहते हैं कि आप यह शर्त हटा दें ताकि दोनों विधेयक एक साथ लिये जा सकें। यह प्रस्ताव है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह यहां नहीं कहा गया है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : मैं इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं। ऐसा क्यों? यह इस लिये कि इसका कुछ विशेष कारण होना चाहिये। नियमों को निलम्बित करने की शक्ति अध्यक्ष को बहुत कम अवसरों पर प्रयोग करने के लिये ही दी गई है। ऐसा नहीं कि कोई माननीय सदस्य खड़ा हो जाये और नियम निलम्बित करने के लिये कह दे। इसके लिए असाधारण परिस्थिति होनी चाहिये और अध्यक्ष को प्रभावित करने वाला विशेष कारण बताया जाना चाहिये अर्थात इस विशेष कारण से यह नियम निलम्बित किया जाये।

इस प्रस्ताव में कोई कारण नहीं बताये गये हैं। प्रस्ताव में केवल कहा गया है कि कृपया नियम को निलम्बित करें और दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार किया जाये। भाषण के दौरान भी माननीय मंत्री ने कारण नहीं बताये। इसका कोई कारण, कोई औचित्य अथवा दलील नहीं दी गई कि क्यों नियम का निलम्बन किया जाये।

श्रीमन, अब मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसका निलम्बन क्यों नहीं किया जा सकता। मेरे मित्र ने अनेक कारण बताये हैं जोकि नैतिक, राजनैतिक और सामाजिक हैं। परन्तु मेरा एक तकनीकी मुद्दा है। यहां दो विधेयक हैं, एक साधारण है जो सेवा शर्तों के बारे में है। दूसरा उपकर लगाने के बारे में है। उपकर एक कार है और कर की परिभाषा भिन्न है। ऐसी स्थिति में यह एक धन विधेयक है। संविधान तथा नियमों में इसके लिये अलग प्रक्रिया है। भारत के संविधान में धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 109 और 110 में दी गई है। इस बारे में कुछ रोक है। उदाहरणार्थ पहला विधेयक संयुक्त समिति को भेजा जा सकता है, यदि सभा ऐसा निर्णय करे। परन्तु यदि आप नियम 74 पढ़ें तो दूसरा विधेयक समिति को सौंपा नहीं जा सकता क्योंकि उस बारे में नियम 74 की रोक है। अतः इस प्रकार के विधेयक समिति को भेजे नहीं जा सकते।

इस प्रकार दो विधेयकों को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। इस बार में क्या मैं नियम 74 को पढ़ सकता हूं? इस में कहा गया है:

> "विधेयक जब पुरःस्थापित किया जाये तब या बाद में किसी अवसर पर भार साधक सदस्य अपने विधेयक के बारे में निम्नलिखित प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव कर सकेगा, अर्थात:
>
> (1) कि उस पर विचार किया जाये; या
>
> (2) कि उसे सभा की प्रवर समिति को सौंपा जाये; या
>
> (3) कि इसे राज्य सभा की सहमति से दोनों सदनों की संयुक्त समिति की सौंपा जाये, या
>
> (4) कि उस पर राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये; परन्तु खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट कोई ऐसा प्रस्ताव किसी ऐसे विधेयक के संबंध मे नहीं दिया जायेगा। यदि उसमें केवल ऐसे उपबन्ध हैं जो संविधान के अनुच्छेद 110 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (छ) में उल्लिखित सभी विषयों या उनमें से किसी विषय से संबंधित हों।

संविधान का अनुच्छेद 110 धन विधेयक के बारे में है। जैसा कि साधारण विधेयक उपरि अथवा निचले सदन में कहीं भी पुरःस्थापित किया जा सकता है, परन्तु धन विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता।

अतः मेरा निवेदन है कि दूसरा विधेयक, जिसे पहले विधेयक के साथ जोड़ना चाहते हैं एक धन विधेयक है और धन विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 109 और 110 में परिभाषित किया गया है। यह विधेयक उपकर लगाने के बारे में है। उपकर लगाना धन विधेयक से संबंधित है और उसे साधारण विधेयक नहीं माना जा सकता। अतः एक साधारण विधेयक और धन विधेयक को एक साथ

जोड़ा नहीं जा सकता। अतः मेरा निवेदन है कि यदि आप अन्य कारणों से अनुमति देना चाहते हैं तो उनको तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक सेवा शर्तों सम्बन्धी विधेयक पास नहीं हो जाता और इस पर राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाती और यह लागू नहीं हो जाता। केवल तब ही उपकर लगाया जा सकता है। अग्रिम रूप से उपकर नहीं लगाया जा सकता। वे इस विधेयक के साथ उपकर सम्बन्धी विधेयक को पारित नहीं कर सकते। यही मेरी आपत्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को क्या कहना है।

श्री एम. अरूणाचलम : श्रीमन, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है इसमें दो विधेयक हैं। एक कल्याण विधेयक है और दूसरा उपकर विधेयक है। कल्याण विधेयक उपकर विधेयक पर आधारित है। हम निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा कल्याण सम्बन्धी प्रावधानों को तब तक लागू नहीं कर सकेंगे जब तक हमारे पास कल्याण निधि नहीं होगी। कल्याण निधि तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक हम उपकर विधेयक पास नहीं करते। एक बार जब उपकर विधेयक पास हो जाता है तो सरकार के लिये जरूरी हो जायेगा कि वह निर्माण कर्मकारों के लिये कल्याणकारी प्रावधानों को लागू करे। हम इन उपायों को लागू नहीं कर सकते जब तक संसद इस कल्याण विधेयक को पारित नहीं करती। ये दोनों विधेयक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि इन को एक साथ लिया जाये। इसीलिये हमने नियम 66 के निलम्बन का प्रस्ताव रखा है।

महोदय, ये मामले लम्बे अर्से से लम्बित थे। ये 1980 से चल रहे थे। यह ठीक है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज श्रमिकों के हितों के रक्षका हैं। इसीलिये हमने नियम 66 के निलम्बन का प्रस्ताव रखा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप परम्परा और अपने वायदों को तोड़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु आपको एक धन विधेयक तथा एक साधारण विधेयक को एक साथ लेने के बारे में क्या कहना है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : धन विधेयक तथा साधारण विधेयक को जोड़ा नहीं जा सकता। यह एक संवैधानिक आपत्ति है।

श्री ए.सी. जोस (इदुक्की) : मेरा निवेदन है कि यह एक धन विधेयक नहीं है। यह कैसे एक धन विधेयक हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : उपकर लगाया जा रहा है अतः यह धन विधेयक है।

श्री ए.सी. जोस : यह कल्याणकारी उपाय के लिये है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभी धन जो इकट्ठा किया जाता है भारत की संचित निधि में जाता है। कृपया विधेयक पढ़िये।

श्री ए.सी. जोस : मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है, जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि यह मामला पिछले 8 वर्षों से लम्बित था **...(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : राशि भारत की संचित निधि में जाती है।

श्री ए.सी. जोस : चाहे जो भी तकनीकी मुद्दे हों इसे सभा में रखने दें और हम इस पर चर्चा करें। मेरी भी दो विधेयकों को एक साथ लेने के बारे में शंकाएं हैं। परन्तु सरकार ने ऐसा करने का निर्णय किया है, अतः इसे पेश करने दिया जाये। अन्यथा यह ऐसे ही रह जायेगा। यह पिछले आठ या दस वर्षों से ऐसे ही लम्बित रहा है।

श्री एम. अरूणाचलम : 1974 में लोक सभा के अध्यक्ष ने तेल उद्योग विकास विधेयक पर निर्णय दिया था।

> "नियम 117 के अधीन किसी मिलेजुले प्रकार के विधेयक के बारे में कोई रोक नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि जहां तक संभव है कि मिलीजुली प्रकार के विधेयक बहुत कम हों और वह भी जहां पर कराधान वाले और अन्य मामलों वाले वाले विधेयक अलग न किये जा सकें।"

अतः यह अलग नहीं किये जा सकते।

श्री निर्मल कान्ति चटजी : कार्य सूची में दिया गया है कि मद संख्या 18 से 21 तक को साथ-साथ लिया जायेगा। ये विधेयक विचार करने के लिये हैं। मतदान के समय प्रत्येक विधेयक अलग से लिया जायेगा। यदि किसी प्रकरण पर कोई कठिनाई हो तो उस पर मतदान हो सकता है। अतः इस पर चर्चा के समय कोई समस्या नहीं होगी। यह मांग की गई है कि नियम का निलम्बन किया जाये। अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखने की अनुमति दी है। अतः इस मामले में कोई कठिनाई नहीं है।

जस्टिस गुमान मल लोढा : कार्य मन्त्रणा समिति संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : प्रत्येक विधेयक पर अलग से मतदान होगा।

जस्टिस गुमान मल लोढा : जब तक राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति नहीं देते उपकर सम्बन्धी विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता। उपकर से संबंधित विधेयक पर पहले विधेयक के पास होने के बाद ही विचार किया जा सकता है। यहां लाने से इस पर पहले राष्ट्रपति की अनुमति होनी चाहिये। अतः धन विधेयक पर विचार नहीं हो सकता। इसे पास करने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : विधेयकों को पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है **...(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आप यह नहीं कह सकते कि यह गलती चलती ही रहेगी। यह एक धन विधेयक है। आप इस तथ्य को तो झुठला नहीं सकते।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं उसे झुठला नहीं रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभी कर भारत की संचित निधि में जाते हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या विधेयकों को पुरःस्थापित किया जा चुका है या नहीं?

श्री ए.सी. जोस : महोदय, यदि केवल यही आपत्ति है कि धन भारत की संचित निधि में जायेगा तो मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करें कि राशि कल्याण बोर्ड के पास जमा हो, जिसका गठन किया जा रहा है। अतः इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। यदि माननीय सदस्य की आपत्ति है कि यह राशि भारत की संचित निधि में जाती है, इसलिये यह धन विधेयक है तब मेरा सुझाव है कि वह एक संशोधन रखे जैसा कि मैंने किया है अर्थात कि यह राशि भारत की संचित निधि में नहीं जायेगी बल्कि यह कल्याण बोर्ड के पास जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दोनों पक्षों को सुना है। प्रश्न यह है :

> "यह सभा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1996 जहां तक यह भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक, 1996 पर निर्भर करता है, पर विचार करने और उसे पारित करने के लिये लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का उस प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करती है।"

इसके पक्ष में जो हैं वे 'हां' कहें

अनेक माननीय सदस्य : 'हां',

उपाध्यक्ष महोदय : जो इसके विरोध में हैं वे 'नहीं सदस्य कहें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में 'हां' वाले अधिक हैं।

(व्यवधान)

जस्टिस गुमान मल लोढा : श्रीमन 'नहीं' वाले अधिक हैं। हम मतविभाजन चाहते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसका पूर्णत : विरोध किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बार फिर इस प्रश्न को सभा में मतदान के लिये रखता हूं। दीर्घाएं खाली कर दी जायें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं। प्रश्न यह है:-

> "यह सभा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1996 जहां तक यह भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधेयक, 1996 पर निर्भर करता है पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का उस प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या - 1 पक्ष में अपराह्न 1.25 बजे

अनवर, श्री तारीक
अरूणाचलम, श्री एम.
अलागिरी, श्री सामी वी.
अहमद, श्री ई.
अहमद, श्री एम. कलालुद्दीन
आचार्य, श्री बसुदेव
इस्लाम, श्री कमारूल
इस्लाम, श्री नुरूल
इस्नेरी, श्री लुईस
उदयप्पन, श्री एस.पी.
उपेन्द्र, श्री पी.
कलमाडी, श्री सुरेश
कामनस, प्रो. एम.
कोंडय्या श्री.के.सी.
कोटा, श्री सईदा
कोजलगी, श्री शिवानन्द एच.
कुटूरकर, श्री जी.एम.
कृष्णादास, श्री एन.एन.
खलप, श्री रमाकान्त डी.
गढ़वी, श्री बी.के.
गणेशन, श्री वी.
यमांग, श्री गिरिधर
गायकवाड़ श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरि, श्री सुधीर
गेहलोत, श्री अशोक
घाटोवार, श्री पवन सिंह
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चन्दूलाल, श्री अजमीरा
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज दा.
चिन्तूरी, श्री रविन्द्र
चित्यन, श्री एन.एस.वी.
चेन्नित्तला, श्री रमेश
चौधरी, श्रीमती निशा ए.
जेना, श्री श्रीकान्त
जोस, श्री ए.सी.
ज्ञानगुरू स्वामी, श्री आर. (परियाकुलम)
डेनिस, श्री एन.

डोम, रामचन्द्र
तिरिया, कुमारी सुशीला
तिवारी, श्री बृजभूषण
तीर्थरामन, श्री पी.
तापनो, कुमारी फ्रिडा
थामस, श्री पी.सी.
दासमुंशी, श्री पी.आर.
देव, श्री संतोष मोहन
नरसिम्हन श्री सी.
नागरत्नम, श्री टी.
निषाद, श्री विशम्भर प्रसाद
नीतिश कुमार, श्री
पटेल, श्री दिनशा
पटेल, श्री शांतिलाल पुरूषोत्म दास
परसुरामन, श्री के.
पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पायलट, श्री राजेश
पासवान, श्री राम विलास
प्रेमचन्द्रन, श्री एन.के.
फूलन देवी, श्रीमती
बंगरप्पा, श्री एस. (शिमोगा)
बर्मन, श्री उधव
बर्मन, श्री सेन
बसु, श्री चित्त
बालासुब्रहमण्यन, श्री एस.आर
बालू. श्री टी.आर.
बोस, श्रीमती कृष्णा
भक्त, श्री मनोरंजन
महतो, श्री वीर सिंह
महाराज, श्री सतपाल
मुखर्जी, श्री प्रमथेस
मुखर्जी श्रीमती गीता
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मेहता, श्री सनत
मोल्लाह, श्री हन्नाल
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव श्री सुरेन्द्र
रमना, श्री एल.
राघवन, वी.वी.
राजा, श्री ए.
राजेन्द्रन श्री पी.वी.
राठवा, श्री एन.जे.
राम बाबू. श्री ए.जी.एस.
सम्बासिवा राव, श्री आर.
रेड्डी, डा. टी. सुब्बारामी
रेड्डी, श्री एन. रामकृष्ण
वेंकटेशन, श्री पी.आर.एस.
वेंकटेस्वरलु प्रो. उमारेड्डी
वेणुगोपाल, डी.
शंकर, श्री बी.एल.
शर्मा, डा. प्रवीन चन्द्र
शर्मा, श्री नवल किशोर
शाक्य, श्री राग सिंह
षणमुंगा, सुन्दरम श्री वी.पी.
सिंह, मेजर जनरल विक्रम
सिंह, श्री चन्द्रभूषण
सैकिया, श्री मुही राम
सैनी, श्री प्रताप सिंह
स्वैल, श्री जी.जी.
हजारिका, श्री ईश्वर प्रसन्ना
हुसैन, श्री सैयद मसूदल

विपक्ष में

अडसूल श्री आनन्दराव विठोबा
कमल रानी, श्रीमती
काम्बले, श्री शिवाजी बिठ्ठल राव
खालसा, श्री बसन्त सिंह
गढ़वी, श्री पी.एस.
गीते, श्री अनन्त गंगाराम
गुढ़े, श्री अनंत
गुप्त, श्री चमन लाल
गेहलोत, श्री थावरचन्द
गौतम, श्रीमती शीला
चौधरी, श्री परागी लाल
चोबे, श्री लालमुनी

जटिया, डा. सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जादव, श्री सुरेश आर.
जैन, श्री सत्य पाल
तोमर, डा. रमेश चन्द
दिलेर, श्री किशन लाल
नाईक, श्री राम
पवार, श्री उत्तम सिंह
पांडेय, डा. लक्ष्मीनारायण
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
प्रधान, श्री अशोक
प्रमी, श्री मंगल राम
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
बागूल. डा. साहेबराव सुकराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मुण्डा, श्री कड़िया
मुनिलाल, श्री
मेहता, श्रीमती जयवंती नवीन चन्द्र
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
रावत, प्रो. रासा सिंह
लोढा, जस्टिस गुमान मल
वर्मा. श्री भानु प्रताप सिंह
वर्मा, श्रीमती पूर्णिमा
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वीरेन्द्र कुमार, श्री
संघानी, श्री दिलीप
सर्पोतदार, श्री मधुकर
साय, श्री नन्द कुमार
सिंह, श्री जसवंत
सिंह, श्री दरबारा
स्वराज, श्रीमती सुषमा

उपाध्यक्ष महोदय : मतविभाजन का परिणाम निम्न प्रकार है।

पक्ष में	100
विपक्ष में नहीं	45

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये अपराह्न 2.45 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.45 बजे

तत्पश्चात सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 2.51 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.51 पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मद संख्या 18 से 21 साथ-साथ ली जायेंगी। नियत किया गया समय 2 घंटे है।

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प,

भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार विधेयक

भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 के बारे में सांविधिक संकल्प

और

भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकरण विधेयक

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दोनों बिल जो भवन अध्यादेश के बारे में और राज्य सरकारों द्वारा उपकर लगाए जाने के बारे में महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा प्रख्यापित किये गये हैं उन दोनों को माननीय मंत्री जी मूव करना चाहता हूं और उन दोनों प्रस्तावों को निरस्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 25) का निरनुमोदन करती है"

[अनुवाद]

श्रम मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण अधुपायों तथा उनसे संबंधित या

उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 26) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दो बार बोलने का अधिकार बनता था। एक बार बिल्डिंग और भवन निर्माण उद्योग में लगे मजदूरों के बारे में और एक बार राज्य सरकार इसमें उपकर लगा सके, इसके बारे में। हमने अपनी बात अलग-अलग बड़े जोर-शोर से रखी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : एक बार ही बोल लीजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हां, अब तो मजबूरी में एक बार ही बोलना पड़ेगा। इस वोटिंग के कारण मेरा दो बार बोलने का अधिकार एक बार बोलने का ही रह गया है। इसलिए अब मुझे दोनों बिलों पर एक बार ही बोलना पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि ...

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मूव तो करिये, उस के बाद आपने बोलना है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैंने मूव कर दिया है। मंत्री जी, आपने जो कुछ करना है पहले आप कर लीजिए।

[अनुवाद]

श्री एम. अरूणाचलम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन गठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों के संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से नियोजकों द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत पर उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 25) का निरनुमोदन करती है।"

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार के नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण अध्युपायों तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 जून, 1996 को प्रख्यापित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर तीसरा अध्यादेश, 1996 (1996 का संख्यांक 26) का निरनुमोदन करती है।"

"कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अधीन गठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्डों के संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से नियोजकों द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत पर उपकर के उदग्रहण और संग्रहण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मान्यवर, बिल्डिंग और भवन निर्माण उद्योग में 85 लाख मिलियन से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं। ये मजदूर असंगठित कर्मचारी हैं क्योंकि आप जानते ही हैं कि एक परियोजना में काम समाप्त हो जाने के बाद काम की तलाश में उन्हें दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इस बिल के जरिये आपने जितना इन मजदूरों को लाभ देना था उतना लाभ आपने नहीं दिया। यह मेरा आप पर साफ-साफ आरोप समझ लीजिए, अनुरोध समझ लीजिए, निवेदन समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए।

आप यह बिल मजदूरों के हित में तो ला रहे हैं लेकिन अपूर्ण रूप से ला रहे हैं। आप यह विचार कर लें। अभी बहुत समय बाकी है। अभी सरकार हिली नहीं है, अभी आप एक हैं, अभी आपने 100 वोट इकट्ठे किए हैं। आप जल्दी मत करिए। मेरा निवेदन है कि आप इसे ठीक प्रकार से लाइए। सुरक्षा और कल्याण प्रदान करने की दृष्टि से भूतल परिवहन विभाग, शहरी विकास विभाग, रेल और वित्त मंत्रालय से विचार करना चाहिए था। केरल और तमिलनाडु में भवन निर्माण कर्मकारों के लिए कुछ कल्याण योजनाएं चल रही हैं। आप अगर उनका भी समावेश कर लेते तो अच्छा होता। आप पता नहीं किस प्रदेश से हैं। लगते तो केरल से हैं। केरल और तमिलनाडु में भवन निर्माण के काम में लगे मजदूरों की भलाई के लिए कानून बना हुआ है और वहां कल्याणकारी योजनाएं भी चल रही हैं। आप उनको यदि पढ़ लेते और ले आते तो मेरी मान्यता है कि आपका यह बिल बहुत अच्छा बन जाता, लेकिन आपने इन सब पर कोई विचार नहीं किया। आपको आगे का डर लग रहा था। आपने अपने घोषणा पत्र में कह दिया, इसलिए इसे जल्दी-जल्दी में ले आए। इस भय के कारण कि लोक सभा के चुनाव अगले महीने ही न हो जाएं, मैंने अपना पहचान-पत्र नहीं बनाया और मकान भी दूसरा नहीं लिया। लोग मुझ से कहते हैं कि मकान तो ले लो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोक सभा के चुनाव जल्दी होने वाले हैं। आप इसको जल्दी-जल्दी में ले आये। आप कुछ कल्याणकारी काम करना चाहते हैं जिससे

चुनावों में आपको लाभ हो जाए लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये सारी बातें करने के बाद आपने श्रम मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया और कह दिया इस अध्यादेश के द्वारा सैस लगा देंगे। सैस कौन लगाएगा? वह राज्य सरकारें इकट्ठ करेंगी और लगाएंगी।

जैसा कि फर्नान्डीज साहब बता रहे थे कि वह पैसा कनसॉलिडेट फंड में चला जाएगा और भारत सरकार एक बिल संसद में लाकर राज्य सरकारों को सैस की रकम देगी और वह भी एक परसैंट से ज्यादा नहीं होगा। राज्य सरकार को एक परसैंट से ज्यादा रकम नहीं मिलेगी। मैं ऐसा समझता हूं कि इससे राज्य सरकारें बरदनाम होंगी। उन्हें मालिकों से डटकर लड़ना पड़ेगा। उन्हें खिलाफ 'मुर्दाबाद' के नारे लगेंगे। इसको लेकर धरने होगे, लाठीचार्ज होंगे, हड़तालें होंगी। इसमें मजदूर मारे जाएंगे और मालिकों के साथ गड़बड़ होगी। राज्य सरकारों को एक परसैंट धनराशि मिले, ऐसा आपने प्रावधान किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि यह उचित नहीं है। शेष राशि का क्या होगा? मेरे विचार में उसका दुरुपयोग होगा। भारत सरकार का दिल्ली में जो केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड है, उसका इस राशि से बहुत बड़ा भवन बनेगा। आप वहां फर्नीचर लगायेंगे, कुलर लगायेंगे, फ्रिज रखेंगे, कर्मचारियों को इकट्ठा करेंगे। अपनी पार्टी के किसी आदमी को उसका अध्यक्ष बना देंगे और वहां अपने कर्मचारी नियुक्त कर देंगे। मजदूरों के हित के लिए पैसा नहीं जाएगा। वह पैसा केन्द्र सरकार का भवन बनाने के काम में आएगा। राज्य सरकारों को अधिक पैसा मिले, ऐसा प्रावधान आपने नहीं किया है।

मेरा करने का मतलब यह है कि आज मजदूरों की हालत खराब है। उनको कारखाने में पीने का पानी नहीं मिलता, वहां शौचालय नहीं हैं, मूत्रालय नहीं हैं। अगर उन्हें वहां जाने की जरूरत पड़ती है तो सड़क पर जाना पड़ता है। ऐसे में म्यूनिसिपैलिटी वाले उनका चालान कर लेते हैं। महिलाओं के लिए शिशु कक्ष की व्यवस्था नहीं है। उनके लिये प्राथमिक चिकित्सालय नहीं हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिकारियों की व्यवस्था नहीं है। उनका जीवन संकटमय है। उनके हाथ, पैर और आंख की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मालिकों और कर्मचारियों का एक आकस्मिक सम्बन्ध है।

अपराह्न 3.00 बजे

अस्थाई संबंध है, अनिश्चितता है क्योंकि जब मालिक चाहेगा उनको निकाल दे, इसमें उसको कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यह भी नहीं है। मेरे जयपुर में सेठ लोगों के यहां पर मुनीम काम करते हैं। वहां जब चाहे उनको बुला लियां जाता है, चाहे रात के 12 ही क्यों न बजे हों? वह मुनीम भी तो एक प्रकार से श्रमिक ही है। उन लोगों को आधारभूत सुविधायें नहीं हैं, कल्याण के लिये कोई सुविधायें नहीं हैं और जो हैं वे अपर्याप्त हैं। मेरा करने का मतलब यह है कि कोई कानून नहीं होने के कारण उन मजदूरों के लिये कोई फायदे की बात नजर नहीं आती है। मजदूरों की दुर्घटनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण आप यह बिल लाये हैं, यह अधूरा बिल है।

उपाध्यक्ष महोदय, 18 मई, 1995 को श्रम मंत्री की अध्यक्षता में श्रम मंत्रियों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें इस तरह के कानून को लागू करने की बात कही गयी थी क्योंकि उसके पहले मजदूरों के स्वास्थ्य, कल्याण की कोई सुविधा नहीं थी। उस समय यह कहा गया कि यह कानून उन कारखानों में लागू किया जायेगा जहां पर 50 या उससे अधिक मजदूर कार्य करते होंगे। इस कानून के तहत मजदूरों का वेतन 1600 रुपये प्रतिमाह तय किया गया। इस प्रकार मजदूर को जो न्यूनतम वेतन मिलता है, उसका स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया। क्या एक मजदूर प्रतिदिन 50 रुपये कमाकर अपने परिवार का पेट पाल सकता है जिसमें कम से कम 5 सदस्य हों? सरकार की तरफ से परिवार नियोजन की जो योजना चालू है, उसके अंतर्गत भी एक परिवार में चार से सदस्य कम थोड़ा न होंगे। यदि मेहमान आ जायें तो क्या उसे जहर दे दिया जाये या उसको आने से पहले ही भेज दिया जाये? और अगर घर में जवांई आ जाये तो क्या किया जाये? उसके लिये तो मन की भावना मन में ही रहने के लिये मजबूर करें? इसलिये मेरा कहना यह है कि 1600 रुपये प्रतिमाह का वेतन इस श्रेणी में रखना मजदूर कानून के विरुद्ध है। फिर मालिक लोगों पर आपने क्या लेवी लगाई है?

उपाध्यक्ष महोदय, एक मजदूर मकान की नींव की खुदाई करता है। मालिक तो उसे खुदाई करने के लिये कहेगा और वह मजदूर मौत के मुंह में जाकर वह काम करेगा, भले ही दीवार उस पर गिर जाये। खुदाई से पूर्व तकनीकी अध्ययन कराना चाहिये। एक गरीब को दो वक्त की रोटी तो मिले। यदि यह पेट साथ नहीं होता तो वह काम नहीं करता। दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले अथवा अपंग हो जाने वाले श्रमिकों की समुचित न्यूनतम सीमा क्या होगी, इस बिल में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। असंगठित होने के कारण उनकी समस्याओं का उचित ढंग से उपचार नहीं हो पा रहा है। आप यह बिल लाये हैं कि केन्द्रीय सलाहकार समिति बनेगी, राज्य सरकार की समिति बनेगी, विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा, रजिस्ट्री करने का 60 से 90 दिन का अधिकार दिया गया है, बोर्ड में एक सचिव होगा, उनके हम लोगों की तरह आयडैंटिटी कार्ड बनेंगे। ये जो लम्बी-चौड़ी बातें इसमें कही गयी हैं, इसमें कोई अपील करना, रजिस्ट्री से मजदूरों का क्या निर्णय लेना है, सीधे-सीधे बात करने पर मजदूरों की भलाई के लिये आप बिल लाये हैं।

अपराह्न 3.04 बजे

[श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए]

सभापति महोदय, आप तो मजदूर यूनियन के संचालक रहे हैं। आपने लोक सभा और विधान सभा में कई आन्दोलन किये हैं। आप जब आन्दोलन किया करते थे तो हम भी आपके साथ होते थे। मैंने इनको देखा है, आप जरा सोच लें।

यह बिल ठीक नहीं लाया गया है। जो मंत्री बने हैं यह भी पहले मजदूरों के आंदोलन में भाग लिया करते थे लेकिन कुर्सी पर बैठते ही इनकी भाषा बदल गई। आदमी इधर रहता है तो अच्छा रहता है और

उधर जाते ही बिगड़ जाता है। हम तो इस चक्कर से बच गए लेकिन आप 13 पार्टियों की सरकार बनाकर कहते हैं कि भारतवर्ष को स्वर्ग बना देंगे। पहले ऐसा होता था कि जो गरीब मजदूर अच्छा काम करते थे, जो इमारतें बनाने वाले मजदूर थे, राजा-महाराजाओं के वक्त में उनके हाथ काट दिये जाते थे। ताजमहल इसका उदाहरण है। जयपुर शहर में मूर्तिकला का उद्योग है, कपड़े पर छपाई का उद्योग है। लाख की चूड़ियां वहां बनती हैं। और चुनरी जिस पर बूंदी का काम होता है वह वहां बनती हैं और शानदार साड़ियां जयपुर में बनती हैं। मैं कोई व्यापारी नहीं हूं और इन चीजों का प्रचार नहीं कर रहा हूं। सर्दियों में वहां एक पाव रूई की रजाइयां बनती हैं। इन कामों के जो अच्छे-अच्छे कारीगर हैं, उनके हाथ काट दिये जाते थे। ऐसी घटनाएं पहले भी होती थीं और आज भी हो रही हैं। अखबारों में इस तरह की खबरें पढ़ने को मिलती हैं। ठेकेदार भवन-निर्माण मजदूरों का शोषण करते हैं। दिल्ली में कई शानदार इमारतें बनी हैं। इनमें जो मजदूर काम करते हैं उन पर भी अत्याचार होते हैं, उनकी भी अपनी तकलीफें हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि वे मजदूर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं, बीमारी मे उनकी दवा का प्रबंध नहीं होता। जो मजदूर दिन भर भट्टी में काम करते हैं उनको टीबी होने का खतरा बना रहता है। पारीख साहब डाक्टर रहे हैं, वे इस बात को जानते हैं। इस संबंध में हमें विचार करना चाहिए। इस बिल को बेहतर बनाने के लिए आपको राज्य के हितों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। राज्य और केन्द्र को आपस में भिड़ाने की बात अच्छी नहीं है। आपने कहा है कि राज्य सरकार पैसा इकट्ठा करेगी और कंसॉलिडेटेड फंड में देगी। केवल 1 प्रतिशत जो मालिकों से मिलता है, उस सैस का 1 प्रतिशत देंगे, यह राज्य सरकार के साथ घोर अन्याय है। फिर तो आप ही सीधा वसूल कर लें। इसका बहुत बड़ा हिस्सा दिल्ली में भवन बनाने के काम में देंगे। इसलिए इस सैस की राशि को 1 प्रतिशत नहीं, राज्य के जितने वर्कर्स हैं, उनकी जैसी स्थिति है उस हिसाब से तय करें। राजस्थान में मजदूरों की हालत खराब है। बिहार और उत्तर प्रदेश में और खराब हो सकती है। उनकी हालत को देखते हुए आपको इस सीमा को बढ़ाना चाहिए। जिन मजदूरों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, उनको ठीक से पुनर्स्थापित करें। उनकी मजदूरी और उनके काम की हम देखभाल करें। पिछड़े इलाकों से मजदूर उपनगरों या शहरों में आते हैं तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। इस संबंध में सरकार विचार करे और मजदूरों के बारे में एक अच्छा बिल लाए। दोनों बिल आप ले आए। आपके सौ वोट आ गए और हमारे 45 ही रह गए। हमें पता नहीं था वरना हम आपको आज ही हरा देते। लेकिन आपका भाग्य अच्छा है, आपकी जन्म-पत्री ऊंची हैं। आप शायद गोविन्द देव जी, गोपीनाथ जी, भौम्या जी, गोगा जी को मनाते हैं, इसलिए बाल-बाल बच गए। आपको इसमें मनी बिल अलग लाना चाहिए था और यह बिल अलग लाना चाहिए था।

अंत में मेरा निवेदन है कि आप मजदूरों के हित में कंप्रीहेन्सिव बिल लाएं। ज्ञान की बातें मुझे बाद में बोलने का मौका मिलेगा। मैं भी अध्ययन पूर्वक आपकी बातें सुनूंगा और जब आप उत्तर देंगे तो निश्चित रूप से आपको मजदूरों के हित में मना लूंगा। इतनी बातें ही मुझे निवेदन करनी हैं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

श्री एम. अरूणाचलम : श्रीमन्, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया है।

यह विधेयक 1980 में हुए 31वें श्रम मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर लाया गया है। जैसा कि मेरे मित्र तथा साथी ने ठीक ही कहा है देश में लगभग 80 लाख 50 हजार भवन तथा निर्माण कर्मकार हैं। ये मुख्यतः असंगठित हैं। इस उद्योग में काम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का होता है। मालिक तथा कर्मचारी के बीच अस्थायी सम्बन्ध होते हैं। काम के घंटे लम्बे होते हैं। बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है और असुरक्षित काम की परिस्थितियां होती हैं।

हालांकि कुछ विधानों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, ठेका श्रम अधिनियम, अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम आदि कानून निर्माण कार्मिकों पर लागू होते हैं, फिर भी ऐसी आवश्यकता महसूस की गई है कि एक व्यापक विधान उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण और अन्य सेवा शर्तों के लिये होना चाहिये। विभिन्न हितों वाले वर्गों से मश्विरा करने के बाद सरकार ने वास्तव में भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार, विधेयक, 1988, दिसम्बर 1988 में राज्य सभा में पेश किया था। परन्तु लोक सभा की याचिका समिति की सिफारिशों पर जो कि राष्ट्रीय अभियान समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने के संदर्भ में दिए गए सुझावों पर आधारित थीं, उसे स्थगित कर दिया गया। जब इन विधानों पर विचार हो रहा था, ग्रामीण श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग ने अन्य बातों के साथ निर्माण कर्मकारों की काम की हालत पर विचार किया और 31 जुलाई, 1991 को रिपोर्ट दी। आयोग का मत था कि राष्ट्रीय अभियान समिति की मुख्य सिफारिश कि गोदी श्रम बोर्ड की भांति एक निर्माण श्रम बोर्ड ठीक नहीं होगा क्योंकि ये कर्मकार विभिन्न स्थानों पर फैले रहते हैं, इसके लिये विशेष योग्यता चाहिये और महसूस किया कि 1988 का विधेयक अच्छी प्रकार विचार करके बनाया गया है और व्यापक है जब यह अन्ततः पारित होगा तो इससे कार्मिकों की काम करने तथा रहने सहने की शर्तों में सुधार होगा। साथ ही आयोग ने कार्मिकों को काम के स्थान पर कुटीर/शैलटर प्रदान करने संबंधी कुछ सिफारिशें भी कीं।

राष्ट्रीय अभियान समिति के सुझावों और ग्रामीण श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों पर विस्तार से विचार किया गया है। राज्य सरकारों और सम्बद्ध मंत्रालयों से मश्विरा करने के बाद और 1988 के विधेयक के विधायी प्रस्तावों को समुचित रूप से संशोधित करने के बाद भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अध्यादेश, 1995 (1995 का अध्यादेश संख्या 14) को 3 नवम्बर, 1995 को राष्ट्रपति ने प्रख्यापित किया क्योंकि उस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा था और यह कार्य अत्यावश्यक था।

अध्यादेश के अधीन राज्य स्तर पर प्रस्तावित कल्याण बोर्डों के लिये पर्याप्त राशि की व्यवस्था करने के लिये यह आवश्यक समझा गया है कि निर्माण कार्यों पर उपकर लगाया जाये। इसीलिये उसी तिथि को अवलम्बित विधान के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अध्यादेश 1995 प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेश का स्थान लेने के लिये लोक सभा में दो विधेयक 1 दिसम्बर, 1995 को पेश किये गये थे। चूंकि ये विधेयक दसवीं लोकसभा के 1995 के शीतकालीन सत्र में और 1996 के बजट सत्र में पास नहीं हो सके थे, ये अध्यादेश पुनः 5 जनवरी, 1996, 27 मार्च, 1996 और 20 जून, 1996 को प्रख्यापित किये गये। इस बीच दसवीं लोक सभा के विघटन के साथ दो विधेयक व्यपगत हो गये हैं।

भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) विधेयक, 1996 तथा इस का सम्पूरक विधेयक भवन तथा सन्निर्माण कर्मकार उपकर विधेयक 1996, 20 जून, 1996 के अध्यादेशों का स्थान लेने के लिये 20 जुलाई, 1996 को लोक सभा में पेश किये जा चुके हैं।

श्रीमन, भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) विधयक, 1996 की मुख्य बाते हैं:- उस संस्थान में जहां उस समय या गत 12 महीनों में 50 कर्मकार निर्माण कर रहे हों पर यह लागू करना, समुचित सरकार की परिभाषा जो विभिन्न संस्थानों के बारे में होगी ताकि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के किसी भी ऐसे उपक्रम को अधिसूचित कर सके जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार होगी केन्द्रीय तथा राज्य सलाहकार समितियों को नियुक्त करना, जो कानून को उचित प्रकार से लागू करने के लिये सरकार को सलाह देंगी। समुचित सरकार को नियम बनाने हेतु विशेषज्ञ समितियों का गठन करना। निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों को काम पर लगाने वाले संस्थानों का रजिस्ट्रीकरण और उसके लिये रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति, भवन निर्माण कर्मकारों का हिताधिकारियों के रूप में रजिस्ट्रीकरण करना तथा उनके पहचान पत्र जारी करने का उपबन्ध करना; राज्य सरकारों द्वारा कल्याण बोर्ड गठित करना तथा कल्याण निधि के अधीन आने वाले और हिताधिकारियों का रजिस्ट्रेशन करना।

राज्य सरकारों द्वारा गठित कल्याण बोर्डों के वित्त की व्यवस्था करना तथा उनके वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना, कर्मकारों को उनके काम के स्थान के निकट रहने के लिये अस्थायी आवास की व्यवस्था करना। सामान्य कार्य दिवस के घंटे निर्धारित करना; सप्ताह में वेतन के साथ एक दिन के आराम की व्यवस्था करना; उपरि काम के लिये उचित मजदूरी की व्यवस्थाएं करना, भवन कर्मकारों के लिए बुनियादी सुविधाओं जैसे, पीने का पानी, शौचालय, मूत्रालय, क्रेच, प्रथम उपचार, कैन्टीन आदि की व्यवस्था करना; कर्मकारों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जिसमें सुरक्षा समितियों की नियुक्ति भी है, की व्यवस्था करना; सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति और कतिपय दुर्घटनाओं को अनिवार्य रूप से अधिसूचित करना; केन्द्रीय सरकार को सुरक्षा के बारे में आदर्श नियम बनाने की शक्ति देना; निरीक्षण स्टाफ की नियुक्ति करना जो केन्द्रीय स्तर पर निरीक्षण महानिदेशक करेंगे और राज्य स्तर पर महानिरीक्षक करेंगे; सुरक्षा उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने के लिये नियोजकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना; दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सुरक्षा उपाय करना; समय पर मजदूरी का भुगतान करना, उपबन्धों के उल्लंघन, रूकावट के लिए दण्ड का प्रावधान करना और दण्डनीय अपराधों को न्यायालय के संज्ञान में लाना; नेकनीयती में की गई कार्यवाही के लिए सुरक्षा प्रदान करना, 1923 के कर्मकार मुआवजा अधिनियम को भवन तथा अन्य निर्माण कर्मकारों पर लागू करना। केन्द्र सरकार को राज्यों को निर्देश देने की शक्ति देना तथा कानून के इन उपबन्धों को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति देना।

अवलम्बित विधेयक अर्थात भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर विधेयक, 1996 की मुख्य बात नियोजकों से निर्माण लागत के 1 प्रतिशत से अनधिक राशि के रूप में उपकर लेना और एकत्र करना है और संसद के कानून के अन्तर्गत उचित विनियोग के पश्चात राज्य स्तर पर गठित किए गए कल्याण बोर्डों को देना है।

श्रीमन, यह प्रस्ताव भवन निर्माण और भवन कर्मकारों के विशेष प्रकार के कार्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किये गये हैं। इनके कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को पर्याप्त लचीलापन देने की बात को 18.5.95 को श्रम मंत्रियों की समिति ने श्रम मंत्री के साथ हुई बैठक में आवश्यक समझा था।

श्रीमन, माननीय साथियों द्वारा उठाये गये मुद्दों के बारे में कि हम चुनाव से डरते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। मैं यहां पर 1977 में निरन्तर हूं। मेरा एक ही निर्वाचन क्षेत्र रहा है।

सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिये कार्य करने के प्रति प्रतिबद्ध है। मैं नहीं जानता कि श्रमिकों के तथाकथित पक्षधर जो यहां पर हैं, इस विधेयक का क्यों विरोध कर रहे हैं। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह सांविधिक संकल्प वापिस लें। मैं विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह जी क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :-

> "कि भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के नियोजन और सेवा की शर्तों का विनियमन और उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण अनुपायों तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये। जिसमें 15 सदस्य हों, इस सभा से 10 सदस्य, अर्थात्-
>
> (1) श्री बासुदेव आचार्य
>
> (2) श्री चित्त बसु
>
> (3) श्री सुनील खान

(4) श्री एम. अरूणाचलम

(5) श्री सनत मंडल

(6) श्रीमती गीता मुखर्जी

(7) श्री हाराधन राय

(8) श्री तरित वरण तोपदार

(9) श्री महबूब जदेही

(10) श्री हन्नान मोल्लाह

और राज्य सभा से पांच सदस्य हों;

कि समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त संयुक्त समति के सदस्यों की समस्त सदस्य संख्या का एक तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के बारे में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष नियत करें, और कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पांच सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण बिल पर इस सदन में मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसका विरोध नहीं है, लेकिन हमारा आरोप यह है कि यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है। इसमें बहुत कमियां हैं, बहुत सी बातें छूट गई हैं। यदि अंग्रेजी में "हाफ हार्टेड अप्रोय" कहें तो गलत नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज समाज और देश के विकास के लिए बड़े-बड़े अस्पतालों की जरूरत पड़ती है, बड़े-बड़े रेलवे स्टेशंस बने हैं उनकी जरूरत होती है, सीमेंट, कंक्रीट व डामर की सड़कें बनी हैं, बड़े-बड़े उद्योग बनेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। यह जो भी विकास हुआ है उसके पीछे यदि महत्वपूर्ण घटक है तो वह है कंस्ट्रक्शन और उसमें काम करने वाले मजदूर। हमारे राष्ट्र की जो प्रगति हुई है उसमें इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, इसको भुलाया नहीं जा सकता।

हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था तो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराया था, उनका एक सपना था कि हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, उसमें कोई गरीब न हो, सभी खुशहाल हों। लेकिन इतने वर्षों में क्या हुआ? जो गरीब हैं वे गरीब बनते गए और जो पैसे वाले हैं वे और पैसे वाले बनते गए। हमारे देश के जो 100 सवोच्च उद्योगपति हैं उनकी यदि आप लिस्ट बनाएं और देखें कि 1947 में उनकी पूंजी कितनी थी और आज उनकी पूंजी कितनी हो गई हैं आप हिसाब लगा लें, उन औद्योगिक घरानों की पूंजी एक हजार गुना बढ़ गई है। समाजवाद कहां गया? समाजवाद की धज्जियां उड़ गई और उसके लिए हम लोग ही दोषी हैं। हमने गरीब की बातें की हैं, गरीब के विषय में इस सदन में खूब चर्चा हुई है और इस सदन के बाहर भी गरीब को न्याय दिलाने की बहुत बातें हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी इस देश में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। हम आत्मपरीक्षण करें कि इसके लिए कौन दोषी है। मैं कहूंगा कि उसके लिए दोषी हम ही हैं।

यह जो बिल सरकार की तरफ से प्रस्तुत हुआ इसमें माननीय मंत्री महोदय ने गलत ही समझा है। हमारे साथी भार्गव जी ने विरोध के नाम पर विरोध नहीं किया है। उन्होंने बहुत सुझाव दिए हैं। इसमें बहुत सी खामियां हैं। यदि वे खामियां दूर करके उसको लाएं तो गरीब मजदूर का भला होगा। उस भले के साथ में हम भी मदद करेंगे, हम समर्थन करेंगे, अभिनन्दन करेंगे। लेकिन इस परिस्थिति में यह बिल 'एज इट इज' स्वागत योग्य नहीं है, इसलिए हम इसका अभिनन्दन नहीं कर सकते। इसमें बहुत सी खामियां हैं। जब आप घटक मजदूर की हालत सुधारने की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जो सारे मजदूर हैं उन सभी की हालत सुधारने की बात करनी चाहिए। जहां तक संख्या का सवाल है, जो भी यूनिट एस्टेबलिश होगी उसमें 50 आदमी काम करेंगे तभी वह यूनिट इस कानून के तहत आएगी। यदि मैं 49 आदमियों से काम चलाता हूं तो मैं कानून से बच जाता हूं। यदि मेरे पास 49 आदमी काम करते हैं तो उनको इस बिल के माध्यम से कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि आप इस 50 की संख्या को घटाकर 10 कर दीजिए। मेरे ख्याल से अगर आप 10 मजदूर कर देते हैं तो आपको मॉनिटरिंग करने में दिक्कत होती है। इसीलिए आपने 50 का आंकडा दिया है। आप इस आंकड़े को घटाइए।

महोदय, फैक्टरी एक्ट में जहां पर 10 मजदूर भी एम्पलाय होते हैं वहां भी यह कानून लागू होना है। इस कानून को 50 पर ही लागू करना उचित नहीं है। जहां 10 मजदूर काम करते हैं, उसको भी इस कानून में लाइए तभी आप मजदूरों का ज्यादा से ज्यादा फायदा कर सकते हैं।

महोदय, आपने कानून बनाने की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों के ऊपर डाल दी है और कोई टाइम-फ्रेम नहीं बनाया है कि तीन महीने के अंदर-अंदर या किसी निश्चित समय के अंदर आपको इसके बारे में कानून बनाना पड़ेगा। इस तरह की इसमें कोई भाषा कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर इस संबंध में सभी सरकारें कानून बनाएं, इस बारे में आपने कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है। बिहार में तो रावण राम राज्य चल रहा है, अर्थात् वहां पर कोई कानून ही नहीं है। राज्य सरकरों के लिए भी एक समय-सीमा निश्चित हो जाती, तो अच्छा रहता।

सभापति महोदय, अभी क्या हो रहा है, सेल्स टैक्स के कायदे अलग-अलग हैं। कोई अपनी मरजी से आता है दो प्रतिशत लेता है,

कोई 10 प्रतिशत लेता है और कोई राज्य लेता ही नहीं है। किसी ने फ्री कर दिया है। मेरा नम्र निवेदन है कि आप अपनी जिम्मेदारी से मत बचिए। फूल-प्रूफ रूल बनाकर आप सरकारों को दीजिए कि ये माडल रूल हैं और यह आपके ऊपर आब्लीगेटरी नहीं, मैंडेटरी हैं। इस संबंध में आप भी इन माडल नियमों के अनुसार नियम बनाएं। इस बारे में नियम होने चाहिए, स्टीपुलेटेड टाइम होना चाहिए, चूंकि यह आपने नहीं किया है। इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं।

सभापति महोदय, इसमें डैफिनेशन बना दी कि एस्टाब्लिशमेंट की बजाय कांट्रेक्टर जिम्मेदार है। मेरा कहना है कि आप दोनों को जिम्मेदार बनाइए। अकेले कांट्रेक्टर को जिम्मेदार नहीं बनाएं। कांट्रेक्टर और एस्टाब्लिशमेंट, दोनों की जिम्मेदारी हो, तब जाकर मजदूरों का फायदा होगा। एम्प्लायर और कांट्रेक्टर, दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, खाली कांट्रेक्टर की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए।

आपने इसमें यह भी रखा है कि जो मकान अपने खुद के रहने के लिए बना रहा होगा, उसके ऊपर ये निमय लागू नहीं होंगे या वह इस नियम के परव्यू में नहीं आएगा। आपको तो मालूम है कि गांवों में लाख, डेढ़ लाख में मकान बनाते हैं, पांच-सात मजदूर लोग मिलकर 8-10 महीने में मकान बना पाते हैं, ऐसा मकान तो इसके परव्यू से बाहर रखा जाए, तो समझ में आता है, लेकिन यहां तो आप देख रहे हैं कि करोड़ों की लागत से मकान बनते हैं और सालों तक सैकड़ों की संख्या में मजदूर लगे रहते हैं। अब तो एक नव रिचमेन का नया वर्ग आ गया है। आपने कानून में जो यह प्रावधान किया है, उसका सहारा लेकर ठेकेदार यह कह सकता है कि यह मकान तो मैं अपने रहने के लिए बना रहा हूं। आप तो महोदय जानते हैं कि पांच-पांच और दस-दस करोड़ रुपया लगाकर लोग अपने मकान बनाते हैं और 100-200 मजदूर महीनों तक का करते रहते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इसके लिए भी कुछ धन की सीमा निश्चित कीजिए की यदि 10 लाख रुपए से ऊपर मकान बनेगा, तो उस पर यह नियम लागू होगा। 10 लाख रुपए की लागत का मकान इस कानून के परव्यू में आएगा, इस प्रकार का प्रावधान इसमें किया जाना चाहिए। इसलिए महोदय, मेरा बार-बार कहना यह है कि इसमें बहुत लूपहोल हैं।

सभापति महोदय, इसमें कंपेन्सेशन की बात भी स्पष्ट नहीं है। यदि कोई मजदूर काम पर मर जाए, तो उसका कंपन्सेशन आब्लीगेट्री है। मेरा कहना है कि यह कंपन्सेशन देने की बात ठेकेदार पर नहीं छोड़नी चाहिए। यह जो आप वैलफेयर बोर्ड बना रहे हैं, यह उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह तुरन्त पेमेंट कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजदूर मर गया, उसके घर वाले बरसों तक कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाते रहें और उनको कोई राहत नहीं मिले। ऐसा होना चाहिए कि मजदूर यदि मर जाए, तो उसके परिवार वालों को एक सप्ताह के अंदर पैसा मिल जाए, ऐसा कानून बनाइए। जो एक्सप्लायटर है, जो मजदूरों का शोषण करते हैं, हम उनके ऊपर इस कंपैन्सेशन की बात को कैसे छोड़ सकते हैं। उनके ऊपर हम इसको नहीं छोड़ सकते।

सभापति महोदय, अब आपने मजदूरों के वैलफेयर के लिए कानून बना दिया कि जहां मजदूर रहते हैं, वहां उनको मकान बनाकर देना होगा।

यह कानून है। मकान कैसे देना होगा? मकान तो चार फट्टे का बन रहा है, जिसमें धूप, आंधी, गरमी और पानी से कोई बचाव नहीं है। इसकी डेफीनेशन कहां है? 40-50 हजार रुपये में अच्छा पोर्टेबल मकान भी आ सकता है। कान्ट्रैक्टर्स अच्छा मकान बनायें। लीट्रिन्स वगैरह की क्या स्पेसीफिकेशन है? नहाने-धोने की जगह की क्या स्पेसीफिकेशन है? इसकी स्पेसीफिकेशन होना चाहिए। मैं यहां पर यह आग्रह करूंगा कि कम से कम लागत का सस्ता मकान हो और उससे नीचे के स्तर का मकान गरीबों के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसे एक मकान का मॉडल बनाइए नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है। हम जबरदस्ती की टीका-टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ चार बांस और चार फट्टे लगाकर मकान बना दें जिसकी न आंधी से रक्षा होती है और न धूप से रक्षा होती है। आजकल हम देख रहे हैं कि कान्ट्रैक्टर्स हजारों की संख्या में मकान बना देते हैं। वे लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। आपको यहां पर एक मकान के मॉडल का स्पैसीफिकेशन देना चाहिए था कि कम से कम इतने बाई इतने का पक्का मकान होगा जिसमें शीट्स वगैरह रहेगी जिससे गरमी, पानी, धूप और आंधी से रक्षा हो सकेगी। इस तरह का मकान साईट पर बनना चाहिए। ये सब बातें इस बिल में आना बहुत जरूरी है।

जहां तक सेफ्टी का सवाल है, बहुत बड़े-बड़े टावर्स खड़े होते हैं। आजकल तो 20-20 मंजिले मकान होते हैं। डर लगता है कि कहीं हाथ न छूट जाये, आंधी के धक्के में कोई आदमी नीचे न गिर जाये। इसके लिए सेफ्टी नेट का प्रोविजन होना चाहिए। जैसे हम सर्कस में देखते हैं, ऊपर से जो आदमी गिरता है, वह नेट पर गिरता है लेकिन मरता नहीं है। जो ऊंची-ऊंची बिल्डिंग्स बनती हैं, उसमें सेफ्टी नेट कम्पलसरी होना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप कन्कलूड कीजिये।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपकी पार्टी के चार और सदस्य बोलने वाले हैं।

(व्यवधान)

श्री बनवारी लाल पुरोहित : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं सिर्फ दो पाइंट बताकर कन्कलूड करता हूं। ...**(व्यवधान)** अब फंड एक प्रतिशत, दो प्रतिशत जो भी कम्पलसरी होगा कलेक्ट करेंगे। उसके वैल्यूएशन का स्वरूप क्या है? वह भी बताना चाहिए ताकि उसके वैल्यूएशन में गड़बड़ न हो। हमारा पूरा रिजर्वेशन है। इस बात पर मजदूरों के नाम पर मजदूरों के लिए पैसा वसूल किया जा रहा है। जब मजदूरों के लिए पैसा वसूल किया जा रहा है तो इसे

कनसीलीडेटेड फंड में डाल देंगे? आप इसे पचाह हजार करोड़ रुपये में मिला दें, यह ठीक नहीं है। यह मजदूरों का फंड है, इसे बिलकुल अलग रखिये। विनियोजन भी अलग होना चाहिए। आप इसे कन्सीलीडेटेड फंड में मिला दें, यह हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। हमारा पुरजोर विरोध है। आप हमारी बात मानिये। हमने देखा है कि गरीबों के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया है, वह दूसरी जगह चला जाता है। वह मजदूरों के वैल्फेयर में काम नहीं आता। यह हमने एक बार नहीं कई बार देखा है। यह हमारी मांग है और आग्रह है कि इस पूरे पैसे का अलग फंड बनाकर इसे अलग रखिये। इसका अलग हिसाब हो, अलग विनियोजन हो। आप हमें आश्वस्त करें कि आप कैसे करेंगे तभी हम इसका स्वागत करेंगे।

श्री जी. वेंकट स्वामी (पेटापल्ली) : सभापति जी, कंसट्रक्शन वर्कर्स का जो बिल आया है, मैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आज हिन्दुस्तान में यह एक अनओर्गनाईज्ड वर्किंग क्लास है। उनकी किस्मत का फैसला ट्रेड यूनियन ने नहीं किया। यहां श्री जार्ज फर्नान्डीज बैठे हैं, मेरी भी 50 साल की उम्र ट्रेड यूनियन मूवमेंट में गुजरी है, नागार्जुन सागर डैम का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, मैं उसका प्रेजीडेंट था। मैं जानता हूं कि कितने हजार लोगों ने उस डैम को बनाते-बनाते अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज वह बड़ा डैम बनने से कई लाख एकड़ जमीन की काश्त हो रही है। जो आहुति कंसट्रक्शन वर्कर्स ने दी है, उनको कुछ भी पैसा नहीं मिला। वे बनाकर चले गये लेकिन कुछ मुट्ठी भर कांनट्रैक्टर्स ने करोड़ों रुपये का फायदा उठाया।

मैं इसलिए इसका स्वागत करता हूं कि कंसट्रक्शन वर्कर्स बहुत बदनसीब हैं। देश और दुनिया में, जब स्टोन एज आयी तब से ये वर्कर्स पैदा हुए। आप जानते हैं कि आदमी को खाना-कपड़ा और मकान चाहिए लेकिन बदकिस्मती से हमने खाना खिलाने वाले एग्रीकल्चर वर्किंग क्लास के लिए आज तक कुछ नहीं किया। जो वीवर हमको कपड़ा देता है, उसके लिए भी हमने कुछ नहीं किया। जिस पार्लियामेंट में बैठकर हम बिल मूव कर रहे हैं, उसको बनाने वाले भी कंसट्रक्शन वर्कर्स ही हैं। इस देश के बड़े-बड़े डैम्स को बनाने वाला, इस देश के स्वरूप को सुधारने वाला वर्कर आज इस देश में बदतर जिंदगी गुजार रहा है।

हमको ट्रेड यूनियन में काम करते हुए खुद ही शर्म आती है। श्री जार्ज फर्नान्डीज, मिश्रा जी और कई ट्रेड यूनियन लीडर यहां बैठे हुए हैं। हमारा सिर शर्म से झुक जाता है, बिफोर इंडीपेडेंस और आफ्टर इंडीपेंडेंस हमने और्गनाईज्ड वर्किंग क्लास के लिए अपना खून दिया लेकिन 75 प्रतिशत अनऔर्गनाईज्ड वर्किंग क्लास के लिए कुछ नहीं किया। यह हमारे ट्रेड यूनियन मूवमेंट का मजाक है।

1972 में जब मैं डिप्टी मिनिस्टर बना, उस वक्त इंदिरा जी से मैंने बातचीत की थी। आज देश की अनऔर्गनाईज्ड वर्किंग क्लास के लिए हमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लाकर उनको फायदा पहुंचाना चाहिए। आज इंडस्ट्रियल आर्गनाईज्ड वर्किंग क्लास काम पर जाता है तो संडे (हालीडे) से उसका कार्य शुरू होता है। वह कैजुअल लीव, सिक लीव, प्रिविलेज लीव आदि सब हासलि करता है। साल शुरू होते ही उसकी बोनस की डिमांड शुरू हो जाती है। साल बाद ही उसकी इनक्रीज ऑफ वेजेस की डिमांड शुरू हो जाती है। वह ई.एस. आई. में कवर होता है, प्रोवीडेंट फंड में कवर होता है। जब वह रिटायर होकर जाता है तो ग्रेचुटी साथ लेकर जाता है।

मैं इस हाउस के सामने मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जब मैं लेबर मंत्री था तो मैंने खुद इस बिल को इंट्रोड्यूड किया था। यहां यह बिल पैंडिंग था। दो-ढाई साल तक हमारे माननीय सदस्य सुनते रहे लेकिन इस बिल को लाने की कोशिश नहीं की गयी। मैंने कहा कि इसको ऑर्डिनेंस के जरिये लाना चाहिए। मैंने ऑर्डिनेंस के लिए कोशिश की तब ऑडिनेंस का इम्प्लीमैंटेशन शुरू हुआ। मैं उस जमाने में भी यही समझता था कि मैं लेबर मंत्री रहूं ताकि हमारे माननीय सदस्य जो खामियां बता रहे थे, उसको ऑफिशियली एक्सपेडाइट कर सकूं। इस अमैंडमेंट में जो खामिया हैं, ऑफिशियल अमैंडमेंट लाकर उसको कबूल करवाऊं। लेकिन बदकिस्मती से मैं इधर और श्री अरूणाचलम जी उधर हैं, वे लेबर मंत्री हैं और मैं एम.पी. हूं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आज दिल्ली की सड़कों पर जाकर कंसट्रक्शन वर्कर्स की हालत देखें। वे बिलो पावर्टी लाइन में रहकर जिंदगी गुजार रहे हैं। आज बिलो पावर्टी लाइन के लोगों का वेजेस 1100 रुपये है। हम कब तक उनको इस तरह से जिंदगी गुजारते देखेंगे। हम क्या कानून बना रहे हैं? इसमें बहुत सारी खामियां हैं जैसे माननीय सदस्यों ने बताया। मैं लेबर मंत्री श्री अरूणाचलम जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस बिल में जो खामियां हैं, उन्हें दूर करें। वे लोग तब तक तड़पते रहेंगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इस कंस्ट्रक्शन बिल के बाद एग्रीकल्चर वर्किंग क्लास, जो करोड़ों की तादाद में है, का बिल लाने की जरूरत है। इस देश के अंदर आज 75 प्रतिशत पौपुलेशन अनऔर्गनाईज्ड वर्किंग क्लास की है। हमें सोचना चाहिए कि वे कब तक आधी रोटी खाकर, पेट में आग और भूख लेकर तड़पते हुए जिंदगी गुजारेंगे। हम देश को सुंदर बनाने की बात कर रहे हैं।

'सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा', उस हिन्दुस्तान को बनाने वाले के चेहरे को देखो और उसके बाद हमारे इस एक्ट के अन्दर सारी चीजों को देखो। उसके चेहरे पर कम से कम चमक आ जाये, उतना तेज उसको मिले ताकि काम करने के लिए उसकी इच्छा और भी बढ़े। आज रिस्क एलाउंस रखा है? जैसा ऑनरेबल मैम्बर ने बताया कि आज हम 20 नहीं, बल्कि 40 मंजिल तक पहुंच गये हैं। वहां जाकर देखने से भी आपकी क्या हालत होती है, ऑनरेबल मैम्बर भी एक बार वहां जाकर देखें, वहां वह काम करता है। प्रीकाशंस के लिए आपने एक्ट के अन्दर क्या रखा है? उसके लिए ग्रुप इंश्योरेंस करना चाहिए। ग्रुप इंश्योरेंस के साथ-साथ इंडीविजुअल डैथ हो जाये जो आटोमैटिक ही उसमें कवर होना चाहिए और रिस्क लेकर बड़ी इमारत को तैयार करने वाले वर्कर को इन सारी चीजों का प्रिवलेज मिलना चाहिए।

मैं इसलिए जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस यूनियन को 40 साल पहले से अन्दर से जानता हूं कि कितनी तकलीफ में वे काम करते

हैं और कितनी मुश्किल से काम करते हैं। पत्थर को तोड़ने में, पत्थर को ब्लास्ट करने में कई लोगों की जान चली जाती है। काम करते हुए कई लोगों की आंख चली गई, कई लोगों के हाथ टूट गये, लेकिन इस एक्ट के अन्दर कोई उनके लिए सहारा नहीं है, कानून के अनुसार कोई सहारा नहीं है। यह सब लोग मर-मर कर इमारतें तैयार करते हैं, ऐसे कंस्ट्रक्शन अनआर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास के लिए अपने बिल पेश किया है, मैं ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर से एक ही ख्वाहिश करूंगा कि इस बिल के अन्दर आफिशियल एमेंडमेंट मूव करें।

इसके अन्दर खामियां हैं, एक-एक खामी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज आर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जिस तरह से प्रिवलेज हैं, वे इनको भी दिये जाएं।

सैस के बारे में ऑनरेबिल मैम्बर बोल रहे थे कि यह कंजूसी क्यों, एक परसेंट की कंजूसी क्यों, इसको आप दो परसेंट करें। मैं यह भी ऑनरेबिल मैम्बर्स को बताना चाहता हूं, जो हमारे आफिशियल्स ने बताया कि साहब यह 20 साल से चल रहा है, आप अगर इन सारी चीजों को रखें तो सारी मिनिस्ट्री को सर्कुलेट करना पड़ेगा, रेलवे को करना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को करना पड़ेगा, फाइनेंस को करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट्स को करना पड़ेगा, इसमें 20 साल हो जाएंगे। यह सब होगा तो फिर बीस साल लगेंगे, इसलिए आप आफिशियली बिल इंट्रोड्यूस करिए और जो भी एमेंडमेंट ठीक समझते हैं, आप उनको आफिशियली मूव करके पास करा लेना। ठीक है, समझकर किया है, वहीं मैं ऑनरेबल लेबर मिनिस्टर से ख्वाहिश करूंगा कि इसके ऊपर तीन-चार लेबर लीडर्स से चर्चा रखें। आज तो यह पास नहीं होगा, किसी भी तरह से आज हमारे पास टाइम नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कंसल्ट कीजिए और इस बिल के अन्दर कम से कम वह चेंजिज लाइए।

देश आजाद होने के 50 साल बाद, दुनिया पैदा होने के बाद आज वर्किंग क्लास की किस्मत खुल रही है। इंसान जब पैदा हुआ तो पहला इंडस्ट्रियल वर्कर यही कंस्ट्रक्सन वर्कर था। जब से दुनिया पैदा हुई, तब से इंसानियत के सहारे के लिए मकान बनाने के लिए यह वर्कर सब में पीछे हैं। केवल 100-150 साल पहले आये हुए, इंडस्ट्रियल वर्कर की किस्मत आर्गेनाइज्ड वर्किंग क्लास के अन्दर आए, मैं इसको शफे अव्वल पर रखने के लिए आपसे ख्वाहिश करता हूं।

इसमें भूख और प्यास तड़प रही है, इसमें दरिद्री और मुफलिसी तड़प रही है, इसको हमें निकालना है। तभी हम समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्लास, जो बहुत बुरी तरह से आज भी जिंदगी गुजार रही है, उस कंस्ट्रक्शन वर्कर का वेज ज्यादा करना चाहिए। इनके लिए फौरी तौर पर ऑल इंडिया वेज बोर्ड बनना चाहिए। कंस्ट्रक्शन वर्कर 40 माले पर जाकर काम करता है और उसका वेज क्या होता है? आज सौ रुपये से ज्यादा उसका वेज नहीं है। जो मिस्त्री है, जो कारीगर है, उसका वेज सौ रुपये से ज्यादा नहीं है। उसका ऑल इंडिया बेसिस पर वेज फिक्स होना चाहिए। इसके लिए का वेज बोर्ड फौरन कायम होना चाहिए, ताकि सारे हिन्दुस्तान में स्टेट लेवल में, सैण्ट्रल लेवल में और प्रोविंस लेवल में इसका सही मानों में वेज फिक्स हो सके। आज वेज फिक्सेशन की बहुत जरूरत है। जैसे ही बिल पास हो, वेज बोर्ड बनाने की सख्त जरूरत है।

सभापति जी, मैं एक और कंक्रीट सुझाव देना चाहता हूं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लागू होने जा रहा है, उसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह हो सकता है, हम इसमें सुझाव देने को तैयार हैं। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि आज जो पांच करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट चल रहा हो, उसमें काम करने वालों को इसके तहत लेना चाहिए। आज मजदूरों का खून चूसने वाले मुट्ठी भर ठेकेदार होते हैं। उनका समर्थन करने वाले इंस्पेक्टर होते हैं। एक्शन भी इंस्पेक्टर ही लेता है। आप हिन्दुस्तान के हर राज्य में देख लें कि इन इंस्पेक्टर्स के हरेक राज्य में घर हैं। इस प्रकार से इस क्षेत्र में इंस्पेक्टर्स का बोलबाला है। मैं जब लेबर मिनिस्ट्री में डिप्टी मिनिस्टर था तो हमारे यहां एफ.सी.आई. के इंस्पेक्टर्स ने नोटिस दिया कि हम हड़ताल पर जाऐंगे। मैंने मीटिंग बुलाने को कहा, तो चेयरमैन ने कहा कि आप किनकी मीटिंग बुला रहे हैं, ये लोग तो किसानों के पास जाते हैं और किसान इनके पीछे-पीछे घूमते हैं। जो इनको ज्यादा पैसा देता है उसी का माल लेते हैं। इनके तो हर राज्य में मकान हैं और आप ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं। यह बात मुझे 1973 में बताई गई। आई.ए.एस. अधिकारी खाते हैं, इंस्पेक्टर्स खाते हैं, इन सबकी जांच होनी चाहिए। कोई मंत्रालय ऐसा नहीं है जहां इनका बोलबाला न हो। अगर इसको भी इंस्पेक्टर्स के हवाले कर देंगे तो एक तरफ मजदूरों का खून ठेकेदार चूस रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंस्पेक्टर चूसने लगेगा। मेरा सुझाव है कि आप केन्द्र स्तर पर और राज्य स्तर पर बोर्ड बना रहे हैं, उसमें जांच के लिए राजपत्रित अधिकारी को रखें, ताकि वे इन पर निगाह रख सकें।

माननीय सदस्यों का सुझाव था कि इस बिल में बहुत सारे परिवर्तन करने की जरूरत है, यह सही बात है। यह बिल बहुत सालों के बाद और बहुत इंतजार के बाद दिल खोलकर हम लाए हैं। मैं चाहता हूं कि इसको उसी तरह लिया जाए जिस तरह से इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सारी चीजें कवर हैं, इसमें भी होनी चाहिए। जो पूरे साल काम करे उसको आप बोनस दें, प्रोविडेंट फंड दें और पेंशन भी मिलनी चाहिए। अगर एक साल कोई काम करे तो उसको पेंशन के लिए पात्र माना जाना चाहिए। इन बातों को भी इसमें लागू किया जाना चाहिए। इसमें मेनेजमेंट का भी योगदान मिलेगा।

सैस के बारे में भी मैं सुझाव देना चाहता हूं। मैं जब टैक्सटाइल मिनिस्टरी में मंत्री था तो 3 प्रतिशत सैस कटता था। उनके वेलफेयर के लिए मैंने मांग की और 45 करोड़ रुपये दिये गए। जब केन्द्र में जनता दल की सरकार थी तो उसने कृषि मजदूरों और जिलों में काम करने वाले बुनकरों के ऋण माफ किए थे। शहरों के लिए 45 करोड़ रुपया था।

मैंने फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह जी से पूछा था कि यह टैक्सटाइल का सैस का पैसा 300 करोड़ रुपया गरीबों के लिए लिया

गया है, उसमें आपने सिर्फ टैक्सटाइल के लिए 45 करोड़ रुपए ही दिया है। आप और क्यों नहीं देते? वह तो ट्रेजरी में गया। आपने सही बताया है। मैं अपना सुझाव मंत्री जी को देना चाहूंगा कि इसको ट्रेजरी में डालने का मतलब यह है कि सैस का पैसा नसीब में फिर वापस नहीं आएगा। इसको कवर कीजिए। इसको प्रोविडेंट फंड या ई.एस. आई. स्कीम में शामिल कीजिए ताकि उनके पास जो हजारों करोड़ रुपए हैं, वे सेफ रहें और उसी से इसका आपरेशन हो। वर्किंग क्लास के लिए गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या है? आप कांट्रेक्टर्स से एक प्रतिशत ले रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्योंकि गरीब तड़प रहे हैं। वर्किंग क्लास बहुत मुसीबत में है और दूसरी तरफ अगर किसी दिन कांट्रेक्टर ने गुस्से में आकर किसी मजदूर को निकाल दिया तो इस बिल में यह भी होना चाहिए कि अगर किसी को कंस्ट्रक्शन कम्पलीट होने के बाद निकालता है तो कम से कम तीन महीने का रिट्रैचमेंट कम्पनसेशन का प्रावधान इसके अन्दर होना चाहिए। अगर रिट्रैचमेंट कम्पनसेशन का इसके अन्दर प्रावधान नहीं होगा तो वह दूसरे दिन से ही भूखा मरना शुरू हो जाएगा। वह किस तरह से जिएगा? इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि रिट्रैचमेंट का कानून आपके पास मौजूद है तो इसको लागू करें ताकि कांट्रेक्टर ने अगर निकाल भी दिया तो उसको तीन महीने का रिट्रैचमेंट कम्पनसेशन मिल जाए। तीसरी बात, अगर बिल्डिंग या प्रोजेक्ट कम्पलीट हो जाता है तो स्कीम में ग्रेचुएटी का प्रावधान भी नहीं है। वर्कर्स ने क्या किया है? इंडस्ट्रियल वर्कर्स ही सब कुछ हैं, क्या वर्किंग क्लास कुछ नहीं है? क्यों नहीं लाते हैं? लाओ तो ऐसे कानून को दिल खोलकर लाओ वर्ना मत लाओ। हम जो सजेशन्स दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे। अगर वास्तव में हम कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें इसमें कवर होनी बहुत जरूरी हैं। प्रोविडेंट फंड कवर होना चाहिए और पेंशन स्कीम भी कवर होनी चाहिए और साल होते ही बोनस मिलने का प्रावधान भी उसमें शामिल होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का सही मायनों में इम्पलीमेंटेशन होना चाहिए। वेलफेयर स्कीम में जहां कहीं भी मकान बनाने का प्रोजेक्ट होता है, वह हमने इस बिल में रखा है, यह बहुत जरूरी है। ऐसी चीजों का मैं स्वागत करता हूं लेकिन बुनियादी तौर से इकोनॉमिकली किस तरह से मदद कर रहे हैं यह इस बिल में नहीं है। ये सारी चीजें अगर कवर हो जाएं ताकि वर्कर्स को चांस लेने का मौका मिले।

मैं विदेश गया था। मैंने 1959 में आई.एल.ओ. में स्पीच दी थी कि ऑल ओवर दि वर्ल्ड अनऑरगेनाइज्ड वर्किंग क्लास के लिए स्टैप्स लेने चाहिए और किस्मत मैंने 1973 से इस काम को शुरू किया है। उस समय मैं डिप्टी लेबर मिनिस्टर था, आज यह बिल बदशक्ल होकर आया है, इसको पास मत करें। हिन्दुस्तान के स्वरूप को बनाने वाले इस वर्किंग क्लास की सूरत को अगर खुशहाल बनाना है तो इस बिल के अन्दर वे सारी चीजें रखिए जो कि मेहनत करके जो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट बनाते हैं, इनकी सूरत में थोड़ी सी चमक आ जाए।

हमारी पार्लियामेंट में बहुत अच्छा बिल लाया गया है परन्तु उसके इम्पलीमेंटेशन का सवाल है। इम्पलीमेंटेशन के बारे में आपने सेन्टर और स्टेट्स में कुछ बोड्र्स बनाए थे। उन बोड्र्स का राजनीतिकरण मत कीजिए, विशेषज्ञों को रखिए, जानने वालों को रखिए। जो मजदूर पचासों फीट के अन्दर फाउन्डेशन खोदते हैं और कई मजदूर ऐसे हैं जो खोदते-खोदते उसी में दफन हो जाते हैं, खोदने के बाद कई लाशें निकलती हैं, इनके लिए हमने क्या किया है? ये सब प्रैक्टिकल बातें मैं। आपके सामने रख रहा हूं। जिस यूनियन को मैंने लीड किया था जहां नागार्जुन डैम एवं श्रीसैलम तीन लाख मजदूर काम करते थे कैनाल्स में कई लाख मजदूर काम करते थे, उन सबके पर्सनल एक्सपीरिएंस की बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए मंत्री जी, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो बिल है, इसको सलेक्ट कमेटी के पास न भेजिए। मैं जार्ज फर्नान्डीज जी से माफी चाहता हूं कि यदि इस बिल में देरी करनी है तो इसको सलेक्ट कमेटी में भेजिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अभी बिल पास होने से पहले कुछ लोगों की कमेटी बुलाइये।

श्री जी. वेंकट स्वामी : अभी इस बिल के पास होने से पहले कुछ सांसदों से चर्चा की जानी चाहिए कि इस बिल के अन्दर हम उनको क्या-क्या राहत दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे। अब तो समय हो गया है। इसके ऊपर अभी चर्चा और चलेगी। उस बीच में मीटिंग रखिए और हम लोग जो सजेशन्स दे रहे हैं, इनको इसमें शामिल कीजिए।

मैं अन्त में मंत्री जी से सिफारिश करता हूं कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि देश के अन्दर वर्किंग क्लास बहुत ज्यादा है, अनऑरगेनाइज्ड वर्किंग क्लास देश की पोपुलेशन में 75 प्रतिशत है। एक रास्ता यहां से शुरू हुआ है, दूसरा रास्ता यह है कि मैंने एग्रीकल्चर बिल भी तैयार करवाया था। यह बिल भी मंत्री जी लायेंगे, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। करोड़ों व्यक्तियों की है। यदि एग्रीकल्चर वर्कर्स तथा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए हम बिल को लाएंगे तो मैं समझता हूं कि देश के स्वरूप को बनाने वाले हम साबित होंगे इस पार्लियामेंट को भी जिन्होंने बनाया है, उनकी आवाज भी ...**(व्यवधान)**

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : यह पार्लियामेंट का भवन और राष्ट्रपति का भवन जयपुर के कारीगरों द्वारा बनाया गया है। इनका भी अभिनन्द कीजिए।

श्री जी. वेंकट स्वामी : अभी हमारे जार्ज फर्नान्डीज साहब को मालूम है कि बम्बई बना है तो हैदराबाद के वर्किंग क्लास ने ही बनाया है। मैं हिन्दुस्तान के सारे कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्लॉस के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : पार्लियामेंट को भी राजस्थान के कारीगरों द्वारा बनाया गया है और हमें मालूम है कि कहां पर ईंट लगी हुई है और कहां पर पत्थर लगा हुआ है ...**(व्यवधान)**

श्री जी. वेंकट स्वामी : मैं राजस्थान के वर्कर्स की बात को उस तरह से लेता हूं कि जो उन्होंने पार्लियामेंट कवर किया है, आज सारे

देश में ही नहीं पूरी दुनिया के अन्दर वह पोपुलर है। वे वाकई तारीफ करने के काबिल हैं। आज हमारे सामने बहुत ही दर्दनाक बिल है। इसे पार्लियामेंट सैशन में पास मत कीजिए और क्यों नहीं पार्लियामेंट सैशन में इसी बिल के साथ ही साथ एग्रीकल्चर वर्किंग क्लास के बिल को भी लाया जाए। आज देश के अन्दर असंगठित वर्किंग क्लास की जो तड़प है, उसको संसद के राहत देनी चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आठ दिन के अन्दर जो भी सजेशन्स सांसदों की तरफ से दिए गए हैं, इन सजेशन्स के साथ चार-पांच मेंबर की मीटिंग आफिसर्स के साथ बुलाई जाये ताकि ऊपर बताये हुये सजेशन बातचीत द्वारा इस बिल को सुधार कर पास किया जाये।

सभापति महोदय : वाद विवाद कल जारी रहेगा।

अपराह्न 3.59 बजे

इसके पश्चात लोक सभा अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत होने के लिये स्थगित हुई।

अपराह्न 5.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सामान्य बजट, 1996-97

अध्यक्ष महोदय : मद संख्या 24, बजट, वित्त मंत्री

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय,

मैं वर्ष 1996-97 का नियमित बजट प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं।

असामान्य रूप से शान्तिपूर्ण आम चुनाव ने असामान्य रूप से एक मिश्रित शासनादेश दिया है। इस शासनादेश के प्रति निष्ठावान होना ही प्रत्येक राजनीतिक दल का कर्त्तव्य था। तदनुसार, विभिन्न स्वरूपों एवं भिन्न-भिन्न विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों ने मिलकर इस सरकार को बनाया है। उनमें से अधिकतर दल क्षेत्रीय दल हैं हालांकि उनका एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। भारत के धर्मनिरपेक्ष विरासत को बनाए रखने और अपेक्षाकृत तीव्र आर्थिक संवृद्धि और त्वरित सामाजिक न्याय के प्रति वचनबद्ध प्रतिनिधिमूलक सरकार देने के संकल्प ने ही हमें एकजुट किया है।

संयुक्त मोर्चा एक मिला-जुला संघ है। कार्यभार संभालने के पहले, इस मिले-जुले संघ के साझीदारों ने "प्रमुख नीतिगत विषयों और एक न्यूनतम कार्यक्रम के प्रति साझा दृष्टिकोण" नामक एक दस्तावेज को अन्तिम रूप दिया जिसे सामान्यतया "साझा न्यूनतम कार्यक्रम" कहा जाता है। इस ऐतिहासिक दस्तावेज को हमारे प्रधानमंत्री, श्री देवगौड़ा ने 4 जून, 1996 को राष्ट्र के नाम जारी किया। जब मैंने इस "साझा न्यूनतम कार्यक्रम" पर काम शुरू किया तब मैं मन्त्री भी नहीं था। जब हमने अपना यह काम पूरा कर लिया तब मैंने स्वयं को वित्त मंत्री के पद पर पाया। इसलिए "साझा न्यूनतम कार्यक्रम" के प्रति मेरी वचनबद्धता इस पद से भी कहीं अधिक है। माननीय सदस्यों को इस अपराहन बेला में मेरी वचनबद्धता को परखने के बहुत से अवसर मिलेंगे और उन्हें यह पता चलेगा कि "साझा न्यूनतम कार्यक्रम" ने इस बजट को मूल आधार प्रदान किया है तथा इसकी कार्यसूची का निर्धारण किया है।

अद्यतन आर्थिक समीक्षा, 1995-96 को, गत शुक्रवार को सदन के पटल पर रखा गया था। यह 21 पृष्ठों से अनधिक का एक छोटा-सा दस्तावेज है और मुझे आशा है कि यह सप्ताहान्त के लिए एक अच्छी पाठ्य सामग्री का काम करेगा। हमारा यह निष्कर्ष है कि आर्थिक संकेतक उच्च संवृद्धि को दर्शाते हैं लेकिन कमजोरी के महत्वपूर्ण क्षेत्र मौजूद हैं। अद्यतन आर्थिक समीक्षा ने इन क्षेत्रों की शिनाख्त राजकोषीय घाटे, धीमी कृषि संवृद्धि, अपर्याप्त आधारभूत संरचना, उच्च ब्याज दरों और व्यापार घाटे के रूप में की है। सबसे अधिक चिंता की बात वर्ष 1995-96 में कृषि फसल उत्पादन की वृद्धि में 0.9 प्रतिशत तक गिरावट आना है। इस अद्यतन समीक्षा ने राजकोषीय चुनौतियों, आधारभूत संरचना की चुनौतियों और रोजगार तथा निर्धनता उन्मूलन को भी मुख्य मुद्दों के रूप में सूचीबद्ध किया है, जिनपर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम ने घोषणा की है कि सरकार उन आर्थिक नीतियों का अनुसरण करेगी जो सामाजिक न्याय के साथ विकास को बढ़ावा देंगी तथा अधिक आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर करेंगी। हमारे लिए न तो रोजगारविहीन विकास का और न ही उस विकास का कोई उपयोग है जिससे हमारी जनसंख्या का बड़ा भाग अछूता रहता है। हम कृषि और उद्योग पर से नियंत्रण और विनियम हटा देंगे। हम अधिक विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने और अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मुक्त और प्रतिस्पर्धी बनाए रखेंगे। हम अपनी एक प्रणाली में सुधार करेंगे। हम भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) जैसे स्वतंत्र विनियामकों को मजबूत बनाते हुए भी वित्तीय और पूंजी बाजारों के सुधार को विस्तृत और गहन बनाएंगे। इससे भी अधिक, हम राजकोषीय और मौद्रिक विवेक, जो निम्न मुद्रास्फीति और तीव्र विकास की कुंजी हैं, का अनुपालन करेंगे।

इसलिए इस बजट के सात मुख्य उद्देश्य हैं:

* आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के पथ पर निरन्तर अग्रसर होना जिसका लक्ष्य आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाना है।
* गरीबों की चिन्ताओं पर ध्यान देना तथा उन्हें समयबद्ध तरीके से न्यूनतम बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराना।

* अधिक रोजगार की उपलब्धि के लिए कृषि, उद्योग तथा सेवाओं में विकास को सुनिश्चित करना तथा विस्तृत आधार प्रदान करना।

* राजकोषीय दूरदर्शिता तथा वृहत आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना।

* विशेषकर आधारभूत क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना।

* मानव विकास का संवर्धन करने के लिए प्रमुख मध्यवर्तियों को सुदृढ़ बनाना।

* अच्छे निर्यात निष्पादन और अधिक विदेशी निवेश प्रवाहों के जरिए भुगतान संतुलन को व्यवहार्य बनाना।

अब मैं अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों का उल्लेख करूंगा तथा अपने नीति संबंधी उपायों के बारे में बताऊंगा ताकि उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके जिन्हें मैंने अभी-अभी निर्दिष्ट किया है।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम व्यापक आधार वाले कृषि विकास पर बल देता है और इसका उद्देश्य कृषि तथा कृषि-उद्योगों विशेषकर लघु और सीमान्त कृषकों को मिलने वाले ऋण के प्रवाह को पांच वर्षों के अन्दर दुगुना करना है। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमने कई घटकों वाली एक एकीकृत योजना तैयार की है।

प्रथम, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी 500 करोड़ रूपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में 2000 करोड़ रुपए कर दी जाएगी। चालू वर्ष में नाबार्ड की प्रदत्त शेयर पूंजी दुगुना करने 1000 करोड़ रूपए करने का मेरा प्रस्ताव है। भारत सरकार के हिस्से के लिए 100 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है और शेष 400 करोड़ रूपए का अंशदान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

दूसरे, ग्रामीण आधारभूत विकास निधि (आई.आई.डी.एफ.) में, जिसका संचालन नाबार्ड द्वारा किया जाता है और जिसका वित्तपोषण उधार देने के लक्ष्यों की अपनी प्राथमिकता को पूरा कर पाने वाले वाणिज्यिक बैंकों के अंशदान से किया जाता है, पर्याप्त वृद्धि की जाएगी। ग्रामीण आधारभूत विकास निधि राज्य सरकारों को मध्यम एवं लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण तथा जल-संभरण प्रबंध जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान, करता है। 1995-96 के दौरान, नाबार्ड ने 2,489 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 19 राज्यों को कुल 1984 करोड़ रूपए के ऋण स्वीकृत किए। चालू वित्त वर्ष के दौरान, ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत संरचना के वित्तपोषण के लिए 2,500 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रामीण आधारभूत विकास निधि के अतिरिक्त, मैं एक त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम का प्रस्ताव कर रहा हूं जिसके अन्तर्गत केन्द्र समतुल्य आधार पर चुनींदा बड़ी सिंचाई और बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए राज्यों को ऋणों के तौर पर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मैं इस योजना को शुरू करने के लिए 1996-97 में 800 करोड़ रूपए का आवंटन कर रहा हूं जिसे उन सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए तैयार किया गया है जहां परियोजना लागत 1000 करोड़ रूपए से अधिक हो और जो राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हो। मैं चालू वित्त वर्ष में उन सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी 100 करोड़ रूपए आवंटित कर रहा हूं जहां मात्र थोड़े ही अतिरिक्त संसाधनों से परियोजनाओं को पूरा किया जा सकता हो और किसानों को सुनिश्चित जलापूर्ति का लाभ मिल सकता हो। इन योजनाओं के जरिए 100,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जाएगा और मुझे यह आश्वासन दिया गया है कि इन भूमियों पर अगले चार कृषि मौसमों में से एक मौसम के दौरान ही पहली फसल काटी जाएगी। बड़ी परियोजनाओं और 100,000 हेक्टेयर भूमि को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा योजना आयोग द्वारा अगले कुछ दिनों में घोषित किया जाएगा। इस कार्यक्रम पर कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

चौथे, वाणिज्यिक या उच्च प्रौद्योगिकी कृषि तथा बागवानी, पुष्प कृषि तथा कृषि-संसाधन जैसी संबद्ध गतिविधियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, राज्य स्तरीय कृषि विकास वित्त संस्थाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है। नाबार्ड उसका मुख्य प्रवर्तक होगा। राष्ट्रीय स्तर की अन्य वित्तीय संस्थाओं और संबंधित राज्य सरकारों से इक्विटी में भागीदारी करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

पांचवें, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ यह सहमति हो गई है कि दो-तीन निकटस्थ जिलों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले नए निजी स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना को बढ़ावा दिया जाए। इससे स्थानीय संस्थाएं ग्रामीण बचतों को जुटा सकेंगी और इसके साथ ही उन्हें उसी स्थानीय क्षेत्रों में निवेश के लिए उपलब्ध करा सकेंगी।

अंततः हमने अनेकों ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचेगा। दो सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री ने फॉस्फेटी और पोटाशी उर्वरकों के लिए आर्थक सहायता की घोषणा की थी। सरकार ने एकीकृत अनाज विकास-चावल कार्यक्रम के अंतर्गत पावर टिलरों को 30,000 रूपए अथवा प्रत्येक पावर टिलर की लागत के 50 प्रतिशत की दर पर आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। छोटे ट्रैक्टरों के संबंध में प्रति ट्रैक्टर 30,000 रूपए की दर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता संबंधी स्कीम अभी केवल छोटे और सीमांत किसानों तक ही सीमित है। मैं यह स्कीम अभी किसानों के लिए लागू कर रहा हूं। मैं छिड़काव-यंत्रों और ड्रिप सिंचाई संबंधी आर्थिक सहायता की दर को उस प्रणाली की लागत के 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर रहा हूं और उसकी उच्चतम सीमा 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रति हेक्टेयर की जा रही है। छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में यह सीमा बढ़ाकर प्रणाली की लागत के 90 प्रतिशत तक की जा रही है।

बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाना प्रधानमंत्री श्री देव गौड़ा का सर्वप्रथम कार्य था। इससे

राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक संघवाद के सिद्धान्तों को आगे बढ़ाने के संयुक्त मोर्चे के संकल्प का पता चलता है। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने वर्ष 2000 तक प्राप्त किए जाने वाले सात उद्देश्यों को स्वीकार करने की सिफारिश की। ये उद्देश्य हैं: सुरक्षित पेयजल की शत-प्रतिशत व्यवस्था; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की शत-प्रतिशत उपलब्धता, प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना; सभी निराश्रित गरीब परिवारों को सरकारी आवास सहायता; मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार; सभी गांवों और बस्तियों को सड़क मार्ग से जोड़ना; और गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल और कारगर बनाना।

इन उद्देश्यों को अब केन्द्र-प्रायोजित स्कीमों और राज्य आयोजनाओं की स्कीमों द्वारा पूरा किया जा रहा है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनाओं के लिए 2466 करोड़ रूपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रहा हूं ताकि इन स्कीमों के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध हो सके। हमारा इरादा है कि इस राशि में से गंदी-बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आश्रय-स्थल तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रूपए का आवंटन किया जा सके। सात स्कीमों और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच इस बढ़ी हुई आवंटन राशि का निर्धारण उनके साथ परामर्श करके योजना आयोग द्वारा किया जाएगा।

अद्यतन आर्थिक समीक्षा में आधारभूत मोर्चे पर मिलने वाली व्यापक चुनौती पर प्रकाश डाला गया है। हमारी आधारभूत संरचना-विशेषकर विद्युत और सड़कों की स्थिति बड़ी शोचनीय है। हम उस समय तक 7 प्रतिशत की संवृद्धि कायम नहीं रख सकते हैं जब तक कि हम इन आधारभूत क्षेत्रों को पुनः सुदृढ़ न बना लें। दूर-संचार, रेलवे तथा पत्तनों के लिए भी बहुत अधिक निधियों की जरूरत है।

आधारभूत संरचना के लिए दीर्घावधिक वित्त, विशेष रूप से 15-20 वर्षीय वित्तीय साधनों, की आवश्यकता होती है जोकि अब तक भारतीय बाजार में भी स्वीकार्य नहीं है। अतः मैं एक आधारभूत संरचना विकास वित्त कंपनी (आई.डी.एफ.सी.) की स्थापना का प्रस्ताव कर रहा हूं। इस कंपनी को 5,000 करोड़ रूपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी सहित सम्मिलित किया जाएगा। केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, और वित्तीय संस्थाएं शेयर पूंजी में अंशदान करेंगे। मैं केन्द्र सरकार के अंशदान के रूप में चालू वित्त वर्ष में 500 करोड़ रूपए का बजटीय प्रावधान कर रहा हूं। शेयर पूंजी में भारतीय रिजर्व बैंक का प्रारंभिक अंशदान भी 500 करोड़ रूपए का होगा। अन्य बातों के साथ-साथ आई.डी.एफ.सी. एक प्रत्यक्ष ऋणदाता, पुनः वित्तपोषण संस्था और वित्तीय गारंटीदाता के रूप में भी कार्य करेगा। मुझे विश्वास है कि आई.डी.एफ.सी. निम्नतम संभव बाजार दरों पर दीर्घावधिक निधियां उपलब्ध कराने के लिए भारतीय और विदेशी दोनों निवेशकों को प्रेरित करेगा।

मैं आधारभूत संरचना संबंधी निवेश के लिए कुछ कर प्रोत्साहन का प्रस्ताव भी कर रहा हूं, जिनकी रूपरेखा मैं बाद में प्रस्तुत करूंगा।

माननीय सदस्यगणों को जानकारी है कि केन्द्र सरकार पहले ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कर चुकी है। हमें बहुत शीघ्र ही एक विश्व-स्तर की राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की आवश्यकता है। मैंने भारतीय राष्ट्रय राजमार्ग प्राधिकरण के पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए 200 करोड़ रूपए की राशि प्रदान करने का निर्णय किया है। प्राधिकरण अब भारत के भीतर और विदेशों दोनों से राजमार्ग विकास के लिए संसाधन प्राप्त करने की स्थिति में होगा।

उद्यमी-चालित लघु क्षेत्र हमारे उद्योग का मेरुदण्ड है। मैं इस क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्णरूपेण वचनबद्ध हूं। निम्नलिखित कुछ उपाय तत्काल शुरू किए जाएंगे।

* पहला भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास उसकी प्रौद्योगिक विकास और आधुनिकीकरण निधि योजना में लगभग 175 करोड़ की अप्रयुक्त संचित निधि है। मैं अब यह प्रस्ताव कर रहा हूं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 50 लाख रूपए तक की आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए राज्य वित्त निगमों (एस.एफ.सी.) और वाणिज्यिक बैंकों का पुनर्वित्तपोषण करना चाहिए। यह राज्य वित्त निगमों और बैंकों से आधुनिकीकरण निधियां मांगने वाली लघु इकाइयों के लाभ के लिए निर्णय करने के कार्य को विकेन्द्रीकृत करेगा।
* दूसरा, 50 लाख रूपए तक के मिले-जुले ऋणों के लिए राज्य वित्त निगमों आदि की एक ही स्थान पर उपलब्धि की स्कीम (सिंगल विन्डो स्कीम) के लिए अब पुनर्वित्त प्रदान किया जाता है। मैं इस उच्चतम सीमा को दुगुना करके 100 लाख रूपए कर रहा हूं।
* तीसरा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं तथा साथ ही निजी कंपनियों द्वारा स्थापित उद्यम पूंजी निधियों में निधि की कुल संचित राशि को 50 प्रतिशत तक की राशि की भागीदारी करेगा बशर्ते की ऐसी निधि लघु उद्योगों के वित्तपोषण हेतु समर्पित हो।
* चौथा, बड़ी संख्या में लघु इकाइयों को आई.एस.ओ. 9000 गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, ऋणदाता संस्थाओं को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की ऋण देने की प्रत्यक्ष स्कीम के समान शर्तों पर अंतिम उधारकर्ताओं को ऋण देने के योग्य बनाया जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक उन ऋणदाता संस्थाओं को पुनर्वित सहायता प्रदान करेगा।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी आर्थिक प्रगति और समृद्धि की कुंजी है। भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्यागिकीविदों ने, विशेषकर कृषि, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की हमारी आधारभूत संरचना में व्यापक नवीकरण की आवश्यकता है।

मैं, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई. आर.) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) की प्रयोगशालाओं और संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिए एकमुश्त मैचिंग अनुदान प्रदान कर रहा हूं। मैं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आगामी दो वर्षों में वृद्धिकारी रूप में अर्जित किए जाने वाले प्रत्येक वाणिज्यिक रूपए को बजट के दूसरे रूपए से प्रतिसंतुलित करूंगा।

मैं प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग निधि, जिसका सृजन देशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों को वाणिज्यिक अनुप्रयोग के चरण तक पहुंचाने में सहायता करने के लिए वर्ष 1994-95 में किया था, को सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव करता हूं। अन्तरिम बजट में इसे 10 करोड़ रूपए प्रदान किए गए थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति इस सरकार की वचनबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए मैं तत्काल 30 करोड़ रूपए उपलब्ध करा रहा हूं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शीघ्र ही प्रौद्योगिक विकास बोर्ड की स्थापना की घोषणा करेगा।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम में यह उल्लेख किया गया है कि मूल्य स्थिरता तथा गरीबों को अत्यावश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाएगा। इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है जहां इसकी अत्यधिक आवश्यकता महसूस की जाती है, वहीं से इसकी शुरूआत करनी है। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी। पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं और उचित समय पर उनकी घोषणा कर दी जाएगी।

पांचवें वेतन आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1996 के अंत तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। अनुमानित व्यय की पूर्ति के लिए इस बजट तथा साथ ही रेलवे बजट में निधियों का प्रावधान किया गया। इस बीच मैं इस बात से प्रसन्न हूं कि अंतरिम राहत की एक और किस्त देने के प्रश्न को संतोषजनक ढंग से हल कर लिया गया है।

प्रधान मंत्री जी ने बार-बार घोषणा की है कि यह सरकार गरीबों की सरकार है तथा गरीबों के लिए है। सामाजिक न्याय के साथ संवृद्धि इस सरकार का आदर्श-वाक्य होगा। जब तक देश का सकल घरेलू उत्पाद अगले 10 वर्षों में बढ़कर प्रति वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक नहीं हो जाता, तब तक हम देश की गरीबी और बेरोजगारी को दूर नहीं कर सकेंगे। तथापि, असुरक्षित वर्ग के लोगों का पता लगाने तथा उनकी सहायता करने की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री जी ने कुछ लक्ष्य समूहों का पता लगाया है जिनकी सहायता करने की जरूरत है और मैं इनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए कतिपय नए उपायों का प्रस्ताव कर रहा हूं। इन उपायों का कार्यान्वयन राज्य सरकारों के जरिए तथा यथासंभव गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से किया जाएगा।

* प्रारम्भिक रूप से मैं वृद्धावस्था गृहों की स्थापना में सहायता प्रदान करने के लिए 5 करोड़ रूपए की राशि अलग से निर्धारित कर रहा हूं तथा निर्धन बच्चों, वे चाहे किसी भी जाति या धर्म के हों, के लिए आवासीय प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि प्रदान कर रहा हूं। हमारा इरादा है कि ये दोनों कार्यक्रम गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने चाहिएं। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके इन कार्यक्रमों को संबंधित मंत्रालयों द्वारा तैयार किया जाएगा।

* जिन राज्यों के पास महिला विकास निगम हैं या जो महिला विकास निगम स्थापित करेंगे उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में निराश्रित महिलाओं के लिए प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र या स्कीमें चलाने के लिए 10 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि अलग रखी गई है।

* मैं 5 करोड़ रूपए की प्रारम्भिक सामूहिक निधि से एक राष्ट्रीय रुग्णता सहायता निधि स्थापित कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त, राज्य रुग्णता सहायता निधि, जिसे स्थापित करने के लिए हम राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करेंगे, की सामूहिक निधि में अंशदान के लिए 25 करोड़ रूपए अलग रखा गया है। इन निधियों को दिए गए दान की शत-प्रतिशत राशि आयकर से मुक्त होगी। इन निधियों का इस्तेमाल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारियों के लिए शल्य/चिकित्सा या उपचार हेतु बहुत गरीब व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

* जिन लारी या बस चालकों की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है उनके परिवारों को प्रति परिवार 50,000 रूपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने के लिए 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया जा रहा है। इसे राज्य सरकारों द्वारा भी प्रतिपूर्ति आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा।

* हमारे जो हमाल भाई दिन-रात मेहनत करते हैं उनके आश्रय के लिए आवासीय सुविधाओं के निर्माण हेतु मैं 5 करोड़ रूपए का प्रावधान कर रहा हूं, यह योजना भी राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

सरकार उन राज्यों के लिए वित्तीय सहायता की एक योजना तैयार करने पर विचार करेगी, जो छोटे-छोटे वन उत्पादों के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा वनों में काम करने वाले अन्य कमजोर वर्गों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करते हैं।

हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। संयुक्त मोर्चा सरकार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत से भी नीचे लाने के लिए वचनबद्ध है। यही साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया है और मेरा भी आने वाली समयावधि में यही करने का इरादा है। निस्संदेह, इस नीति का एक भाग अधिक राजस्व जुटाना है। परंतु एक विश्वसनीय सरकारी व्यय प्रबंध नीति के बिना, राजकोषीय घाटे में

कमी करने का कोई कार्यक्रम अविच्छिन्न नहीं रखा जा सकेगा। मुझे विश्वास है कि कोई भी ऐसी आडम्बरहीनता अथवा क्षमता के विरुद्ध नहीं है। जब भी मैं अपनी बातों अथवा कार्यों के लिए किसी आलोचना का सामना करता हूं तो मैं अपनी अन्तरात्मा की आवाज सुनता हूं। वह आवाज मुझे कहती है कि मुझे उन लोगों, जिन्हें सचमुच भय है कि वे व्यर्थ ही प्रभावित होंगे, के लिए अधिक समझ और सहानुभूति प्रदर्शित करनी चाहिए। मैं इस स्थिति को भी स्वीकार करता हूं कि एक सुदृढ़ व्यय प्रबंध मात्र तकनीकी कार्य नहीं है परंतु इसमें समानता, न्यायसंगतता और भेदभाव नहीं करने के मुद्दे भी शामिल हैं। इस संबंध में एक उचित नीति तैयार करने के लिए मेरा एक उच्च-स्तरीय व्यय प्रबंध और सुधार आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव है, जिसमें विशिष्ट राजनीतिक नेता, अर्थशास्त्री और प्रशासक सम्मिलित होंगे। इस आयोग को, जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, सरकारी व्यय प्रबंध और नियंत्रण पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए चार महीने का समय दिया जाएगा और मुझे आशा है कि इसे इससे अधिक समय नहीं देना पड़ेगा। इस रिपोर्ट को तत्काल सर्वसाधारण की जानकारी में ला दिया जाएगा ताकि हम एक ऐसे मुद्दे, जिसका हमारे आर्थिक भविष्य पर महत्वपूर्ण असर होगा, पर एक संसूचित सार्वजनिक बहस करा सकें।

मैं आर्थिक सहायता पर एक चर्चा-पत्र सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इस दस्तावेज में दृश्य और छिपी हुई सभी सहायताओं की सूची रहेगी ताकि सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में आर्थिक सहायताओं के समग्र स्तर और उनके उपयुक्त लक्ष्य-निर्धारण पर एक संसूचित बहस और सर्वसम्मति हो सके।

इस बीच, मेरा इरादा नकदी प्रबंध, बजटीय उच्चतम सीमा के अनुपालन, पोर्टफोलियों समीक्षा और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों से अधिप्राप्ति की पर्याप्तता से संबंधित मामलों पर दृढ़ रहने का है।

माननीय सदस्यगण इस बात से अवगत हैं कि सितम्बर, 1994 में तदर्थ राजकोषीय हुंडियों की प्रणाली को वर्ष 1997-98 तक समाप्त करने के लिए केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। पिछले वर्ष और चालू वर्ष में अभी तक के अनुभवों ने एक वर्ष की सीमा के भीतर से कम अवधि पर रुकने की कठिनाई दर्शाई है। फिर भी, मैं आश्वस्त हूं कि तदर्थ राजकोषीय हुंडियों की प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए। तथापि ऐसा होने से पूर्व हमें एक बेहतर व्यय नियंत्रण कार्यविधि तैयार करने की आवश्यकता है। हमें मुद्रीकरण के सभी रूपों सहित सही बजटीय घाटा सूचित और परिभाषित करने की एक अधिक पारदर्शी विधि की भी आवश्यकता है। मैं आगामी वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय इस संबंध में ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा ताकि मौद्रिक नीति बनाते और कार्यान्वित करते समय भारतीय रिजर्व बैंक को अधिक स्वायत्तता मिल सके।

इसके पूर्व मैंने दीर्घावधिक वित्त व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में बीमा का संदर्भ दिया था। जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम बीमा क्षेत्र में हमारी दो प्रमुख संस्थाएं है। मैं इन्हें सुदृढ़ करने का इरादा रखता हूं। बीमाकर्ता की सुदृढ़ता को उसकी सेवा और उत्पादों की सीमा और गुणवत्ता तथा उन सेवाओं और उत्पादों का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या द्वारा मापा जाता है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मैं मध्यम वर्ग और निर्धनों के लिए लक्षित दो नई सेवाएं प्रदान करने के लिए जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को प्रेरित कर पाया हूं।

जीवन बीमा निगम 'जीवन सुरक्षा' नामक एक नई पेंशन योजना प्रस्तुत करेगा। इस नई योजना का ब्यौरा अलग से घोषित किया जाएगा परंतु यह योजना कैसे कार्य करेगी इसका उदाहरण दिया जा सकता है। एक व्यक्ति, जो इस योजना में 30 वर्ष की आयु से 30 वर्ष की अवधि तक प्रतिमाह मात्र 250 रूपए का भुगतान करके अभिदान करता है, वह 60 वर्ष की आयु से प्रारंभ करके जीवन भर प्रतिमाह 3500 रूपए की पेंशन प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त, वह व्यक्ति सेवानिवृत्ति पर तत्काल पेंशन के संराशिकृत मूल्य का 25 प्रतिशत अर्थात लगभग 1 लाख रूपए की राशि भी प्राप्त करेगा। अगर बीमाकृत व्यक्ति की सेवानिवृत्ति के पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उसके/उसकी पति/पत्नी को जीवन-पर्यन्त पर्याप्त पेंशन अदा की जाएगी। यह योजना काफी अधिक संख्या में लोगों के बीच उनके कार्यकाल की अवधि के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए लम्बे समय से महसूस की जा रही आवश्यकता की पूर्ति करेगी। यह वैयक्तिक-सह-परिवार पेंशन योजना शुरू करने के लिए मैं कुछ राजकोषीय प्रोत्साहनों का प्रस्ताव कर रहा हूं, जिनकी रूपरेखा मैं बाद में दूंगा।

चिकित्सा बीमा एक ऐसा क्षेत्र है, जहां सेवा की गुणवत्ता को अत्यधिक सुधारा जा सकता है। मौजूदा मेडिकेयर योजना के अंतर्गत उपलब्ध अधिकतम कवच 83,000 रूपए है, जिसे आगे विभिन्न संघटकों में खण्डित किया गया है। इस उच्चतम सीमा को एकल कुल सीमा सहित बढ़ाकर 3 लाख रूपए किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, साधारण बीमा निगम हमारे अधिकांश लोगों के लिए उपयुक्त एक नई निम्न मूल्य वाली मेडिकेयर पॉलिसी शुरू करेगा। जीवन, जीवन बीमा निगम के लिए ब्राण्ड नाम है और हम बौद्धिक संपत्ति अधिकार का सम्मान करते हैं। इसलिए हम इस नई योजना को "जन-आरोग्य" नाम दे रहे हैं। यह पॉलिसी केवल 70 रूपए की वार्षिक प्रीमियम सहित प्रतिवर्ष 5,000 रूपए तक का कवच प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, पति, पत्नी और 25 वर्ष से कम आयु वाले दो बच्चों सहित चार व्यक्तियों का परिवार 240 रूपए का वार्षिक प्रीमियम अदा कर सकता है और पूरे परिवार के लिए 20,000 रूपए का कवच प्राप्त कर सकता है। साधारण बीमा निगम इस योजना के ब्यौरे शीघ्र घोषित करेगा।

मैंने जीवन बीमा निगम और साधारण बीमा निगम को अपने कारोबार में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी प्रारंभ करने का सुझाव दिया है। मैंने जीवन बीमा निगम को अद्यतन मृत्यु-दर सरणी के आधार पर प्रीमियम ढ़ांच की समीक्षा करने का भी निदेश दिया है।

जनवरी, 1996 में एक अंतरिम असांविधिक बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। मैं अब इसे एक सांविधिक निकाय बनाने और उचित रूप से शक्ति प्रदान के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूं। जब मैं अगले बजट में बीमा के विषय पर आऊंगा, मैं बीमा उद्योग की पुनर्संरचना के लिए किये जाने वाले उपायों के क्रम सहित साझा न्यूनतम कार्यक्रम में रूपायित कुछ पॉलिसी पैरामीटरों पर चर्चा करूंगा।

बैंकिंग क्षेत्र और पूंजी बाजारों का सुधार आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का अभिन्न अंग रहा है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने लाभप्रदता और पूंजी पर्याप्तता में सुधार दर्शाया है तथा वे उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए भी उपाय कर रहे हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश ने प्रतिस्पर्धा का स्वागत योग्य उपाय शामिल किया है। माननीय सदस्य जानते ही हैं कि पिछले तीन वर्षों में सरकारी बैंकों को पुनः पूंजी प्रदान करने के लिए सरकार ने कुल 11,840 करोड़ रूपए दिए हैं। सदन को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इन बैंकों में से तीन बैंक अब उस पूंजी का कुछ हिस्सा, जो 747 करोड़ रूपए बैठता है, वापस करने की स्थिति में हैं, जो उनके कार्य-निष्पादन में सुधार को दर्शाता है। मैं उन बैंकों को बधाई देता हूं। संसाधनों के इस पुनः प्रवाह से अन्य कुछ सरकारी बैंकों को पुनः पूंजी प्रदान करने में सहायता मिलेगी, जिसके लिए 1996-97 में 909 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा जा रहा है। सरकारी क्षेत्र के कुछ मजबूत बैंक अपने तौर पर पूंजी बाजार से सीधे ही अपने लिए पुनः पूंजी जुटाने की योजना बना रहे है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारतीय स्टेट बैंक आज के पूंजी बाजार में एक महत्वपूर्ण प्रतिभूति-पत्र (स्क्रिप) माना जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और उन्हें पुनः पूंजी प्रदान करने के लिए मैं 1996-97 में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान भी कर रहा हूं।

नए निवेश के लिए धन एकत्रित करने में पूंजी बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि प्रभावशाली विनियमन, अधिक पारदर्शिता और बेहतर व्यापारिक तथा निपटान प्रणालियों के माध्यम से पूंजी बाजारों का अच्छा विकास हो। हमारे मुख्य स्टॉक एक्सचेंजों ने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की शुरूआत कर दी है। केन्द्रीय निक्षेपागार, जिसके इस वर्ष आरंभ हो जाने की संभावना है, पूंजी बाजारों के आधुनिकीकरण की ओर एक और ऐतिहासिक कदम होगा।

विदेशी संस्थात्मक निवेशकों को मार्गनिर्देशित करने वाले मौजूदा विनियम केवल सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति देते हैं। एकल विदेशी संस्थात्मक निवेशक के मामले में 5 प्रतिशत तक की तथा किसी सूचीबद्ध कंपनी के स्टॉक में सभी विदेशी संस्थात्मक निवेशकों के लिए कुल 24 प्रतिशत की एक सीमा है। यह प्रतिवेदन किया गया है कि इन सीमाओं को उदारीकृत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विदेशी संस्थात्मक निवेशक आधारभूत संरचनाओं में निवेश नहीं कर सकते क्योंकि आधारभूत परियोजनाएं नई कंपनियों द्वारा स्थापित की जाती हैं, जिन्हें कुछ समय तक सूचीबद्ध करने की संभावना नहीं होती। इन प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए मेरा प्रस्ताव है कि यह सीमा सकल विदेशी संस्थात्मक निवेशक के मामले में 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी जाए, तथापि, सभी विदेशी संस्थात्मक निवेशकों के मामले में यह कुल सीमा 24 प्रतिशत ही रहेगी। मैं उन्हें असूचीबद्ध कंपनियों में भी इसी प्रकार से निवेश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं जिस प्रकार से उन्हें सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है। 'सेबी' द्वारा पृथक रूप से संशोधित मार्गनिर्देश जारी किए जा रहे हैं।

निगमित और गैर-निगमित कई गैर-बैंकिंग वित्त संस्थाओं के कार्यकलापों के संबंध में समय-समय पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। मैं सदन को यह सूचित करते हुए प्रसन्न हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक से विचार-विमर्श करके हमने सभी प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर विनियामक शक्तियों को और मजबूत करने के लिए इस सदन के समक्ष भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन प्रस्तुत करने का निर्णय किया है।

यह व्यापक रूप से माना जाता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 को विस्तृत रूप से पुनः लिखने की आवश्यकता है। इस संबंध में कुछ कार्य पहले ही किया जा चुका है। मेरा इरादा एक नया प्रारूप बनाने और उसे सर्वसाधारण में चर्चा के लिए तैयार करने हेतु विधि, अर्थशास्त्र और कंपनी कार्य की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों का एक छोटा प्रारूपण दल गठित करना है। मेरी अंतिम निर्धारित तारीख पहली जनवरी, 1997 है।

इस बीच, मैं निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए मौजूदा अधिनियम में कुछ अत्यावश्यक संशोधन लागू करने का प्रस्ताव करता हूं:

* जमाराशियों के मूलधन की वापसी-अदायगी अथवा ब्याज के भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों को इन त्रुटियों को दूर करने तक और अधिक जमाराशियां जुटाने से बहिष्कृत किया जाएगा।
* किसी कंपनी को बंद करने के मामले में उसके कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन की बकाया राशि संबंधी दावों के बारे में 1000/- रुपए की वर्तमान सीमा असंगत रूप से बहुत कम है। इस सीमा को बढ़ाया जाएगा।
* म्युचुअल फंड और उद्यम संबंधी पूंजी फंड को कंपनियों में उनकी धारिताओं के संबंध में मत देने की अनुमति दी जाएगी।
* बिना मत वाले शेयरों की जारी की गई इक्विटी पूंजी के 25 प्रतिशत तक होने की अनुमति दी जाएगी। इससे पूंजी क्षेत्र में एक समान स्तर लाने संबंधी मांग को पूरा करने में दूरगामी सहायता मिलेगी।
* आधारभूत क्षेत्र की कंपनियों को उन शेयरों को जारी करने की अनुमति दी जाएगी जो उनके जारी होने की

तारीख से 20 वर्षों की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रतिदेय हो जाते हैं।

माननीय सदस्य मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे कि ये परिवर्तन अनिवार्य हैं तथा इन्हें लागू किया जाना चाहिए। अगले वर्ष मैं सदन में एक नया कंपनी विधेयक प्रस्तुत करूंगा।

प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए, भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी तक सरल अभिगम्यता प्रदान की जानी चाहिए। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक प्रौद्योगिकी संबंधी आयातों के लिए स्वतः ही अनुमोदन प्रदान करता है बशर्ते कि रॉयल्टी घरेलू बिक्री पर 5 प्रतिशत तथा निर्यात संबंधी बिक्री पर 8 प्रतिशत तक सीमित रखी जाए और एक मुश्त भुगतान 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो। अन्य सभी मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा मामला-दर-मामला अनुमोदन दिए जाने की अपेक्षा होती है। उद्योगों ने यह अभ्यावेदन दिया है कि स्वतः अनुमोदन के लिए 1 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस मांग के प्रत्युत्तर में यह निर्णय लिया गया है कि इस सीमा को बढ़ाकर 2 मिलियन डॉलर (लगभग 7 करोड़ रुपए के बराबर) कर दिया जाए। इस उदारीकरण से प्रौद्योगिकी आयात संबंधी बहुसंख्यक मामलों को सरकार के पास नहीं आना पड़ेगा।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना एक प्रमुख ऋण और पुनर्निर्माण अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। तेजी से होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप, पुनर्निर्माण कार्य संबंधी भार को विभिन्न शेयरधारकों, जिनमें विकासात्मक वित्तीय संस्थान तथा बैंक भी शामिल हैं, द्वारा मिलजुल कर बांटा जा रहा है। इसलिए, मैं भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को एक पूर्णतया सर्व-उद्देशीय विकास वित्त संस्था के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखता हूं, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा। मैं भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को शासित करने वाले अधिनियम में शीघ्र ही आवश्यक परिवर्तन प्रस्तुत करूंगा। मैं भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को सलाह दूंगा कि वह राइटस बिल्डिंग के पास कोई स्थान ढूंढे।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम में किए गए वायदों के अनुसार, सरकार ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पुनर्गठन किया है। विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का गठन भी शीघ्र ही किया जाएगा। ये दोनों संस्थाएं मिलकर प्रति वर्ष कम से कम 10 बिलियन डॉलर की पूंजी आकर्षित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अत्यधिक बढ़ावा देंगी तथा उनका अनुमोदन करेंगी।

विदेशी निवेश संबंधी अनुमोदनों के शीघ्र निपटान तथा इस प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सरकार ने 35 उद्योगों की सूची का विस्तार करने का निर्णय किया है, जो 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के स्वतः अनुमोदन के लिए पात्र हैं। इस विस्तृत सूची की घोषणा मेरे सहयोगी, उद्योग मंत्री द्वारा अलग से की जाएगी। इस समय स्वतः अनुमोदन प्रक्रिया इस अपेक्षा के अधीन है कि विदेशी इक्विटी के मूल्य में पूंजीगत वस्तुओं का कुल आयात भी शामिल होना चाहिए। यह शर्त वर्ष 1991 में आरंभ की गई थी जब पूंजीगत वस्तुओं का आयात, आयात लाइसेंसीकरण प्रणाली के अधीन था। चूंकि वर्ष 1992 से पूंजीगत वस्तुओं पर से आयात लाइसेंसीकरण संबंधी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं इसलिए इस शर्त को भी समाप्त किया जा रहा है।

सरकार ने एक स्वतंत्र टैरिफ आयोग की स्थापना के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी है।

सरकार ने विनिवेश आयोग की स्थापना करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। विनिवेश करने संबंधी कोई भी निर्णय सुस्पष्ट तौर पर लिया एवं कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसे विनिवेश से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आवंटन करने तथा सरकारी उद्यमों को मजबूत करने हेतु निधि सृजित करने के लिए किया जाएगा। इस वर्ष जैसा कि सीएमपी में संकल्पना की गई है। 1996-97 के अंतरिम बजट में विनिवेश के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए का ऋण लिया गया था। मैं उतनी ही राशि का ऋण लेने का प्रस्ताव करता हूं। विनिवेश संबंधी यह कार्य तीन किस्तों, संभवतः सितम्बर, नवम्बर तथा जनवरी/फरवरी में किया जाएगा।

रुग्ण उद्योग कंपनी अधिनियम (एस.आई.सी.ए.) में रुग्णता की परिभाषा बहुत संकुचित है तथा इससे आरम्भिक अथवा सम्भावित रुग्णता का पता नहीं चलता। प्रबंधकगण अपनी वैध जिम्मेवारियों को निपटाने में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के माध्यम का प्रयोग करते रहे हैं। वर्तमान प्रबंध प्रणाली में, कामगार, वित्तीय संस्थान, बैंक तथा सरकार अक्सर घाटे में रहते हैं। मैंने रुग्ण उद्योग कंपनी अधिनियम तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की कार्य प्रणाली का पूर्ण पुनरीक्षण आरम्भ किया है तथा संसद के शीतकाली अधिवेशन में मेरा एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है।

बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के संबंध में मुख्य मंत्री सम्मेलन का मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। केन्द्र राज्य संबंधों तथा संघवाद के राजनीतिक पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री का मुख्य मंत्रियों का एक और सम्मेलन बुलाने का इरादा है। पिछले सम्मेलन में, मुख्य मंत्रियों ने विचार प्रकट किया था कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित बहुत सी स्कीमों को उसी प्रकार जारी रखा जाए तथा उनका वित्तपोषण केन्द्र सरकार द्वारा ही किया जाता रहे। यद्यपि, हम मुख्य मंत्रियों के विचारों का आदर करते हैं, फिर भी हमारी इच्छा है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित, अधिकांश स्कीमों का राज्य सरकारों के नियंत्रण में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस बीच, इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को और अधिक छूट दी जाएगी। अन्य सभी स्कीमों के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों का एकीकरण किया जाएगा तथा प्रत्येक राज्य के लिए बुनियादी हकदारी अनुपात तैयार किया जाएगा। राज्य अपनी वार्षिक हकदारी के भीतर ऐसी स्कीमों को क्रियान्वयन हेतु चुनने के लिए स्वतन्त्र होगा जो उनकी आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप हों। योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संबंधित मंत्रालयों और राज्यों के साथ परामर्श करके संशोधित मार्गनिर्देशों तथा कार्य पद्धतियों को तैयार कर रहा है।

दसवें वित्त आयोग की इस सिफारिश के बारे में कि करों का एक एकल विभाज्य पूल बनाया जाए जिससे सभी करों को केन्द्र और

राज्यों में बांटा जा सके, मैं माननीय सदस्यों के बीच एक चर्चा-पत्र परिचालित करना चाहता हूं। पहली दृष्टि में, वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रीय हित में प्रतीत होती है लेकिन इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसलिए, मैं चाहता हूं कि कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले इस विषय पर बहस कर ली जाए।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम में वायदा किया गया है कि सरकार छः महीने के भीतर एक विस्तृत दस्तावेज तैयार करेगी जिसमें नौंवी योजना की प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाएगी। यद्यपि, इस बजट में बहुत से कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं, फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि चार महीने के भीतर ही नौंवी पंचवर्षीय योजना के संबंध में एक दृष्टिकोण पत्र (एप्रोच पेपर) तैयार किया जाए। नौंवीं योजना के लिए 7 प्रतिशत वार्षिक दर का लक्ष्य रखा जाएगा तथा संसाधन जुटाने और व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसमें जिम्मेवारियों के विकेन्द्रीकरण के लिए स्पष्ट नीतियों का उल्लेख किया जाागा। इस वर्ष आरम्भ किए गए उपायों के पश्चात अब एक अधिक विस्तृत सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जिसमें निर्धनता उन्मूलन पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

अब मैं संक्षिप्त रूप से बजट अनुमानों की चर्चा करूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, 1995-96 के संशोधित अनुमानों के ब्यौरे फरवरी, 1996 में अंतरिम बजट के साथ प्रस्तुत किए गए थे। इसलिए, मैं इन अनुमानों की फिर से चर्चा नहीं करूंगा। नीचे दिए गए आंकड़े 1996-97 के बजट अनुमान हैं तथा मैं आयोजना व्यय के लिए 1995-96 के बजट अनुमानों के साथ उनकी तुलना करूंगा।

1996-97 के लिए कुल व्यय 204,698 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इस राशि में से, 54,685 करोड़ रुपए केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता तथा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए सहायता के रूप में हैं जो कि 48,500 करोड़ रुपए की तुलना में 13 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि को दर्शाता है। आयोजना-भिन्न व्यय की राशि 150,013 करोड़ रुपए रखी गई है।

राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता को 19,506 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 21,972 करोड़ रुपए किया जा रहा है। सहायता राशि में यह वृद्धि राज्यों को सात बुनियादी न्यूनतम सेवाओं, जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, को कार्यान्वित करने हेतु निधियां प्रदान करने के कारण होगी।

केन्द्रीय आयोजना के लिए सकल बजटीय सहायता को 28,994 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 32713 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

निर्धनता उन्मूलन संबंधी सभी कार्यक्रमों का उन्हें सुदृढ़ करने और उन्हें अधिक धनराशि प्रदान करने की दृष्टि से पुनरीक्षण किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के लिए आयोजना आवंटन की राशि 1263 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2195 करोड़ रुपए कर दी गई है। ग्रामीण रोजगार तथा निर्धनता उन्मूलन विभाग के लिए आवंटन की राशि 6437 करोड़ रुपए है।

उर्वरक विभाग के लिए आयोजना आवंटन की राशि 205 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 373 करोड़ रुपए कर दी गई है जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए, गैर-पारम्परिक ऊर्जा मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन को 87 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 334 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा है कि माननीय सदस्य वित्त मंत्री को इस बात के लिए क्षमा कर देंगे यह निर्यात के प्रति पक्षपात करता है। आखिरकार मुझे वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक प्रशासन का अनुभव रहा है। हमारी कार्यसूची में निर्यात संवर्धन का विषय सबसे ऊपर रहेगा। इसलिए, मैं हाल ही में स्थापित "इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड" के लिए 50 करोड़ रुपए की सामूहिक राशि प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूं। मैं उद्योग और व्यापार क्षेत्र से अपील करता हूं कि वे इसी वित्तीय वर्ष में कम से कम इतनी ही राशि का योगदान करें। नाजुक संतुलन आधारभूत संरचना क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। निर्यात संवर्धन और बाजार विकास हेतु आयोजना-भिन्न प्रावधान की राशि भी 315 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 460 करोड़ रुपए कर दी गई है। मान्य निर्यातकों को अब सीमान्त उत्पाद शुल्क की नकद वापसी राशि शीघ्र ही मिल जाया करेगी।

स्वास्थ्य विभाग के लिए आयोजना आवंटन की राशि 647 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 792 करोड़ रुपए कर दी गई है।

शिक्षा विभाग के लिए आयोजना आवंटन की राशि में भारी वृद्धि करके इसे 1825 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3388 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम तथा मध्याह्न भोजन स्कीम के कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी।

यह सरकार सामाजिक सुरक्षा तन्त्र का विस्तार करके महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। महिला और बाल विकास विभाग के लिए वार्षिक आयोजना आवंटन को 730 करोड रुपए से बढ़ाकर 847 करोड़ रुपए किया जा रहा है। एकीकृत बाल विकास स्कीम के लिए आवंटन राशि 588 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 682 करोड़ रुपए की जा रही है।

श्रम मंत्रालय के लिए आयोजना आवंटन 136 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 188 करोड़ रुपए कर दिया गया है। कामगारों के कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार और उनके प्रशिक्षण से संबंधित स्कीमों के लिये प्रावधानों में वृद्धि की गई है।

कुछ दिन पहले प्रस्तुत किए गए रेल बजट में, सरकार ने चालू वर्ष के लिए रेलवे योजना में 8130 करोड़ रुपए के परिव्यय की घोषणा की है जिसके साथ 1269 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता भी प्रदान की गई है। आंतरिक संसाधन उपार्जन संबंधी अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रेलवे की योग्यता के आधार पर, वर्ष के दौरान,

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए मैं बजटीय सहायता में वृद्धि करने पर विचार करूंगा।

भूतल परिहवन मंत्रालय के लिये आयोजना आवंटन की राशि 240 करोड रुपए से बढ़ाकर 1322 करोड़ रुपए कर दी गई है जो मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए है। कन्टेनर यातायात के लिए कोची और तूतीकोरिन को महत्वपूर्ण यानांतरण पत्तन बनाने की स्कीमें भी तैयार की जा रही हैं।

अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप की तरफ से यह निरंतर मांग बनी रही है कि परियोजनाओं के वित्तपोषण तथा कार्यान्वयन की लागत का निर्धारण करने संबंधी मानदण्डों को लचीला बनाया जाए। उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, मैंने इन मांगों को स्वीकार कर लिया है। हम इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि इन महत्वपूर्ण द्वीपसमूहों में विकास की गति को तीव्र करने के लिए द्वीप विकास प्राधिकरण को सक्रिय बनाया जाए।

माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना को चालू वर्ष में भी जारी रखा जा रहा है। ...**(व्यवधान)**

श्री पी. उपेन्द्र : (विजयवाड़ा) : महोदय, हम और अधिक निधियां/धन चाहते हैं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

श्री पी. उपेन्द्र : महोदय, हम 50 लाख रु. प्रति विधानसभा खण्ड के दर से निधि/धन चाहते हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मुझे वो वाक्य पुनः पढ़ने दीजिए। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जो वो वाक्य पुनः पढ़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : मैं समझता हूं कि वह आशय/उलझन को समझ नहीं पाये। मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्किम है को चालू वर्ष में भी जारी रखा जा रहा है। इस योजना हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध करायी जा रही हैं और मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय अध्यक्ष महोदय से विचार-विमर्श/परामर्श कर आवंटन का निर्णय लिया जाएगा। ...**(व्यवधान)** इस स्कीम के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।

1996-97 के लिए आयोजना-भिन्न व्यय 150,013 करोड़ रुपए रखा गया है जब कि इसकी तुलना में 1995-96 के बजट अनुमानों में यह राशि 123651 करोड़ रुपए तथा 1995-96 के संशोधित अनुमानों में 134,320 करोड़ रुपए थी। उपरोक्त वृद्धि में, 8000 करोड़ रुपए ब्याज की अदायगी में बढ़ोतरी के कारण है जिसके लिए अब 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। रक्षा व्यय के लिए प्रावधान की राशि 1995-96 के संशोधित अनुमान में 26879 करोड़ रुपए की तुलना में बढ़ाकर 27,798 करोड़ रुपए कर दी गई है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि यदि आवश्यक हुआ तो हमारी सशस्त्र सेनाओं को शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित करने तथा उन्हें युद्ध स्थिति हेतु तैयार रखने के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

कृषि और सिंचाई क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मुख्य नए उपायों की चर्चा में पहले ही कर चुका हूं। फास्फेटी और पोटाशो उर्वरकों के लिए आर्थिक सहायता में पिछले वर्ष के 500 करोड़ रुपए के प्रावधान की तुलना में 1724 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। यूरिया के लिए राज सहायता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बढ़ी हुई इस आर्थिक सहायता राशि से बेहतर भूमि विकास और उत्पाद हेतु विभिन्न उर्वरकों का संतुलित उपयोग होने की संभावना है।

खाद्य संबंधी आर्थिक सहायता को भी 5500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5884 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनरूद्धार योजनाओं के अंतर्गत, भारत यंत्र निगम लिमिटेड, भारत भारी उद्योग लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की सहायक कंपनियों से संबंधित बकाया ब्याज को बट्टे खाते में डालने तथा ऋणों की राशि को इक्विटी में बदलने के लिए 449 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को आयोजना-भिन्न ऋण देने के लिए 1270 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है जो मुख्यतः कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी के भुगतान के लिए हैं।

अब मैं राजस्व प्राप्तियों की तरफ आता हूं। कराधान की मौजूदा दरों पर सकल कर राजस्व 129,453 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राज्यों को करों के भाग के रूप में 34,451 करोड़ रुपए प्रदान करने के पश्चात्, केन्द्र का निवल कर राजस्व 95,002 करोड़ रुपए होगा। कर-भिन्न राजस्व जो हमारी आय का एक महत्वपूर्ण भाग है, में भी अच्छी वृद्धि दिखाई दी है। इस शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां, जो 1995-96 के संशोधित अनुमानों में 29,103 करोड़ रुपए होने का अनुमान था, इस वर्ष 33,035 करोड रुपए हो जाने का अनुमान है। मुझे विश्वास है कि कुछ शीर्षों के अंतर्गत, हम और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। मैंने सेलूलर तथा बुनियादी दूरसंचार सेवाओं के आप्रेटरों से लाइसेंस फीस के रूप में 2500 करोड़ रुपए का ऋण लिया है।

केन्द्र के लिए निवल राजस्व प्राप्तियां, जिसमें कर-भिनन प्राप्तियां भी शामिल हैं, 1995-96 के संशोधित अनुमानों में 11019।

करोड़ रुपए से बढ़कर 1996-97 में 128037 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।

पूंजीगत प्राप्तियों के क्षेत्र में, पारम्परिक बाजार ऋणों की राशि 3700 करोड़ रुपए रखी गई है। अन्य मध्यम और दीर्घावधिक ऋणों की राशि 21,798 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। निवल विदेशी सहायता की राशि 2461 करोड़ रुपए होगी। मैं सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में इक्विटी के विनिवेश से होने वाली प्राप्तियों में से भी 5000 करोड़ रुपए का ऋण ले रहा हूं। कराधान की मौजूदा दरों पर कुल प्राप्तियां 195774 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जबकि कुल व्यय 204698 करोड़ रुपए का होगा। मैं अपने भाषण में भाग 'ख' में राजकोषीय घाटे और बजट घाटे के संबंध में और भी बहुत कुछ कहूंगा।

अब मैं अपने कर प्रस्तावों पर आता हूं। महोदय, ऐसा करने से पहले मुझे सभी वित्त मंत्रियों के अनाधिकारिक समाचार को स्मरण करना होगा। महान कवि मोहम्मद इकबाल ने कहा है

'शाही कभी परवाज से थककर नहीं गिरता,
पुरदम है अगरतू, तो नहीं खतरा-ए-उठता।"

बाज कभी भी ऊंची उड़ान से थककर नीचे नहीं गिरता है। यदि आप में साहस है, तब लडखड़ाने का कोई खतरा नहीं है।

यह शुभ समाचार है कि केवल एक कर को छोड़कर कोई नया प्रत्यक्ष कर नहीं लगा है और मुझे विश्वास है कि उस एक मात्र नए कर का भी प्रायः व्यापक रूप से स्वागत किया जाएगा।

समाज के सभी वर्गों की यह जोरदार मांग रही है कि व्यक्तिगत आयकर की न्यूनतम सीमा 40,000 रुपए के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर कम से कम 60,000 रुपए कर दी जाए। न्यूनतम सीमा में 1000 रुपए की हरेक वृद्धि से राजकोष का खर्च 150 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा और चूंकि इस हानि का 77.5 प्रतिशत राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा, इसलिए इस संबंध में कोई बड़ी रियायत देने से राज्यों के वित्तीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, जबकि प्रत्यक्ष कर का आधार पहले से ही सीमित है- केवल 110 लाख व्यक्ति ही आयकर देते हैं- तब कोई भी वित्त मंत्री उनमें से 20 या 30 लाख लोगों को इस परिधि से बाहर नहीं जाने दे सकता। तथापि, मैं कर की अर्थात 40,000 रु. से 60,000 रु. तक की पहली परिधि में आने वाले कर-निर्धारितियों, विशेषतया वेतन भोगी वर्ग को राहत देने की जरूरत को स्वीकार करता हूं। मैं दो तरीके से ऐसा करने का प्रस्ताव करता हूं: सर्वप्रथम मैं पहली परिधि के लिए आयकर की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। यह लाभ सभी कर निर्धारितयों को मिलेगा। मैं 60,000 रुपए तक की आय वाले वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए करने का भी प्रस्ताव करता हूं। इस प्रकार 60,000 रुपए की वार्षिक आमदनी वाला एक वेतन भोगी कर्मचारी अपनी भविष्य निधि में न्यूनतम अंशदान करते हुए अब किसी तरह का कोई कर नहीं देगा। यदि उसके पास किसी तरह की कोई बचत नहीं है तो भी उसे केवल 300 रुपए प्रतिवर्ष ही भुगतान करने होंगे। यदि वह महिला है तो उसे 60,000/- रु. तक कुछ नहीं देना होगा।

हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति विशेष ध्यान देना है। इस समय, वरिष्ठ नागरिक 100,000 रुपए के आय स्तर तक 40 प्रतिशत की विशेष कर छूट का लाभ उठाते हैं। मैं उस राशि को बढाकर 120,000 करने का प्रस्ताव करता हूं।

अपने मकानों में रहने वाले उन मकान-मालिकों को राहत देने की जरूरत है जिन्होंने उधार लेकर अपने मकानों के लिए वित्त व्यवस्था की है। अपनी सम्पत्ति से होने वाली आय के लिए उन्हें अनुमत 10,000 रुपए के ब्याज भुगतान की कटौती को बढ़ाकर 15,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव है।

एक अन्य राहत उपाय के रूप में, मैं किसी व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी बीमा के बारे में कटौती के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80घ के अंतर्गत 6000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैंने पहले ही भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा आरम्भ की जा रही वैयक्तिक-व-परिवार पेंशन की नई योजना का उल्लेख किया है। इस रूप में बचतों को बढ़ावा देने के लिए, मैं पेंशन निधि में अंशदान देने के लिए कर-योग्य आय से प्रतिवर्ष 10,000 रुपए की सीमा तक कटौती किए जाने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में ऐसी पेंशन निधि की आय को आयकर से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं।

इस समय सड़कों, राजमार्गों, पुलों, नए विमान पत्तनों, बन्दरगाहों और रेल प्रणालियों जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास, अनुरक्षण एवं प्रचालन में लगे हुए उद्यमों को धारा 80-झक के अंतर्गत पांच वर्ष का करावकाश मिला हुआ है। मैं सिचाई, जल आपूर्ति, सफाई तथा मल निकासी प्रणालियों में निवेश के लिए यह प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं अनुसंधान और विकास संबंधी क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए विशिष्ट रूप से स्थापित की गई कम्पनियों को आयकर अधिनियम की धारा 80-झक के अंतर्गत पांच वर्ष का करावकाश प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता हूं। मैं किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला या किसी विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भुगतान की गई धनराशि पर आयकर अधिनियम की धारा 35 (2कक) के अंतर्गत भारित कटौती प्रदान करने के लिए किसी बाहरी निकाय द्वारा अनुमोदन की शर्त को हटाकर मौजूदा प्रक्रिया को भी सरल बना रहा हूं। इसके लिए संस्थान का अध्यक्ष प्रमाणित करने में संक्षम है।

आधारभूत संरचना वाली निधियां आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई हैं। आधारभूत सुविधाओं के वित्तपोषण हेतु संसाधन जुटाने

के लिए स्थापित की गई ऐसी निधियों को बढ़ावा देने के लिए मैं उन्हें आयकर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। ऐसी निधियों या कम्पनियों को किसी आधारभूत सुविधा को विकसित करने, बनाए रखने और संचालित करने के लिए स्थापित किए गए किसी उद्यम में शेयरों या दीर्घकालिक वित्त-व्यवस्था के रूप में किए गए निवेशों से मिलने वाला कोई भी लाभांश, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ आयकर से मुक्त होगा।

मैं उन सार्वजनिक कम्पनियों के अनुमोदित डिबेंचरों अथवा इक्विटी शेयरों में निवेश करने की अनुमति का भी प्रस्ताव करता हूं जो धारा 88 के अंतर्गत कर छूट की पात्र हैं बशर्ते कि ऐसे सार्वजनिक निर्गमों की प्राप्तियों को किसी नई आधारभूत सुविधा का सृजन करने के लिए या विद्युत उत्पादन या वितरण करने के लिए लगाया जाए। ऐसे निवेश के मामले में धारा 88 के अंतर्गत 60,000 रुपए की सीमा को बढ़ाकर 70,000 रुपए कर दिया जाएगा।

पिछले कुछ वर्षों में कम्पनी कर की दरें कम की गई हैं और उन्हें सरल बनाया गया है जिसके परिणाम बड़े ही उत्साहवर्धक रहे हैं, इसीलिए कम्पनी करों से सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के तौर पर महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तथापि, दो मुद्दे ऐसे हैं जिन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। पहला मुद्दा विगत में दिया गया यह आश्वासन है कि कम्पनी अधिभार अस्थायी होगा। दूसरा मुद्दा शून्य कर वाली कम्पनियों की स्थिति है जोकि, कई प्रेक्षकों के अनुसार, कर-प्रणाली में अत्यधिक शिथिलता की परिचायक है। मैं इन दोनों मुद्दों को निम्नानुसार सुलझाने का प्रस्ताव करता हूं :-

(1) मैं कम्पनी कर पर अधिभार की दर 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर रहा हूं और अपने अगले बजट में भी ऐसा ही उपाय करने की आशा करता हूं। इस घटे हुए कर भार से छोटी और बड़ी सभी कम्पनियां लाभान्वित होंगी।

(2) मैं कम्पनियों पर "न्यूनतम विकल्प कर" (एम.ए.टी.) लगाने का प्रस्ताव करता हूं। जहां सभी पात्र कटौतियों का लाभ उठाने के उपरान्त आयकर अधिनियम के अंतर्गत यथा परिगणित कम्पनी की कुल आय बही लाभ के 30 प्रतिशत से कम हो तो इस मामले में उस कम्पनी की कुल आय बही लाभ का 30 प्रतिशत मानी जाएगी और तदनुसार उस पर कर लगाया जाएगा। कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत परिगणित प्रभावी दर बही लाभ का 12 प्रतिशत बैठती है। तथापि, विद्युत और आधारभूत क्षेत्रों में लगी हुई कम्पनियों को "न्यूनतम विकल्प कर" से छूट प्राप्त होगी। महोदय, मैं 1000 कम्पनियों पर न्यूनतम विकल्प कर" (एम.ए.टी.) लगाने का प्रयास करूंगा।

विदेशी कम्पनियों की तुलना में भारतीय कम्पनियों के लिए समान स्तर पर कार्य करने की क्षमता प्राप्त करने के उपाय के तौर पर, मैं घरेलू कम्पनियों के मामले में दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभ पर कर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

बचत को बढ़ावा देने के लिए तथा अर्थव्यवस्था के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निवेश के लिए बचतों को सरणीबद्ध करने के उद्देश्य से, मैं दीर्घकालिक पूंजीगत अभिलाभों को कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं बशर्ते कि पूंजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से प्राप्त होने वाले या प्रोद्भूत होने वाले निवल प्रतिफल को तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों में लगाया जाए या दूसरी ओर समूचे पूंजीगत अभिलाभ को सात वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट परिसम्पत्तियों में लगा दिया जाए। कर-निर्धारिती के पास अब दो नए बचत साधनों का विकल्प होगा।

मैं परिसम्पत्तियों में अंश शेयर रखने वाले वित्त व्यवस्थापकों के किसी सहायता संघ द्वारा बड़ी पूंजी वाली गहन परियोजनाओं के संयुक्त वित्त-पोषण की आवश्यकता के कारण परिसम्पत्तियों के अंश स्वामित्व के मामले में मूल्यह्रास की अनुमति देने का भी प्रस्ताव करता हूं।

उद्योग में कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए, मैं यह प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं कि व्यापार हानियों की तरह की अनवशोषित मूल्यह्रास को केवल आठ वर्षों की अवधि के लिए आगे ले जाया जाएगा।

परिसम्पत्तियों की बिक्री-और-पट्टा-वापसी की पद्धति के कारण पट्टादायी संस्थाओं को बहुत अधिक मूल्यह्रास से गुजरना पड़ता है। इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। इसलिए, मैं आयकर अधिनियम में यह प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं कि बिक्री-और-पट्टा-वापसी के लेन-देनों के मामले में पट्टेदार के हाथों में, जो पहले स्वामी था, परिसम्पत्ति का अवलिखित मूल्य पट्टाकर्ता के हाथों में लागत मूल्य समझा जाएगा। वास्तविक लेन देन को प्रभावित न करते हुए भी यह उपाय घाटे में चलने वाले प्रतिष्ठानों को मूल्यह्रास के अनुचित विनिमय में संलग्न होने से बचाएगा।

मुझे यह अनुचित लगता है कि कर-निर्धारिती द्वारा अपने व्यापार, कार्यालय या कारखाना परिसर के रूप में प्रयोग न की जाने वाली वाणिज्यिक सम्पत्तियां धनकर की परिधि से बाहर होनी चाहिए। तदनुसार मैं इस अवांछित त्रुटि को दूर करने तथा ऐसी वाणिज्यिक सम्पत्तियों पर धन-कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं।

कर राहत के जिन अन्य उपायों का मैंने प्रस्ताव किया है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं -

(1) कैंसर या एड्स जैसी लम्बी बीमारियों, जिनके उपचार में काफी खर्च आता हो, के रोगी या उनके संरक्षक को 15,000 रुपए की विशेष कटौती की अनुमति देना।

(2) किसी पूंजीकृत ट्रेड यूनियन संघ की आय को आयकर अधिनियम की धारा 10 (24) के अन्तर्गत छूट देना।

(3) आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अंतर्गत निम्नलिखित को शत प्रतिशत छूट प्रदान करना -

(क) गरीबों में सबसे गरीब व्यक्तियों के चिकित्सा व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित बीमारी सहायता निधियों को किए हुए दान;

(ख) हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गठित की गई राजकीय और राष्ट्रीय उक्त-आधान परिषदों को किए गए दान; और

(ग) देश की सशस्त्र सेनाओं द्वारा स्थापित की गई तीन निधियों को किए गए दान। ये निधियां हैं: सेना केन्द्रीय कल्याण निधि, भारतीय नौसेना हितकारी निधि तथा वायुसेना केन्द्रीय कल्याण निधि। अपनी सशस्त्र सेनाओं के बहादुर अफसरों और जवानों का अभिवादन करने का यह मेरा अपना तरीका है।

"सार्क" के प्रति अपने दायित्व के एक भाग के रूप में मैं "क्षेत्रीय परियोजनाओं की सार्क निधि" (एसएफआरपी) की आय को आयकर से छूट दे रहा हूं।

देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अगस्त, 1995 में एक उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम स्थापित किया गया था। मैं इसकी आय को कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं।

इन प्रस्तावों के कारण निगम कर के अंतर्गत राजस्व में वृद्धि होने की सम्भावना है जिसका अनुमान 912 करोड़ रुपए लगाया गया है।

अब मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों पर आता हूं।

पिछले कुछ वर्षों में, दरों की संख्या घटाकर, छूट समाप्त करके तथा मूल्यानुसार दरों में भारी परिवर्तन करके हमारे प्रत्यक्ष कर ढांचे को सुधारने के उपाय किए गए हैं। सीमा शुल्क की ओर से, वर्ष 1995-96 में शुल्क की उच्चतम दर को घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया जिसके साथ ही सभी वस्तुओं की दरों में तदनुसार कटौती की गई। केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों में भी सुधार किया गया तथा पूंजीगत वस्तुओं के लिए मॉडवेट शुरू करने तथा वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आवश्यक प्राय: सभी मदों को निवेश ऋण सुविधाएं प्रदान करने से वे मूल्य वर्धित कर की ओर उन्मुख हुईं। इन परिवर्तनों ने औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में योगदान दिया है, कर ढांचे को सरल बनाया है और बेहतर पारदर्शिता लाया है। उनके कारण ही राजस्व में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसके साथ ही दरों में पर्याप्त कटौती किए जाने के बावजूद पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष अप्रत्यक्ष कर संग्रहों में 19 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। सांझा न्यूनतम कार्यक्रम ने सरकार को ये कर सुधार जारी रखने का अधिदेश दिया है और मैं ऐसा करने का प्रस्ताव करता हूं।

अपने उद्योग को व्यापक तौर पर प्रतिस्पर्धा बनाने तथा संक्रान्ति काल में इसे यथोचित सुरक्षा स्तर उपलब्ध कराने के दोहरे उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैं सीमा शुल्क की दरों के मामले में परिमित एवं महत्वपूर्ण उपाय करने का प्रस्ताव करता हूं।

मेरे इन प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं-

* कच्चे तेल तथा अन्य बुनियादी पेट्रोरसायन मध्यवर्तियों पर सीमाशुल्क में कटौती।
* कच्चे माल तथा निविष्टियों जैसे रसायन, प्लास्टिक, प्राकृतिक रबड़ और लौह तथा अलौह धातुओं पर सीमा शुल्क की दरों में कटौती।
* इलैक्ट्रानिक वस्तु क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अपेक्षित कच्चे माल एवं संघटकों पर सीमा शुल्क में पर्याप्त कटौती।
* सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कम्प्यूटरों पर शुल्क की दरों में कटौती।
* वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए चुनिंदा मशीनरी पर आयात शुल्क में कटौती।
* शुल्क दरों की अनेक असंगतियों को दूर करना।
* वर्गीकरण तथा दरों से संबंधित विवादों में पर्याप्त कमी लाने के लिए समान तरह की मदों पर दरों का एकीकरण।
* केवल ऐसी छूटों का प्रतिधारण जो फिलहाल आवश्यक हों।

भारत रसायनों का एक प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक देश बन गया है। इस उद्योग ने पिछले दो वर्षों में लाभप्रद वृद्धि दर्शायी है। यही वह क्षेत्र है जिसमें भारत अपनी प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति की क्षमता का उपयोग कर सकता है और रसायनों के उत्पादन में विश्व का एक अग्रणी राष्ट्र बन सकता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, मैं निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव करता हूं :

* कच्चे माल पर शुल्क दर को 35 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत करना।
* बिटूमन पर शुल्क दर को 30 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत करना।

* पेट्रोरसायन निर्माण समूहों जैसे कूमीन, टालूइन तथा साइक्लोहेक्सेन के संबंध में 10 प्रतिशत पर दरों का एकीकरण।

* कार्बानिक और अकार्बानिक दोनों रसायनों पर शुल्क की दरों को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करना।

हमारे वस्त्रोद्योग में लाखों लोग लगे हुए हैं। इसे आधुनिक बनाना तथा एक ऐसा परिवेश उपलब्ध कराना आवश्यक है जिसमें इसका तेजी से विकास हो सके। और अधिक रोजगार पैदा हो सके। इसके लिए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूं –

* रेयान ग्रेड के लकड़ी की लुगदी पर आयात शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करना।

* एक्रीलोनीट्राइल पर सीमा शुल्क को 20 प्रशित से घटाकर 10 प्रतिशत करना।

* डी.एम.टी., पी.टी.ए. तथा एम.ई.जी. पर शुल्क की दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करना। परंतु कैप्रोलैक्टम के मामले में संशोधित शुल्क 30 प्रतिशत करना।

* कृत्रिम और सिन्थेटिक रेशों पर शुल्क दर को 45 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करना।

* नाइलोन फिलामेन्ट यार्न, पोलिएस्टर फिलामेन्ट यार्न तथा विस्कोस फिलामेन्ट यार्न पर शुल्क दरों को 45 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत के मौजूदा स्तरों से एक में मिलाकर 30 प्रतिशत करना।

मैं वस्त्रोद्योग क्षेत्र को मॉडवेट का लाभ प्रदान करते हुए उत्पाद शुल्क की व्यापक पुनर्संरचना करने का भी प्रस्ताव करता हूं जिस पर मैं कुछ समय बाद आऊंगा। मुझे विश्वास है कि इन उपायों से हमारा वस्त्रोद्योग आगामी वर्षों में बड़ी सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा।

हमारे पावर प्लांट बदली हुई मांग तथा प्रतिस्थापित क्षमता के बेहतर उपयोग के कारण कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। मेरा नॉन-कोकिंग कोयले पर शुल्क दर को 35 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। मेरा कोक पर शुल्क को 25 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर 20 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव है।

हमारा प्लास्टिक उद्योग भी पूरी तरह विकसित हो रहा है। मैं प्लास्टिक पर शुल्क को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक की वस्तुओं पर मैं 50 प्रतिशत के मौजूदा शुल्क स्तर को घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

औषधियों और भेषजों पर शुल्क की दरों के संबंध में मैं जीवन रक्षक औषधियों पर शुल्क की शून्य दर बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूं। मैं अन्य सभी एलोपैथिक दवाइयों पर भी शुल्क की दर 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली चिकित्सा संबंधी पशु औषधियां उपलब्ध कराने के लिए मैं पशु-चिकित्सा संबंधी विनिर्दिष्ट औषधियों पर निर्धारित दर 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

उद्योग जगत की यह निरन्तर शिकायत रही है कि धातुओं पर सीमा शुल्क बहुत अधिक है तथा इससे अनुप्रवाही उद्योग, विशेषतया पूंजीगत माल के लिए प्रतिस्पर्धी हो पाना कठिन हो जाता है। उद्योग जगत की यह मांग रही है कि धातुओं पर शुल्क की दर में पर्याप्त कमी की जानी चाहिए। तथापि, अपने धातु उद्योग को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा के अनुरूप स्वयं को समंजित करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस करते हुए मैं निकल और अल्यूमीनियम को छोड़कर सभी धातुओं पर इस समय लागू 35 प्रतिशत या 40 प्रतिशत की दर में मामूली कमी करके उसे 30 प्रतिशत की उच्चतम दर पर लाने का प्रस्ताव करता हूं। अपरिष्कृत अल्यूमीनियम और अपरिष्कृत निकल के संबंध में, मैं वर्तमान स्तर को क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत पर बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूं। मैं परिष्कृत अल्यूमीनियम पर शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत तथा परिष्कृत निकल पर 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

हालांकि मैं मशीनरी की शुल्क, दर जो 25 प्रतिशत है, में हेर-फेर नहीं करना चाहता हूं, फिर भी मैं रेलवे, विमानपत्तन, समुद्री बन्दरगाह, आदि के लिए सिगनल व्यवस्था तथा सुरक्षा उपकरण पर 50 प्रतिशत के वर्तमान शुल्क स्तर को घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

विगत तीन वर्षों में हमारे इलेक्ट्रानिक उद्योग ने असाधारण प्रगति की है जो कि उद्यम और साथ ही सीमा शुल्क में पर्याप्त कटौती करने से मिलने वाली उत्प्रेरणा का प्रतिफल रहा है। इस प्रवृत्ति को कायम रखने के लिए मैं निम्नलिखित परिवर्तनों का प्रस्ताव करता हूं :

* कच्चे माल पर, मौजूदा 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत।

* संघटकों पर, 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत।

* रंगीन टी.वी. के लिए ग्लास शेल पर, 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत।

* रंगीन पिक्चर ट्यूब पर, 40 प्रतिशत से 30 प्रतिशत।

* कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर उपकरणों पर, 40 प्रतिशत से 20 प्रतिशत।

* तथापि, तैयार माल पर 50 प्रतिशत की शुल्क दर जारी रहेगी, जो उच्चतम शुल्क है।

देश में खेलों को बढ़ावा देने की दृष्टि से, मैं खेल के सामानों पर आयात शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

पेशेवर प्रेस फोटोग्राफरों को राहत देने के लिए, मैं उन्हें एक लाख रुपए तक के फोटोग्राफी उपकरण निःशुल्क आयात करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं। प्रतिष्ठित पत्रकारों को भी व्यक्तिगत कम्प्यूटर, टाइपराइटर तथा फैक्स मशीन आयात करने के लिए इसी तरह की रियायत दी जा रही है।

दूरसंचार एक प्रगतिशील क्षेत्र है और यह हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन-रेखा सिद्ध होगा। दूरसंचार के प्रभावशाली नेटवर्क का अस्तित्व त्वरित आर्थिक विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा है। दूरसंचार विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए, मेरा यह प्रस्ताव है कि दूरसंचार उपकरण के पुर्जों और उप-साज सामानों पर शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत तथा तैयार उपकरणों पर शुल्क 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया जाए। सेल्यूलर फोनों, पेजरों और ट्रंकिंग हेण्डसेटों की तस्करी करने के प्रलोभन से बचने के लिए, मैं उन पर सीमा शुल्क को घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

देश में चिकित्सा स्तरों का उन्नयन करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं विनिर्दिष्ट उपकरण, जोकि सामान्यतया भारत में निर्मित नहीं किए जाते, और उनके पुर्जों पर शुल्क की दर को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत और अन्य चिकित्सा उपकरणों पर 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

इस समय खाद्य तेलों पर शुल्क की दर 30 प्रतिशत है। यह जन सामान्य के दैनिक भोजन का एक महत्वपूर्ण मद है और हमारे देश में खाद्य तेलों की पर्याप्त कमी है। मैं खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले अपने भाषण में आधारभूत संरचना में निवेश की गति बढ़ाने की अत्यावश्यकता पर जोर दिया था। इसलिए मैंने उन क्षेत्रों का ब्यौरा भी दिया था जिनके लिए मेरा अधिक आवंटन करने का प्रस्ताव है। मुझे इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाने हैं। मैं आयातकों से यह कहना चाहूंगा कि वे इस देश में आधारभूत संरचना के निर्माण का बोझ मिलकर उठाएं क्योंकि अन्ततः इससे उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसलिए मैं शून्य शुल्क कर वाली वस्तुओं के आयातों या विभिन्न शुल्क मुक्त लाइसेंसों के अंतर्गत निर्यात उत्पादन के लिए सीमा शुल्क की शून्य दर पर आयातित वस्तुओं को छोड़कर सभी आयातों पर 2 प्रतिशत विशेष सीमा शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं। यह कराधान पात्र यात्रियों द्वारा अथवा विशेष आयात लाइसेंसों के अंतर्गत आयातित सोने और चांदी पर लागू नहीं होगा। इससे चालू वर्ष में लगभग 1600 करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है।

आयातक यह जानकर प्रसन्न होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक फरवरी, 1996 में आयात संबंधी वित्त पर लगाए गए 25 प्रतिशत के ब्याज दर अधिभार को आज वापस लेने की घोषणा कर रहा है।

अब मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी अपने प्रस्तावों पर आता हूं। आज संसार के अधिकतर देशों के पास मूल्य वर्धित कर प्रणाली है जिसे वस्तु कराधान का अत्यधिक कारगर ढांचा स्वीकार किया गया है। मुझे यह जानकर खुशी है कि कुछ राज्य सरकारें इस मूल्य वर्धित कर प्रणाली को अपनाने जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों के सुधारों ने हमें एक केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली (वीएटी) के अधिक निकट लाया है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ कानूनी बाधाएं हैं।

हमारे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की संरचना में अभी भी 11 यथामूल्य दरें हैं। ये दरें 0 से 50 प्रतिशत तक पायी जाती हैं। आदर्श रूप में उत्पाद शुल्क की केवल चार दरें होनी चाहिएं- शून्य, व्यापक खपत वाली वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की निम्न दर, अन्य सभी वस्तुओं पर एकल सामान्य दर तथा विलासिता की वस्तुओं पर उच्चतर दर। इस कर संरचना की ओर अग्रसर होना हमारे लिए नितान्त आवश्यक है ताकि हम बेकार की मुकदमेबाजी को समाप्त कर सकें और हमारी कर संरचना पारदर्शी और सरल हो सके। चालू वर्ष में इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह बजट तैयार करने में मुझे जितना समय मिला था उतने समय में यह कार्य संभव नहीं था। तथापि, मैं इस वर्ष यह पहला कदम उठाने का प्रस्ताव करता हूं और मुझे विश्वास है कि हम अगले एक या दो वर्ष में चार दरों वाली उत्पाद शुल्क संरचना प्राप्त कर लेंगे।

मैं वस्त्रोद्योग क्षेत्र में मॉडवेट का सिद्धान्त अपनाकरण वस्त्राद्योग क्षेत्र पर कर को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की मुख्य धारा के साथ मिलाने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय सदस्य यह जानते हैं कि इस समय रेशे और सूत (यार्न) की अवस्था में उत्पाद शुल्क लगाए जाते हैं और कपड़ों पर बिक्री कर के बदले केवल एक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगता है। यह कराधान का एक अत्यन्त अकुशल तरीका है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप निर्विष्टियों पर बहुत अधिक शुल्क लगता है जिससे अपवंचन को बढ़ावा मिलता है, इससे मूल्य संयोजन नहीं होने पाता है; और इससे उद्योग जगत को पूंजीगत माल, रसायन तथा सूत (यार्न) पर मोडवैट निवेश ऋण मांगने का अवसर नहीं मिल पाता है। हालांकि अन्य उद्योगों का आधुनिकीकरण तेजी से हो रहा है, फिर भी इस असंतुलित कर संरचना के कारण हमारा वस्त्रोद्योग इस प्रक्रिया में पूर्णरूपेण भागीदार नहीं हो सकता है। इसलिए मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं।

मैं पोलीएस्टर फिलामेन्ट यार्न के मामले में यार्न पर उत्पाद शुल्क को 50 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से घटाकर 40 प्रतिशत करने तथा

दूसरे यार्न पर दरों की एकीकृत करके 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। इसके अन्तर्गत नाइलोन फिलामेन्ट यार्न और सूती यार्न शामिल नहीं हैं जिनके लिए क्रमशः 30 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की वर्तमान दरें कायम रखी जाएंगी। वस्त्रोद्योग क्षेत्र के लिए मॉडवेट की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, मैं सूती कपड़ों पर 5 प्रतिशत और अन्य कपड़ों पर 10 प्रतिशत का मूल उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूं जिसे कपड़े की संसाधित अवस्था में संगृहीत किया जाएगा। संसाधक इस आधार पर कि यार्न का मूल्य तैयार कपड़े के 50 प्रतिशत हो, आरोपित यार्न पर प्रदत्त शुल्क को मॉडवेट के अनुसार लाने की स्थिति में होंगे। मैंने आरोपित मूल्य की एक सरल प्रक्रिया अपनायी है ताकि ऐसे धूसर कपड़ों पर मूल शुल्क न लगाया जा सके जो हजारों बिजली चालित करघों द्वारा विनिर्मित किए जाते हैं। इसलिए ऐसे बिजली चालित करघे उत्पाद शुल्क की परिधि से बाहर बने रहेंगे। संयुक्त कारखाने और वस्त्र संसाधक उन मॉडवेट सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे जो अब तक उन्हें नहीं मिली थीं। वस्त्रोद्योग क्षेत्र के लिए चुनिंदा मशीनरी तथा निविष्टयों पर सीमा शुल्क में पर्याप्त कटौती के साथ-साथ उत्पाद शुल्क की इस पुनर्संरचना से वस्त्रोद्योग को अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इससे परिधान (गार्मेंट) निर्यातकों के लिए शुल्क वापसी की दरों का हिसाब लगाना भी आसान हो जाएगा।

सीमा शुल्क संबंधी अपने प्रस्ताओं में मैंने कच्चे तेल पर सीमा शुल्क को 35 प्रतिशत से कम करके 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। यह शुल्क संरचना के पुनर्गठन एवं युक्तिकरण का हिस्सा है जिसका उद्देश्य कार्यक्षम परिष्करणशालाओं को बढ़ावा देना तथा शुल्क को निवेश अवस्था से उत्पाद अवस्था में अन्तरित करना है। मैं एलपीजी तथा मिट्टी के तेल को छोड़कर सभी पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से ऊपर की ओर 15 प्रतिशत पर समंजित करके सीमा शुल्क की हानि को पूरा करने का प्रस्ताव करता हूं। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में दोनों को मिलाकर प्रस्तावित परिवर्तनों में राजस्व निष्प्रभावी है तथा इनका पेट्रोलियम उत्पादों की प्रवर्तित कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

माननीय सदस्य यह जानते हैं कि व्यापक उपभोग वाली प्रायः सभी वस्तुओं को पहले से ही उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा गया है और बड़े पैमाने पर खपत वाली अन्य बहुत सी वस्तुओं की उत्पाद शुल्क दर केवल 10 प्रतिशत है। मैं कुछ और वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। वे हैं :

(क) वनस्पति और मर्गारीन;

(ख) सभी राजकीय पाठ्य पुस्तक निगमों को दिए जाने वाले लेखन एवं मुद्रण कागज;

(ग) पशु वसा तथा तेल;

(घ) एस्बेस्टॉस फाइबर;

(ङ) धातु अयस्क; और

(च) टैपियोका उत्पाद।

मैं निम्नलिखित वस्तुओं पर शुल्क घटाने का प्रस्ताव करता हूं:

(क) टूथ पेस्ट, 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत

(ख) डिटर्जेण्ट, 30 प्रतिशत से 25 प्रतिशत

(ग) कागज और गत्ते के बने डिब्बे, पेटियां और थैले, 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;

(घ) अर्ध-स्वचालित प्रक्रिया द्वारा निर्मित कांच के बर्तन, 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;

(ङ) मेज, रसोई, आदि के काम आने वाले शीशे के समान, 15 प्रतिशत से 10 प्रतिशत;

(च) एस्बेस्टॉस सीमेंट की वस्तुएं, 25 प्रतिशत से 20 प्रतिशत; और

(छ) चमकदार टाइलों को छोड़कर मिट्टी की वस्तुएं, 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत।

मैं जूते के लिए छूट सीमा प्रति जोड़े 50 रुपए से बढ़ाकर 75 रुपए करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

मोटर वाहनों पर उत्पाद शुल्क की दरें ऐसे वाहनों के स्वीकृत वर्गीकरण के अनुरूप नहीं हैं। इसलिए मैं निम्नलिखित युक्तिकरण का प्रस्ताव करता हूं:

(क) जो मोटर कारें तथा अन्य मोटर वाहन मुख्यतः चालक को छोड़कर छः से अनधिक व्यक्ति ले जाने के लिए होते हैं, उन पर शुल्क 40 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहेगा।

(ख) जो मोटर वाहन मुख्यतः चालक को छोड़कर छः से अधिक व्यक्ति लेकिन 12 से अनधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए होते हैं, उन पर शुल्क-20 प्रतिशत।

(ग) व्यक्तियों या सामान के परिवहन के लिए अन्य मोटर वाहनों पर शुल्क-15 प्रतिशत दुपहियों या ट्रैक्टरों पर शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

यदि कोई एक ऐसा भी क्षेत्र है जिसमें कोई वित्त मंत्री कर भी लगा सकता है और लोगों को खुश भी रख सकता है, तो वह सिगरेट है। लेकिन आज सिगरेटों पर लगभग 5 प्रतिशत से लेकर 7 1/2 प्रतिशत तक विशिष्ट शुल्क में मामूली वृद्धि का प्रस्ताव करके मैं आप लोगों को थोड़ा ही खुश कर पाऊंगा। नॉन फिल्टर सिगरेटों के मामले में, जिनकी लम्बाई 60 एमएम से अधिक नहीं है जो सामान्यतया छोटे सिगरेट कहलाते हैं, मैं कर में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि करके उनका मूल्य 60 रुपए प्रति हजार से बढ़ाकर 75 रुपए प्रति हजार करने का प्रस्ताव करता हूं।

भारत में अनुसंधान और विकास कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं भारत और साथ-साथ विनिर्दिष्ट देशों में विकसित एवं पैटेन्ट वाली वस्तुओं को तीन वर्षों की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूं। मैं अनुसंधान और विकास संस्थाओं के लिए उपस्कर तथा उपभोग्य वस्तुओं के आयात हेतु सीमा शुल्क से छूट को भी युक्तिसंगत बना रहा हूं।

मैंने लघु उद्योग योजना के अंतर्गत शुल्क छूट के लिए पात्र वस्तुओं की सूची में पोटैशियम क्लोरेट, तांबे का चूर्ण तथा सिगरेट लाइटर शामिल करने का प्रस्ताव किया है। अन्यत्र प्रस्तावित आयात शुल्कों में कटौती से भी लघु उद्योगों को भरपूर लाभ मिलेगा। दियासलाई नियंत्रण प्रणाली को समाप्त करने तथा उन्हें दिन-प्रति-दिन की नियंत्रण परेशानी से मुक्त करते हुए स्व निष्कासन प्रक्रिया लागू करने का निणय किया है। मुझे आशा है कि दियासलाई की लघु उद्योग इकाइयों से उत्पाद शुल्कों के भुगतान में पर्याप्त वृद्धि होगी।

मैंने सीमा शुल्क तथा अन्य बहुत से लघु क्षेत्रों में उत्पाद शुल्क दोनों में ही दरों और छूटों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव किया है। मैं इनका ब्यौरा देकर सदन का समय लेना नहीं चाहूंगा।

हमारी उत्पाद शुल्क प्रक्रिया पुरानी है और समय के अनुरूप नहीं है। उन्हें संशोधित किए जाने की जरूरत है। उन्हें करदाताओं द्वारा कर कानूनों का स्वैच्छिक अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 1 अक्तूबर, 1996 से कर-निर्धारितियों को अब मासिक विवरणियों के साथ-साथ बीजकों की प्रतियां प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्पाद शुल्क विभाग को अब उन्हें सिर्फ एक सामान्य विवरणी प्रस्तुत करनी होगी जिसमें स्व-मूल्यांकन आधार पर भुगतान किए गए शुल्क का उल्लेख किया जाएगा। जहां भी संभव हो, कर निर्धारितियों के कम्प्यूटरों को सतत् सक्रिय मूल्यांकन के लिए विभागीय कम्प्यूटर से भी जोड़ा जा सकता है।

मैं उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा चयनात्मक लेखा-परीक्षा की एक योजना शुरू करने तथा कर-निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों और दस्तावेजों की नैमित्तिक जांच-पड़ताल करने की मौजूदा योजना समाप्त करने का भी प्रस्ताव करता हूं। यह योजना भी 1 अक्तूबर, 1996 से प्रवृत्त होगी।

मुझे विश्वास है कि जिन विनिर्माताओं को उत्पाद शुल्क का भुगतान करना होता है वे इन परिवर्तनों का व्यापक रूप से स्वागत करेंगे और मैं आशा करता हूं कि वे कानूनों का निष्ठापूर्वक अनुपालन करेंगे। तथापि, मैं सरकार के इस संकल्प की अभिपुष्टि करना चाहता हूं कि कर-वंचकों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मैं छल-कपट, सांठ-गांठ, गलतबयानी या तथ्यों को छुपाने के कारण कर-वंचन के लिए ब्याज सहित अनिवार्य जुर्माना लगाने की व्यवस्था करने के लिए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क अधिनियमों में यथोचित परिवर्तन करने का प्रस्ताव कर रहा हूं। अब से इन आधारों पर शुल्क अपवंचन के लिए अनिवार्य जुर्माना शुल्क अपवंचन की राशि के बराबर होगा। कर अपवंचकों को जिस महीने में शुल्क अपवंचन की राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था उसके अगले माह के पहले दिन से लेकर ब्याज का भुगतान भी करना होगा तथा फौजदारी मुकदमे का भी सामना करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 हमें उस औपनिवेशिक युग की याद दिलाते हैं जब नमक पर उत्पाद शुल्क लिया जाता था। नमक पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है और इसलिए नमक का संदर्भ पुराना हो गया है। मैं नमक पर उत्पाद शुल्क से संबंधित सभी संदर्भों को हटाने का प्रस्ताव करता हूं।

मॉडवेट योजना को, जिसमें निर्विष्टियों और पूंजीगत माल पर शुल्क संबंधी ऋण के लिए व्यवस्था की गई है, पिछले कुछ वर्षों में काफी उदार बना दिया गया है। अभी भी कतिपय निर्विष्टियों तथा पूंजीगत माल को शामिल किए जाने के बारे में समस्याएं हैं। मैं मॉडवेट नियमों में पूंजीगत माल से संबंधित टैरिफ के शीर्षक एवं उप-शीर्षकों का उल्लेख करते हुए पात्र पूंजीगत माल के क्षेत्र को स्पष्ट करने का प्रस्ताव करता हूं। यह भी चिन्ता का विषय है कि मॉडवेट ऋण योजना का दुरूपयोग होता है। इस समय, उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीकृत कोई भी डीलर मॉडवेट बीजक जारी कर सकता है और इस सुविधा का स्पष्ट तौर पर दुरूपयोग किया जा रहा है। इसलिए मैं डीलरों द्वारा दो चरणों तक मॉडवेट-योग्य बीजकों के निर्गम को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव करता हूं। मॉडवेट ऋण के गलत उपयोग करने के मामले में ब्याज की वसूली करने और मॉडवेट सुविधा के दुरूपयोग के लिए अनिवार्य जुर्माना लगाने के लिए मॉडवेट नियमों में उपयुक्त प्रावधान भी किए जा रहे हैं।

सेवाओं पर कर को स्थायी माना जाने लगा है। इस कर आधार का विस्तार करने की दृष्टि से, मैं विज्ञापन सेवाओं, रेडियो पेजिंग सेवाओं और कूरियर सेवाओं को कर के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता हूं। इन सेवाओं पर कर की दर 5 प्रतिशत होगी। हालांकि पूरे वर्ष में इस उपाय से 150 करोड़ रुपए की आय होने की आशा है, फिर भी मैं चालू वर्ष में सिर्फ 70 करोड़ रुपए का ही आकलन कर रहा हूं।

सीमा शुल्क में कटौती से संबंधित मेरे प्रस्तावों से चालू वित्तीय वर्ष के शेष भाग में 650 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होने का अनुमान लगाया गया है। तथापि, विशेष सीमा शुल्क से होने वाली प्राप्तियों को, जो 1600 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, ध्यान में रखते हुए सीमा शुल्क के राजस्व में 950 करोड़ रुपए का निवल अभिलाभ होगा।

अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों सहित उत्पाद शुल्कों के मामले में 760 करोड़ रुपए का अभिलाभ होने का अनुमान है। इसमें से राज्यों को उनके उत्पाद शुल्क के हिस्से के रूप में 384 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है।

अब मुझे अपने सहयोगी संचार मंत्री की ओर से कुछ कहना है। डाक दरें, जिनमें से कुछ दरें पिछली बार 1990 में संशोधित की गई थीं, अधिकांश सेवाओं की प्रत्यक्ष लागत को भी पूरा नहीं कर पाती हैं जिसके कारण बजटीय सहायता बढ़ रही है। इतना होते हुए भी साधारण पोस्टकार्ड, पत्र, पार्सल तथा अन्य डाक सेवाओं की दरों में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं किया जा रहा है। केवल दो सेवाओं के संबंध में, जिनका इस्तेमाल व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है, मामूली वृद्धि करने का प्रस्ताव है। मुद्रित पोस्टकार्ड, सामान्य पोस्ट कार्ड नहीं, की दर 60 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए की जा रही है तथा पंजीकरण शुल्क 6 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए किया जा रहा है। "प्रतियोगिता पोस्टकार्ड" नामक एक नई श्रेणी का पोस्टकार्ड शुरू करने का निर्णय भी किया गया है, केवल मात्र जिसको ही दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिका में या के माध्यम से आयोजित किसी प्रतियोगिता का जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस श्रेणी के पोस्टकार्ड का टैरिफ 2 रुपए निर्धारित करके ऐसी प्रतियोगिताओं की अवांछित आर्थिक सहायता को समाप्त करने का प्रस्ताव है। ये परिवर्तन वित्त विधेयक के पारित होने के बाद अधिसूचित की गई तारीख से प्रभावी होंगे। प्रस्तावित संशोधनों से वर्ष 1996-97 में 38 करोड़ रुपए के अल्प राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान है, फिर भी डाक घाटा काफी रह जाता है।

सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्कों में उपयुक्त परिवर्तनों को प्रभावी बनाने वाली अधिसूचनाओं की प्रतिशयां यथा-समय सदन के पटल पर रख दी जाएंगी।

मेरे बजट प्रस्तावों में व्यय और राजस्व दोनों ही पक्षों के कई निहितार्थ हैं। फिर भी माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अन्तिम परिणाम सन्तोषजनक है। 1996-97 में राजस्व घाटा 31,475 करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 2.5 प्रतिशत बैठता है जो संशोधित अनुमान 1995-96 के 33,331 करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की अपेक्षा काफी कम है। राजकोषीय घाटा वर्ष 1996-97 में 62,226 करोड़ रुपए होगा जोकि संशोधित अनुमान 1995-96 के 64,010 करोड़ रुपए के आंकड़े की अपेक्षा कम है। सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में पिछले वर्ष के 5.9 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 1996-97 का राजकोषीय घाटा 5 प्रतिशत है। अपने अगले बजट में, मैं बेहतर कार्य करने और राजकोषीय घाटे को 4 प्रतिशत से नीचे लाने की दिशा सी एम पी में निहित, में अग्रसर होने की आशा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, अब अन्त में मैं स्वयं अपने आप से पूछता हूं कि बजट किसके लिए होता है? हालांकि यह अर्थव्यवस्था के सुधार का एक मापदंड है, फिर भी यह लोगों के परिश्रम एवं अभिलाषाओं का एक दर्पण भी है। 2000 साल पहले, सन्त तिरूवल्लुवर ने राजा के मन्त्रियों के लिए सुशासन का उल्लेख किया था:

"इयात्रलुम, इत्तालुम, कत्तालुम, कत्ता
वकथालम वल्लथ अरास्"

("सम्पत्ति को बढ़ाना, उसकी सुरक्षा करना, तथा उसका सही-सही वितरण करना ही, एक अच्छे प्रशासक की योग्यता को दर्शाता है।")

मैंने गरीबों पर कोई भार डाले बिना संसाधन बढ़ाने, कृषि, सिंचाई, आधारभूत संरचना तथा सामाजिक क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधन आवंटित करने, न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के लिए अधिक निधियां उपलब्ध कराने, वेतनभोगी तथा मध्यम वर्गों को कर राहत देने तथा बचत और निवेश को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। मैंने प्रारम्भ में जिन सात उद्देश्यों की घोषणा की थी, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया है।

सांझा न्यूनतम कार्यक्रम का यह दृष्टिकोण पूर्णतया सही है कि गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद को अगले 10 वर्षों में प्रति वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसा कि किसी अज्ञात कवि ने कहा: 'सफल होने के लिए आगे बढ़ते रहना, पहली शर्त है। जो लोग थक जाते हैं और हार जाते हैं, वे अपनी मंजिल कभी पा नहीं सकते।"

चले चलिये कि चलना भी दलीले कामरानी है,
जो थककर बैठ जाते हैं वह मंजिल पा नहीं सकते।

मेरा विश्वास है कि हमारी अर्थव्यवस्था की वक्र रेखा अधिक संवृद्धि की ओर अभिमुख है। विवेक इसी में है कि हम इस वक्र रेखा पर बने रहें। ऐसा करने के लिए, हमें कम सुधारों की नहीं बल्कि और अधिक सुधारों की जरूरत है। हमें कम संसाधनों की नहीं बल्कि और अधिक संसाधनों की जरूरत है। हमें कम अनुशासन की नहीं बल्कि अधिक अनुशासन की जरूरत है। और हमें कम सहानुभूति की नहीं बल्कि अधिक सहानुभूति की जरूरत है। यदि हम सांझा न्यूनतम कार्यक्रम का निष्ठापूर्वक अनुपालन करें मुझे आशा है कि यह सरकार ऐसा करेगी, तो हम अपनी मुसीबतों पर काबू पा लेंगे तथा भारत को विश्व के राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में ले जा सकेंगे। मेरे इस पहले बजट में, मुझे आशा है, उत्साह और सहानुभूति, सुधार और संयम तथा विकास एवं सामाजिक न्याय को ठीक-ठीक अनुपात में संयुक्त रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

अध्यक्ष, महोदय इन शब्दों के साथ मैं यह बजट इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 6.30 बजे

वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 1996*

वित्तमंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी. चिदंबरम) : श्रीमन्, मैं वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-2, दिनांक 22.7.96 में प्रकाशित।

प्रस्तावों को लागू करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव करता हूं

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री पी. चिदम्बरम : मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त विधेयक (संख्यांक 2) पुरःस्थापित हुआ।

अब, सभा 23 जुलाई, 1996 को अपराह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 6.31 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 23 जुलाई, 1996/1 श्रावण, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।